

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर—एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013



॥ सरस्वती नः सुभगा मयरकरत् ॥

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या : 40

दिनांक : 02 सितम्बर, 2016

समय : पूर्वाहन: 11:00 बजे

स्थान : कमेटी कक्ष



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 40वीं
बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3	प्रो. के.एस. मिश्र, डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	प्रो. एच.एस. उपाध्याय, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. अरविन्द दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर	सदस्य
6.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, <u>निदेशक</u> , मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

12. डॉ. श्रुति,
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सदस्य
13. डॉ. मुकेश कुमार
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सदस्य
14. श्री डी.पी. त्रिपाठी
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सदस्य—सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- 01 प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
02. डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया। माननीय कुलपति जी ने विद्या परिषद् के नये सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्यों का परिचय विद्या परिषद् के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों से कराया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 40.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 19 जून, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 19 जून, 2015 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या 60-97 ----- पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली की बैठक दिनांक 19 जून, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 40.02

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनांक 19 जून, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनांक 19 जून, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :—

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
38.01	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
38.02	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
38.03	दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यालयों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था के उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।	योजना बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यालयों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था के उपलब्धता हेतु आवश्यकतानुसार संरचना/प्रस्ताव (मॉडल) तैयार किया जाय एवं उसी के अनुरूप सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु स्थान का निर्धारण कर भूमि/भवन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
2.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार प्रशासनिक भवन के अपूर्ण तलों के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार प्रशासनिक भवन के अपूर्ण तलों के निर्माण हेतु भारत सरकार के निर्माणदायी संस्था RYTES से कार्य कराये जाने की सम्भावना तलाशी जाय। मास्टर प्लान के अनुसान निर्माण कार्य के समय	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल का निर्माण

	<p>विश्वविद्यालय एक आर्कीटेक्ट के माध्यम से समय-समय पर गुणवत्ता का परीक्षण कराये।</p> <p>योजना बोर्ड की उक्त संस्तुति के सन्दर्भ में प्रकरण वित्त समिति की दिनांक 10-03-2015 के बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।</p> <p>"वित्त समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियां की —</p> <p>(1) "राज्य सरकार द्वारा नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों से आगामन प्राप्त कर न्यून दर वाली राजकीय एजेन्सी से कार्य कराया जाय।"</p> <p>(2) भूतल का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। अतः प्रथम तल बनवाने की जो भी औपचारिकतायें/प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उसे सम्बन्धित से प्राप्त कर लिया जाय।</p> <p>(3) विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से निर्माण कराया जाय। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।"</p> <p>वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 को यथावत खीकार किया।</p> <p>विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	<p>कार्य सी. एन.डी.एस., यूनिट-33, जल्ज निगम, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।</p>	
3.	<p>विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अवस्थित दीक्षान्त समारोह प्रांगण का नामकरण "महामना पं. मदन मोहन मालवीय दीक्षान्त समारोह प्रांगण" के नाम से किए जाने पर विचार।</p>	<p>योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अवस्थित मैदान का नामकरण "महामना पं. मदन मोहन मालवीय दीक्षान्त समारोह प्रांगण" के नाम से किए जाने की संस्तुति की।</p>	<p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं</p>

		<p>सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की दिनांक 23 नवम्बर, 2014 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था जिसे कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।</p> <p>विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	है।
4.	विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों के उत्तरोत्तर वृद्धि एवं अन्य बढ़ते हुए कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था किये जाने पर विचार।	<p>योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों के उत्तरोत्तर वृद्धि एवं अन्य बढ़ते हुए कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था किये जाने की संस्तुति की।</p> <p>विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
5.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/ अन्य वाह्य आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।	<p>योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/ अन्य वाह्य आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण कराये जाने की संस्तुति की।</p> <p>प्रसाधन निर्माण हेतु सी.एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, यूनिट-33, इलाहाबाद एवं राजकीय निर्माण निगम, कौशाम्बी ईकाई, फाकामऊ, इलाहाबाद से भी आगणन प्राप्त किया गया। राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया आगणन रु. 15.80 लाख न्यूनतम था। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से प्रसाधन कक्ष का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक दिनांक 10-03-2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।</p> <p>"वित्त समिति ने यथा प्रस्तवित अनुमोदित करने की संस्तुति की।"</p> <p>वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त</p>	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है।

		<p>कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 में यथावत स्वीकार किया जा चुका है।</p> <p>विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	
6.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/शैक्षणिक परिसर के सौन्दरीकरण के दृष्टिगत बागवानी एवं लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने पर विचार।	<p>योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/शैक्षणिक परिसर के सौन्दरीकरण हेतु कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2009 के संकल्प संख्या 41.03 के दृष्टिगत बागवानी एवं लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने की संस्तुति की।</p> <p>प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 23-11-2014 के संकल्प संख्या 76.10 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—</p> <p>“विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/शैक्षणिक परिसर के सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत बागवानी/लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को कार्य परिषद् ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।”</p> <p>विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। कार्यवाही की जा रही है।
7.	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल के अपूर्ण निर्मित भाग को पूर्ण कराये जाने पर विचार।	<p>“योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल के अपूर्ण निर्मित भाग को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को 15 दिनों का समय देते हुए आख्या प्राप्त किया जाय कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये धनराशि रु. 96.60 लाख के सापेक्ष कार्य पूर्ण है अथवा शेष है। इसके पश्चात् ही अग्रतर कार्यवाही की</p>	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस नवनिर्मित केन्द्रीय

	<p>जाय।"</p> <p>उक्त संस्तुति के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद के सम्प्रेक्षकों द्वारा निम्नलिखित विंदु इंगित किया गया है :—</p> <p>(i) कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 कौशाम्बी इकाई इलाहाबाद के रु0 157.10 लाख के प्रेषित आगणन को दूरस्थ शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 रा0 निर्माण निगम लि0 कौशाम्बी इकाई इलाहाबाद के साथ दिनांक 31.03.2012 को अनुबन्ध किया गया। कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 05/2012 एवं कार्यपूर्ण की तिथि 08/2013 थी। उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्य आदेश जारी किया गया तथा 96.60 लाख एक मुश्त उपलब्ध कराये गये। कार्यदायी संस्था ने दिनांक 12.12.2012 को यह सूचित किया कि भूतल का कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल का कार्य प्रगति पर है तथा 96.60 लाख व्यय हो गयी। निर्माण कार्य जारी रखने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी तथा दिनांक 23.11.2012 को कार्य बन्द कर दिया।</p> <p>(ii) दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई एवं न ही विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से व्यवस्था की गयी। फलतः रु. 96.60 लाख की धनराशि अलाभकारी रही।</p> <p>अतः आडिट आपत्ति को देखते हुए उक्त कार्य के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि रु. 96.60 लाख अलाभकारी न हो, इस हेतु</p>	<p>पुस्तकालय का लोकार्पण मा. राज्यपाल, उत्तर अदेश द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2015 को किया जा चुका है।</p>
--	--	--

	<p>विश्वविद्यालय को अपने श्रोतों से धन की व्यवस्था की जानी होगी एवं वर्षों से बंद कार्य को शुरू करना होगा। उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम ने अपने पत्र सं० 12/इला. /कौशाम्बी इकाई/राजकीय निर्माण निगम/पुस्तकालय भवन/14 दिनांक 19.01.2015 द्वारा 96.60 लाख के कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना दी गयी है तथा स्वीकृत धनराशि रु० 157.10 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु. 60.50 लाख को तत्काल अवमुक्त करने का पुनः अनुरोध किया है जिससे कार्य आरम्भ हो सके। अतः विश्वविद्यालय के स्रोतों से उक्त कार्य हेतु बजट प्रावधान हेतु प्रकरण वित्त समिति की बैठक दिनांक 10–03–2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।</p> <p><i>"वित्त समिति ने यथा प्रस्तवित अनुमोदित करने की संस्तुति की।"</i></p> <p>वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 के संकल्प संख्या 79.01 (3) द्वारा यथावत स्वीकार किया।</p> <p>विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>		
8.	<p>विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कैंटीन की व्यवस्था किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।</p>	<p>योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कैंटीन की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।</p> <p>विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।</p>	<p>दिनांक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
9.	<p>विश्वविद्यालय में 500 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।</p>	<p>योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 500 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की संस्तुति की।</p>	<p>दिनांक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा</p>

	<p>विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।</p>	<p>को यथावत् स्वीकार किया गया।</p> <p>दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 को योजना बोर्ड की बैठक में विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की द्वामता के आडिटोरियम कम मल्टीप्रॉज (Multipurpose) हाल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया था।</p> <p>दिनांक 15 फरवरी, 2016 को वित्त समिति ने अपनी बैठक में योजना बोर्ड की संस्तुति को यथावत् स्वीकार किया।</p> <p>दिनांक 06-03-2016 को कार्य परिषद् ने अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया :—</p> <p>वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत् स्वीकार किया। कार्य परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शासन द्वारा नामित एजेन्सी से मानचित्र तदुपरान्त आगणन प्राप्त किया जाय। 2. स्वयं के संसाधनों से निर्माण कराये जाने एवं सासन से धनराशि की मांग की जाय। धनराशि प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति की जाय। <p>निर्णयानुसार कार्यवाही की जा</p>
--	--	---

			चुकी है।
38.04	विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
38.05	विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही तदनुसार की जा रही है।
38.06	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
38.07	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही तदनुसार की जा रही है।
38.08	<u>दिनांक 07–02–2015 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार</u>		
1.	सत्र 2013–14 में संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड सत्र 2013–14 में संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	सत्र 2013–14 में विषेष अभियान के अन्तर्गत खोले गये 47 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना से सम्बन्धित तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड सत्र 2013–14 में विषेष अभियान के अन्तर्गत खोले गये 47 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना से सम्बन्धित तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3.	<p>आगामी सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार</p>	<p>मान्यता बोर्ड ने आगामी सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु निम्न संस्तुतियाँ की :-</p> <p>(i) नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्गत पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) के वृष्टिगत आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किया जाय।</p> <p>(ii) संस्थानों में स्थापित पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्गत पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) के परिप्रेक्ष्य में उनके वर्तमान स्थिति (Present Status) के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त किया जाय।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	<p>दिनांक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।</p>
4.	<p>शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छ: तक होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2015–16 से स्थगित/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।</p>	<p>मान्यता बोर्ड ने ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ वर्ष 2014–15 में शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छ: तक है, के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियाँ की :-</p> <p>(i) महाविद्यालयों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य है,</p>	<p>दिनांक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।</p>

	<p>को निरस्त किया जाय।</p> <p>(ii) उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 06 तक है, को इस आषय का पत्र प्रेषित किया जाये कि वह अपने अध्ययन केन्द्र पर छात्र संख्या को बढ़ायें।</p> <p>(iii) संस्थानों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से 06 तक है, को निरस्त किया जाय।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	चुकी है।
5.	<p>अध्ययन केन्द्र नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ (S-33) द्वारा अपने अध्ययन केन्द्र के शिक्षार्थियों का दिसम्बर, 2014 परीक्षा के सापेक्ष अधिन्यास क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ पर समय से न जमा किये जाने के कारण सम्बन्धित परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जाने से परीक्षा से वंचित रह जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।</p> <p>मान्यता बोर्ड ने आगामी सत्र से अध्ययन केन्द्र नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ को बन्द करने की संस्तुति की। इसके अतिरिक्त मान्यता बोर्ड ने उक्त केन्द्र के पंजीकृत सभी शिक्षार्थियों को उनकी इच्छानुसार ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों से सम्बन्धित कार्यक्रम पूर्व से संचालित हो, पर सम्बद्ध किये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ पर सम्बन्धित शिक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास जमा किये जाने की भी संस्तुति की।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	<p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।</p>
38.09	दिनांक 02-05-2015 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार	
1.	सत्र 2015-16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार।	<p>मान्यता बोर्ड ने सत्र 2015-16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु मा० कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति के अनुसार कुल 152 आवेदन पत्रों/प्रस्तावों में से 128 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त पाया एवं कुल 12 महाविद्यालयों को विष्वविद्यालय मानकों की</p> <p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p>

		<p>पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत/विचाराधीन किया। साथ ही स्क्रीनिंग समिति ने कुल 12 संस्थानों को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण करने हेतु संस्तुति से सहमत हुई।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
2.	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार।	<p>मान्यता बोर्ड पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु माठ कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति के अनुसार कुल 66 आवेदन पत्रों/प्रस्तावों में से आगामी सत्र जुलाई 2015 से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक की पूर्ति होने पर कुल 44 प्रस्तावों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने की संस्तुति की तथा कुल 22 प्रस्तावों को विश्वविद्यालय के मानक की पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत/विचाराधीन किये जाने की अनुशंसा से सहमत हुई।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	<p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।</p>
3.	पूर्व की प्रस्तुत सूची में कम्प्यूटर की तकनीकी खराबी के कारण छ: से अधिक छात्र संख्या वाले कुछ अध्ययन केन्द्र को स्थगन/निरस्त करने की श्रेणी में प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसे अध्ययन केन्द्रों के पूर्ववत् संचालन पर विचार।	<p>मान्यता बोर्ड प्रश्नगत अध्ययन केन्द्रों को स्थापित रखते हुए पूर्ववत् संचालित करने हेतु सहमत हुई।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	<p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्णयानुसार ऐसे केन्द्रों के पुनः संचालन हेतु कार्यवाही की जा चुकी है।</p>
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा जनपदों में स्थापित नये क्षेत्रीय केन्द्रों तथा बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के झांसी जनपद में पूर्व से स्वीकृत क्षेत्रीय केन्द्र को स्थापित करते हुए संचालित किये जाने पर विचार।	<p>मान्यता बोर्ड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों की मांग व उनके हितो को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा जनपदों में नये क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने से सहमत हुई। साथ ही भौगोलिक दृष्टि से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं</p>	<p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p>

		<p>पिछड़े बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में झांसी तथा कानपुर में भी क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर सहमति प्रदान की।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	है।
5.	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के आवंटन हेतु समय-समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों पर विचार।	<p>मान्यता बोर्ड ने नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु मा० कुलपति जी को अधिकृत किया।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	<p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।</p>
6.	भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के पत्र 10-122/NP/2014/UP/RCI दिनांक 25.11.14 के क्रम में फ्रैंड्स आफ हैण्डीकैप्ड स्वामी सत्यानन्द सरस्वतिम “वाणी” स्कूल एण्ड रिसर्च सेन्टर फार हियरिंग इम्प्रेयर्ड एण्ड मेन्टली रिटार्ड चिल्ड्रेन, पी०-१, पल्लवपुरम् फेज-॥ मेरठ, को विश्वविद्यालय का B.Ed.SE.(Hearing Impairment) कार्यक्रम हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापित करने पर विचार।	<p>मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया तथा सम्बन्धित संस्था को मा० कुपलति जी द्वारा गठित निरीक्षण दल की संस्थानी एवं RCI के पत्र 10-122/NP/2014/UP/RCI दिनांक 25.11.14 के क्रम में B.Ed.SE.(Hearing Impairment) कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु सहमत हुई।</p> <p>विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।</p>	<p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।</p>
38.10	DOEACC Society द्वारा संचालित ‘ए’ लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में Lateral Entry के माध्यम से सीधे एम.सी.ए. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15-12-2014 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर,	<p>विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण को तदसम्बन्धी गठित समिति के पुनर्विचारार्थ सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया।</p>	<p>दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।</p> <p>विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./इ.सी.</p>

	2014 के कार्यवृत्त पर विचार।	/38)-80/901/2015 दिनांक 24-09-2015 द्वारा सम्बन्धित निर्णय से निदेशक प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को अवगत कराया जा चुका है।
38.11	राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई-833/12-जी.एस./2012, दिनांक 30-01-2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के संशोधित अध्यादेश पर विचार।	विद्या परिषद् ने राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई-833/12-जी.एस./2012, दिनांक 30-01-2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के तैयार संशोधित अध्यादेश को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./ई.सी. /38/750/2015 दिनांक 22-08-2015 द्वारा सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ को संशोधित अध्यादेश मा. कुलाधिपति जी के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रेषित किया गया। तदनुक्रम में राज्यपाल सचिवालय के क्रमशः पत्र संख्या ई-9155/12-जी.एस./2012 दिनांक 16-09-2015 एवं पत्र संख्या ई-12148/11886/12-जी.एस./2012 दिनांक 10-12-2015 द्वारा वांछित सूचना का उत्तर विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ.यू./1020/2015 दिनांक 06-11-2015 एवं ओ.यू./1364/2016 दिनांक 06-01-2016 द्वारा प्रेषित

			किया जा चुका है।
38.12	शिक्षा विद्या शाखा के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार।	विद्या परिषद् ने शिक्षा विद्या शाखा के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /38)/732/2015 दिनांक 19-08-2015 द्वारा निदेशक शिक्षा विद्या शाखा को सूचित किया जा चुका है।
38.13	सत्र 2015-16 से संचालित सभी कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश शुल्क को ऑन लाइन किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने सत्र 2015-16 से संचालित सभी कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश शुल्क को ऑन लाइन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.14	बी.एड., बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) एम. बी.ए. एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने बी.एड., बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.15	बी.एड. स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों पर विचार।	विद्या परिषद् ने बी.एड. स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों की सूची को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के

			पत्र संख्या आ०यू/ई.सी./38)/846/2015 दिनांक 10-09-2015 द्वारा निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा को सूचित किया जा चुका है।
38.16	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अन्य शुल्क के वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अन्य शुल्क के वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.17	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कला/विज्ञान कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम को चयन करने हेतु अनुदेश के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 09-06-2015 के कार्यवृत्त पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कला/विज्ञान कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम को चयन करने हेतु अनुदेश के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 09-06-2015 के कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.18	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) एवं कौशल विकास के क्रेडिट ढाँचा (CFSD) के क्रियान्वयन हेतु पाठ्यक्रम संरचना में परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) एवं कौशल विकास के क्रेडिट ढाँचा (CFSD) के क्रियान्वयन हेतु पाठ्यक्रम संरचना में परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.19	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से	विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया

	सम्बन्धित परिनियमों में संशोधनों पर विचार।	हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
38.20	बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों पर विचार।	विद्या परिषद् ने बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों की सूची को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 20-06-2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /38)/846/2015 दिनांक 10-09-2015 द्वारा निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा को सूचित किया जा चुका है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.03

दिनांक 27-01-2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. परीक्षा दिसम्बर-2014 के उत्तर पुस्तिकाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराने हेतु नोडल मूल्यांकन केन्द्र एवं नोडल प्रभारी नियुक्त करने पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि—

1. परीक्षा दिसम्बर-2014 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु बरेली, लखनऊ व इलाहाबाद तीन नोडल केन्द्र बनाये जायें।
2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकन कराने से पूर्व अथवा पश्चात मे मूल्यांकन कर्त्ताओं की सूची अवश्य अनुमोदित करा ली जाय।
3. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा भी क्षेत्रीय कार्यालय पर मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की अहर्ता का ध्यान रखा जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

2. मूल्यांकन केन्द्र / नोडल प्रभारी के मानदेय पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि—

1. पूर्व की व्यवस्था में बाह्य नोडल प्रभारियों के लिए मानदेय निर्धारित था किन्तु आन्तरिक नोडल प्रभारी हेतु कोई मानदेय नहीं था। समिति ने संस्तुति की कि आन्तरिक नोडल प्रभारी को भी बाह्य नोडल प्रभारी के समतूल्य मानदेय दिया जाय।
2. नोडल प्रभारी के मानदेय के पुनरीक्षण एवं उपरि—सीमा पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समस्त निदेशक गण, वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक होंगे एवं समस्त पहलुओं पर अध्ययन करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

3. विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कर्ता को 100 उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल घर ले जाकर मूल्यांकन करने एवं एक दिन पश्चात् मूल्यांकित पुस्तिकाएं वापस करने पर ही दूसरा 100 उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल देने पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि—

1. 01 पैकेट (लगभग 100 उ०प्य०) का मूल्यांकन करने हेतु अधिकतम तीन दिन का समय दिया जाय।
2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकित कॉपियाँ प्राप्त करने के पश्चात् Randomly Check करा लिया जाय कि सभी उ०प्य० ठीक प्रकार से Check हुई हैं या नहीं। तत्पश्चात् दूसरा उ०पुस्तिकाओं का बण्डल मूल्यांकन हेतु दिया जाय।
3. मूल्यांकन करने हेतु कॉपियाँ देते समय मूल्यांकन कर्ता का PAN No., बैंक का नाम तथा परीक्षक का अंग्रेजी के Capital Letters में (जैसा बैंक A/C में है), IFS Code, A/C No. आदि की जानकारी ले लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

4. विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये उड़ाका दल के सदस्यों के पारिश्रमिक को पालीवार करने एवं ठहराव का दर अनुमन्य करने पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति के निर्णय लिया कि—

कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

5. विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा लेने गये परीक्षकों के ठहराव के दर अनुमन्य करने पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति के निर्णय लिया कि—

कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

6. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु स्थापित कंट्रोल रूम में सम्बद्ध शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति के निर्णय लिया कि—

कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.04

दिनांक 27-02-2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

मा० जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर में योजित वाद संख्या-76 / 2013, कु० विरक्ति राय बनाम परीक्षा नियंत्रक, उ०प्र० राजस्व टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, के प्रकरण पर विचार

1. कु० विरक्ति राय ने वर्ष 2001 में बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश लिया था तथा बी.ए. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए एक प्रश्न पत्र UGPH-02 जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण किया। इस प्रकार कु० विरक्ति राय ने जून 2008 परीक्षा के सापेक्ष बी.ए. कार्यक्रम पूर्ण किया। कु० विरक्ति राय ने स्वीकार किया है कि UGPH-02 प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी शेष थी, जिसके लिए वह पुनः पंजीकरण कराकर जून 2008 की परीक्षा में सम्मिलित हुई।
2. कु० विरक्ति राय ने वर्ष 2004 में एम.ए. कार्यक्रम में प्रवेश लिया था तथा जून 2007 में परीक्षा उत्तीर्ण कर एम.ए. कार्यक्रम का अंकपत्र एवं डिग्री प्राप्त कर चुकीं हैं। जबकि उनका बी.ए. कार्यक्रम जून 2008 की परीक्षा में पूर्ण हुआ। अतः कु० विरक्ति राय को विश्वविद्यालय के पत्रांक ००१०००/१००९/२०१३ दिनांक ०७/०९/२०१३ प्रेषित कर एम.ए. कार्यक्रम के प्रवेश को निरस्त करते हुए “अंकपत्र व उपाधि क्यों न निरस्त कर दिये जायें” के सम्बन्ध में 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है।
3. कु० विरक्ति राय द्वारा बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष 2001 में लिया गया एवं बी.ए. कार्यक्रम से सम्बन्धित एक प्रश्नपत्र UGPH-02 की जून 2008 की परीक्षा में सम्मिलित हो कर बी.ए. कार्यक्रम पूर्ण की है। अतः जून 2008 परीक्षा के सापेक्ष कु० विरक्ति राय का बी.ए. का अंकपत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया जाना नियमानुकूल है।
4. विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने दिनांक 14 अगस्त, 2013 की बैठक में प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए वर्ष 2007 में कु० विरक्ति राय के एम.ए. कार्यक्रम के निर्गत अंकपत्र एवं उपाधि को निरस्त करने व सूचना प्रेषित करने का निर्णय लिया जिसे कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2013 की बैठक में संकल्प संख्या 72.05 के अन्तर्गत स्वीकार किया है।

अतः कु0 विरक्ति राय द्वारा अपने एम.ए. कार्यक्रम उत्तीर्ण करने का अंकपत्र एवं उपाधि विश्वविद्यालय को वापस करने के पश्चात् ही इनके बी.ए. कार्यक्रम की उपाधि निर्गत करना नियमानुकूल है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया कि-

1. कुमारी विरक्ति राय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उनके एम0ए0 कार्यक्रम के अंकपत्र व उपाधि को निरस्त करने का कारण बताते हुए अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने की सूचना/पत्र प्रेषित कर दे दी जाय।
2. कुमारी विरक्ति राय के एम0ए0 कार्यक्रम की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने की सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करा दी जाय।
3. कुमारी विरक्ति राय की जून-2008 की परीक्षा के सापेक्ष बी0ए0 कार्यक्रम की उपाधि निर्गत करते हुए उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर में प्रस्तुत कर दिया जाय। साथ ही उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर को कुमारी विरक्ति राय के कार्यक्रम बी0ए0 की उपाधि जून-2008 की परीक्षा के सापेक्ष देने एवं एम0ए0 कार्यक्रम का अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.05

दिनांक 08 जुलाई, 2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय से अवगत होना

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को विगत सत्र के UFM एवं संवीक्ष के निर्णय की कार्यवाही से अवगत कराया।

- (i) परीक्षा सत्र दिसम्बर 2014 में 18 परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित थे। (संलग्नक-०२ पृष्ठ संख्या ९७-१०१)
- (ii) परीक्षा सत्र दिसम्बर 2014 में मैं कुल 31 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा की गई। (संलग्नक-०३ पृष्ठ संख्या १०२-१०३)

परीक्षा समिति ने विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (इस वर्ष अपनाई गयी प्रक्रिया एवं आगामी वर्षों हेतु मानकों) की समीक्षा

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश से अवगत कराया जिसका विवरण निम्नवत है:-

परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हों।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेंगे।
3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहाँ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सजायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े शहरों में एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।
8. विशेष परिस्थिति में मात्र कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति दे सकते हैं (संलग्नक—०५... पृष्ठ संख्या – 1०५.....)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:-

- (i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutory body) से अनुमोदन कराया जाय।
- (ii) परीक्षा केन्द्र उन्हीं केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।
- (iii) परीक्षा समय सारिणी (Time Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो।
- (iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक दो दिन के लिए अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

3. परीक्षा सत्र जून 2015 के Flying squad/Observers की रिपोर्ट

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को परीक्षा सत्र जून 2015 के Flying squad/Observers की रिपोर्ट से अवगत कराया।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णया लिया कि Flying squad/Observers की रिपोर्ट पार परीक्षा केन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा दोनों पक्षों के पत्र को आगामी परीक्षा समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

4. पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराया जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- (a) परीक्षार्थी जितेन्द्र कुमार नामांकन संख्या 4102210204552 कार्यक्रम ठण ब्लड द्वारा परीक्षा केन्द्र एस-22 कुवाँरी चन्द्रावती महाविद्यालय पर पेपर के हिसाब से सुविधा शुल्क लेकर नकल कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि सुविधा शुल्क देने वाले परीक्षार्थियों को अलग एवं न देने वालों को अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा करायी जाती है।
- (b) परीक्षार्थी राजीव कुमार पाठक, शिवांगी मणि त्रिपाठी, श्वेता शर्मा, विभा त्रिपाठी, संध्या कुमारी व नीतू यादव, राघव नगर, देवरिया द्वारा परीक्षा केन्द्र बी.आर.डी. पी.जी. कालेज, देवरिया एस-017 पर प्रति प्रश्नपत्र एम०ए० रु 800/- व बी०ए० 500/- के हिसाब से सुविधा शुल्क लेकर नकल कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र पर विचार।
- (c) परीक्षार्थियों त्रिशा चौहान नामांकन संख्या 121941050004, गरिमा शाही 121721050030, विवके चौधरी 121721050037, विद्यानन्द उपाध्याय 221941050005, विकास सिंह 221941050007, नन्दिनी वर्मा 221941050003, अविनाश सोनकर 221941050002, व सोबिया मंजूर 221941050004 कार्यक्रम BCA द्वारा परीक्षा केन्द्र एस -013 बुद्ध पी जी कालेज कुशीनगर पर परीक्षा जून 2014 में प्रायोगिक परीक्षा के लिये रु 500/- से 1000/- प्रति छात्र/छात्रा लिये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र पर विचार (परीक्षार्थियों को शपथ पत्र पर अपनी शिकायत टंकित करा कर प्रेषित करने हेतु पत्र Speed Post No. RU038766321IN, RU038766318IN, RU038766352IN, RU038766349 IN, RU 038766392 IN, RU 038766383IN, RU038766370IN, RU096035940IN, द्वारा दिनांक 12 व 10/6/2015 को प्रेषित)।
- (d) विश्वविद्यालय के कर्मचारी श्री रमेश सिंह के परीक्षा जून 2015 में परीक्षा केन्द्र एस-009 प्रताप बहादुर कालेज, प्रतापगढ़ द्वारा परीक्षा गोपनीय सामग्री लेने से मना करने से सम्बन्धित पत्र पर विचार (गोपनीय सामग्री समय से प्राप्त करने हेतु परीक्षा केन्द्र एस-009 को पत्र Speed Post No. RU119485839IN, द्वारा दिनांक 20/6/2015 को प्रेषित)।
- (e) श्री सन्तोष कुमार तिवारी द्वारा शिकायती पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि उनकी पुत्री सुश्री शाम्भवी नामांकन संख्या 3270310210269 कार्यक्रम B. Com द्वारा द्वितीय वर्ष का अधिन्यास जमा करने पर भी प्रवेश पत्र में नॉट एलाउड आया था। सेन्टर हेड श्री एस के तिवारी से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने विश्वविद्यालय को अधिन्यास जमा नहीं किया है न ही जमा करेंगे और न ही वापस करेंगे। केन्द्र से प्रकरण पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है (संलग्नक-०५ पृष्ठ संख्या १०५-१०९)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतों के आधार पर परीक्षा केन्द्र को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय एवं

स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् निर्णयार्थ आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

5. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा सस्तुत अन्तरिम आख्या पर विचार

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा सस्तुत अन्तरिम आख्या से अवगत कराया (संलग्नक-०६ पृष्ठ संख्या ११०-११२.)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तत्कालीन क्षेत्रीय समन्वयक को Show cause notice दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

6. परीक्षा व्यवस्था

- (i) परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार (संलग्नक-०७ पृष्ठ संख्या १३-१२)।
- (ii) आन्तरिक/वाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार (संलग्नक-०९ पृष्ठ संख्या १२२-१२३)।
- (iii) परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को आन्तरिक कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को से अवगत कराया कि परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार, आन्तरिक/वाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार एवं परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता अनुमन्य कराना आवश्यक है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने प्रश्न किया कि समस्त बिन्दु 18वीं परीक्षा समिति में भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं पुनः इसे इस परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि 18वीं परीक्षा समिति के सापेक्ष समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु गठित समिति का Action taken report आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

7. कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रेषण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को अवगत कराया कि परीक्षा के अन्तिम दिन परीक्षा केन्द्र एस-320 छत्रधारी महाविद्यालय दयालपुर, चन्दौली द्वारा सभी प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें एवं एस-921 कृष्ण सुदामा संस्थान, कैथी वाराणसी द्वारा की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें विलम्ब से भेजना प्रेषण सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की गई है (संलग्नक-२७ पृष्ठ संख्या 124-126.)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि “केन्द्र संख्या एस-230 द्वारा पूर्ण अवहेलना की गयी है किन्तु एस-921 द्वारा अन्तिम दिन ही देर से भेजी गई है” को संज्ञान में लेते हुए दोनों परीक्षा केन्द्रों को स्पष्टीकरण हेतु पत्र दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. परीक्षा संत्र जून-2015 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रगति

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को अवगत कराया कि परीक्षा जून- 2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों पर भेजी जा रही हैं।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

9.(i) तीन परीक्षा केन्द्रों S-011 वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर S-114 कृष्ण सुदामा महाविद्यालय, गाजीपुर एवं S-065 डी.एस.एन. कालेज, उन्नाव द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग को प्रेषित की गयी/विश्वविद्यालय के कर्मचारी को प्राप्त करायी गयी परन्तु प्रेषित/प्राप्त करायी गयी उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग गोपनीय में उपलब्ध नहीं है। (संलग्नक १० पृष्ठ संख्या 127-129.)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

संज्ञान में लाया गया कि उक्त आशय की जाँच करने हेतु एक जाँच समिति का गठन हुआ है किन्तु आख्या अद्यतन प्रतीक्षित है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि

- (a) जाँच कमेटी अगले पाँच कार्य दिवस के अन्दर अपनी जाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि इसमें दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय।
- (b) परीक्षार्थियों द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर जिस प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका परीक्षा गोपनीय में उपलब्ध नहीं है उसमें एवरेज मार्किंग कर दी जाय।

- (c) परीक्षा समिति की 15वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15.02 व 15.08 (iv) पर परीक्षा समिति द्वारा उसी परीक्षा सत्र के अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक के आधार पर औसत अंक प्रदान करने का निर्णय किया गया था।
- (d) समस्त कार्यवाही एवं आख्या आगामी परीक्षा समिति में भी सूचनार्थ प्रस्तुत हो जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

- (ii) परीक्षा परिणाम CD में Write करा कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ Strong Room में सुरक्षित रखा जाय।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.06

दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. श्री मनोज कुमार मिश्र द्वारा BCA-18 एवं डॉ. सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिये जाने के प्रकरण पर विचार

श्री मनोज कुमार मिश्र द्वारा BCA-18 एवं डॉ. सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिया गया। उक्त परिक्षकों को एक सत्र तक विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कार्य से विरत रखते हुए त्रुटियुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की कटौती के पश्चात् शेष मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान कर दिया जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री मनोज कुमार मिश्र एवं डॉ. सुभाष चन्द्र चादव के द्येक का भुगतान न किया जाय एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य से विरत रखा जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. प्रवेश पत्र में Not Allowed अंकित होने के कारण शिक्षार्थियों की परीक्षा छूट जाने के प्रकरण पर विचार

शिक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास जमा करने के बाद भी वेबसाइट में आने वाले व्यवधान के कारण प्रवेश पत्र पर Not Allowed छप जाता है जिसके कारण शिक्षार्थियों को परीक्षा देने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है व परीक्षा देने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं होता है। ऐसी स्थिति से निजात पाने हेतु जिस तरह MBA, BEd, MCA कार्यक्रम के Project व अधिन्यास अंक विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों से सीधे मंगाया जाता है उसी तरह अध्ययन केन्द्रों द्वारा अन्य कार्यक्रमों की अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं स्वयं मूल्यांकित कर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक अधिन्यास अंक सीधे On Line उपलब्ध कराने हेतु अध्ययन केन्द्रों को Panel दे दिया जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की व्यवस्था में कोई परवर्तन कमेटी का गठन करके उसमें लिये गये निर्णय के आधार पर ही किया जाना सम्भव है। MBA, BEd, MCA कार्यक्रम के Project व अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय पर कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. परीक्षा केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (मानक) की समीक्षा।

परीक्षा समिति की 20 वीं बैठक दिनांक 08/07/2015 में परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु लिये गये निर्णय का विवरण निम्नवत है :-

- (i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutory body) से अनुमोदन कराया जाय।
- (ii) नए परीक्षा केन्द्रों उन्हीं केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।
- (iii) परीक्षा समय सारिणी (Time Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो।
- (iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के स्थिति में एक दो दिन के लिये अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि :-

1. परीक्षा केन्द्र बनाते समय ध्यान रखा जाय कि हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र अवश्य हो।
2. छात्राओं की Safety व Security को ध्यान में रखते हुये छात्राओं के अध्ययन केन्द्र की संख्या यदि 50 हो तो भी स्वविवेकानुसार परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
3. विश्वविद्यालय (शांतिपुरम, फाफामऊ) में भी परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

4. परीक्षा सत्र जून-2015 के Flying Squad/Observers की रिपोर्ट पर विचार

परीक्षा सत्र जून-2015 के Flying Squad/Observers की रिपोर्ट परीक्षा केन्द्रों को आख्या प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./5565/2015 दिनांक 03/09/2015 एवं ओ.यू./5978/2015 दिनांक 30/10/2015 द्वारा परीक्षा केन्द्रों को भेजे गये पत्र के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों द्वारा प्रेषित आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त आगामी परीक्षा दिसम्बर-2015 में परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार किया जाय। सत्रांत परीक्षा दिसम्बर-2015 से Region Change करके उड़ाका दल के सदस्यों को भेजा जाय (Varanasi to Ghazipur, Ghazipur to Varanasi etc.)

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

5. सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार।

सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं पर विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से एकत्रीकरण कराने एवं मूल्यांकन कराने हेतु नोडल केन्द्र बनाने की प्रक्रिया पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले परीक्षा केन्द्रों के सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय केन्द्र पर ही एकत्रित कराने के पश्चात् क्षेत्रीय समन्वयक को नोडल आफिसर बना कर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

6. भुगतान देयकों के मानक पर विचार

विश्वविद्यालय के पूर्व निर्धारित भुगतान देयकों के निम्नलिखित मानकों पर पुनरीक्षण हेतु विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कमेटी का गठन कर मानकों पर पुनरीक्षण हेतु विचार किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. BEd कार्यक्रम के अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक की परीक्षक से कराने पर विचार

BEd कार्यक्रम के एक प्रश्न पत्र का अधिन्यास प्रश्न पत्र दो भागों में बनवाया तथा दो परीक्षकों से मूल्यांकित कराया जाता है जिसके लिये अधिन्यास प्रश्न पत्र निर्माण व मूल्यांकन हेतु अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाता है और Computer feeding (प्रविष्टि) भी दो बार करानी पड़ती है। जिससे अधिक व्यय के साथ असुविधा भी होती है। अतः यदि कोई तकनीकी प्रतिबन्ध न हो तो BEd कार्यक्रम के एक प्रश्न पत्र के लिये एक ही अधिन्यास प्रश्न पत्र बनवाना व मूल्यांकित कराना उचित प्रतीत होता है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक की परीक्षक से कराने पर विचार

प्रोजेक्ट का वाहय मूल्यांकन दो परीक्षकों से कराकर अंक दो पर्ण में प्राप्त होते हैं जिनका औसत अंक शिक्षार्थियों को अनुदानित किया जाता है। मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक भी दोगुना किया जाता है। कतिपय कारणों से कभी-कभी एक परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उत्तीर्ण व दूसरे परीक्षक द्वारा अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है ऐसी स्थिति से बचने हेतु प्रोजेक्ट का एक ही परीक्षक से मूल्यांकन कराना उचित प्रतीत होता है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. परीक्षा दिसम्बर-2014 की Not Allowed उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित कराने पर विचार।

परीक्षा दिसम्बर-2014 के कई परीक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास समय से अध्ययन केन्द्र पर जमा करने एवं अध्ययन केन्द्र द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रेषित करने के पश्चात भी Technical Problem व अन्य कारणों से अधिन्यास डेटा में नाम न होने के कारण प्रवेश पत्र में Not Allowed अंकित था तथा परीक्षार्थियों के परीक्षा देने के पश्चात भी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित नहीं कराई गयी। छात्र हित में ऐसे परीक्षार्थियों की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दु पर चर्चा हुई।

Ph.D प्रवेश परीक्षा जिस विषय में Supervisor उपलब्ध है उन्हीं की करायी जाय एवं विश्वविद्यालय (शांतिपुरम्, फाकामऊ) में ही करायी जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 40.07

दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु चयनित एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद इकाई द्वारा अभी तक अनुबन्ध कर प्रेषित आगणन 535.60 लाख के विरुद्ध अनुबन्ध निष्पादित कराकर कार्य आरम्भ न किये जाने के सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बेसमेण्ट एवं भूतल का निर्माण शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष वर्ष 2010 में कराया जा चुका है। बढ़ती हुई छात्र संख्या, कर्मचारियों एवं कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी होती जा रही है। प्रशासनिक भवन के निर्माण के प्रारम्भिक समय में एक डिजाइन/मानचित्र बनवाया गया था

जिसके अनुसार प्रशासनिक भवन कुल 04 तलों में निर्मित होना था। प्रशासनिक भवन के बेसमेण्ट/भूतल का निर्माण कार्यदायी संस्था: सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया गया है। प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी को दूर करने के लिए निर्मित भवन के ऊपर के अन्य तलों के निर्माण कार्यदायी संस्था का भी निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 03-12-2014 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर निम्नलिखित निर्णय लिया :-

योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार प्रशासनिक भवन के अपूर्ण तलों के निर्माण हेतु भारत सरकार के निर्माणदायी संस्था RYTES से कार्य कराये जाने की सम्भावना तलाशी जाय। मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण कार्य के समय विश्वविद्यालय एक आर्किटेक्ट के माध्यम से समय-समय पर गुणवत्ता का परीक्षण कराये।

योजना बोर्ड की उक्त संस्तुति के सन्दर्भ में प्रकरण वित्त समिति की दिनांक 10-03-2015 के बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने प्रश्नगत प्रकरण पर निम्नलिखित संस्तुतियाँ की :-

- (1) “राज्य सरकार द्वारा नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों से आगणन प्राप्त कर न्यून दर वाली राजकीय एजेन्सी से कार्य कराया जाय।”
- (2) भूतल का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। अतः प्रथम तल बनवाने की जो भी औपचारिकतायें/प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उसे सम्बन्धित से प्राप्त कर लिया जाय।
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्टोरों से निर्माण कराया जाय। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।”

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 को यथावत स्वीकार किया।

राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद और सी.एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम यूनिट 33, इलाहाबाद से भवन निर्माण हेतु प्राप्त आगणनों में राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद का आगणन रु. 535.60 लाख न्यून होने के कारण इसे स्वीकार करते हुए अनुदान स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ.यू./68/2015 दिनांक 16-04-2015 द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु आवश्यक परीक्षणोंपरान्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./17/2015 दिनांक 08-04-2015 द्वारा एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया। निदेशक, एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 275/CED/2015 दिनांक 03-06-2015 एवं तत्क्रम में उनसे किये गये

व्यक्तिगत सम्पर्क में उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए विश्वविद्यालय को काफी व्ययभार आने की सम्भावना प्रतीत होती है।

अतः इस सम्बन्ध में पूर्व कार्यदायी संस्था सी एण्ड डी एस, उ.प्र. जल निगम के महाप्रबन्धनक निर्माण पंचम विभूति खण्ड, लखनऊ से विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./474/2015 दिनाँक 22-06-2015 के द्वारा ग्राउन्ड तल पर प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कराये जा सकने की जानकारी मांगी गई जिसके क्रम में महाप्रबन्धक (निर्माण पंचम खण्ड) द्वारा परियोजना प्रबन्धनक सी एण्ड डी एस, उ.प्र. जल निगम यूनिट 33, इलाहाबाद को अपने पत्र संख्या 732/म..प्र.नि.-5/ यूनिट-33 दिनाँक 25-06-2015 द्वारा वास्तुविद से सम्पर्क कर वांछित जानकारी कुलसचिव को देने का निर्देश दिया जिसके अनुपालन में परियोजना प्रबन्धनक सी एण्ड डी एस, उ.प्र. जल निगम यूनिट 33, इलाहाबाद ने अपने पत्राँक 604/निर्माण/41 दिनाँक 20-07-2015 द्वारा यह सूचित किया गया कि निर्मित प्रशासनिक भवन पर एक तल का निर्माण कार्य और किया जा सकता है जिसे राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद को अवगत कराते हुए उक्त निर्माण हेतु अन्तिम अनुबन्ध निष्पादित करने के लिए विश्वविद्यालय अपने पत्राँक ओ.यू./1062/2015 दिनाँक 18-11-2015 द्वारा राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद को प्रथम तल के निर्माण हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। उक्तानुसार पत्र के माध्यम से राजकीय निर्माण निगम को यह सूचित किया गया है कि राजकीय निर्माण निगम दिनाँक 23-11-2015 तक सूचित करें कि वह अपने पत्र दिनाँक 07-03-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रु. 535.60 लाख पर दिनाँक 26-11-2015 तक अन्तिम अनुबन्ध निष्पादित कराकर कार्य आरम्भ करने हेतु सहमत हैं अथवा नहीं। उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उक्त आगणन रु. 535.60 लाख पर राजकीय निर्माण निगम अनुबन्ध निष्पादित कराकर कार्य कराये जाने हेतु इच्छुक नहीं है। राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद का अद्यतन उत्तर अप्राप्त है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने प्रशासनिक भवन के ग्राउन्ड तल को पूर्व में बना चुकी राजकीय कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 33, इलाहाबाद के पत्राँक 604/निर्माण/41 दिनाँक 20-07-2015 के आधार पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित आगणन रु. 535.60 लाख पर उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 10, इलाहाबाद से प्रथम तल का भी कार्य कराये जाने हेतु सहमति मांगे जाने एवं सहमति प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश जल निगम को शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता के सम्बन्ध में विचार

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को तृतीय खण्ड की भूमि आवंटित की गयी है। विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी के निर्माण कराये जाने हेतु वित्त समिति ने अपने बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2013 को निम्नलिखित संस्तुति की जिसे कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2013 में वित्त समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया :—

“इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि पर बाउन्ड्री कराये जाने के प्रकरण पर समिति ने निम्नलिखित संस्तुति की :—

- (i) बाउन्ड्री कराये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति दी गयी।
- (ii) इस पर व्यय की धनराशि की मांग शासन से की जाये।
- (iii) जल निगम तथा राजकीय निर्माण निगम से इस्टीमेट प्राप्त किया जाये।

कार्य परिषद् के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. यूनिट-10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद को क्रमशः विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./109/2013 दिनांक 08-04-2013 तथा पत्रांक ओ.यू./110/2013 दिनांक 08-04-2013 चहारदिवारी हेतु आगणन/मानचित्र मांगा गया।

उक्त पत्र के सापेक्ष परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. यूनिट-10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्रांक कैम्प 01/नि. 6/राजर्षि/2013-14 दिनांक 05-08-2013 द्वारा 115 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया जबकि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद द्वारा कोई आगणन प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./2117/2014 दिनांक 20-03-2014 को पुनः नवीनतम आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। जिसके सापेक्ष सी.एण्ड डी.एस. यूनिट-10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा रु. 137.50 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया किन्तु आवंटित भूमि की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य नहीं कराया गया। वर्तमान में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है। फलस्वरूप सी.एण्ड डी.एस. यूनिट-10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद से 137.50 लाख के आगणन पर विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./744/2015 दिनांक 21-08-2015 द्वारा यह जानकारी मांगी

गयी है कि उक्त रेट पर आप कार्य करने के इच्छुक हैं या नवीनतम आगणन प्रस्तुत करेंगे जिसके सापेक्ष परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. यूनिट-33 (पूर्व में यूनिट-10), उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 1020/निर्माण-1/51 दिनांक 19-11-2015 रु. 144.77 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया।

इस क्रम में यह भी प्रस्तावित है कि चहारदिवारी बनने के पश्चात् अधिकारी/कर्मचारी आवास एवं रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद के भवन का भी उक्त प्लाट में निर्माण कराया जाना है।

अतः उक्त प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

3. विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय में प्रायः कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार या अन्य प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय में कोई बड़ा हाल या बड़ा कक्ष उपलब्ध नहीं है, जिससे इन आयोजनों के क्रियान्वयन में जगह की कमी के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहती हैं।

अतः विश्वविद्यालय में कम से कम 1000 व्यक्तियों की क्षमता का एक आडिटोरियम निर्मित कराये जाने हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टी परपच हाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण विश्वविद्यालय कर्मियों को दो/चार पहिया वाहन खड़ा करने में कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं।

अतः विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन निर्मित कराये जाने हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन हेतु भवन निर्मित नहीं है बल्कि गार्ड रूम में ही वर्तमान में बैंक खोला गया है एवं पोस्ट ऑफिस भी गार्ड रूम में ही खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। इंजीनियरिंग सेक्शन हेतु वर्तमान में कार्यालयीय स्थान उपलब्ध नहीं है।

अतः विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.08

दिनांक 28 जुलाई, 2016 को सम्पन्न योजना बोर्ड की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

- विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार के मानचित्र एवं आगणन पर विचार कर अग्रेतर निर्माण कराए जाने पर विचार

योजना बोर्ड के पूर्व अनुशंसा के अनुक्रम में कार्यपरिषद् ने दिनांक 11–12–2009 को दोनों परिसरों में भव्य गेट बनाये जाने का निर्णय लिया गया था। तल्कम में वित्त समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत कार्य परिषद् की 80वीं बैठक दिनांक 20–06–2015 में वित्त समिति की निम्न अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार किया गया था :—

- विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार का निर्माण/सौन्दरीकरण एवं लैण्ड स्केपिंग कराया जाये।
- विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से निर्माण कराया जाये। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाये।

कार्य परिषद् के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में परियोजना प्रबंधक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद जो राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य करने हेतु सरकारी प्रतिष्ठान नामित है, से मानचित्र एवं आगणन (संलग्नक 11..... पृष्ठ संख्या 130 - 134.) प्राप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009–10 में उपर्युक्त एजेंसी से आगणन व मानचित्र प्राप्त किया गया था, (संलग्नक 12. पृष्ठ संख्या 135 - 140) जिसके अनुसार एक गेट की लागत रु. 9.38 लाख थी। वर्तमान में तैयार किया गया आगणन पुराने गेट को रिनोवेशन करते हुए तैयार किया गया है। यह विश्वविद्यालय की प्रवेश द्वार के भव्यता हेतु उपयुक्त है एवं आगणन की पूर्व धनराशि की तुलना में एक गेट की लागत मात्र रु. 04 लाख है जो विश्वविद्यालय के हित में कम एवं मितव्ययी है। निरीक्षण समिति ने उक्त मानचित्र एवं आगणन को उपयुक्त मानते हुए योजना बोर्ड में रखे जाने की संस्तुति की।

अतः विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में भव्य द्वार निर्माण कराये जाने हेतु वर्तमान में प्राप्त मानचित्र एवं आगणन योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार की भव्यता को ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जाये साथ ही यदि लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसका प्रावधान कर लिया जाये।

प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में राजकीय निर्माण एजेन्सी सी.एण्ड डी.एस.
द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आंशिक परिवर्तित मानचित्र
पर विचार कर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित किये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में द्वितीय
किश्त के अवमुक्त के औचित्य पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कर्मचारियों के लिए स्थान की कमी के कारण प्रथम तल में निर्माण कराये जाने हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 10-03-2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :—

"वित्त समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियां की :—

- (1) "राज्य सरकार द्वारा नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों से आगणन प्राप्त कर न्यून दर वाली राजकीय एजेन्सी से कार्य कराया जाय।"
- (2) भूतल का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। अतः प्रथम तल बनवाने की जो भी औपचारिकतायें/प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उसे सम्बन्धित से प्राप्त कर लिया जाय।
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्टोरों से निर्माण कराया जाय। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।"

कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 24-03-2015 के संकल्प संख्या 79.01 (4) में वित्त समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य परिषद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रथम तल बनवाने से सम्बन्धित लोड बियरिंग प्रमाण पत्र एवं अनुबन्ध न निस्पादित कराने सम्बन्धी प्रकरण को योजना बोर्ड की दिनांक 01-12-2015 के बैठक में प्रस्तुत किया। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक के संकल्प संख्या 21.05 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्णय लिया :—

योजना बोर्ड ने प्रशासनिक भवन के ग्राउन्ड तल को पूर्व में बना चुकी राजकीय कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 33, इलाहाबाद के पत्रांक 604/निर्माण/41 दिनांक 20-07-2015 के आधार पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा

प्रेषित आगणन रु. 535.60 लाख पर उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 10, इलाहाबाद से प्रथम तल का भी कार्य कराये जाने हेतु सहमति मांगे जाने एवं सहमति प्राप्त होने पार उत्तर प्रदेश जल निगम से शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की संस्तुति की ।

उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 10, इलाहाबाद से सहमति पत्र संख्या 1134/निर्माण –30/1 दिनांक 21–12–2015 प्राप्त हो चुका है तथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में 25% जो रु. 133.90 लाख होता है का भुगतान किया जाना है । उक्त व्यय का प्रावधान बजट में कर लिया गया है ।

दिनांक 15 फरवरी, 2016 को वित्त समिति ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार करते हेतु यथाप्रस्तावित अनुमोदित करने की संस्तुति की जिसे कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 06 मार्च, 2016 के संकल्प संख्या 83.15 (5) मे यथावत स्वीकार किया ।

सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रथम किश्त रु. 133.90 लाख के सापेक्ष कराये जा रहे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में लागत में कोई परिवर्तन न कर आंशिक परिवर्तित मानचित्र के साथ उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है । (संलग्नक 13. पृष्ठ संख्या 141 – 145) भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति ने स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आंशिक परिवर्तित मानचित्र को पूर्व झाइंग से बेहतर मानते हुए योजना बोर्ड में रखे जाने की संस्तुति की है (संलग्नक 14... पृष्ठ संख्या 146) साथ ही दूसरी किश्त हेतु देय धनराशि रु. 133.90 के विरुद्ध रु. 117.00 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की ।

अतः आंशिक परिवर्तित मानचित्र का प्रकरण द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य सहित योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

योजना बोर्ड ने परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, जल निगम, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 11–07–2016 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया ।

योजना बोर्ड ने आंशिक परिवर्तित मानचित्र को बेहतर मानते हुए भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त रु. 117 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की ।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया ।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया ।

3. विश्वविद्यालय के आबंटित तीसरे प्लाट के भूमि 5.50 एकड़ के रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत राजकीय निर्माण एजेन्सी, सी. एण्ड डी.एस. द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराए जा रहे चहार दिवारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रेषित किये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में मानचित्र पर पुनः विचार कर द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य पर विचार

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को तृतीय चरण की भूमि आबंटित की गयी थी। रजिस्ट्री के उपरान्त उक्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहार दीवारी निर्माण हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 29-01-2013 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया : -

“इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को आबंटित भूमि पर बाउन्ड्री कराये जाने के प्रकरण पर समिति ने निम्नलिखित संस्तुति की :-

- (i) बाउन्ड्री कराये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति दी गयी।
- (ii) इस पर व्यय की धनराशि की मांग शासन से की जाये।
- (iii) जल निगम तथा राजकीय निर्माण निगम से इस्टीमेट प्राप्त किया जाये।

कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 13-02-2013 के संकल्प संख्या 66.09 (4) में वित्त समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य परिषद् के निर्णय के अनुपालन में तत्कालीन अधिकारी द्वारा सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, जल निगम, इलाहाबाद से 20-03-2014 को आगणन प्राप्त हुआ था किन्तु आबंटित भूमि की रजिस्ट्री का कार्य न होने से उक्त कार्य नहीं हो सका था। अग्रेतर रजिस्ट्री का कार्य हो जाने के पश्चात उक्त एजेन्सी से दिनांक 19-11-2015 को पुनरीक्षित आगणन धनराशि रु. 144.7 लाख का प्राप्त हुआ जिसे योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 01-12-2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना बोर्ड ने विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया : -

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय को आबंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध सम्पादित कर प्रथम किश्त के रूप में अनुबन्ध की शर्त के अनुसार रु. 75 लाख अवमुक्त किया गया। सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, जल निगम, इलाहाबाद ने अवमुक्त किये गये प्रथम किश्त के सापेक्ष कराये जा रहे चहार दीवारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक 15 पृष्ठ संख्या 147-148)

भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति ने स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त दूसरी किश्त हेतु देया धनराशि रु. 75 लाख के सापेक्ष रु. 50 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त रु. 50 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों के क्षमता का आडिटोरियम निर्माण कराए जाने हेतु मानचित्र पर विचार

विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने हेतु वित्त समिति ने अपनी बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2016 के संकल्प संख्या 32.07 के अन्तर्गत विचारोपरान्त योजना बोर्ड के दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 की बैठक में लिए गये निर्णय को यथावत स्वीकार किया :—

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 06 मार्च, 2016 के संकल्प संख्या 83.14 (3) के अन्तर्गत विचारोपरान्त वित्त समिति की उक्त अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया। कार्य परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि

1. शासन द्वारा नामित एजेन्सी से मानचित्र तदुपरान्त आगणन प्राप्त किया जाय।
2. स्वयं के संसाधनों से निर्माण कराये जाने एवं शासन से धनराशि की मांग की जाय। धनराशि प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति की जाय।

कार्य परिषद के उक्त निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा नामित विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों (i) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई, इलाहाबाद (ii) सी एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद (iii) उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम, इलाहाबाद एवं (iv) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद से मानचित्र एवं आगणन मांगे गए। जिसके सापेक्ष लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, इलाहाबाद से मानचित्र एवं आगणन अभी तक प्राप्त है, शेष एजेन्सियों से आगणन एवं मानचित्र अद्यतन अप्राप्त हैं। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त मानचित्र फर विचार किए जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ

प्रस्तुत है। अन्य एजेन्सियों का आगणन समान मानचित्र के अनुसार प्राप्त हो जाने पर दरों का तुलनात्मक अध्ययन कर प्रकरण पृथक से प्रस्तुत किया जायेगा।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने आडिटोरियम निर्माण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, इलाहाबाद से प्राप्त मानचित्र में प्रावधानित द्वितीय तल, सी.सी. रोड, हर्टीकल्चर कार्य, गोदरेज चेयर, लोक निर्माण विभाग विद्युत वितरण खण्ड के पृथक प्रावधान को छोड़कर मानचित्र को उपयुक्त पाया। अतः प्रथम चरण में उक्त को छोड़ते हुए विभिन्न शासकीय एजेन्सी से आगणन प्राप्त कर न्यूनतम दर की एजेन्सी से कार्य कराये जाने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाहय आगन्तुकों हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष कराये गये प्रसाधन कक्ष के कार्यों के सम्बन्ध में भेजे गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में शेष अंतिम किश्त के अवमुक्ति के औचित्य पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में आगन्तुक/शिक्षार्थियों/अभिभावकों के उपयोगार्थ प्रसाधन कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 के संकल्प संख्या 19.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें योजना बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

“योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाहय आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण कराये जाने की संस्तुति की।”

प्रसाधन निर्माण हेतु सी.एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, यूनिट-33, इलाहाबाद एवं राजकीय निर्माण निगम, कौशाम्बी ईकाई, फाकामऊ, इलाहाबाद से भी आगणन प्राप्त किया गया। राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया आगणन रु. 15.80 लाख न्यूनतम है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से प्रसाधन कक्ष का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक दिनांक 10-03-2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति ने यथा प्रस्तवित अनुमोदित करने की संस्तुति की। वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 में यथावत स्वीकार किया।

प्रसाधन कक्ष के निर्माण का शिलान्यास 21-05-2015 को माननीय कुलाधिपति जी द्वारा किया जा चुका है। कार्यपरिषद के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई, इलाहाबाद से दिनाँक 12-05-2015 को अनुबन्ध सम्पादित कर अनुबन्ध की शर्त के अनुसार प्राप्त आगणन रु. 15.80 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त के रूप में दिनाँक 12-05-2015 को रु. 14 लाख अवमुक्त किया गया था।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई, इलाहाबाद द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय किये गये धनराशि के दृष्टिगत उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है एवं उसे सम्पूर्ण व्यय बताते हुए अवशेष धनराशि रु. 1.80 लाख की मांग की गयी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रेषित ड्राइंग में बरामदा, छज्जा, रैम्प तथा सी.सी.टाइल्स एवं महिला/पुरुष प्रसाधन का पृथक पार्टीशन तथा पृथक-पृथक चैनल गेट, 06 वाशबेसिन (03 महिला एवं 03 पुरुष हेतु) का प्रावधान न होने के कारण राजकीय निर्माण निगम ने 04 टायलेट के स्थान पर उक्त का प्रावधान किया है। सम्पूर्ण एरिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा 04 टायलेट के स्थान पर कराये गये अतिरिक्त कार्य की आगणित लागत रु. 50,600 तथा 04 टायलेट की आगणित लागत रु. 30,400 आती है। (संलग्नक 16 पृष्ठ संख्या 149-151) भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति ने वर्तमान ड्राइंग को बेहतर मानते हुए योजना बोर्ड में रखे जाने की संस्तुति की है।(संलग्नक 14/पृष्ठ संख्या 146)

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र दिनाँकित 25-06-2015 जिसमें बरामदा, रैम्प, सी.सी.टाइल्स, पृथक-पृथक चैनल गेट एवं आवश्यक वाशबेसिन का प्रावधान किया गया है एवं आगणन राशि में कोई वृद्धि नहीं किया गया है, को पूर्व मानचित्र दिनाँकित 27-01-2015 से बेहतर मानते हुए भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि रु. 1.80 लाख अवमुक्त करने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.09

विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) की नीति को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा ऑन लाइन शिक्षा के क्षेत्र में ई-अधिगम की ओर बढ़ने के क्रम में विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) के नीति को अंगीकृत करने

के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन दिनांक 16-08-2016 को किया गया। गठित समिति की दिनांक 17-08-2016 के बैठक की अनुशंसा संलग्नक 17 पृष्ठ संख्या 152-158 पर उपलब्ध है, जो विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) की नीति को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.10

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F. 1-3/2007(CPP-II) दिनांक 05 मई, 2016 पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या F. 1-3/2007(CPP-II) दिनांक 05 मई, 2016 (संलग्नक 10 पृष्ठ संख्या 159) द्वारा ऐसे छात्रों जिन्होंने प्रवेश हेतु अपना प्रवेश शुल्क एवं अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा कर दिया है, परन्तु प्रवेश के पश्चात् अपने शुल्क वापस चाहते हैं। प्रवेश शुल्क वापसी के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शुल्क जमा करने के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश न लेने की दशा में प्रवेश शुल्क वापस न करने के कारण छात्रों और अभिभावकों के शिकायती पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तक पहुँच रहे हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क वापस करने की कार्यवाही को महत्वपूर्ण मानकर निस्तारित करने की बात कही गयी है।

यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु शिक्षार्थियों से अर्हता सम्बन्धी कोई अभिलेख जमा नहीं कराये जाते बल्कि प्रवेश के पश्चात् शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री डाक के माध्यम से उनके घर पर उपलब्ध करायी जाती है। इसके साथ ही इस विश्वविद्यालय में शिक्षार्थी द्वारा किसी कार्यक्रम में प्रवेश लेने की दशा में अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में भी प्रवेश लेने की व्यवस्था है। शिक्षार्थी यहाँ पर नामांकित होते हुए भी अन्य संस्थान में प्रवेश ले सकता है। प्रवेश हेतु कुछ संयुक्तियों का प्रावधान प्रवेश सूचना विवरणिका में मुद्रित है। उक्त का पालन करते हुए शिक्षार्थी 160-161 दोनों संस्थानों में पठन-पाठन कर सकता है। (संलग्नक 10 पृष्ठ संख्या 160-161) अतः उक्त तथ्यों के आलोक में इस विधा में नामांकित शिक्षार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेश के पश्चात् वापस नहीं किया जा सकता। इस आशय की जानकारी प्रवेश सूचना विवरणिका में भी मुद्रित है। (संलग्नक 20 पृष्ठ संख्या 162-163) प्रवेश न लेने की दशा में शुल्क वापस किया जा सकता है।

अतः प्रवेश शुल्क वापस किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

चूँकि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इसकी कार्य प्रणाली अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है। प्रवेश के उपरान्त शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री प्रेषित की जाती है। अतः विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् शिक्षार्थियों के प्रवेश शुल्क वापस न किए जाने हेतु किए गए पूर्व की व्यवस्था को विद्या परिषद् ने उपयुक्त पाते हुए लागू रहने की संस्तुति की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.11

ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में विचार

श्री रविकान्त वर्मा, निदेशक, मान्यता, ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र संख्या 16/GMUSS/REC/DDN/157 दिनांक 06-06-2016 (संलग्नक 21... पृष्ठ संख्या 164-167) में उल्लेख है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 882(I)/पी.पी.एस./सी.एम./2016 दिनांक 10-12-2016 व सरकारी गजट पंजी.सं.यू.ए./डी.ओ./डी.डी.एन./30/2015-17 खण्ड-17 रुड़की, शनिवार दिनांक 23 अप्रैल, 2016 के अन्तर्गत ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) द्वारा आयोजित परीक्षा व जारी प्रमाण पत्रों को उत्तराखण्ड सरकार ने मान्यता/समकक्षता प्रदान की है। उन्होंने अपने पत्र द्वारा ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से इण्टरमीडिएट छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हताओं का उल्लेख विश्वविद्यालय के प्रवेश विवरणिका में किया गया है (संलग्नक 22... पृष्ठ संख्या 169-175)

अतः ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड का पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.12

दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की बैठक दिनांक 23-11-2015 एवं 26-12-2015 की अनुशंसा पर विचार

दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठक (दिनांक 23-11-2015 एवं 26-12-2015) की अनुशंसा संलग्नक 23... पृष्ठ संख्या 176-187 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठक (दिनांक 23–11–2015 एवं 26–12–2015) की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.13

राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनांक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनांक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा पर विचार

राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या Riosup/Recog/Admin/176/2015 दिनांक 17/06/2015 (पत्र की छाया प्रति संलग्नक-२५ पृष्ठ संख्या १०८) द्वारा राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनांक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनांक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा संलग्नक-२५ पृष्ठ संख्या १०९ पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनांक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनांक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.14

विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन प्रस्तावित कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार

विश्वविद्यालय में कई ऐसे कार्यक्रम संचालित हैं जिनके विश्वविद्यालय द्वारा स्व निर्मित कोई अध्ययन सामग्री/पाठ्य सामग्री नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन सामग्री के रूप में पाठ्य सामग्री या तो इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित या बाजार से

टेक्स्ट बुक क्रय कर उपलब्ध कराये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा ऐसे सभी कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने एवं नये प्रस्तावित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम तैयार किये जाने हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं की समीक्षा बैठकों में निर्देश दिया गया। इस दिशा में सभी विद्या शाखाओं द्वारा अपने अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की आवश्यक समीक्षा करते हुए स्व अध्ययन सामग्री (पाठ्य सामग्री) निर्माण किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस क्रम में सम्बन्धित विद्या शाखाओं में संचालित इकाईयों (विषयों) के अध्ययन बोर्ड/विषय विशेषज्ञों की बैठक आहूत कर संचालित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों (Syllabi) की समीक्षा की गयी। पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के साथ पाठ्य सामग्री निर्माण हेतु लेखकों/विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की गयी। परिनियमावली में दिये गये व्यवस्था के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अध्ययन बोर्ड या विशेष विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों—विषय विशेषज्ञों की सूची/प्रस्तावित कार्यक्रमों को सम्बन्धित विद्या शाखाओं के बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया गया। विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की संस्तुतियाँ विद्या परिषद के समक्ष निम्न के अनुसार विचारार्थ प्रस्तुत हैं :—

(क) प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा

प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनांक 29-04-2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 26.... पृष्ठ संख्या 190-213.... पर उपलब्ध है।

(ख) समाज विज्ञान विद्या शाखा

समाज विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों—विषय विशेषज्ञों की सूची समाज विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनांक 02-05-2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 27.... पृष्ठ संख्या 214-221.... पर उपलब्ध है।

(ग) कृषि विज्ञान विद्या शाखा

कृषि विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/प्रस्तावित पाठ्यक्रम कृषि विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनांक 30-04-2016 एवं 17-08-2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 28 पृष्ठ संख्या 222-287.... पर उपलब्ध है।

(घ) मानविकी विद्या शाखा

मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रम मानविकी विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनांक 02-05-2016

एवं 30-08-2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 29 पृष्ठ संख्या 269-369 पर उपलब्ध है।

(घ) शिक्षा विद्या शाखा

शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रम शिक्षा विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनांक 19-08-2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 30 पृष्ठ संख्या 317-376 पर 508-567 पर उपलब्ध है।

(ङ) विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा

विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के नवीन प्रस्तावित कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों/लेखकों—विषय विशेषज्ञों की सूची विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनांक 07-04-2016 एवं 12-08-2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 31 पृष्ठ संख्या 377-502 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की अनुशंसा पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.15

विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत होना

श्री अटल बिंहारी वाजपेई, पूर्व प्रधानमंत्री के शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिकल्पनाओं को साकार करने एवं समतामूलक समाज की स्थापना में श्री वाजपेई द्वारा किये गये प्रयासों को विश्वविद्यालय स्तर पर शोध प्रबन्ध एवं सेमीनार/कान्फ्रेन्स के आयोजनों द्वारा जनमानस तक पहुँचाने के दृष्टिगत इस विश्वविद्यालय द्वारा अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया है। (संलग्नक 32 पृष्ठ संख्या 563-590)

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेंस चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.16

विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक-एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23-07-2016, 05-08-2016 एवं 24-08-2016 की अनुशंसाओं पर विचार

विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक-एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 27-07-2016, 05-08-2016 एवं 24-08-2016 की अनुशंसायें संलग्नक 33 पृष्ठ संख्या 511-595 पर उपलब्ध हैं।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक-एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23-07-2016, 05-08-2016 एवं 24-08-2016 की अनुशंसाओं को यथावत् स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.17

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरस्थ शिक्षा व्यूरो, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या F.No. 54-1/2016(DEB-II) दिनांक 01 जुलाई, 2016 (संलग्नक 34 पृष्ठ संख्या 596-601) द्वारा Open & Distance Learning (ODL) mode के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के लिए शर्तों के साथ विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता प्रदान की गयी है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.18

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के गठन पर विचार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थापित हैं। अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा एक निश्चित धनराशि में मानदेय का भुगतान किया जाता है। अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले मानदेय का दर दिनांक 01-07-2010 से निरन्तर चला आ रहा है। अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों की कार्यशाला में अधिकतर समन्वयकों द्वारा मानदेय में वृद्धि की मांग की जाती रही है। अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को मानदेय शिक्षार्थियों की संख्या एवं शुल्क आय के आधार पर किया जाता है मानदेय में वृद्धि हेतु कमेटी के गठन सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.19

विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्र संख्या -646/सत्तर-4-2016-46(64)/2009 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी के गठन पर विचार

विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्र संख्या -646/सत्तर-4-2016-46(64)/2009 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2016 (पत्र की छाया प्रति संलग्नक ३५ पृष्ठ संख्या ६०२-६०९) के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी का गठन किया जाना है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्र संख्या -646/सत्तर-4-2016-46(64)/2009 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी के गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 48.20

पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिये जाने के सम्बन्ध में विचार

प्रो. एम.पी. दुबे इस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा दी गयी धनराशि से पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

स्वर्ण पदक प्रदान करने सम्बन्धी अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोह में विभिन्न छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। प्रो. दुबे द्वारा दी जाने वाली धनराशि से निम्न के अनुसार दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना प्रस्तावित है :—

- (अ) पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जायेगा।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को विचारोपरान्त यथावत् स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.21

समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास में एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किये जाने पर विचार

प्रो. एम.पी. दुबे इस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा दी गयी धनराशि से समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास में एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत अन्य पदक प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

स्वर्ण पदक प्रदान करने सम्बन्धी अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोह में विभिन्न छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। प्रो. दुबे द्वारा दी जाने वाली धनराशि से निम्न के अनुसार दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना प्रस्तावित है :-

(अ) समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जायेगा।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को विचारोपरान्त यथावत् स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.22

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में संशोधनों पर पुनः विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक की अर्हताओं व सेवाशर्तों सम्बन्धी परिनियमों में संशोधनों सम्बन्धी प्रस्ताव पत्रांक सं. ओ.यू./1497/2011 दिनांक 03-02-2011 के द्वारा महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। महामहिम कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के द्वारा अपने पत्रांक सं. 3673/जी.एस. दिनांक 28-04-2014 के द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेश दिनांक 03-12-2013 के द्वारा अनुमोदित परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय के परिनियमावली में संशोधन करते हुए प्रस्ताव

उपलब्ध कराया जाय। तदनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किया गया प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

सम्बन्धित प्रकरण पर विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 19 जून, 2015 को निम्नलिखित निर्णय लिया जिसे कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 20 जून, 2015 में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया :—

विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

उक्त निर्णयानुसार प्रकरण को गठित समिति को विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./ई.सी. / (38)/900/2016 दिनांक 24-09-2015 द्वारा सूचित कर दिया गया था। तत्पश्चात् समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को पुनः विचार करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो संलग्नक ३६ पृष्ठ संख्या ६१०-६७२ पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अध्यादेश के अन्तर्गत विहित अधिनियम जो परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा लागू की गयी विश्वविद्यालयों के प्रावधानों को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को सम्यक अध्ययन कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.23

दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार

- सत्र 2015-16 में खोले गये 62 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

सत्र 2015-16 में नये अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु समय-समय पर आवेदन-पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन-पत्र पर मा. कुलपति जी द्वारा गठित

स्क्रीनिंग समिति ने महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की अनुशंसा की। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा को मा. कुलपति जी के आदेश से सत्र 2015–16 से 62 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई है। (संलग्नक- ३७ पृष्ठ संख्या ६७३–६७९)

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड 62 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. सत्र 2015–16 में पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

सत्र 2015–16 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु समय–समय पर आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्र पर मा. कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति ने अध्ययन केन्द्रों के अतिरिक्त वांछित कार्यक्रम संचालन हेतु अनुशंसा की। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा को मा. कुलपति जी के आदेश से सत्र 2015–16 में पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। (संलग्नक- ३६ पृष्ठ संख्या ६००–६०३)

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. सत्र 2015–16 में 02 अध्ययन केन्द्रों के पुनः संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

सत्र 2015–16 में कतिपय कारणों से बन्द अध्ययन केन्द्रों में से 02 अध्ययन केन्द्रों द्वारा पुनः संचालन हेतु आवेदन–पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्र पर छात्रों एवं अभिभावकों की मांग व सर्व शिक्षा सुलभ के वृष्टिगत अध्ययन केन्द्रों के आवेदन–पत्र की स्क्रीनिंग की गयी तथा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। स्क्रीनिंग समिति ने अध्ययन केन्द्र पुनः संचालन की अनुशंसा की। स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा को मा. कुलपति जी के आदेश से सत्र 2015–16 से 02 अध्ययन केन्द्रों पुनः संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। (संलग्नक– ३१ पृष्ठ संख्या ६७५.....)

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड 02 अध्ययन केन्द्रों के पुनः संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

4. ऐसे अध्ययन केन्द्रों जहाँ विगत तीन वर्षों से शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2016–17 से स्थगित/निरस्त किये जाने पर विचार

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों पर विगत तीन वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों की सूची संलग्नक– ४० पृष्ठ संख्या ६८५–७१४ पर उपलब्ध है। अतः ऐसे अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2016–17 से स्थगित/निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ विगत तीन वर्षों से शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है, के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियाँ की :-

- (i) उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य है, को सत्र 2016–17 से निलम्बित किया जाय। संस्थानों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से ०६ तक है (विशिष्ट संस्थानों को छोड़कर), को सत्र 2016–17 से निरस्त किया जाय। निलम्बित/स्थगित अध्ययन केन्द्रों को सूचना विवरणिका एवं वेबसाइट के एडमीशन पोर्टल से हटा दिया जाय।

- (ii) ज. प्र. शासन द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 06 तक है, को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि वह अपने अध्ययन केन्द्र पर छात्र संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न करें।
- (iii) संस्थानों में स्थापित पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों से उनके वर्तमान स्थिति (Present Status) तथा आधारभूत संचनाओं यथा भवन, लैब, पुस्तकालय इत्यादि व शिक्षक आदि से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त कर ली जाय।
- (iv) निलम्बित/स्थगित (महाविद्यालय में स्थापित) अध्ययन केन्द्रों द्वारा भविष्य में पुनः संचालन हेतु अनुरोध करने पर विचार किया जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

5. नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन—पत्र में संशोधन किये जाने पर विचार

नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन—पत्र में संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड “नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन—पत्र में संशोधन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेगी,” पर सहमत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

6. उत्कृष्टता पुरस्कार दिये जाने पर विचार

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्र, विश्वविद्यालय के शिक्षक, तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पुरस्कृत किये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ऐसे पाँच उत्कृष्ट अध्ययन केन्द्रों, एक गैर-अध्ययन केन्द्र महाविद्यालय, एक उत्कृष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, विश्वविद्यालय के एक शिक्षक, एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वाव एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उत्कृष्टता पुरस्कार निर्धारण समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कृत किये जाने पर सहमत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र को बन्द/निरस्त किये जाने पर विचार

पूर्व से संचालित इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र को बन्द/निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र एस.के.बी.एम. इण्टर कालेज, दिलदारनगर, गाजीपुर (एस-035) को सत्र 2016-17 से बन्द/निरस्त किये जाने तथा इस अध्ययन केन्द्र पर नामांकित छात्र/छात्राओं को उनकी इच्छानुसार अन्य अध्ययन केन्द्रों, जहाँ सम्बन्धित विषयों की मान्यता हो, पर सम्बद्ध किये जाने पर सहमत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.24

Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi के पत्र संख्या F.No. 18-16/2016-DL
दिनांक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा MOOCs के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले निर्देशों को अंगीकृत किए जाने पर विचार

Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi के पत्र संख्या F.No. 18-16/2016-DL दिनांक 22 अगस्त, 2016 (संलग्नक 4। पृष्ठ संख्या 715-724.) में उल्लिखित पत्र संख्या 8-26/2014-TEL दिनांक 11 जुलाई, 2016 में MOOCs से सम्बन्धित निर्देशों को मुक्त विश्वविद्यालयों में लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अब तक इसके अन्तर्गत आई.आई.टी., मुम्बई के Spoken Tutorial से अनुबन्ध किया जा चुका है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi के पत्र संख्या F.N.o. 18-16/2016-DL दिनांक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा MOOCs के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले निर्देशों को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.25

विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं क्रय किए गए साफ्टवेयर, आई.सी.टी. के अन्तर्गत कराए गए विश्वविद्यालय अवस्थापना सम्बन्धी कार्य, मोबाइल ऐप, क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यों के प्रगति से अवगत होना

1. विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रमों हेतु उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिए गए समय—समय पर निर्देशों के अनुसरण में अब तक आई.सी.टी. के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ERP University Management System Software को प्रवेश, परीक्षा, वित्त, पाठ्य सामग्री एवं प्रशासन अनुभाग में विकसित करने एवं निर्माण कराने का कार्य शासन द्वारा नामित एजेन्सी UPDESCO द्वारा किया गया है।
2. विश्वविद्यालय के ERP UMS Software को मोबाइल एप्लीकेशन का विकास भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा संचालित I-Made प्रोग्राम के तहत सम्पन्न करा लिया गया है।
3. विश्वविद्यालय एवं 10 नये क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का कार्य कर लिया गया है।

अतः सम्बन्धित प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं क्रय किए गए साफ्टवेयर, आई.सी.टी. के अन्तर्गत कराए गए विश्वविद्यालय अवस्थापना सम्बन्धी कार्य, मोबाइल ऐप, क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यों के प्रगति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.26

विश्वविद्यालय में Ph.D/M.Phil कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 के शर्तों के अधीन अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या F1-130/2015(VIP/PS) दिनांक 24 अगस्त, 2016 के माध्यम से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को Ph.D/M.Phil कार्यक्रम संचालन करने हेतु Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 की समस्त शर्तों का पालन किए जाने सम्बन्धी शपथ पत्र दिए जाने पर Ph.D/M.Phil कार्यक्रम चलाए जाने की अनुमति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की भाँति विश्वविद्यालय में Ph.D/M.Phil कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 02-09-2016 द्वारा शपथ पत्र भेजते हुए Ph.D/M.Phil कार्यक्रम चलाए जाने हेतु अनुमति प्राप्त करने की गयी कार्यवाही को उचित मानते हुए अवगत हुई। विद्या परिषद् Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 के अनुसार Ph.D/M.Phil कार्यक्रम का संचालन शीघ्र शुरू किए जाने की संस्तुति की।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ. (राजेश कुमार पाण्डेय)
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 19 जून, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 38वीं
बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति,	अध्यक्ष
2.	जी.एन. साहा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा	सदस्य
4.	डॉ. एम.एन. सिंह, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,	सदस्य
6.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,	सदस्य
7.	डॉ. टी.एन. दुबे, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,	सदस्य
	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	

9. डॉ. इति तिवारी,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सदस्य
10. डॉ. जी.के. द्विवेदी,
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सदस्य
11. डॉ. दिनेश सिंह,
सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सदस्य
12. श्री डी.पी. त्रिपाठी,
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सदस्य—सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

01. डॉ. वाई.वी.एन. कृष्ण मिथी,
निदेशक, भारतीय रिमोट सेन्सिंग संस्थान,
4, कालीदास रोड, देहरादून—248001
02. प्रो. ए.पी. वार्ष्यो,
कुलपति, पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान,
मथुरा, उत्तर प्रदेश
- 03 प्रो. बी.एन. सिंह,
विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.01

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या— पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली की बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची विन्दु संख्या 38.02

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद अपनी बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई:-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की जाई कार्यवाही
35.01	विद्या परिषद की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
35.02	विद्या परिषद की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही तदनुसार की जा रही है।
35.03	राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई-3456/जी.एस. दिनांक 23-05-2014 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के तैयार अध्यादेश को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	विद्या परिषद ने राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई-3456/जी.एस. दिनांक 23-05-2014 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के तैयार अध्यादेश को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 23-11-2014 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक में विद्या परिषद की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार तैयार अध्यादेश को मा. कुलाधिपति जी के संज्ञानार्थ राजभवन, लखनऊ प्रेषित किया गया। राजभवन, लखनऊ के पत्र संख्या ई-833/12-जी.एस./2012 दिनांक 30-01-2015 द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय से स्थिति स्पष्ट करते हुए द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान

			कार्यक्रमों के संशोधित अध्यादेश का प्रस्ताव हीम प्रेषित किये जाने हेतु निवेशित किया गया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
35.04	विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों को दिये जा रहे उपाधियों के प्रारूप में अपेक्षित संशोधन किये जाने पर विचार।	<p>विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों को दिये जा रहे उपाधियों के प्रारूप में आवश्यक विशिष्टियों (कागज/डिजाइनिंग आदि) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय की गठित समिति की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की।</p> <p>विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाली अंक पत्रों/उपाधियों में वर्णित जनपद इलाहाबाद के बगल में (भारत/India) अंकित किया जाय।</p>	दिनांक 23-11-2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
35.05	Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने हेतु अध्यादेश के संशोधन पर विचार।	विद्या परिषद् ने Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने हेतु यू.जी.सी. रेगुलेसन 2009 के प्रावधान के अनुसार तैयार अध्यादेश को यथावत् स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	<p>दिनांक 23-11-2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया।</p> <p>निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू/1187/2014 दिनांक 27-11-2014 द्वारा सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ को मा. कुलाधिपति जी के संज्ञानार्थ</p>

प्रेषित किया गया। राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ के पत्र संख्या 1013/12-जी.एस. /2003-III दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्देशित किया गया निकि सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में शासन से पूर्वानुमति प्राप्त करते हुए प्रस्ताव/अभियंता राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाय। तत्पश्चात् शासन से पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./1404/2015 दिनांक 03-01-2015 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया जो शासन में अद्यतन लम्बित रहा। पुनः विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./1912/2015 दिनांक 26-02-2015 द्वारा सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।

35.06	विश्वविद्यालय में नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	विद्या परिषद् ने नये कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं के प्रस्तावों को यथावत् स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 23-11-2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया।
-------	---	--	--

		<p>निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या (ओ.यू. /1237/2014 दिनांक 05-12-2014 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।</p>
35.07	दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना पर विचार।	<p>विद्या परिषद् ने दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु गठित समिति के दिनांक 29-10-2014 के बैठक की कार्यवृत्त /अध्यादेश को यथावत स्वीकार किया।</p> <p>विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 27-12-2014 में दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्भित अध्यादेश प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27-12-2014 में अनुमोदित किया।</p>
35.08	गाँधियन अध्ययन केन्द्र, नेहरू अध्ययन केन्द्र तथा अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र के स्थापना पर विचार।	<p>विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में गाँधियन अध्ययन केन्द्र, नेहरू अध्ययन केन्द्र एवं अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की संस्तुति की एवं इस सम्बन्ध में उक्त तीनों अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए दिनांक 23-11-2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विश्वविद्यालय को 12B के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये जाने का</p>

		जाने की भी संस्तुति की।	<p>निर्णय लेते हुए कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् कड़ी अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।</p> <p>निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को गाँधियन अध्ययन केन्द्र, नेहरू अध्ययन केन्द्र एवं अम्बेडकर अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में क्रमशः विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./वी.सी./4487/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2014; ओ.यू./वी.सी./4485/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2014 एवं ओ.यू./वी.सी./4486/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह कहते हुए वापस प्रेषित कर दिया गया कि ऐसे प्रकरणों पर जब प्रस्ताव मांगा जाय तभी प्रस्ताव भेजा जाय।</p>
--	--	-------------------------	---

कार्य सूची विन्दु संख्या 38.03

दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यालयों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था के उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद दूररथ शिक्षा पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय 574 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश की अधिसंख्य आबादी को उच्च शिक्षा के स्वर्णम अवसर प्रदान कर रहा है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में लगभग 72000 हजार शिक्षार्थी अध्ययनरत हैं तथा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक ज्ञान—पिपासु इस विश्वविद्यालय से ज्ञान प्राप्त कर अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकें। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 05 की उपधारा (नौ) में व्यवस्था है कि "ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाएं जो विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर अवधारित किये जाय।" उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इसका क्षेत्र बड़ा है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ व बरेली जनपदों में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित हैं जबकि नोयडा/झाँसी जनपदों में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं। प्रतिवर्ष शिक्षार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यों में वृद्धि हो रही है। सभी क्षेत्रीय केन्द्र किराए के भवन में संचालित होने से विश्वविद्यालय को किराये के रूप में अधिक धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। क्षेत्रीय केन्द्रों के बढ़ते हुए कार्यों के कारण किराये के भवन में स्थान की कमी होती जा रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अपने सभी क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यालय हेतु स्वयं के भूमि/भवन की व्यवस्था करना चाहता है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यालयों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था के उपलब्धता हेतु आवश्यकतानुसार संरचना/प्रस्ताव (मॉडल) तैयार किया जाय एवं उसी के अनुरूप सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु स्थान का निर्धारण कर भूमि/भवन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

2. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार प्रशासनिक भवन के अपूर्ण तलों के निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बेसमेण्ट एवं भूतल का निर्माण शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष वर्ष 2010 में कराया जा चुका है। बढ़ती हुई छात्र संख्या, कर्मचारियों एवं कार्यों के वृद्धिगत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी होती जा रही है। प्रशासनिक भवन के निर्माण के प्रारम्भिक समय में एक डिजाइन/मानचित्र बनवाया गया था जिसके अनुसार प्रशासनिक भवन कुल 04 तलों में निर्मित होना था। प्रशासनिक भवन के बेसमेण्ट/भूतल का निर्माण कार्यदायी संस्था: सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया गया है। प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी को दूर करने के लिए निर्मित भवन के ऊपर के अन्य तलों का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है तथा भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का भी निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार प्रशासनिक भवन के अपूर्ण तलों के निर्माण हेतु भारत सरकार के निर्माणदायी संस्था RYTES से कार्य कराये जाने की सम्भावना तलाशी जाय। मास्टर प्लान के अनुसान निर्माण कार्य के समय विश्वविद्यालय एक आर्कटेक्ट के माध्यम से समय-समय पर गुणवत्ता का परीक्षण कराये।

योजना बोर्ड की उक्त संस्तुति के सन्दर्भ में प्रकरण वित्त समिति की दिनांक 10-03-2015 के बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

"वित्त समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियां की:-

- (1) "राज्य सरकार द्वारा नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों से आगणन प्राप्त कर न्यून दर वाली राजकीय एजेन्सी से कार्य कराया जाय।"
- (2) "भूतल का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। अतः प्रथम तल बनवाने की जो भी औपचारिकतायें/प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उसे सम्बन्धित से प्राप्त कर लिया जाय।"
- (3) "विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से निर्माण कराया जाय। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।"

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 को यथावत स्वीकार किया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अवस्थित दीक्षान्त समारोह प्रांगण का नामकरण "महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी" के नाम से किए जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अवस्थित मैदान जहाँ विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह आयोजित होते रहे हैं, का नामकरण "महामना पं. मदन मोहन मालवीय दीक्षान्त समारोह प्रांगण" किये जाने सम्बन्धी प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अवस्थित मैदान का नामकरण "महामना पं. मदन मोहन मालवीय दीक्षान्त समारोह प्रांगण" के नाम से किए जाने की संस्तुति की।

सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की दिनांक 23 नवम्बर, 2014 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था जिसे कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।

4. विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों के उत्तरोत्तर वृद्धि एवं अन्य बढ़ते हुए कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों के उत्तरोत्तर वृद्धि एवं अन्य बढ़ते हुए कार्यों के दृष्टिगत बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों के उत्तरोत्तर वृद्धि एवं अन्य बढ़ते हुए कारोग के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था किये जाने की संस्तुति की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

5. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाहय आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाहय आगन्तुकों हेतु किसी प्रकार की प्रसाधन कक्ष आदि की व्यवस्था नहीं है। इसके व्यवस्था/निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन, 25/48, एल.आई.सी.कालोन, टैगोर टाउन, इलाहाबाद से आगणन मांगा गया है। अतः प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों एवं अन्य वाहय आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाहय आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण कराये जाने की संस्तुति की।

प्रसाधन निर्माण हेतु सी.एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, यूनिट-33, इलाहाबाद एवं राजकीय निर्माण निगम, कौशाम्बी ईकाई, फाफामऊ, इलाहाबाद से भी आगणन प्राप्त किया गया। राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया आगणन रु. 15.80 लाख न्यूनतम है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से प्रसाधन कक्ष का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक दिनांक 10-03-2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

"वित्त समिति ने यथा प्रस्तावित अनुसार दित करने की संस्तुति की।"

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 में यथावत् स्वीकार किया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।

6. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/शैक्षणिक परिसर के सौन्दरीकरण के दृष्टिगत बागवानी एवं लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने पर विचार

(क) कार्य परिषद् के बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2009 के संकल्प संख्या 41.03 के अन्तर्गत कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

“योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के मुख्य गेट के बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया।

प्रकरण पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित सुझावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और निश्चय किया गया कि प्रकरण कार्य परिषद् के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जाय :—

1. भव्य गेट बनवाये जाने हेतु रु. 20–25 लाख का व्यय अनुमानित है।
2. प्रशासनिक भवन में एक भव्य गेट एवं दो अन्य गेट बनवाया जाय।

योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत् स्वीकार किया तथा इसे कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् की उक्त अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत् स्वीकार किया।

(ख) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं शैक्षणिक भवन के बने हुए गेट पूर्व में ही कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित किये जा चुके हैं। कार्य परिषद् के निर्णयानुसार भव्य गेट का निर्माण कार्य अद्यतन नहीं किया गया है। भव्य गेट के साथ विश्वविद्यालय दोनों परिसरों में लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था भी करना चाहता है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/शैक्षणिक परिसर के सौन्दरीकरण हेतु कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2009 के संकल्प संख्या 41.03 के दृष्टिगत बागवानी एवं लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने की संस्तुति की।

प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 23–11–2014 के संकल्प संख्या 76.10 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—

"विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/शैक्षणिक परिसर के सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत बागवानी/लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को कार्य परिषद् ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।"

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।

7. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल के अपूर्ण निर्मित भाग को पूर्ण कराये जाने पर विचार

(क) कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29 अगस्त, 2014 के संकल्प संख्या 75.03 (12) के अन्तर्गत वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2014 के संकल्प संख्या 29.12 में की गयी संस्तुति जो निम्नवत है, को यथावत स्वीकार किया :—

"वित्त समिति ने निर्णय लिया कि पुस्तकालय निर्माण का प्रकरण सर्वप्रथम भवन समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय, तदपश्चात योजना बोर्ड के माध्यम से वित्त समिति की अगली बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।"

कार्य परिषद् के निर्णयानुसार भवन समिति की दिनांक 10–10–2014 को बैठक आहूत की गयी। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

“योजना बोर्ड ने संस्तुति किया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल के अपूर्ण निर्मित भाग को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को 15 दिनों का समय देते हुए आख्या प्राप्त किया जाय कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये धनराशि रु. 96.60 लाख के सापेक्ष कार्य पूर्ण है अथवा शेष है। इसके पश्चात् ही अग्रतर कार्यवाही की जाय।”

- (ख) उक्त संस्तुति के क्रम में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग उ० प्र० इलाहाबाद के सम्प्रेक्षकों द्वारा निम्नलिखित बिन्दु इंगित किया गया है :—
- (i) कार्यदायी संस्था उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० कौशाम्बी इकाई इलाहाबाद के रु० 157.10 लाख के प्रेषित आगणन को दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यदायी संस्था उ० प्र० राठ० निर्माण निगम लि० कौशाम्बी इकाई इलाहाबाद के साथ दिनांक 31.03.2012 को अनुबन्ध किया गया। कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 05/2012 एवं कार्यपूर्ण की तिथि 08/2013 थी। उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम को कार्य आदेश जारी किया गया तथा 96.60 लाख एक मुश्त उपलब्ध कराये गये। कार्यदायी संस्था ने दिनांक 12.12.2012 को यह सूचित किया कि भूतल का कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल का कार्य प्रगति पर है तथा 96.60 लाख व्यय हो गयी। निर्माण कार्य जारी रखने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी तथा दिनांक 23.11.2012 को कार्य बन्द कर दिया।
- (ii) दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई एवं न ही विश्वविद्यालय द्वारा अपने श्रोतों से व्यवस्था की गयी। फलतः रु. 96.60 लाख की धनराशि अलाभकारी रही।

अतः आडिट आपत्ति को देखते हुए उक्त कार्य के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि रु. 96.60 लाख अलाभकारी न हो, इस हेतु विश्वविद्यालय को अपने श्रोतों से धन की व्यवस्था की जानी होगी एवं वर्षों से बंद कार्य को शुरू करना होगा। उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम ने

अपने पत्र सं0 12/इला./कौशाम्बी इकाई/राजकीय निर्माण निगम/पुस्तकालय भवन/—14 दिनांक 19.01.2015 द्वारा 96.60 लाख के कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना दी गयी है तथा स्वीकृत धनराशि रु 0 157.10 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु. 60.50 लाख को तत्काल अवमुक्त करने का पुनः अनुरोध किया है जिससे कार्य आरम्भ हो सके। अतः विश्वविद्यालय के स्रोतों से उक्त कार्य हेतु बजट प्रावधान हेतु प्रकरण वित्त समिति की बैठक दिनांक 10-03-2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

"वित्त समिति ने यथा प्रस्तवित अनुमोदित करने की संस्तुति की।"

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 के संकल्प संख्या 79.01 (3) द्वारा यथावत स्वीकार किया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।

8. विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कैंटीन की व्यवस्था किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कैंटीन की व्यवस्था न होने के कारण विश्वविद्यालय के कर्मियों एवं वाहय आगन्तुकों को आवश्यकतानुसार चाय आदि की व्यवस्था बाहर से करनी पड़ती थी। इसको देखते हुए माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कैंटीन की व्यवस्था दिनांक 01-12-2014 से प्रारम्भ की जा चुकी है, जो योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कैंटीन की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

9. विश्वविद्यालय में 500 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार

विश्वविद्यालय में प्रायः कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार या अन्य प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय में कोई हाल या बड़ा कक्ष उपलब्ध नहीं है, जिससे इन आयोजनों के क्रियान्वयन में जगह की कमी के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहती हैं।

अतः प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय में कम से कम 500 व्यक्तियों की क्षमता का एक आडिटोरियम निर्मित कराये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 500 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की संस्तुति की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.04

विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या 2 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.05

विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी आपातकालीन बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :—

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की जाई कार्यवाही
36.01	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञापन कराये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या 2840/सत्तर-1-2010 दिनांक 31-12-2010 द्वारा दिये गये निर्देश के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्धारित अर्हता के दृष्टिगत तैयार किये गये विज्ञापन एवं अर्हता के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त विद्या परिषद् ने गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्तुत विज्ञापन एवं अर्हता के प्रस्ताव को भी स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विज्ञापन संख्या 08/2015 दिनांक 03-02-2015 द्वारा रिक्त शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक पदों का विज्ञापन वेबसाइट के माध्यम से कराया गया। विभिन्न पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों का पदवार शार्टिंग किया जा चुका है अन्य कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
37.02	दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित अध्यादेश पर विचार	विद्या परिषद् ने दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित अध्यादेश को यथावत् स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय	विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 27-12-2014 में दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित अध्यादेश

		लिया।	प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद् ने (पूनी आपातकालीन बैठक दिनांक 27-12-2014 में अनुमोदित किया।
			निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.गू. /1405/2015 दिनांक 03-01-2015 द्वारा राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ को मा. कुलाधिपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित किया गया है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.06

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 13-02-2015 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या —— पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.07

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :—

संकल्प	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये

संख्या			निर्णयों पर की गई कार्यवाही
30	दिनांक 14 फरवरी, 2015 को आयोजित होने वाले नवम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2013/जून 2014 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनांक 14 फरवरी, 2015 को आयोजित होने वाले नवम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2013/जून 2014 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत पूर्ण सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	कार्य परिषद् की दिनांक 13 फरवरी, 2015 की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार नवम् दीक्षान्त समारोह में उपस्थित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दी गयी। शेष उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि उनके द्वारा दिये गये अप्ते पर प्रेषण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
37.02	दिनांक 14 फरवरी, 2015 को आयोजित होने वाले नवम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2013/जून 2014 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनांक 14 फरवरी, 2015 को आयोजित होने वाले नवम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2013/जून 2014 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	कार्य परिषद् की दिनांक 13 फरवरी, 2015 की बैठक के निर्णयानुसार नवम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2013/जून 2014 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जा चुका है।
7.03	दिनांक 14 फरवरी, 2015 को होने वाले नवम् दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7.04	दिसम्बर 2014 परीक्षा के सापेक्ष ऐसे परीक्षार्थियों जो अपना अधिन्यास अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर दिया, लेकिन अध्ययन केन्द्र द्वारा अधिन्यास सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्रों पर	विद्या परिषद् ने दिसम्बर 2014 परीक्षा के सापेक्ष ऐसे परीक्षार्थियों जो अपना अधिन्यास अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर दिया, लेकिन अध्ययन केन्द्र द्वारा अधिन्यास सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्रों पर नहीं जमा किया	कार्य परिषद् की दिनांक 13 फरवरी, 2015 की बैठक के निर्णयानुसार कार्यवाही हेतु परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय के पत्रांक

	नहीं जमा किया जा सका, को आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु बिना परीक्षा शुल्क के बैंक परीक्षा फार्म भरे जाने की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	जा सका, को आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु बिना परीक्षा शुल्क के बैंक परीक्षा फार्म भरे जाने की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	संख्या ओ.यू. /1956/2015 दिनांक 16-03-2015 द्वारा सूचित किया जा चुका है।
--	---	--	--

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.08

दिनांक 07-02-2015 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

- सत्र 2013-14 में संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत होना

सत्र 2013-14 में पूर्व से संचालित कुल 30 अध्ययन केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुआ था। इसके लिये गठित स्क्रीनिंग समिति ने 24 अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त वांछित कार्यक्रम संचालन हेतु अनुशंसा की एवं शेष 05 प्रस्तावों/आवेदनों द्वारा मानक की पूर्ति न किये जाने एवं 01 अध्ययन केन्द्र को शिकायतों के आधार पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा अतिरिक्त वांछित कार्यक्रमों के संचालन हेतु संस्तुत नहीं किया गया था। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत तत्कालीन मा० कुलपति जी के आदेश से सत्र 2013-14 में पूर्व से संचालित 24 अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी। (संलग्नक— पृष्ठ संख्या)

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड सत्र 2013-14 में संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. सत्र 2013–14 में विशेष अभियान के अन्तर्गत खोले गये 47 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना से सम्बन्धित तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत होना

सत्र 2013–14 में स्नातक स्तर पर प्रवेश की समस्या को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार विशेष अभियान के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु महाविद्यालयों से प्रस्ताव मांगे गये थे। कुल प्राप्त 55 प्रस्तावों/आवेदनों पर गठित स्क्रीनिंग समिति ने 47 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की अनुशंसा की एवं शेष 08 प्रस्तावों/आवेदनों को संस्थान से सम्बन्धित होने या निर्धारित शुल्क कम होने या अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने के कारण वापस किये जाने की अनुशंसा की गयी थी जिसे मा० कुलपति जी के स्वीकृति के पश्चात् वापस कर दिया गया। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत तत्कालीन मा० कुलपति जी के आदेश से सत्र 2013–14 में विशेष अभियान के अन्तर्गत 47 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना की अनुमति प्रदान की गई।
(संलग्नक— पृष्ठ संख्या)

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड सत्र 2013–14 में विशेष अभियान के अन्तर्गत खोले गये 47 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना से सम्बन्धित तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. आगामी सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार

आगामी सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। साथ ही नये अध्ययन केन्द्र स्थापना से सम्बन्धित प्रकरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 को भी संज्ञान में विचारार्थ लिया जाना है। (संलग्नक— पृष्ठ संख्या)

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने आगामी सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु निम्न संस्तुतियाँ की :-

- (i) नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्गत पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) के दृष्टिगत आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किया जाय।
- (ii) संस्थानों में स्थापित पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्गत पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) के परिप्रेक्ष्य में उनके वर्तमान स्थिति (Present Status) के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

4. शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2015–16 से स्थगित/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार

पूर्व से संचालित 147 अध्ययन केन्द्रों पर सत्र 2014–15 में शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों की सूची संलग्नक—..... पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है। अतः ऐसे अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2015–16 से स्थगित/निरस्त किये जाने का प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ वर्ष 2014–15 में शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है, के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियाँ की :—

- (i) महाविद्यालयों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य है, को निरस्त किया जाय।
- (ii) उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 06 तक है, को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि वह अपने अध्ययन केन्द्र पर छात्र संख्या को बढ़ायें।
- (iii) संस्थानों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से 06 तक है, को निरस्त किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

5. अध्ययन केन्द्र नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ (S-33) द्वारा अपने अध्ययन केन्द्र के शिक्षार्थियों का दिसम्बर, 2014 परीक्षा के सापेक्ष अधिन्यास क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ पर समय से न जमा किये जाने के कारण सम्बन्धित परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जाने से परीक्षा से वंचित रह जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

सत्र 2014–15 में प्रवेशित शिक्षार्थियों के लिए सूचना विवरणिका के अनुसार अधिन्यास जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2014 निर्धारित थी लेकिन प्रवेश तिथि 15 सितम्बर, 2014 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2014 कर दिये जाने से अधिन्यास जमा करने की तिथि बढ़ाकर 15 दिसम्बर, 2014 शिक्षार्थियों के लिए कर दी गयी थी एवं अध्ययन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों पर संकलित रूप से अधिन्यास जमा करने की तिथि 17 दिसम्बर, 2014 निर्धारित की गयी थी जिसकी छाया प्रति संलग्नक— पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अध्ययन केन्द्र नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ (S-33) द्वारा अपने अध्ययन केन्द्र के शिक्षार्थियों का दिसम्बर, 2014 परीक्षा के सापेक्ष लिखित अधिन्यास क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ पर निर्धारित तिथि तक जमा नहीं किये जाने के कारण सम्बन्धित परीक्षार्थी दिसम्बर, 2014 की परीक्षा देने से वंचित रह गये, जो लखनऊ परिक्षेत्र के विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ। सम्बन्धित समाचार पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्नक— पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने आगामी सत्र से अध्ययन केन्द्र नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ को बन्द करने की संस्तुति की। इसके अतिरिक्त मान्यता बोर्ड ने उक्त केन्द्र के पंजीकृत सभी शिक्षार्थियों को उनकी इच्छानुसार ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों से सम्बन्धित कार्यक्रम पूर्व से संचालित हो, पर सम्बद्ध किये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ पर सम्बन्धित शिक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास जमा किये जाने की भी संस्तुति की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.09

दिनांक 02-05-2015 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. सत्र 2015-16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार

सत्र 2015-16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित तिथि 10.04.2015 तक कुल 152 (उ0प्र0 शासन द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के 140 एवं अन्य संस्थानों के 12 प्रस्ताव) आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों की सूची संलग्नक— पृष्ठ संख्या भर उपलब्ध है। ऐसे सभी आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के लिये मा0 कुलपति जी द्वारा एक स्क्रीनिंग समिति गठित की गयी। स्क्रीनिंग समिति ने कुल 128 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त पाया एवं कुल 12 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय मानकों की पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत/विचाराधीन किया तथा स्क्रीनिंग समिति ने कुल 12 संस्थानों को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण करने हेतु संस्तुति प्रदान की।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने सत्र 2015-16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति के अनुसार कुल 152 आवेदन पत्रों/प्रस्तावों में से 128 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त पाया एवं कुल 12 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय मानकों की पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत/विचाराधीन किया साथ ही स्क्रीनिंग समिति ने कुल 12 संस्थानों को विश्वविद्यालय का

अध्ययन केन्द्र स्थापित करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण करने हेतु संस्तुति से सहमत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने हेतु निर्धारित तिथि 10.04.2015 तक कुल 66 आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने हेतु निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावों/आवेदन पत्रों का परीक्षण मा० कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक की पूर्ति होने पर कुल 44 प्रस्तावों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई तथा कुल 22 प्रस्तावों को विश्वविद्यालय के मानक की पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत/विचाराधीन किये जाने की अनुशंसा की। (संलग्नक— पृष्ठ संख्या)

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु मा० कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति के अनुसार कुल 66 आवेदन पत्रों/प्रस्तावों में से आगामी सत्र जुलाई 2015 से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक की पूर्ति होने पर कुल 44 प्रस्तावों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने की संस्तुति की तथा कुल 22 प्रस्तावों को विश्वविद्यालय के मानक की पूर्ति न

होने के कारण असंस्तुत/विचाराधीन किये जाने की अनुशंसा से सहमत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

3. पूर्व की प्रस्तुत सूची में कम्प्यूटर की तकनीकी खराबी के कारण छः से अधिक छात्र संख्या वाले कुछ अध्ययन केन्द्र को स्थगन/निरस्त करने की श्रेणी में प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसे अध्ययन केन्द्रों के पूर्ववत् संचालन पर विचार

दिनांक 07 फरवरी 2015 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक में कम्प्यूटर की तकनीकी खराबी के कारण छः से अधिक छात्र संख्या वाले कुछ अध्ययन केन्द्र को स्थगन/निरस्त करने की श्रेणी में प्रस्तुत कर दिया गया था (संलग्नक— पृष्ठ संख्या)। ऐसे अध्ययन केन्द्रों को स्थापित रखते हुए पूर्ववत् संचालित करने का प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड प्रश्नगत अध्ययन केन्द्रों को स्थापित रखते हुए पूर्ववत् संचालित करने हेतु सहमत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

4. परिचमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा जनपदों में स्थापित नये क्षेत्रीय केन्द्रों तथा बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के ज्ञांसी जनपद में पूर्व से स्वीकृत क्षेत्रीय केन्द्र को स्थापित करते हुए संचालित किये जाने पर विचार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों की मांग व उनके हितों को ध्यान में रखते हुए तथा विश्वविद्यालय के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा शिक्षार्थियों के नामांकन में वृद्धि के उद्देश्य से गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा जनपदों में नये क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र को उच्च शिक्षा सर्वसुलभ कराने के दृष्टिगत ज्ञांसी जनपद में पूर्व से स्वीकृत क्षेत्रीय केन्द्र को स्थापित करते हुए यथाशीघ्र संचालित किये जाने पर विचार।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों की मांग व उनके हितों को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा जनपदों में नये क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने से सहमत हुई। साथ ही भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में ज्ञांसी तथा कानपुर में भी क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर सहमति प्रदान की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

5. नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के आवंटन हेतु समय-समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों पर विचार

नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के आवंटन हेतु समय-समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण से सम्बन्धित प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने नये अध्ययन केन्द्र स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु मा० कुलपति जी को अधिकृत किया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

6. भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के पत्र 10-122/NP/2014/UP/RCI दिनांक 25.11.14 के क्रम में फ्रेंड्स आफ हैण्डीकैप्ड स्वामी सत्यानन्द सरस्वतिम “वाणी” स्कूल एण्ड रिसर्च सेन्टर फार हियरिंग इम्पेयर्ड एण्ड मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, पी०-१, पल्लवपुरम् फेज-॥ मेरठ, को विश्वविद्यालय का B.Ed.SE.(Hearing Impairment) कार्यक्रम हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापित करने पर विचार

भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के पत्र 10-122/NP/2014/UP/RCI दिनांक 25.11.14 (संलग्नक— पृष्ठ संख्या) के क्रम में फ्रेंड्स आफ हैण्डीकैप्ड स्वामी सत्यानन्द सरस्वतिम “वाणी” स्कूल एण्ड रिसर्च सेन्टर फार हियरिंग इम्पेयर्ड एण्ड मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, पी०-१, पल्लवपुरम् फेज-॥ मेरठ, को विश्वविद्यालय का B.Ed.SE.(Hearing Impairment) कार्यक्रम हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापना के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा गठित निरीक्षण दल दिनांक 22.04.2015 को संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया तथा उपरोक्त कार्यक्रम हेतु उक्त संस्था को सत्र 2015-16 से विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति की।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया तथा सम्बन्धित संस्था को मा० कुपलति जी द्वारा गठित निरीक्षण दल की संस्तुति एवं RCI के पत्र 10-122/NP/2014/UP/RCI दिनांक 25.11.14 के क्रम में B.Ed.SE.(Hearing Impairment) कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु सहमत हुइ।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत् स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.10

DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में Latera I Entry के माध्यम से सीधे एम.सी.ए. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15–12–2014 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त पर विचार

DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में Latera I Entry के माध्यम से सीधे एम.सी.ए. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15–12–2014 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण को तदसम्बन्धी गठित समिति के पुनर्विचारार्थ सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 38.11

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई.-833/12-जी.एस./2012, दिनांक 30–01–2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के संशोधित अध्यादेश पर विचार

- (क) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई-3456/जी.एस. दिनांक 23–05–2014 द्वारा निर्देश दिया गया था कि जब तक द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों से सम्बन्धित अध्यादेश तैयार कर मात्र कुलाधिपति जी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है तब तक इन कार्यक्रमों में नया प्रवेश न लिया जाय। अतः सम्बन्धित पत्र में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2014–15 से द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों का संचालन बन्द कर दिया गया था।

(ख) विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशकों एवं प्रमारी, मानविकी विद्या शाखा द्वारा द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के अध्यादेश पर विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 में निम्नलिखित निर्णय लिया :—

विद्या परिषद् ने राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई-3456/जी.एस. दिनांक 23-05-2014 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के तैयार अध्यादेश को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 23 नवम्बर, 2014 में विद्या परिषद् की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए यथाशीघ्र लागू किये जाने हेतु अध्यादेश को मा. कुलाधिपति जी के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

(ग) निर्णयोपरान्त अध्यादेश को राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मा. कुलाधिपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त पत्र संख्या ई.-833/12-जी.एस./2012, दिनांक 30-01-2015 द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय से स्थिति स्पष्ट करते हुए द्विवर्षीय एक विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के संशोधित अध्यादेश प्रस्ताव राज्यपाल सचिवालय को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। अतः उक्त निर्देश के अनुपालन में

एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों का गठित समिति द्वारा संशोधित अध्यादेश अपनी बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा तैयार किया गया है जो संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई.-833/12-जी.एस./2012, दिनांक 30-01-2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के तैयार संशोधित अध्यादेश को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.12

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.12

शिक्षा विद्या शाखा के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2014 और भारतीय पुनर्वास्तु परिषद् के अधिसूचना (संलग्नकपृष्ठ संख्या) दिनांक अप्रैल, 2015 (संलग्नक पृष्ठ संख्या) द्वारा क्रमशः द्वारा बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के मानकों को संशोधित किया गया है। इसके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सभी कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) ने सत्र 2015–16 से लागू किये जाने हेतु निर्देश दिया है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए बी.एड. तथा बी.एड. विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों के नवीन अध्यादेशों को तैयार करने के लिए माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा तैयार नवीन अध्यादेश के प्रारूप तथा नवीन पाठ्य संरचना को शिक्षा शास्त्र के अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 11 मई, 2015 एवं शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की बैठक दिनांक 23 मई, 2015 में संस्तुत किया गया। शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त संलग्नकपृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने शिक्षा विद्या शाखा के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.13

सत्र 2015–16 से संचालित सभी कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश शुल्क को ऑन लाइन किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क डिमार्ड ड्राफ्ट की वैधता अवधि तीन माह ही होने से ड्राफ्ट Invalid होते रहे हैं जिसके नवीनीकरण कराये जाने में समस्याएं आती रही हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाये जाने हेतु आगामी सत्र 2015 से सभी कार्यक्रमों में ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरे जाने एवं प्रवेश शुल्क विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् है :—

- प्रवेश फार्म की ऑन लाइन उपलब्धता।

2. ऑन लाइन प्रवेश पंजीकरण करना।
3. ऑन लाइन प्रवेश शुल्क को जमा करना।
4. प्रवेश शुल्क ई-चालान, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटवर्किंग, आर.टी.एस., एन.आई.एफ.टी. (NIFT) के माध्यम से भुगतान।
5. प्रवेश फार्म की ऑन लाइन प्रविष्टि।
6. अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रवेश फार्म की ऑन लाइन इन्ट्री करना।
7. क्षेत्रीय केन्द्र पर भी ऑन लाइन प्रवेश फार्म की प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
8. ऑन लाइन प्रवेश फार्म के सापेक्ष सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न अध्ययन केन्द्रों पर शिक्षार्थियों को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराना।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने सत्र 2015–16 से संचालित सभी कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश शुल्क को ऑन लाइन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.14

बी.एड., बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.एड., बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा/काउन्सलिंग के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। प्रवेश हेतु शुल्क बैंक ~~बैंक~~ के माध्यम से लिया जायेगा। विश्वविद्यालय सत्र 2015–16 से इन कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का कार्य ऑन लाइन माध्यम से करना चाहता है। ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया के चरण निम्नवत् वर्णित हैं:—

1. प्रवेश परीक्षा फार्म की ऑन लाइन उपलब्धता।
2. ऑन लाइन प्रवेश पंजीकरण करना।
3. ऑन लाइन प्रवेश परीक्षा शुल्क को जमा करना।
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क ई-चालान, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटवर्किंग, आर.टी.एस., एन.आई.एफ.टी. (NIFT) के माध्यम से भुगतान।
5. प्रवेश परीक्षा फार्म को डाउन लोड करना।

6. शिक्षार्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा फार्म की ऑन लाइन इन्ट्री करना।
7. ऑन लाइन पूरित प्रवेश परीक्षा फार्म की हॉर्ड कापी प्रवेश शुल्क के चालान की विश्वविद्यालय प्रति के साथ स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त होंगे उन्हीं शिक्षार्थियों की प्रवेश परीक्षा को सम्पन्न कराने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने बी.एड., बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.15

बी.एड. स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों पर विचार

वर्ष 2014 में NCTE द्वारा बी.एड. कार्यक्रम के मानकों में परिवर्तन करते हुए बी.एड. नियमित पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को बी.एड. दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए भी यथावत लागू कर दिया गया है एवं बी.एड. के नए मानक तथा पाठ्यचर्या को सत्र 2015–16 से लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त के अनुक्रम में शिक्षा विद्या शाखा के द्वारा बी.एड. कार्यक्रम के लिए नवीन पाठ्य संरचना तैयार करके शिक्षा शास्त्र के अध्ययन बोर्ड तथा शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। क्योंकि इस विश्वविद्यालय के बी.एड. कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों के स्व-अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। अतः प्रथम चरण में सत्र 2015–16 के प्रथम सेमेस्टर की पाठ्य सामग्री को यथाशीघ्र तैयार करना आवश्यक है। इस क्रम में बी.एड. कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में सम्मिलित तीन प्रश्न पत्रों की पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षा विद्या शाखा के द्वारा लेखकों के नाम प्रस्तावित किये गये थे जिन्हें माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 04–06–2015 को अनुमोदित किया गया है। लेखकों की सूची संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने बी.एड. स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों की सूची को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.16

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अन्य शुल्क के वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अन्य शुल्क के वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अन्य शुल्क के वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.17

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कला/विज्ञान कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम को चयन करने हेतु अनुदेश के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 09-06-2015 के कार्यवृत्त पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कला/विज्ञान कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम को चयन करने हेतु अनुदेश के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 09-06-2015 के कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कला/विज्ञान कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक
इतु अनुदेश के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 09-06-2015
वर्त स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया ।

बिन्दु संख्या 38.18

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) एवं कौशल विकास के क्रेडिट ढाँचा (CFSD) के क्रियान्वयन हेतु पाठ्यक्रम संरचना में परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की संस्तुतियों पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08 जनवरी 2015 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में सत्र 2015-16 से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) एवं कौशल विकास को क्रेडिट ढाँचा (CFSD) को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में समाहित किया जाना है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम संरचना का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निर्मित करते हुए गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त (छाया प्रति संलग्न) विभिन्न विद्या शाखाओं के विद्या शाखा बोर्ड की संस्तुति (छाया प्रति संलग्न) पर उपलब्ध है।

अत प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) एवं कौशल विकास के क्रेडिट ढाँचा (CFSD) के क्रियान्वयन हेतु पाठ्यक्रम संरचना में परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.19

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अहंताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में संशोधनों पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक की अर्हताओं व सेवाशर्तों सम्बन्धी परिनियमों में संशोधनों सम्बन्धी प्रस्ताव पत्रांक सं. ओ.यू./1497/2011 दिनांक 03-02-2011 के द्वारा महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। महामहिम कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के द्वारा अपने पत्रांक सं. 3673/जी.एस. दिनांक 28-04-2014 के द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेश दिनांक 03-12-2013 के द्वारा अनुमोदित परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय के परिनियमावली में संशोधन करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। तदनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किया गया प्रस्ताव संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तों आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 38.२०

बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों पर विचार

वर्ष 2015 में RCI द्वारा बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम के मानकों में परिवर्तन करते हुए बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्चा को बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए भी लागू कर दिया गया है एवं नए मानकों तथा पाठ्यचर्चा को सत्र 2015-16 से लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त के अनुक्रम में शिक्षा विद्या शाखा के द्वारा बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम के लिए नवीन पाठ्य संरचना तैयार करके शिक्षा शास्त्र के अध्ययन बोर्ड तथा शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। क्योंकि इस विश्वविद्यालय के बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों के स्व-अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। अतः प्रथम चरण में सत्र 2015-16 के प्रथम सेमेस्टर की पाठ्य सामग्री को यथाशीघ्र तैयार करना आवश्यक है। इस क्रम में बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में सम्मिलित पाँच प्रश्न पत्रों की पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षा विद्या शाखा के द्वारा लेखकों के नाम प्रस्तावित किये गये हैं। लेखकों की सूची संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों की सूची को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(डी.पी. त्रिपाठी)

कुलसचिव

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, सान्तिपुरम् आवास कालोनी, रायटर "एफ"

द. वा. ग. दूबे फोफामज, इलाहाबाद
परीक्षा अधिकारी

0532-2447038

प. एफ. एम. समिति / परीक्षा / 2014-15

दिनांक: 11.05.15

यू.एफ.एम. समिति की बैठक

दिनांक 11.05.15 को यू.एफ.एम. समिति की बैठक हुई। बैठक में निम्नालिखित सदस्य सम्मिलित

प्रौढ़ पौष्टीय दूबे, परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र.स.ट.मु.वि.वि., इलाहाबाद।

प्रौढ़ ज० एन० मिश्र, वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

प्रौढ़ जटाशक्त तिवारी, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

प्रौढ़ एन० एन० सिंह, निदेशक, समाजविज्ञान विद्याशाखा, उ.प्र.स.ट.मु.वि.वि., इलाहाबाद।

लौ. पौष्टीय कृष्णपाण्डेय, उप परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र.स.ट.मु.वि.वि., इलाहाबाद।

लौ. उपन्ध. नृथ तिवारी, विशेष कार्याधिकारी, प्ररक्षा, उ.प्र.स.ट.मु.वि.वि., इलाहाबाद।

कलाम सदस्यों ने परीक्षा सम्बन्धित प्रकरणों पर निषेध के लिए विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश विभाग ६ अंत अनुशासन धारा ५(xx) के अधीन ख (10) के आधार निन आधार का अनुसंधान किया।

क्र. सं.	आधार	निषेध
१	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न जाने पर।	जिसे (अ) से निरूपित। आरोप मुक्त।
२	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, अनुचित वड प्रयोग न किया गया हो।	जिसे (ब) से निरूपित। सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
३	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, अनुचित वड प्रयोग किया गया हो।	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
४	परीक्षा काल पर किसी भी प्रकार की गतिशील वड प्रवर्त्तन।	जिसे (द) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबंधित।
५	जाथ परीक्षा प्रकरणों एवं	जिसे (इ) से निरूपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्षों के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निराहेत कर दिया जाय।

दिसम्बर-2014 परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित परीक्षार्थियों के संदर्भ में समिति द्वारा लिये गये निर्णय निम्नवत हैं:-

S.NO	Name & Address	Enroll. No.	Paper	Decision
1.	SHALINI GUPTA D/O RAMESH CHAND GUPTA RELWAY STATION PLAHNI AZAMGARH, UP 276001	315191010005	UGSY-05	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
2.	SHASHI C/O GIRISH KUMAR VILL. & POST- BHADESI DISTT. ALIGARH-202001	4100110608674	UGST-03	वर्तमान परीक्षा सत्र को पूरी परीक्षा निरस्त।
3.	RADHIKA PRASAD DUBEY C/O DUKH HARAN DUBEY 44, IFFCO TOWENSHIP GHIYA NAGAR, PHULPUR ALLAHABAD-212404	310061040006	UGMM-06	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
4.	SUSHIL KUMAR MISHRA C/O RADHE SHYAM MISHRA KC-37 IFFCO TOWENSHIP GHIYA NAGAR, PHULPUR ALLAHABAD-212404	310061040004	UGMM-06	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
5.	KUSHLESH SINGH C/O RAJ KUMAR SINGH VILL- PURE DHAKAL SINGH PO-VISHUNDASPUR DISTT. RAEBAKELI- 229207	310941010036	UGHI-04	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
6.	SHOBHIT SINGH C/O TRILOKI SINGH VILL- HARDASPUR, PO- GANGAPUR DISTT.- VARANASI	310941010033	UGHI-04	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।

	SANTOSH KUMAR MISHRA C/O BADRI PRASAD MISHRA VILL-HARPUR, PO- KAILIDEEH DISTT.-PRATAPGARH-230306	222131010013	UGEC-03	आरोप मुक्त ००/७० ३०५० रास्ता- ४७०५५१ वे सन्नामीपत्र /
8.	MAHENDRA KUMAR C/O JAGESHWAR SINGH VILL.-TIWARIPUR, PO- BHEWALI DISTT.- KANPURNAGAR	310102020005	BLIS-07(N)	वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबंधित।
9.	RADHA DEVI C/O VINAY KUMAR GUPTA 3/33 Dr. TARA CHANDRA HOSTEL UNIVERSITY OF ALLAHABAD ALLAHABAD-211002	4121320206849	BLIS-09(N)	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
10.	RAMSWAROOP YADAV C/O ANURUDH PRASAD YADAV PALTAN TIWARI SHIVNAGAR PARWER DISTT.-SULTANPUR	14951230	BEDSE-08	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
11.	ROHINI MISHRA C/O OM NARAYAN MISHRA VILL & PO- SAIDNAGAR DISTT.- JALAUN-985223	13953210	BEDSE-15	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
12.	PRADEEP KUMAR VISHWAKARMA C/O RAMSHIREMAN VISHWAKARMA VILL.-GERAI, PO.-GOPIGANJ DISTT.-BHADOHI-221303	310861020001	BCOM-06	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
13.	KRISHNA KUMAR C/O RAMESH CHANDRA SUDHAWAI SANT RAVIDASH NAGAR-221508	310861020002	BCOM-06	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।

Digh
13/5/15

	RAJESHWAR PRASAD C/O BINDESHWARI PRASAD G-1/498, ARMAPUR ESTATE KANPUR-208009	4201150100584	PGDCA-1.5	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा विरस्त।
15.	LAVKUSH TRIPATHI C/O SHIV BHUSHAN TRIPATHI 180/43 BH. MALAKRAJ RAMBAGH ALLAHABAD-211003	22057020011 22057020011	MBA-5.23	सन्दर्भित प्रश्न पत्र विरस्त।
16.	DEEPIKA PANDEY C/O TRIBHUVAN NATH PANDEY 96 SEC-E SHANTIPURAM PHAPHAMAU, ALLAHABAD-211013	311202010008	MAPS-06	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा विरस्त।
17.	PARVEEN BANO C/O HABIB KHAN 179- INSIDE UNNAO GATE JHANSI-284002	310412010002	MAED-08	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा विरस्त।
18.	SWATI GUPTA C/O MANOJ KUMAR GUPTA 1168 BLOCK-G AWAS VIKAS-11 KALYANPUR KANPUR KANPUR-208017	315132010001	MAED-09	सन्दर्भित प्रश्न पत्र विरस्त।

परीक्षा विवरक

आठवाँ साल के अंत में विवरक परीक्षाका दोषित करने वाला
उनका नियंत्रण करने हैं, जिनका होता होता

selfcell India
13.5.15

Dinesh
13/5/15

O/C

S/S

M

DK
13/5/15

101

उम्रो राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय मुख्य परिसर शान्तिपुरम् आवास योजना, सेक्टर F, फाफामऊ,
इलाहाबाद

परीक्षा नियंत्रक

इलाहाबाद

फोन नं. 0532-2447123

OSD/COE,

दिनांक: 22.06.15

परीक्षा नं. 14

सूच्य है कि संवीक्षा समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार संबंधित परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं की संपीड़ी की गई। संवीक्षा के उपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

अंक संख्या	नामांकन संख्या	कोर्स कोड	पूर्व के प्राप्तांक	संवीक्षोपशन संपादक	टिप्पणी
1.	4138710604636	MAEN-03	30/70	40/70	अंक में परिवर्तन
2.	314082010005	MAEN-06	33/70	50/70	अंक में परिवर्तन
3.	314082010005	MAEN-07	32/70	52/70	अंक में परिवर्तन
4.	314082010005	MAEN-08	33/70	50/70	अंक में परिवर्तन
5.	314082010005	MAEN-09	26/70	55/70	अंक में परिवर्तन
6.	13036106	BED-11	24/70	32/70	अंक में परिवर्तन
7.	500500152	UGMM-01	22/70	32/70	अंक में परिवर्तन
8.	14956234	BED-06	26/70	36/70	अंक में परिवर्तन
9.	310372010002	MAHI-08	37/70	37/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
10.	310372010002	MAHI-09	37/70	37/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
11.	310372010002	MAHI-10	40/70	40/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
12.	1203710400057	UGCHE-01	10/70	10/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
13.	3203710115755	UGSY-01	27/70	27/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
14.	3201120200198	BLIS-09	23/70	23/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
15.	14951320	BED/PGPD-61	22/70	22/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
16.	14036110	BED-02	21/70	21/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
17.	120721040042	UGZY-07	19/70	19/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
18.	120052230008	PGBCHE-07	17/70	17/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
19.	4101620200868	BLIS-09(N)	14/70	14/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
20.	4138710604636	MAEN-01	24/70	24/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
21.	4138710604636	MAEN-02	27/70	27/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
22.	4138710604636	MAEN-04	44/70	44/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
23.	4138720104649	MAEN-01	21/70	21/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
24.	4138720104649	MAEN-02	29/70	29/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
25.	4138720104649	MAEN-03	40/70	40/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
26.	4138720104649	MAEN-04	45/70	45/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
27.	14140108	BED-03	23/70	23/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
28.	120161010030	UGEN-02	24/70	24/70	कोई परिवर्तन नहीं है।

नोट:- अंकपत्र में उक्त स्पष्ट अंक प्रश्न-पत्र की क्रेडिट के अनुसार परिवर्तित कर मुद्रित होग।

उपरोक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करना चाहे।

22/06/15



परीक्षा नियंत्रक

उ0प्र0 राजस्वि टप्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम् आवास योजना, सेक्टर F, फाफामऊ,
इलाहाबाद फोन नं. 0532-2447123

OSD/COE,

दिनांक: 25.06.15

सूच्य है कि संवीक्षा समिति के निर्णयोपरान्त तीन परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तकाओं में छूटे हुए प्रश्नों
को मूल्यांकित कराने के उपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

अंक सं.	नामांकन संख्या	कोर्स कोड	पूर्व के प्राप्तांक	संवीक्षोपरान्त प्राप्तांक	टिप्पणी
1.	120621010087	UGSY-04	24/70	28/70	अंक में परिवर्तन
2.	4101010605404	UGEN-02	24/70	26/70	अंक में परिवर्तन
3.	4191060106950	DFD-01	50/100	60/100	अंक में परिवर्तन

नोट:- अंकपत्र में उक्त सारे अंक प्रश्न-पत्र की क्रेडिट के अनुसार परिवर्तित कर मुद्रित होंगे।

उपरोक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करना चाहें।

DR. अमृतलाल यादव
उत्तरायणी प्रबल
संस्कृत विभाग
इलाहाबाद 25.06.15

Esh
25/06/15

37/15

37/15

37/15

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे।
3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वर्ण की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहाँ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय।

5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिये कुलपति जी व्हारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े शहरों में एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।
8. विशेष परिस्थिति में माठ कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति देसकते हैं।

संलग्नक -०५

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर 'एफ'

डॉ. (पी० पी० दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

फाफामऊ, इलाहाबाद

211013.

मो०-०५३२-२४४७०३८

पत्रांक : ओ. यू. परीक्षा/५५८ / २०१५

दिनांक : ०५/०६/२०१५

सेवा में,

श्री राजीव कुमार पाठक,
सुश्री शिवांगी मणि त्रिपाठी, श्वेता शर्मा
विभा त्रिपाठी, संध्या कुमारी, नीतू यादव
राघव नगर, देवरिया

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक २२/०१/२०१५ का पत्र विश्वविद्यालय में दिनांक २२/०१/२०१५
को प्राप्त हुआ है जो परीक्षा केन्द्र बी०आ०डी० पी०जी० कॉलेज, देवरिया में अवैध वसूली से सम्बन्धित
है के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि संलग्न पत्र यदि आपके द्वारा प्रेषित किया गया है तो पत्र में
उल्लिखित विवरण को शपथ पत्र पर टंकित कराकर प्रेषित करें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा
सके।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवलीय,

डॉ. (पी०पी० दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ.सं. ओ.यू. परीक्षा/५५८/२०१५

तददिनांक ०५/०६/१५

प्रतिलिपि: मा० कुलपति जी के निजी सचिव को मा० कुलपति जी के सादर सूचनार्थ प्रेषित

डॉ. (पी०पी० दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

१०५

०५/०६/१५
०५/०६/१५



बाबा राघवदास र्जनातकोटार महाविद्यालय

देवरिया (उ०प्र०)

प्रकाश 14/१८०/१३०२०/२०१४-१५

दिनांक: ०९.०५.१५

Digitized by srujanika@gmail.com

संख्या १८

परीक्षा नियंत्रक
झ०प्र० राजर्षि टंडन, मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद ।

विषयः—परीक्षा दिसम्बर 2014 में केन्द्र पर नकल कराये जाने से सम्बन्धित शिक्षायती पत्र की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय

आप अपने पत्र पत्रांक—ओ०य००/परीक्षा/4054/2015, दिनांक 30.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें दिसम्बर 2014 की परीक्षा में कुछ लोगों द्वारा केन्द्र पर पैसा लेकर नकल कराने की शिकायत पर आख्या माँगी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि बी०आर०डी०पी०जी०कालेज, देवरिया बहुत पुराना अनुदानित कालेज है। यहाँ कला संकाय, विज्ञान संकाय, कृषि संकाय तथा बी०ए८०(शिक्षा)संकाय चार संकाय हैं और प्रति वर्ष लगभग 3500 विद्यार्थी अध्ययनरत रहते हैं। इनकी वार्षिक परीक्षा नकल विहीन, पारदर्शी तथा शुचितापूर्ण होती है। इसी कारण दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा प्रतिवर्ष देवरिया जनपद के दस महाविद्यालय के बी०ए८० के परीक्षार्थियों का जनपदीय परीक्षा केन्द्र बी०आर०डी०पी०जी०कालेज, देवरिया को ही नाया ज्ञाता है और लगभग एक हजार बी०ए८० के परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वार्षिक परीक्षा बी०आर०डी०पी०जी०कालेज देवरिया केन्द्र पर होने वाली नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण परीक्षा सम्पादित कराने में डॉ० कमलापति सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के अध्ययनकेन्द्र बी०आर०डी०पी०जी० कालेज देवरिया (एस-०१७) के समन्वयक डा० कमलापति उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के परीक्षा केन्द्र बी०आर०डी०पी०जी०कालेज देवरिया की परीक्षा में भी सहायक केन्द्राध्यक्ष रहते हैं। यह परीक्षा भी नकल विहीन पारदर्शी और शुचितापूर्ण होती है तथा सहायक केन्द्राध्यक्ष डा० कमलापति नकल विहीन परीक्षा संचालन में इमानदारी से सहयोग करते हैं। परीक्षा कक्ष में महाविद्यालय के शिक्षक ही कक्ष निरीक्षक का कार्य करते हैं किसी बाहरी व्यक्ति को कक्ष निरीक्षक कार्य में नहीं लगाया जाता है। परीक्षार्थियों के मोबाइल, बैग आदि अलग कक्ष में बन्द करा दिया जाता है। परीक्षार्थी केवल प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं।

१८४

~~O.S. - Future info of cats to info~~



बाबा राधवदास र्जातकोत्तर महाविद्यालय

देवरिया (उ०प्र०)

प्राप्ति क्रमांक १५१/संग्रह ८२७/२०१४-१५

दिनांक ०८.५.१५

(२)

दिसंबर 2014 की शीतकालीन वार्षिक परीक्षा मे कुछ छात्रों द्वारा किये गये शिकायती पत्र के सम्बन्ध मे सादर अवगत कराना है कि सघन तहकीकात करने पर यह तथ्य सामने आया है कि उक्त शिकायती पत्र के शिकायतकर्ता अधोहस्ताक्षरी के अध्ययन केन्द्र के शिक्षार्थी नहीं हैं बल्कि अन्य अध्ययन केन्द्र के शिक्षार्थी हैं। परीक्षा केन्द्र बी०आर०डी०पी०जी० कालेज, देवरिया (एस-०१७) पर दिसंबर-२०१४ की परीक्षा के समय नकल विहीन परीक्षा कराये जाने के कारण आवेश मे आकर अपने अपने अध्ययन केन्द्रों द्वारा किये गये धन्दे उगाही आदि उत्पीड़न को अधोहस्ताक्षरी के परीक्षा केन्द्र के साथ जोड़ कर भ्रामक एवं गलत आरोप लगाते हुए तथ्य से परे शिकायती पत्र परीक्षा नियन्त्रक, उ०प्र० राजस्वित्तर्ण मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रेषित किया गया है।

सादर सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी के केन्द्र पर विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार नकल विहीन, शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी परीक्षा होती है। शिकायतकर्ताओं का पैसा लेकर नकल कराये जाने या उत्तर पुस्तिका बाहर लिखवाये जाने का आरोप भ्रामक है, मिथ्या है, मन्गाढ़न्ता है, पूर्णतः गलत है और तथ्य से परे है तथा महाविद्यालय की छवि को धूमिल करने वाला है।

उक्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या आपकी सेवा मे सादर सेवाप्रित है।

सादर।

भवदीय

प्राप्ति क्रमांक १०८-०५-१५

(डॉ०ए०क०राय)

प्राचार्य

बी०आर०डी०पी०जी०कालेज,

देवरिया
बी०आर०डी०पी०जी०कालेज
उत्तर प्रदेश

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"

डॉ. (पी. ए. दुर्घा)
परीक्षा नियंत्रक

फाफामऊ, इलाहाबाद

211013

0532-2447038

पत्रांक : ओ. यू. /परीक्षा/५०५५/२०१५

दिनांक : ३०/०३/२०१५

संवाद में,
प्राचार्य
बी० आर० डौ० कॉलेज,
देवरिया
उ०प० - 210201

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रार्थना- परीक्षा दिसम्बर- 2014 में केन्द्र पर नकल कराये जाने से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पत्र के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके परीक्षा केन्द्र पर नकल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार पाठक, शिवांगि मणि निपाठी, श्रोता शर्मा, विभा त्रिपाठी, संध्या कुमारी व नीतू यादव राघव नगर, देवरिया ने अध्ययन केन्द्र/परीक्षा केन्द्र बी० आर० डौ० कॉलेज, देवरिया के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि, समस्त परीक्षार्थीयों से परीक्षा दिसम्बर- 2014 में एम०ए०-I, II से रु 800/- एवं बी०ए०-I, II व III से रु 500/- प्रति प्रश्न पत्र की द्वार से जबरदस्ती वसूला गया तथा 1500/- रु लेकर उत्तर पुस्तिका बाहर लिखायी जाती है शिकायत कर्ताओं वें पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया इस प्रकरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पत्र प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर इस सम्बन्ध में अपनी आख्या अधोइक्रताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपर्युक्त

मवदीय

डॉ. (पी. ए. दुर्घा)
परीक्षा नियंत्रक

पृ. सं. ओ.यू. /परीक्षा/५०५५/१) / २०१५ तददिनांक ३०/०३/१५
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1. ग्रन्थक, बी० आर० डौ० कॉलेज, देवरिया को शिकायती पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित प्रकरण पर अपनी आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2. कुलसचिव उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
- 3. मा० कुलपति जी के निजी सचिव को मा० कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

डॉ. (पी. ए. दुर्घा)
परीक्षा नियंत्रक

(11)
(12)

पीजीकृत

सेवा में

दिनांक: 22.01.2015

परीक्षा नियंत्रक

उ0प्र0 राजस्वित्तर्थ टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद, 21-10-13

विषय: परीक्षा केन्द्र बीआरडी पीजी कालेज देवरिया में अवैध वसूली के सम्बन्ध में।
महोदय,

हम समस्त छात्रगण उ0प्र0 राजस्वित्तर्थ टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षार्थी हैं हम लोगों का परीक्षा दिसम्बर 2014 में बीआरडी पीजी कालेज देवरिया में हुआ। 'परीक्षा के दौरान हम समस्त परीक्षार्थियों से एम0प्र0 ।।। से 800 रुपये प्रति प्रश्नपत्र, बी0ए0 ।।। ।।। से 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से जबरदस्ती वसूला गया। तथा शिकायत करने पर कहा गया कि मेरा कोई कुछ विगाड़ नहीं सकता हैं देवरिया अध्ययन केन्द्र की प्राचार्या, दीनानाथ पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय ने सत्र 2012-13 में अवैध धन वसूली की बात लिख चुकी है। मैं ऊपर नविश्वविद्यालय तक मैनेज करता हूँ। इसी बजह से मेरा परीक्षा केन्द्र आज तक इसी बजह से परिवर्तित नहीं हुआ। मेरे यहा अन्य केन्द्र का कोई कक्ष नि रोक्षक ड्यूटी भी नहीं कर सकता है मैं और मेरा लड़का ड्यूटी एवं वसूली करूँगा। धनराशि न देने पर धमकी दी जाती है कि उत्तीर्ण नहीं होने दूँगा। इस भयवश कोई शिकायत नहीं करता है क्योंकि शिकायत करने पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि बाहर से लिखी जाने वाली प्रति कापी 1500 रुपये लेकर लिखाई जाती है। छात्राओं के साथ बदसलूकी भी किया जाता है। जबकि सरकार द्वारा बार-बार महिला सुरक्षा की बात उठायी जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि ऊपरोक्त तथ्यों का अपने स्तर से जॉच, समन्वयक डॉ० कमला प्रजापति को तुरन्त हटाकर करने पर सही तथ्य सामने आ जायेगा। तथा भविष्य में किसी अन्य/सरकारी कालेज में परीक्षा कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि: ✓-माननीय कुलाधिपति महोदय उ0प्र0 लखनऊ।
2-माननीय मुख्यमंत्री (उच्च शिक्षा मंत्री) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ
3-कुलपति उ0प्र0 राजस्वित्तर्थ टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद।

राजीव शर्मा/छात्र पा० ४५

शिलाजि-भाजे १०११६
श्रेष्ठा-शमि

विमा त्रिपाठी

संद्या कुमारी

नीतू यादव

१८/१८-१०१२ देवरिया।

अन्तिम आख्या

कुलसचिव

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कठिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ. यू/1407/2015 दिनांक 03/01/2015 द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा दिनांक 04/03/2015 को प्रस्तुत अनतरिम आख्या के तारतम्य में कहना है कि :-

- समिति ने गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के वर्तमान समन्वयक डॉ. एस. पी. गुप्ता से दूरभाष पर पर्ण संख्या 52, 55, 64 एवं 65 पर किचित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तूत करने का प्रयास किया।
 - गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के समन्वयक द्वारा इस सन्दर्भ में प्रेषित पत्र (ई-मेल द्वारा) जोकि पत्रावली में संलग्न है का भी संज्ञान लेते हुए समिति का अभिमत है कि –
 - उपरोक्त चारों पर्णों में हस्ताक्षर एक ही मूल्यांकनकर्ता के प्रतीत होते हैं किन्तु चारों पर्ण विभिन्न विषयों के हैं जिनका मूल्यांकन कोई एक विषय विशेषज्ञ नहीं कर सकता है।
 - B.Com के विभिन्न प्रश्नपत्रों एवं AOCHE के पर्णों में उद्दित नामांकन संख्या सही नहीं है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त चारों पर्णों में उलिखित अधिन्यास के प्राप्तांकों को निरस्त करते हुए उनका पुर्ण मूल्यांकन कराया जाय।
 - जिस प्राध्यापक ने उपरोक्त अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाये मूल्यांकित की हो, भविष्य में उनसे मूल्यांकन कार्य न कराया जाय।
 - सन्दर्भित अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं के अंक क्षेत्रीय समन्वयक का कार्य देख रहे तत्कालीन समन्वयक श्री राजेश गौतम द्वारा प्रेषित किये गये थे।

समिति का यह मानना है कि क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के तत्कालीन समन्वयक एवं उन्नुके सहायकों को अधिन्यास अंको के सम्बन्ध में और अधिक संवेदनशील होना चाहिए था।

डॉ. (अमरजीत गुप्ता) ७७५१८

डॉ. (पी. पी. दूबे)

निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा

परीक्षा नियंत्रक

ପ୍ରମାଣିତ

118

ଅନ୍ତିମ ଆଇଟମ୍ ହୁଲାକ ଦେ

ଲାଭାବଦୀ

Aug 07/47/5

प्रस्तुत देयको के सम्बन्ध में

- कुल 07 देयको में देयक संख्या - 03 पर पेपर कोड अंकित नहीं है।
- देयक संख्या - 04 में कार्यक्रम अंकित है किन्तु कोड अंकित नहीं है एवं देयक पूर्ण नहीं है।
- भुगतान छूट कुल 07 देयक हो प्रस्तुत किये गये हैं जबकि अंक पर्ण वर्गमन्त्र 15 से अधिक कार्यक्रमों/छोड़ों से सम्बन्धित है।
- मूल्यांकनकर्ताओं की स्वीकृति क्य और किससे प्राप्त की गयी, संलग्न पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कर गया है।

(ख) प्रस्तुत अंक प्रति पर्ण के सम्बन्ध में

- सभी अंक प्रति पर्ण पर मेरे द्वारा दाहिनी ओर लाल स्थाई से नम्बरिंग कर दी गयी है तथा ये कुल ही है।
- अधिकांश पर्णों में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।
- पर्ण संख्या 13 जो कि राजनीतिशास्त्र विषय से सम्बन्धित है। इस पर्ण के अन्त में MAST-03 संख्या विषय का भी मूल्यांकन है।
- पर्ण संख्या 42 B.COM से सम्बन्धित है किन्तु इसी पर्ण में इसी मूल्यांकनकर्ता द्वारा UGFHD हिन्दू विषय का मूल्यांकन भी करवाया गया है।
- पर्ण संख्या 51, 57, 58 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड एवं हस्ताक्षर अलग-अलग है।
- पर्ण संख्या 22 तथा 51 के मूल्यांकनकर्ता एक ही हैं किन्तु अंक पर्ण पर Writing अलग प्रतीत होती है।
- पर्ण संख्या 25, 26, 27, 28, 29, 54, 56 एवं 57 शिक्षाशास्त्र विषय के हैं, इनके मूल्यांकनकर्ता एक ही हैं किन्तु इनके हस्ताक्षर अलग-अलग प्रतीत होते हैं।
- पर्ण संख्या 54, 56, 65 तथा 66 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं वर्ण अलग-अलग हैं।
- पर्ण संख्या 38 तथा 38 की Hand Writing एक ही किन्तु हस्ताक्षर तथा पेपर कोड अलग-अलग हैं।
- एक पर्ण पर केवल एक पेपर कोड अंकित होने के स्थान पर एक से अधिक पेपर कोड अंकित किये हैं।

11. पर्ण संख्या 12 तथा 14 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं पेपर को अलग—अलग है।
12. पर्ण संख्या 16 तथा 17 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं पेपर को अलग—अलग है।
13. पर्ण संख्या 52 तथा 53 Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं पेपर कोड अलग है।
14. पर्ण संख्या 52 तथा 55 पर हस्ताक्षर एवं ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड अलग—अलग है।
15. पर्ण संख्या 12, 14, 52 तथा 53 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड व हस्ताक्षर अलग—अलग है।
16. पर्ण संख्या 10 तथा 14 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर बोड तथा हस्ताक्षर अलग—अलग है।
17. पर्ण संख्या 52, 55, 64 एवं 66 की Hand Writing तथा हस्ताक्षर एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड अलग—अलग है।
18. पर्ण संख्या 61 तथा 14 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड एवं हस्ताक्षर अलग—अलग है।
19. पर्ण संख्या 13, 59, 62 की Hand Writing एवं ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड तथा हस्ताक्षर अलग—अलग है।
20. पर्ण संख्या 65 तथा 66 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड तथा हस्ताक्षर अलग—अलग है।
21. पर्ण संख्या 18 तथा 64 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं कोड अलग—अलग है।
22. पर्ण संख्या 49 के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है।
23. पर्ण संख्या 4 पर मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर अलग नहीं है।
24. पर्ण संख्या 49 पर मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर अलग नहीं है।
25. एक पर्ण पर केवल एक पेपर कोड अंकित है जो निम्न पेपर कोड अंकित किये है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टप्पडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

केन्द्राध्यक्ष के लिए निर्देश

परीक्षा : दिसम्बर / जून

(क) केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष / कक्ष परिप्रेक्षक/पंजिकाएं

- प्रत्येक केन्द्र पर एक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त होगे जो पूर्ण परीक्षा के गोपनीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने एवं उसके सफल संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- प्रत्येक पाली की परीक्षा में पंजीकृत छात्रों की संख्या के आधार पर सहायक केन्द्राध्यक्ष निम्नानुसार अनुमत्य होंगे —
 - 250 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर
 - (ii) 251-500 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर
 - (iii) 501-750 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर
 - (iv) 751-1000 लक्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों पर
 - (v) 1000 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर अधिकतम
- प्रत्येक कक्ष में कम से कम दो परिप्रेक्षक अवश्य हों। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि परीक्षा कार्य में बड़े कमरों का अधिकतम प्रयोग हो जिससे कम से कम परिप्रेक्षकों की आवश्यकता पड़ और यह भी ध्यान रहे कि कुल कक्ष परिप्रेक्षकों एवं कुल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात 1/20 का ही रहे परन्तु किसी भी मीली में दो से कम कक्ष परिप्रेक्षक न हों।
- परीक्षा केन्द्र पर कार्य करने वाले केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, कक्ष परिप्रेक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को विश्वविद्यालय सचिव, सदर भूमि शासन, द्वारा नियमित दृश्य से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
- केन्द्राध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कृपया उत्तर पुस्तिका/प्रश्न-पत्रों के रख-रखाव हेतु एक रजिस्टर रखें। यह जिम्मेदारी जिस किसी सहायक केन्द्राध्यक्ष को सौंपी जाए उन्हें लिखित निर्देश दिए जाय कि वह उत्तर पुस्तिकाओं/प्रश्न-पत्रों की प्राप्ति और उपयोग को प्रतिदिन नोट करें। केन्द्र-व्यय का रख-रखाव एक पृथक से रजिस्टर/प्रपत्र पर किया जाए जिसमें अग्रिम और जित्य के व्यय का विवरण अंकित किया जाए। इन रजिस्टरों का निरीक्षण भी सातास-सातमय पर विश्वविद्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।
- कक्ष परिप्रेक्षक प्रति पाली विषयवार उपस्थित परीक्षार्थियों का विवरण (नामांकन संख्या, उत्तर पुस्तिका क्रमांक) रजिस्टर में अंकित कर छस्त्राकार करें एवं प्रतिबस्त्राकार केन्द्राध्यक्ष द्वारा करायी जाय।
- सत्रान्त परीक्षा के प्रातः सत्र की उत्तर पुस्तिका उसी दिन सायं एवं सायं सत्र की उत्तर पुस्तिका अगले दिन पूर्वाहन तक परीक्षा नियंत्रक, उ०प्र० राजर्षि टप्पडन मुक्त विश्वविद्यालय, सेक्टर "एफ" शान्तिपुरम् आवास योजना, फाफामऊ, इलाहाबाद-211013 को रॉड घोर्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रेसित कर दिया जाय। इसका अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में परीक्षा केन्द्र को नियंत्रत करने के साथ ही अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही दी जायेगी। प्रेषण से होने वाले अनुमानित व्यय की धनराशि पूर्व में अग्रिम के रूप में परीक्षा केन्द्र को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ख) विशेष परीक्षार्थी/विशेष सुविधा

6. नेत्रहीन परीक्षार्थी के लिए परीक्षा का समय विश्वविद्यालय तीन घण्टे के स्थान पर साढ़े तीन घण्टे कर दिया गया है। नेत्रहीन परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका अन्य परीक्षार्थियों के साथ ही भेजी जाए।
7. (क) किसी भी परीक्षार्थी को कोई विशेष सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती है, जब तक कि कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति उनके सम्बन्ध में न हो। श्रुति लेखक की र्खीकृति प्राप्त होने पर ही इसकी व्यवस्था की जाये।
- (ख) विकलांग परीक्षार्थियों की परीक्षा कक्ष की व्यवस्था भूल पर ही की जाय।

(ग) परीक्षा भवन/कक्ष/आसन व्यवस्था

8. परीक्षार्थियों के सीट की व्यवस्था ऐसी करावें जिससे उन्हें अनुचित साधन प्रयोग करने का अवसर न प्राप्त हो सके।
 - (क) प्रत्येक परीक्षार्थी की सीट पर परीक्षार्थी की नामांकन संख्या आदि का विवरण अंकित होना चाहिए। यदि कोई नुटि हो तो उसका निश्चिरण तत्काल हो जाना चाहिए।
 - (ख) परीक्षार्थियों के बैठने, पानी पिलाने आदि की समुचित व्यवस्था कोच्च पर होनी चाहिए। स्वच्छ एवं शीतल जल की उपलब्धता, कमरे तथा शौचालय आदि की सफाई और प्रकाश आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(घ) प्रश्न-पत्र पैकेटों का रख-रखाव

9. (क) प्रश्न-पत्रों के लिफाफे की जाँच सतर्कता पूर्वक कर लें और यदि किसी लिफाफे की सील दूटी हुई हो अथवा अज्ञान किसी भी प्रकार का सन्देह लिफाफे के सम्बन्ध में हो तो परीक्षा अनुभाग को उसकी सूचना तत्काल दें। इस बीच उस लिफाफे अथवा लिफाफों को दूसरे लिफाफे में रखकर अपनी सील लगा दें। प्रश्न-पत्रों के पैकेटों को विशेष सावधानी के साथ सील बन्द एवं सुरक्षित आलमारी में रखा जाय जिसकी चापी केन्द्राध्यक्ष के पास रहे।
- (ख) प्रश्न पत्र उपलब्धता के सन्देह की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक से बिना वार्ता किये कोई अन्य पैकेट न खोलें।
- (ग) परीक्षा नियंत्रक से बिना अनुमति लिये निकट परीक्षा केन्द्र को प्रश्न पत्र न दिये जाय।

(ङ) उत्तर पुस्तिका मर मुद्र लगाना/विवरण

10. उत्तर पुस्तिका पर केवल केन्द्र की मुद्र लगायी जाए। केन्द्राध्यक्ष को चाहिए कि किसी उत्तर पुस्तिका (अ) तथा (ब) पर अपने हस्ताक्षर की सील इत्यादि न लगाये। निर्धारित Verification form पर सभी प्रविष्टियाँ छात्र एवं कक्ष पुरिप्रेक्षक द्वारा भरकर हस्ताक्षर कर दी जाए।
11. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिदिन प्रति पाली के क्रमानुसार ही प्रत्येक कक्ष में भेजना है। उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण भी परीक्षार्थियों को यथा सम्बन्धित क्रमानुसार ही करना है। यदि किसी कारण से किसी क्रमांक की उत्तर पुस्तिका को निरस्त करा दी जाए तो कास्मों का उल्लेख करते हुये निरस्त उत्तर पुस्तिका को कुलसंचिव/परीक्षा नियंत्रक के साथ सील दूटी हुई लिफाफे में भेज दिया जाए। परीक्षाधरात् समर्जन प्रयुक्ति एवं निरस्त उत्तर पुस्तिकाओं का क्रमानुसार विस्तृत विवरण कुलसंचिव/परीक्षा नियंत्रक के पास सीलबद्ध लिफाफे में भेजा जाए।
12. (क) परीक्षार्थियों को निर्देश दे कि वे उत्तर पुस्तिकाओं के दोनों तरफ प्रश्नों का उत्तर लिखें। यदि किसी पृष्ठ पर परीक्षार्थी द्वारा रफ किया गया हो तो उसे उत्तर पुस्तिका जमा करने

के पूर्व वह स्वयं काट दे जिसका मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका का कोई पृष्ठ अथवा भाग परीक्षार्थी द्वारा फाड़ा नहीं जाना चाहिए। यदि कोई परीक्षार्थी किसी लिखे उत्तर से काटना चाहे तो वह ऐसा (X) करके काट सकता है।

(ख) यदि किसी परीक्षार्थी ने "व" उत्तर पुस्तिका का प्रयोग "अ" उत्तर पुस्तिका के साथ किया है उसे निर्देश दिया जाये कि दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ मजबूती से धारे से बांध दें। इनकी जांच-पत्र (Verification) पर अवश्य कर दिया जाय।

(च) परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों का प्रवेश/अनुचित साधन प्रयोग पर प्रभावी रोक

- 13 (क) परीक्षा भवन का द्वार प्रथम दिन परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले मिनट पूर्व खोला जाए।
- (ख) पूर्णतया पारदर्शी एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराई जाए।
- (ग) परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पहले से ही सम्बंधित शिक्षक/कर्मचारी एवं उस पाली के परीक्षार्थियों के अलावा अन्य कोई छात्र या व्यक्ति केन्द्र परिसर में न रहे। इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। प्रत्येक पाली में परीक्षार्थियों की समुचित तलाशी गेट पर लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये और परीक्षा कक्षों में कम से कम प्रथम घण्टे के अन्दर दो बार यह घोषित किया जाये कि नकल करते हुए यदि छात्र पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्रवाई होगी।
- (घ) परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम रखना केन्द्रायकों की नेतृत्व एवं विधिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में उनको ही नेतृत्व करना है।
- (इ) परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा भवन (अर्थात् परीक्षा भवन के मुख्य द्वार के अन्दर) में कोई लिखी चिठ्ठी, पुस्तक, वनोदस, नलाने पाने, परीक्षार्थी प्रश्न-पत्रों के पाल होने के पूर्व अपने डेस्क भी देख लें कि उसके अन्दर कोई अवैध सामग्री न रहे। यदि कोई ऐसी सामग्री परीक्षार्थी के पास पायी जायेगी तो उसका अर्थ यह रुमझा जायेगा कि वह नकल कर रहा था अथवा करने का प्रयास कर रहा था। प्रतिप्रेक्षक पत्रिदिन प्रश्न-पत्रों के विवरण के पूर्व परीक्षार्थियों को इस सन्दर्भ में सर्वकर्तव्य कर दें।
- (ज) परीक्षा हाल में नकल मा नकल की चेष्टा : पुस्तक/पुस्तकों छायाप्रति, काराज और अन्य नकल सामग्री, (परिचय पत्र, रुमाल, परिधान, पटरी, ज्यामिती डिव्या, हथेली या शरीर के कान्य किसी भाग आदि पर लिखित सामग्री) संगणक-याददाशलक सहित (जब लक प्रश्न पत्र में विशेष रूप से अनुसति न दी गयी हो), हेडफोन/मोबाइल/सेल फोन न ले जाने दिया जाय।
- (झ) उत्तर पुस्तिका में संकेत : उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र से असम्बद्ध लिखित सामग्री संथान-अनुक्रमांक/फोन सामग्री, नलाने (जोसे-जय माला दी), मिळालिना प्रकार के फलम और रोगों की स्थानी, मिळालिना गरीकों से ऐक्यकर्ता (अण्डरलाइनिंग), जोसे-दो या तीन लाइनों को साझा/विशेष प्रकार की सजावट आदि।
- (ञ) परीक्षा जब तक चल रही हो उस दौरान कोई भी परीक्षार्थी पुस्तक, नोट्स अथवा किसी प्रकार की अनाधिकृत सामग्री लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करने पावे। परीक्षार्थी से किसी भी सन्दर्भ में (याहे प्रश्न-पत्र में मुश्यम की त्रुटि आदि से सम्बंधित ही क्षयों न हो) कोई वार्ता परीक्षा कक्ष में न की जाए।
- (झ) केन्द्र पर लड़ाकाइल के महुंचने पर उनका सहयोग किया जाए और सफल परीक्षा संचालन में उनसे सहयोग लिया जाए।

- (अ) परीक्षा के दौरान उड़ाकादल/कक्ष परिप्रेक्षक/केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी के पास से पकड़े गये अवैध सामग्री पर पकड़ने वाले व्यक्ति को हस्ताक्षर आवश्यक हो, जिसे केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना है। साथी ही अवैध सामग्री पर सामन्यतः परीक्षार्थी को भी हस्ताक्षर करायें। यदि परीक्षार्थी हस्ताक्षर करने से मता करता है तो उन्हें इस तथ्य को अपनी रिपोर्ट में इन्डिकेट कर दें।
- (ब) अनुचित साधन प्रयोग से सामन्धी उत्तर पुरितकाएं उसी दिन सायं एवं सांयं सत्र की उत्तर पुरितकाएं अगले दिन पूर्वाहन परीक्षा नियंत्रक के नाम स्पीड पोर्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के साथम से अलग पैकेट में रखकर अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिये जाय तथा पैकेट के ऊपर पाठ्यक्रम कोड के साथ UFM चल्लेख किये जाय।
- (च) किसी परीक्षार्थी के पास प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र होने एवं परीक्षा केन्द्र पर सीटिंग प्लान में नाम न होने पर परीक्षा से बंचित न किया जाय।
- (द) किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र के फोटो एवं परिचय पत्र से मिलान न होने पर परीक्षा में नाम समिलित न करायें।
- (३) (३) परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट तक यदि कोई शिक्षार्थी उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा से बंचित न किया जाय।
- (४) किसी परीक्षार्थी के पास प्रवेश पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में विना परीक्षा नियंत्रक से अनुमति लिये परीक्षा न दिलायें।
- (५) किसी भी परीक्षार्थी को दिना कारण समय से छूट द्वा अलिंगित समय न दें।
14. किसी कोई परीक्षार्थी विना प्रवेश पत्र के परीक्षा में समिलित होना चाहता है और आप संतुष्ट हैं कि वह वार्तव में वही परीक्षार्थी है तो आप उसे उस दिन की परीक्षा में समिलित होने की अनुमति परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध जाँच-पत्र से मिलान करके प्रदान कर सकते हैं।
15. यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र परीक्षा के बीच में गायब हो जाता है तो उससे ₹0.50 मात्र शुल्क तथा आवेदन-पत्र लेकर प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रति द दें तथा प्राप्त धनराशि विश्वविद्यालय में जमा करा दे।
16. प्रश्न-पत्र दिवरण हो जाने पर किसी भी परीक्षार्थी को एक घण्टे के पहले उच्च उत्तर पुरितका जमा कर अन्तिम रूप से परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति न दी जाए।
17. परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के नियंत्रण में रहेंगे और परीक्षार्थियों का कर्तव्य होगा कि केन्द्राध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिप्रेक्षकों के प्रत्येक निर्देश का मालान करें। यदि कोई परीक्षार्थी निर्देश की अव्योलना (अव्यवहार) अभद्र व्यवहार करता हो तो केन्द्राध्यक्ष को अधिकार है कि उस उपरीक्षार्थी को परीक्षा से बहिष्कृत कर सकते हैं। ऐसे विषयों पर पूरी रिपोर्ट सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ विश्वविद्यालय को भेजना आवश्यक है और उसी के आधार पर आपराध की गम्भीरता को वेखते हुये परीक्षार्थी के विरुद्ध ज्ञानी परीक्षा उदाद करने अथवा आवश्यक कार्यवाही जो भी उन्हिंने होयी परीक्षा समिति के निर्णयानुसार की जायेगी।
18. अगर कोई परीक्षार्थी उत्तर पुरितका साथ लेकर भाग जाता है तो पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट (FIR) पास के थाने में लिखित दे दें तथा उसकी एक प्रति कुलसविव/परीक्षा नियंत्रक को भी उन्हें परीक्षार्थी का नाम, मता तथा अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, तिथि, सीटिंग तथा सम्बन्धित प्रश्न-पत्र का विवरण "FIR" में अवश्य लिखें।

19. यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन प्रयोग करता हुआ तथा प्रयास करता हुआ प्रकड़ा जाय तो ऐसे परीक्षार्थी को दूसरी उत्तर पुस्तिका देकर प्रश्नों को हल करने एवं परीक्षा देने दिया जाए। उत्तर पुस्तिकाओं पर निम्नावत मुहर लगायी जाए।

(क) अनुचित साधन प्रयोग

(ख) नवीन उत्तर पुस्तिका

केन्द्राध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि प्रपत्र प-३ पर अनुचित साधन का विस्तृत विवरण अंकित तथा प्रमाणित करने का कष्ट करें।

(छ) प्रश्न-पत्र खोलना/वितरण

20. प्रश्न-पत्र के लिफाफे खोलने में अनावश्यक जल्दीबाजी न करें। विषय, प्रश्न-पत्र सकेतांक, तिथि, सत्र भिलाकर संतुष्ट होने पर ही प्रश्न-पत्र पैकेट काठें ताकि भूलचूक की गुजाइश कदापि न रहे। इस प्रकार प्रश्न-पत्र खोलने से पूर्व भली भौंति सुनिश्चित कर लें कि उसी दिन होने वाला प्रश्न-पत्र खोला जा रहा है।

21. प्रश्न-पत्रों के लिफाफे, परीक्षा भवन के कक्ष में, कम से कम दो परिप्रेक्षकों के समक्ष खोले जाएं। केन्द्राध्यक्ष तथा साक्षी परिप्रेक्षक अपने स्पष्ट हस्ताक्षर पद के साथ लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर करें। इस बात का ध्यान रखें कि लिफाफे की सील अन्त तक न ढूटें। प्रश्न-पत्र के वितरण के पूर्व लिफाफे के प्रश्न-पत्रों की गिनती करा के देख लें कि उनकी संख्या उतनी ही है जितनी लिफाफे के ऊपर अंकित है तथा प्रश्न पत्र को पढ़ के देख लें कि यह वही प्रश्न-पत्र है। विसंगति गिलने पर सूचित करें।

22. प्रश्न-पत्रों के वितरण होने के बाद परिप्रेक्षकों के माध्यम से निश्चित कर लें कि सभी परीक्षार्थियों को सही प्रश्न-पत्र प्राप्त हो गये हैं। यह अल्पता आवश्यक है।

23. यदि किसी अभ्यर्थी के लिए किंची कारणों से प्रश्न-पत्र कम हो जाये तो उसे प्रश्न-पत्र की सहायता से लिख दिया जाए और जितना समय उस कार्यवाही में नह्य हो उतना समय अभ्यर्थी को दे दिया जाय। इस कार्यवाही की सूचना तुरन्त दी जाए।

(ज) कक्ष परिप्रेक्षक कार्य

24. कक्ष परिप्रेक्षकों के लिए तिर्वेश अलगा से भेजे जा रहे हैं।

(ज) परीक्षा प्रपत्र प-१, प-२, प-३, प-४, प-५, प-६, प-७, प-८, प-९ का प्रेषण

25. सभी प्रपत्रों को सावधानी से अध्ययन कर लिया जाए और यथा समय उस पर प्रविष्ट अंकित कर, पैकेटों के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को परीक्षा समाप्ति की तिथि से एक हफ्ते के अन्दर एक साथ सुव्यवस्थित पूर्व कमवङ्ग तिथियों के अनुसार पंजीकृत डाक से अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाए। पैकेटों पर प्रपत्र का उल्लिख चरण कर दिया जाय।

(ट) उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन/पैकेट बनाना/हस्तान्तरण

26. (क) कक्ष परिप्रेक्षक से उत्तर पुस्तिका वापस लेते समय/उत्तर पुस्तिका के पैकेट बनाते समय सावधानी आवश्यक है। प्रत्येक प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्त होते ही उत्तर पुस्तिकाएं एकत्र करके रोल नाम्बर के क्रमानुसार लगाती जायें।

प्रत्येक प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को अलग-अलग पहले कागज में लपेट कर सुतली से बंधवा कर सील करवें तत्पश्चात लिफाफे में अथवा वैपदे में सिलवाकर पुनः सील

करावें और यदि पैकेट छोटे हैं तो उन्हें क्लाइ लाइन्ड लिफाफे में रखकर सील करावें। पैकेट में प्रपत्र प-८ अवश्य रखें।

- (ए) इस वर्ष प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं (अ) का प्रयोग यथा समवृक्षानुसार करेंगे तथा गत वर्ष प्रेषित सभी पुरानी उत्तर-पुस्तिकाओं को किसी भी कारण से केन्द्र पर न रोका जाय।

- (ग) प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका कोरियर व रेलवे पार्सल से न भेजी जाय।

- परीक्षा समाप्त होने के आधे घण्टे के अन्दर ही समस्त प्रयुक्ता लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को उसी दिन सीलबन्द किया जाए।
 - यूएफोएम० और यूसी०ओ० (अप्टर कोर्ट आर्डर) की उत्तर पुस्तिकायें अलग—अलग पैकेट में सील की जायें एवं पैकेट पर तत्सम्बन्धी विवरण अंकित कर दिशविद्यालय भेजवाया जाये।
 - उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर अधेलिखित प्रारूप के विवरण के अतिरिक्त कुछ न लिख जाय।

परीक्षा केन्द्र का नाम

परीक्षा केन्द्र संख्या

विषय/प्रश्न-पत्र

यदि एक संकेतांक में	दिनांक/सत्र	संकेतांक
एक ही पैकेट बना है		
तो उत्तर पुस्तिका स०		
के नीचे "केवल एक"		
अकित किया जाय		
यदि एक संकेतांक में		
दो या अधिक पैकेट		
बनाये गये हैं तो उत्तर		
पुस्तिका स० के नीचे	उ०पु० संख्या	
रोमन अंकों में I, II,		
III आदि लिखा जाय।		

यदि पैकेट अनुचित साधन
प्रयोग या न्यायालय आदेश
का है तो ये शब्द उत्तर
पुस्तिका सं० के नीचे
अंकित किया जाय।

पैकेट क्रमांक

- (ठ) परीक्षा केंद्र पर अन्तिम दिवस की परीक्षा समाप्त हो जाने पर

30. सन्युर्ण परीक्षा समाप्त होने पर बचे हुए प्रश्न-पत्र, प्रश्न-पत्रों के लिफार्फ, प्रपत्र तथा अन्य परीक्षा सामग्रियाँ जाक द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को प्रेसित किये जायें।

31. पाँच-पत्र प-4, प-6, प-7 प्रमत्र एवं शेष सादी उत्तर पुस्तिकारैं परीक्षा समाप्ति पर क्रमबद्ध करके विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यालय को एक हफ्ते के अन्दर अनिवार्य रूप से अवश्य भेजा जाए। इसके अपाव में परीक्षाफल प्रकाशन बाधित होगा एवं परीक्षा देयक का भुगतान परित करना समाव नहीं होगा।

32. कन्टिजेन्ट व्यय का विल प्रपत्र-5 पर सभी रसीदों के साथ परीक्षा समाप्त हो जाने पर भेजें। इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक मद पर कम से कम व्यय हो। प्रत्येक व्यय का मूल भुगतान वापर्चर संतुल होना आवश्यक है। प्रपत्र-8 एवं 9 में कोन्फ्रैक्स/सहायक केमिस्ट्री/कम्प परिपेक्षकों आड़ि से सावधिल रागी मूल वेष्यक परीक्षा समाप्ति के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से भेजें।

33. परीक्षा सामाप्त होने पर परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजें।
34. सम्पूर्ण परीक्षा के उपरान्त बच्ची हुई उत्तर पुस्तिकाओं को प्रपत्र प-2 में अंकित करते हुए विश्वविद्यालय को वापस किया जाना है।
35. परीक्षा के सफल एवं समुचित संचालन में जिला प्रशासन/पुलिस की सहायता प्राप्त करें।
36. वास्तविक कन्टिजेन्ट व्यय अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत व्यक्तियों को निम्नलिखित दर से पारिश्रमिक अनुमत्य होगा:—
- (1) केन्द्राध्यक्ष
 - (2) सहायक केन्द्राध्यक्ष
 - (3) कक्ष परिप्रेक्षक
 - (4) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन में लगाये गये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के लिए देय
 - (5) दाटर मैन
 - (6) रखच्छता कर्मी
- रु0 105/- प्रति पाली
 - रु0 100/- प्रति पाली
 - रु0 90/- प्रति पाली
 - रु0 8/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी अथवा न्यूनतम रु0 800/- एवं अधिकतम रु0 15000/-
 - रु0 15/- प्रति पाली
 - रु0 15/- प्रति पाली


परीक्षा नियंत्रक

- शरत्रे असर्वे पाये जायें तो उनको दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डित करने की व्यवस्था की जाए।

- 6-परीक्षा क्रमानुसार के दरवाजे अथवा गैर में लाता या लगाया जाये तथा उन्हें खुलते रखा जाय।

- 7-केन्द्राध्यक्षों को चाहिये कि वे उन सभी परीक्षार्थियों की एक सूची तथा विश्वविद्यालय को अवश्य भेजें जो किसी अध्यापक/लिपिक/प्राचार्य/प्राचार्या अथवा प्रबन्ध समिति के सदस्य के सम्बन्धी हों और उनके केन्द्र से संस्थागत/व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों।

सहायक केन्द्राध्यक्ष-

- 8-परीक्षार्थी सूचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु केन्द्राध्यक्ष निम्नलिखित विवरणानुसार एक पाली में पंजीकृत परीक्षार्थियों के अनुसार सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति कर सकते हैं:

परीक्षार्थी संख्या 001 से 100 तक पर एक

परीक्षार्थी संख्या 100 से 300 तक पर दो

परीक्षार्थी संख्या 300 से 500 तक पर तीन

परीक्षार्थी संख्या 500 से अधिक पर चार अधिकतम्।

सहायक केन्द्राध्यक्ष उसी विद्यालय के अध्यापक होने चाहिये, जिन्हें वारिष्ठता के अनुसार नियुक्त किया जाये।

कक्ष-निरीक्षक / सहायक कक्ष-निरीक्षक

- 9-(क) प्रत्येक 20 छात्रों के लिये एक कक्ष-निरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी परन्तु किसी भी एक कक्ष में दो से कम कक्ष-निरीक्षक नहीं रहेंगे।

(ख) सहायक कक्ष-निरीक्षक को आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है-

परीक्षार्थी संख्या 001 से 100 तक पर एक

परीक्षार्थी संख्या 100 से 300 तक पर दो

परीक्षार्थी संख्या 300 से 500 तक पर तीन

परीक्षार्थी संख्या 500 से अधिक पर चार अधिकतम्।

(ग) जिन अध्यापकों की ड्यूटी कक्ष-निरीक्षक के रूप में लगायी जाये उनके पास फाटा युक्त परिचय-फर्म, जिनमें नाम, महाविद्यालय का नाम, पढ़ाये जाने वाले विषय का नाम एवं शैक्षिक योग्यता आदि का पूर्ण विवरण अंकित हो, का होना अनिवार्य है।

(घ) केन्द्राध्यक्षों को चाहिये कि ऐसे अध्यापकों को जो विश्वविद्यालय को परीक्षा समिलित हो रहे हों, कदापि कक्ष-निरीक्षक नियुक्त न करें, चाहे उसके प्रश्नपत्र के परीक्षा समाप्त ही वर्षों न हो गयी हो।

आन्तरिक उड़नदस्ते का गठन (आवश्यकता पड़ने पर)-

- आन्तरिक उड़नदस्ता की व्यवस्था निम्नलिखित विवरणानुसार अनुमत्य होगी-

- प्रति पाली में बास्तविक छात्र संख्या 50 तक पर कोई उड़नदस्ता नहीं होगा।

- प्रति पाली में बास्तविक छात्र संख्या 51 से 100 तक 01 उड़नदस्ता 02 सदस्यीय।

- प्रति पाली में बास्तविक छात्र संख्या 101 से 500 तक के लिये 02 उड़नदस्ता प्रत्यक्ष 02 सदस्यीय।

- प्रति पाली में बास्तविक छात्र संख्या 501 से अधिक होने पर 03 उड़नदस्ता 02 सदस्यीय (अधिकतम्) अनुमत्य है।

तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-

- 10-(क) तृतीय कार्य हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार प्रति पाली में पंजीकृत परीक्षार्थियों के अनुसार लिपिक की नियुक्ति कर सकते हैं:-

परीक्षार्थी संख्या 001 से 150 तक पर एक

परीक्षार्थी संख्या 151 से 300 तक पर दो

परीक्षार्थी संख्या 300 से अधिक पर तीन
(ल) परीक्षा कर्त्ता हेतु निमालिखित पंजाबकृत परीक्षार्थीयों के अनुसार दर्जताएँ, जो परीक्षा
स्थानकार की नियुक्ति कर सकते हैं :-

- परीक्षार्थी संख्या 001 से 500 तक पर एक
- परीक्षार्थी संख्या 501 से 1500 तक पर दो
- परीक्षार्थी संख्या 1500 से अधिक पर तीन
- (ग) परीक्षा अवधि में 02 जल वाहक प्रति पाली लगाया जाए।
- (घ) परीक्षा अवधि में 01 इलेक्ट्रिशिपन प्रति पाली लगाया जाए।
- (घ) परीक्षा अवधि में घपरासी 40 पर 01 लगाए जाए।

मार्ग रक्कम निरीक्षक-

11—‘परीक्षा—केन्द्र से परीक्षोपरान्त रील लिखित उत्तर—पुस्तिकाओं / ओ.एम.आर. रूपलल
पण्डित प्रत्येक दशा में उसी दिन ही नोडल सेन्टर में जमा कर दिये जायें। जिन परीक्षार्थीयों
हेतु नोडल सेन्टर की व्यवस्था नहीं की गयी है वह केन्द्र रील, लिखित उत्तर—पुस्तिकाओं को
एनआर शीट के बाण्डल प्रत्येक दूसरे दिन विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

मार्ग रक्कम निरीक्षक की नियुक्ति लिपिक बर्म में से जहाँ तक समय ही वाले अब
बण्डल वाहक द्वारा विश्वविद्यालय / नोडल सेन्टर ने जाते समय तारतो में गिर न जाये तभी
लिये बण्डल वाहकों को सातर्क कर दिया जाये।

12—केन्द्र पर सुरक्षा कार्य के लिये वहाँ पर कार्य करने वाले वौकीदार एवं अनुचरण का
कार्य लेना चाहिये यदि उसके उपरान्त भी आवश्यकता हो तो पुलिस की सहायता लेनी चाहिये।

13—किसी प्रश्नपत्र के लिये अधिकतम आधा घंटा तक दर से आने वाले परीक्षार्थीयों का
यदि केन्द्राध्यक्ष उचित समझे तो परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं तथा ऐसे परीक्षार्थीयों
का विवरण तैयार करना चाहिये, जिसमें परीक्षार्थीयों का नाम, अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र और अन्य का
समय होना चाहिये, परन्तु आधे घंटे से अधिक दर से आने वाले परीक्षार्थीयों को परीक्षा में बैठने
की अनुमति कदाचि न दी जाये।

14—कला—निरीक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस बात की जांच भली-सीरी बर उ
कि प्रत्येक परीक्षार्थी ने अपनी उत्तर—पुस्तिका के आवरण—पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक लाही लही
(जो उसके प्रवेश—पत्र पर अंकित है) लिखा है इसके लिये परीक्षार्थी को निर्देशित कर देना
चाहिये कि वे उत्तर—पुस्तिका जमा करते समय उसके आवरण पृष्ठ पर अपने अनुक्रमांक की
जांच कक्ष—निरीक्षक द्वारा अवश्य करा लें। यह अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि अनुक्रमांक अनुक्र
मोने से परीक्षाफल अपूर्ण रह जाते हैं तथा उनको पूर्ण करना कठिन ही नहीं आयितु अपेक्षा राह
ही जाता है, अतः निरीक्षक का ध्यान इस दायित्व की ओर विशेष रूप से आकर्षित रिक्त जाता
है।

15—कला—निरीक्षकों को चाहिये कि परीक्षा समय की समाप्ति के पांच मिनट पूर्व परीक्षा
कक्ष के द्वारा बन्द बर लें और जब तक उत्तर—पुस्तिका का हिसाब न मिल जाये परीक्षार्थी वे
बाहर न निकलने दें।

16—यदि किसी हाल या बड़े कमरे को अस्थायी रूप से पर्दे या काढ़ के बरी के द्वारा
कई भागों में विभक्त कर दिया गया है तो परीक्षा के समय उसे हटा लेना चाहिये, जिससे कम
से कम निरीक्षकों की आवश्यकता पड़े।

17—यदि कमरों में श्यामपट्ट दीवार पर लगा हो अथवा पृथक से श्यामपट्ट को व्यवस्था
हो तो उसे यिकनी मिट्टी से पोत दिया जाये। निरीक्षकों को निर्देश दे दिया जाये कि प्रत्येक
दिन परीक्षा विषय, दिनांक, कुल उपस्थित छात्रों की संख्या तथा कक्ष—निरीक्षकों का नाम परीक्षा
कक्ष के बाहर कागज पर अंकित करके दीवार पर चर्चा कर दें।

18—प्रतिदिन परीक्षा आरंभ होने से पहले कमरे को राफाइ कर देनी चाहिये, जिससे
कमरे में कोई कागज पड़ा न रह जाये। कमरे में नक्शे, चित्र, ड्राइंग आदि सजावट को राफ

नटी भोजन सभा

३.५ विभागित लायों के लिए ब्रैडिकॉर्ट तथा ब्रैडिपार्ट
लायों के लिए परीक्षा खंडनत पारिश्रमिक वी दें।

क्रमांक	पद	दर (रुपय में)
1	2	3
1.	परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक (क) कक्ष निरीक्षक (ख) सहायक केन्द्राध्यक्ष (ग) केन्द्राध्यक्ष	90.00 प्रति पाली 100.00 प्रति पाली 105.00 प्रति पाली
2.	केन्द्र व्यय (सेन्टर चार्जेज) (क) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कमचारी (ख) वाटर मैन (ग) सफाई कर्मी	8/- प्रति परीक्षाथी न्यूनतम रु. 800 तथा अधिकतम रु. 15000/- रु. 15/- प्रति पाली रु. 15/- प्रतिपाली
3.	प्रायोगिक परीक्षा (क) प्रयोगशाला सहायक (प्रतिदिन) (ख) प्रयोगशाला परिचर	23.00 15.00
4.	उड़नदस्ते के सदस्यों का पारिश्रमिक (क) प्रतिसदस्य (प्रतिदिन आतंरिक) (ख) प्रतिसदस्य (प्रतिदिन बाहर जाने पर)	90.00 90.00 तथा वि.वि. के नियमानुसार प्रायोगिक व्यय
5.	प्रायोगिक परीक्षा (क) स्नातक/बी.एड. (प्रति छात्र) (न्यूनतम में) (ख) स्नातकोत्तर (प्रति छात्र) (न्यूनतम में)	12.00 450.00 18.00 600.00
6.	लघु शाध मूल्यांकन (प्रत्येक)	60.00

राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों को परीक्षा संबंधी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण

शासनादेश संख्या-306/सत्तर-1-2011-15(32)/81 दिनांक 29 मार्च, 2011 का संलग्नक :-

क्रमांक	वर्ग	वर्तमान दर (रुपये में)	पुनरीक्षित दर (रुपये में)	
01	परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक	3	4	
	(1) कक्ष निरीक्षक	60.00	90.00	
	(2) सहायक केन्द्राध्यक्ष	65.00	100.00	
	(3) केन्द्राध्यक्ष	70.00	105.00	
02	केन्द्र व्यवस्था (सेन्टर-चार्जेज)	(1) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रति परीक्षार्थी)	5.00	8.00
03	प्रायोगिक परीक्षा	(1) प्रयोगशाला सहायक (प्रतिदिन)	15.00	23.00
	(2) प्रयोगशाला परिचर	10.00	15.00	
04	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	(1) स्नातक (प्रति पुस्तिका)	10.00	15.00
	(2) परास्नातक (प्रति पुस्तिका)	12.00	18.00	
05	प्रश्न पत्र बनाना	(1) स्नातक	400.00	600.00
	(2) परास्नातक	600.00	900.00	
06	उड़नदस्तों के सदस्यों का पारिश्रमिक	(1) प्रति सदस्य (प्रतिदिन आंतरिक)	60.00	90.00
	(2) प्रति सदस्य (प्रतिदिन बाहर जाने पर)	60.00	90.00	
07	पी.एच.डी./डी.लिट. की थिसिस पढ़ने व भौखिक परीक्षण	तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रासंगिक व्यय	तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रासंगिक व्यय	
	(1) पी.एच.डी. (थिसिस पढ़ना)	500.00	750.00	
	(2) पी.एच.डी. (भौखिक परीक्षण)	400.00	600.00	
	(3) डी.लिट. (थिसिस पढ़ना)	700.00	1050.00	
	(4) डी.लिट. (थिसिस भौखिक परीक्षण)	500.00	750.00	
08	प्रायोगिक परीक्षा			
	(1) स्नातक/बी.एड. (प्रति छात्र) (न्यूनतम)	8.00	12.00	
	(2) स्नातकोत्तर (प्रतिछात्र) (न्यूनतम)	300.00	450.00	
09	लघु शोध मूल्यांकन (प्रत्येक)	12.00	18.00	
		400.00	600.00	
		40.00	60.00	

Chanchal
(अवनीश कुमार अवस्थी)

सचिव

उ.प्र. राजसी टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ" फाफामऊ,
इलाहाबाद

संघर्षनं ०९

डॉ. पी.पी. दुबे
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक: ओ.यू./परीक्षा(गो.)/४७९५/२०१५

दिनांक ०२-०७-२०१५

सेवा में

प्राचार्य/समन्वयक,
छत्रधारी महाविद्यालय,
चन्दौली

विषय: - परीक्षा जून 2015 की उत्तरपुस्तिका (प्रयुक्त) विलम्ब से प्रेषित करने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचित करना है कि सत्रांत परीक्षायें जून 2015 हेतु आपके अध्ययन केन्द्र को परीक्षा
केन्द्र बनाया गया था। जैसा कि आप अवगत हैं कि परीक्षायें दिनांक 26-05-2015 से
प्रारम्भ हुई थीं। आपके केन्द्र पर परीक्षायें सम्पन्न कराई गयी, किन्तु स्पष्ट निर्देशों के बावजूद
भी आपके केन्द्र द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें विश्वविद्यालय को सम्यान्तर्गत नहीं भेजी गईं।
आप द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 24-06-2015 को प्रेषित प्रमुक्त उत्तर
पुस्तिकाओं के 06 बण्डल विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए हैं (बण्डलों पर चस्पा स्पीड पोस्ट
रसीद के अनुसार)। अस्तु स्पष्ट है कि प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका प्रेषण सम्बन्धी निर्देशों का
आपके परीक्षायें केन्द्र द्वारा सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार की अवहेलना के
लिए केन्द्राध्यक्ष के रूप में आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यह कृत्य निर्देशों का अनुपालन न किया
जाना, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का घोतक/परिचायक है।

सूच्य है कि जून 2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका के प्रेषण सम्यानुसार न किये जाने
के सम्बन्ध में आप एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्ट अग्रिमत प्राप्त कराये, अन्यथा को
रिखिति में अनुशंसनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं
उत्तरदायी होगें।

भवदीपं

डॉ. (पी.पी.दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

125
C. L. S. & H. Co.
U.S. Steel Corp.
Union Carbide
Kodak
Pfizer
Dow
DuPont
Monsanto
FMC
Guthrie, 125, 126, 127
H. J. Heinz, 125, 126, 127

W

उ.प्र. राजधै टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ" फाकामऊ,

डॉ. पी. पी. दुबे
परीक्षा नियंत्रक

इलाहाबाद

पत्रांक: ओ.यू./परीक्षा(गो.)/4834/2015

दिनांक 07-07-2015

सेवा में

प्राचार्य/समन्वयक,
कृष्ण सुदामा संस्थान, कैथी,
वाराणसी।

विषय :- परीक्षा जून 2015 की उत्तरपुस्तिका (प्रयुक्त) विलम्ब से प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परीक्षा जून 2015 की परीक्षा दिनांक 26-05-2015 से प्रारम्भ हुई थी, जिसके अनुसार आप द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराई गयी है। प्रश्न-पत्र PGBCH-02 की परीक्षा दिनांक 24-06-2014 को सम्पन्न हुई है, परन्तु आप द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 01-07-2015 को प्रेषित उत्तर पुस्तिका(प्रयुक्त) के 01 पैकेट/बण्डल प्राप्त हुए हैं, (बण्डलों पर चर्चा स्पीड पोस्ट रसीद के अनुसार), अस्तु स्पष्ट है कि प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका प्रेषण सम्बन्धी निर्देशों की अपेक्षा परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार की अवहेलना के लिए केन्द्राध्यक्ष के रूप में आप खबर जिम्मेदार हैं। आप द्वारा की गयी छात्र/छात्राओं के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का द्योतक/परिचायक है।

सूच्य है कि जून 2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका के प्रेषण समयानुसार न किये जाने के सम्बन्ध में आप एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्ट अभिमत प्राप्त कराये, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

O/c

126

डॉ. (पी. पी. दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय,
परीक्षा नियन्त्रक महोदय,
उ०प्र० राज्यि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्ति पूर्म सेक्टर एफ फाफामजू इलाहाबाद-२११०१३

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा-६ के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी आपके कार्यालय से निम्नलिखित प्रश्नों की सूचना चाहता है जिसका अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क के रूप में भारतीय पोस्टल आर्डर सं० २१६-६४७७८८ दिनांक १२-०२-२०१५ मूल रूप से प्रेषित किया जा रहा है।

प्रश्न-१ प्रशान्त चौधरी पुत्र हरी लाल चौधरी नि० ए/५२० आवास विकास कालोनी उन्नाव जनपद उन्नाव आपके संस्थान से बी०बी०ए० का छात्र सत्र २००९, २०१० रहा था जिसका इच्छालमेन्ट नं०- ९२२६६१०८००८ है क्या वह सभी समेस्टरों की परीक्षा में सामिल रहा था। जिसका परीक्षा केन्द्र सी०टेक टेक्निकल कालेज उन्नाव था।

प्रश्न-२ छात्र प्रशान्त चौधरी को बी०बी०ए० स्नातक २०१३ में जो अंक तालिका उपलब्ध करायी गयी है वह अपूर्ण है और अंक तालिका में बी०बी०ए० १.१ प्रथम समेस्टर यू०जी०आ०ए०स०टी० द्वितीय समेस्टर व बी०बी०ए० २.१, २.२, २.३, २.४ द्वितीय समेस्टर व सी०ए०च०इ०वयू०ई० चतुर्थ समेस्टर व बी०बी०ए० ५.४ पंचम समेस्टर के अंक अंकतालिका में शामिल नहीं है इसलिए अंक तालिका अपूर्ण है अपूर्ण अंक तालिका का क्या कारण है।

प्रश्न-३ छात्र प्रशान्त चौधरी द्वारा अपूर्ण अंक तालिका में सभी समेस्टरों के अंकों को अंक तालिका में प्रविष्ट हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाया है उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? अंक तालिका की छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक - १२-०२-२०१५

प्रार्थी-

विनय मोहन एडवोकेट
पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएसन उन्नाव
कच्छहरी कोर्ट कम्पाउण्ड निकट
पुलिस माल खाना उन्नाव
मो० न०- ७३७६९३८००९

127 विनय मोहन एडवोकेट
उन्नाव
रजिस्ट्र०-२९७६/३५

सेवा में,

श्रीमान परीक्षा नियन्त्रक जन सूचना अधिकारी,
उम्ह ० राजीव टण्डन मुक्त विश्व विधालय
शासीन्तपुरम सेक्टर सफ़्-फालामज, इलाहाबाद।
बिषय:- सूचना अधिकारी उम्ह ० २००५ के साथ अंकतालिका उपलब्ध
कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्राधीन की नियन्त्रित सूचना न अंगत्र उपलब्ध कराये जाये।
प्राधीन ने वीपरिसंसरणी० कालेज कानपुर से ग्रधयन केन्द्र से यू०३०१०-१, य०३०१०३०१०-२, य०३०१०४०१०-३ की परीक्षा वीपरिसं
सरणी० ग्रधयन केन्द्र कानपुर से परीक्षा में सीमांतर होकर दी थी जो
वर्ष जून २०१३ में सम्पन्न हुई। परीक्षाका जाने पर केवल य०३०१०४०१०-१
के अंकों की अंकतालिका प्राधीन को उपलब्ध करायी थी। दी गई परीक्षा
य०३०१०४०१०-२ व य०३०१०४०१०-३ के प्राप्त अंकों की अंकतालिका
उपलब्ध नहीं कराई गयी। जिससे प्राधीन के साथ अन्याय हो जाए है और
प्राधीन सम्पूर्ण अंकतालिका उपलब्ध न होने के कारण फिरी तेवा में
आवेदन हेतु आवेदन करने में ग्रामदां हो जाए है। प्राधीन ने वीपरिसंसरणी०
ग्रधयन केन्द्र कानपुर में सम्पूर्ण अंकतालिका के लिये आवेदन दिया था। से
आठ्या सम्पूर्ण अंकों की अंकतालिका न प्राप्त होने की दी गई। उसके बाद
प्राधीन स्थवं परीक्षा नियन्त्रक के घटां पाकर उपस्थित होकर सम्पूर्ण अंक
तालिका य०३०१०४०१०-२ व य०३०१०४०१०-३ के प्राप्त अंकों की अंकतालिका
प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया १०-१०-१४ बादहू १४-१०-१४ को दिया लेकिन
अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और न सम्पूर्ण अंकतालिका उपलब्ध
हुई। मन्दबूर होकर प्राधीन सूचना अधिकारी अधीनियम के तहत य०३०१०
४०१०-२ व य०३०१०४०१०-३ के साथ प्राप्त सम्पूर्ण अंकतालिका प्राप्त
है जो उसे अधिकारी उपलब्ध कराई जाय। ताकि उसका भावितव्य बन्धकारमय
न हो। प्राधीन आवेदन के साथ पोस्टल आईर सूचना प्राप्त करने हेतु व अंक
तालिका प्राप्त करने हेतु १०/-, १०/- कीमत के संलग्न कर रहा है और
प्राधीनापत्रों की छायाप्रतियां भी संलग्न कर रहा है।

दिनांक: - ११-११-२०१४

लंगनक:

- ✓ १-०४०५। पोस्टल आईर सं-२३८७६९२५ प्राधीन कुमार सिंह, प्राधीन
- ✓ २-०४०५। पोस्टल आईर सं-२३८७६९२५ राधीपकुमार रात्ह पुत्र बीरेच्छा सिंह
- ✓ ३- अध्ययनकेन्द्र में दिसग्रप्राप्ति छोड़- य०३०१०४०१०४०१०
- ✓ ४- परीक्षा नियन्त्रक को दिसग्र प्राप्ति छायाप्रति- ग्राम कुर्कलपुर (कुर्कलपुर)
- ✓ ५- परीक्षा में उपीचीत पंजिका की छायाप्रति। जनपद फर्रुखाबाद २०९७२४
- ✓ ६- अंक पत्र नं. २०१५-३११५१२४। मो००८०-१११५०७७५

१५-११-१४ को साझा
15-11-14
15-11-14

वासे-

पट्टिया नियुक्ति क्र

उम्प्र० राजस्थान सुन्त विं विं
इलाइबाह

विधम - अंकपत्र छुधार AOCOM -
पत्राक - 2010 - 2013

10. 06. 2013

महोदय -

एविनय नीवेल है कि मैं राजस्थान
B.COM-III ENR No - 021141020013
पत्राक 2010 - 2013 की अंक प्रमाण पत्र
में AOCOM का अंक नहीं चढ़ पाया है।
अतः आप से एविनय नीवेल है कि मेरी
अंक प्रमाण पत्र में छुधार करने के
कुप्पा करें -

प्रार्थी

राजस्थान

ENR No - 021141020013

केंद्र - कानून S/114

बुजुल सुखाना पी० डी० पॉलिज

भरपाला सावार गाड़िकु

मो. नं ७५०६४६४३९३
९००८

R.P द्वारा दिलाई गई है

24/03/2015

AOCOM -

पट्टि से अपार्श्व है

कुल ३०५७ से अंक स्ट्रेप्ट का २१७।

कोड 161111

24/03/15

श्री कृष्ण वाला

मार्च 2015

राजसी फॉर्म - 11

DETAILED ESTIMATE FOR
PROPOSED CONSTRUCTION OF R.C.C. GATE
AT RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSIRY PHAPHAMAU - ALLAHABAD

FORM - J

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	AMOUNT(Rs.)
1.	COST OF WORK	1118728. 16
2.	LESS 5.0 % DUE TO WORK DONE BY DEPARTMENT	55936. 41
	TOTAL (A)	1062791. 75
3.	ADD 12.50 % FOR CENTAGE CHARGES	132848. 97
4	COST OF LABOUR CESS @ 1.0% ON TOTAL (A)	10627. 92
	G. TOTAL	1206268. 64

Say Rs. 12.06 Lacs.

J.E.

R.Kashyap
PROJECT MANAGER Project Manager
C & D S, UNIT-33 C & D. S. -33
U.P. JAL NIGAM, ALLAHABAD JAL NIGAM
ALLAHABAD

DETAILED ESTIMATE FOR
PROPOSED CONSTRUCTION OF R.C.C. GATE
AT RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY PHAPMAMAU - ALLAHABAD

SUMMARY OF COST

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	AMOUNT(RS.)
1	COST OF R.C.C GATE	detailed attached 1118728.76
		TOTAL 1118728.76

SAY IN LAC = 11.19


B.K. Joshi
PROJECT MANAGER
C & D S, UNIT-33
U.P. JAL NIGAM, ALLAHABAD

DETAILED ESTIMATE FOR
PROPOSED CONSTRUCTION OF R.C.C. GATE
AT U.P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY, PHAPHAMAU - ALLAHABAD

ABSTRACT OF COST

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	QUANTITY	UNIT	RATES	AMOUNT
1	Boring providing & installing cast-in-situ single under reamed pile of specified dia and length below pile cap in cement concrete with mix M 25 of 20mm nominal size to carry a safe working load not less than specified excluding the cost of steel reinforcement but including boring with bentonide solution and length of pile to embedded in the pile cap 300 mm dia Piles (P1) (DSR : 20.3.3)	44.00	RM	2123.15	93418.60
2	Extra bulb	8.00	Nos.	1475.95	11807.60
3	Earth work in excavation in trenches for foundations and for pipes cables etc. in ordinary soil (loam clay or sand) including lift upto 1.5 m and dressing of sides and ramming of bottom sand disposal of surplus excavated earth as directed by the Engineer i/c with in alead of 50m.(PWD-251)	2.59	CUM	140.00	362.88
4	Providing and laying in cement concrete 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 20 mm nominal size) and curing complete, including cost of form-work, in foundation and floors.(PWD-281)	0.86	CUM	4530.00	3913.92
5	R.c.c. work with cement approved coarse sand and 2 cm. (3/4") guage approved stone ballast in the proportion 1:1.5:3, (1cement : 1.5coarse sand: 3 aggregate) in lintels of doors and windows excluding supply of reinforcement and its fixing and binding the same with 24 B WG binding wire and including necessary centering and shuttering etc.and also including supply of all materials, labour and tools and plants etc, required for proper completion of the works. strength of the concrete same As above but in R.C.C. Raft foundation and footing with approved stone ballast. (PWD- 287)	8.45	CUM	5800.00	49005.43
6	As in item 5 above but in R.C.C. heavier beam in 1:1.5:3 having strength not less than M200. (PWD- 286A)	8.09	CUM	9200.00	74406.40
7	As in item 5 above but in R.C.C. columns in 1:1.5:3 having strength not less than M200. (PWD- 289)	7.26	CUM	8800.00	63914.40

ii	Welded steel or iron in plain work such as reinforced concrete or reinforced, brickwork (when not included in an overall rates) wrought to required shape as necessary including bending for proper completion of the work and including supply of steel its wastage bend hooks and authorised over lapping shall be measured upto floor two level. (PWD:504)	42.97	QTL	5600.00	240642.40
9	12mm th. plaster over one or half brick thick wall (1) cement : 4 fine sand (P.W.D-13.11)	476.33	SQM	125.00	59541.29
10	Finishing walls with Premium Acrylic smooth exterior paint with silicone additives of required shade. Net work (two coats applied @ 1.43ltr/10sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20kg/10sqm (DSR: 13.47.1) for two coat	476.33	SQM	189.90	90455.13
11	Mild grill as necessary including bending for proper completion of the work and including supply of steel its wastage bend hooks and authorised over lapping shall be measured upto floor two level. (PWD:502A)	4797.00	kg	59.00	283023.00
12	Applying priming coat over new steel or metal surface over 10cm width or girth including two coat ready superior synthetic enamel paint such as luxul , acolite, dulux specified brushing to give an even shade and including cleaning of surface and preparing including cost of material labour etc. complete. (PWD 641+652*2)	154.80	SQM	110.00	17028.00
13	Applying one coat of water thinnable cement primer of approved brand and manufacture on wall surface (DSR : 13.43.1) for two coat	476.33	sqm	71.70	34152.88
14	Wall painting (two coat) with plastic emulsion paint of approved brand and manufacture on decorative wall surface to give an even shade including thoroughly brushing the surface clean of all dirt grease loose pieces and prepared smooth.(PWD : 15.14 NI) on roof	85.66	SQM	136.00	11650.21
15	Providing and applying white cement based putty of average thickness 1mm, of approved brand and manufactured, over the plastered wall surface to prepared the surface even and smooth complete approved make. (Birla/JK)etc.(D.S.R 13.80) for two coat	476.33	SQM	179.30	85406.02
Total =					1118728.16





(A) FILE: URGCHA J2276 CAD FILES/RAJARSHI TONDON MAIN GATE PLAN.

DATE NO:	28/02/02
NAME:	RAJARSHI
SCALES:	1:500
PROJECT:	PROPOSED CONSTRUCTION OF MAIN GATE PLATE
LOCATION:	RAJARSHI TONDON GATE, RAJARSHI TONDON, LALAHABAD, U.P., INDIA
TITLE:	RAJARSHI TONDON GATE PLATE
DESIGNER:	RAJARSHI TONDON GATE PLATE
DRAWN BY:	RAJARSHI TONDON GATE PLATE
SUPERVISED BY:	RAJARSHI TONDON GATE PLATE

CIVIL GROUP CONSULTANTS
S-B SARDAR PATEL MARG,
CIVIL LINES, ALLAHABAD.
PH. 0522-2408913

Anil Singh
PROJECT MANAGER
C & D S, UNIT-33
U.P. JLN NIGAM, ALLAHABAD



OFFICE OF THE PROJECT MANAGER, CONSTRUCTION & DESIGN
SERVICES, UNIT-10, U.P. JAL NIGAM, ALLAHABAD.

ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GATE AT U.P. RAJARSHI
TANDON OPEN UNIVERSITY, PHAPHAMAU, ALLAHABAD.

FORM 'J'

Sl.No.	Description	Amount (Rs.)
1	COST OF WORK	1686732.30
2	LESS 5.0% DUE TO WORK DONE BY DEPARTMENT	(-) 84336.62 1602395.69
3	ADD 12.50% FOR CENTAGE CHARGES	(+) 200299.46 1802695.15
4	ADD. 4.05% FOR SERVICE TAX	(+) 73009.15 G.TOTAL Rs. 1875704.30 Say Rs. 18.76 Lacs

वरिष्ठ राजनिक अभियन्ता
सूमिट डॉ मुहम्मद बी. ईस०
प्र० प्र० जल ए००१, लालहाबाद

16-12-09

ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF GATE AT U.P. RAJARSHI TANDON
OPEN UNIVERSITY, PHAPHAMAU, ALLAHABAD.

ABSTRACT OF COST

Sl.No	Sub Head	Qty.	Rate	Unit	Amo- unt
1	Excavation in foundation in ordinary soil (loam) clay or sand) including lift upto 1.50 metre and lead upto 30 mtr. Including filling watering and ramming of excavated earth into the trenches or into the space between the building and the sides of foundation, trenches of into the plinth and removal & disposal of surplus earth as directed by the Engineer incharge up to a distance of 30 m from the foundation trenches. (P.W.D.- 251)	62.85	46.00	Cum	289 1.10
2	Earth filling in plinth. (Market rate)	10.51	125.00	Cum	131 3.75
3	Cement concrete with 40mm gauge approved stone ballast, coarse sand and cement in proportion of 8:4:1 including supply of all materials, labour, tools & plant etc required for proper completion of the work.(P.W.D.-5.08) (foundation)	6.90	1490.00	Cum	10281 00
4	Cement concrete with 40mm gauge approved stone ballast, coarse sand and cement in proportion of 8:4:1 including supply of all materials, labour, tools & plant etc required for proper completion of the work.(P.W.D.-5.08) (floor)	4.28	1490.00	Cum	6377.20
5	R.C.C. work with cement approved coarse sand and 2 cm. gauge approved stone grit in proportions of 1:2:4 in R.C.C. Column footing excluding supply of reinforcement and its bending but including its fixing and binding the same with 24 B. W. G. G. I. Binding wire and including necessary centering and shuttering etc. and supply of all materials, labour, T & P. etc. required for proper completion of the work including cost of binding wire. The rate excludes making of drip course which shall be paid extra.(P.W.D.- 283) Rate is Rs.3282/-				

Sl.No	Sub Head	Qty.	Rate	Unit	Amount
	per Cum for M-15(1:2:4) for M-20(1:1½:3) Add. Diference cost of cement rate i.e. Add.326/- per Cum (1.63 Bag cement) So Rate for M-20 (1:1½:3) is Rs.3280/- + Rs.326/- per Cum i.e. Rs.3606/- per Cum.	16.85	3606.00	Cum	60761.10
6	As in Item 5 above but in R.C.C. Columns up to Plinth level in 1:1½:3 (P.W.D.-289)	7.25	4410.00	Cum	31972.50
7	As in Item 5 above but in R.C.C. beam at plinth level having spans upto 6 m. Rate is Rs.3930/- per Cum for M-15(1:2:4) for M-20(1:1½:3) Add. Diference cost of cement rate i.e. Add.326/- per Cum (1.63 Bag cement) So Rate for M-20 (1:1½:3) is Rs.3930/- + Rs.326/- per Cum i.e. Rs.4256/- per Cum. (P.W.D.-285)	3.25	4256.00	Cum	13832.00
8	R.C.C. work with cement approved coarse sand and 2 cm. gauge approved stone grit in proportions of 1:2:4 in R.C.C. beam at slab level (lighter beam) excluding supply of reinforcement and its bending but including its fixing and binding the same with 24 B. W. G. G. I. Binding wire and including necessary centering and shuttering etc. and supply of all materials, labour, T & P. etc. required for proper completion of the work including cost of binding wire. The rate excludes making of drip course which shall be paid extra Rate is Rs.4500/- per Cum for M-15(1:2:4) for M-20(1:1½:3) Add. Diference cost of cement rate i.e. Add.407.50 per Cum (1.63 Bag cement) So Rate for M-20 (1:1½:3) is Rs.4500/- + Rs.407.50 per Cum i.e. Rs.4907.50 per Cum. (P.W.D.-285)	8.22	4907.50	Cum	40339.65
9	As in Item No.5 but in R.C.C. Slab (1:1½:3) (P.W.D.-284)	11.03	4850.00	Cum	53495.50
10	M.S. (tor steel or plain) in Plain work such as RCC or R.B. work including bending for proper shape and including supply of steel & its wastage bend, hooks and authorised overlapping shall be measured and inclu - ding cost of binding wire. (P.W.D.504)	64.01	4250.00	Quintal	272042.50

Sl.No	Sub Head	Qty.	Rate	Unit	Amount
11	M - 150 Brick work in 1:6 (One cement: six fine sand in superstrurcture including necessary cutting and moulding of brick as required thickness of walls not to be less than 1½ brick. Add extra labour to above items. (P.W.D. - 303+309+310)	5.11	2055.00	Cum	10501.05
12	M.S. work in door frame (with steel shutter) of small sizes and section such as holding down bolts, hold fast, tie rod grating etc. brought to required form including supply of steel bolts, nuts wastage, etc. and their fixing required for proper completion of the work (Sch.No.10.01-502(A)	250.00	63.00	Kg.	15750.00
13	Renewing panes of glass in door, window & ventilators of fixing in the new work with 3 mm thick glass panes fixed with brads & putty including supply of all materials, labour, T&P etc. required for proper completion of the work. (P.W.D.- 18.02/806)	12.28	304.00	Sqm	3733.12
14	M.S. or iron work in Steel Z Section window exlcuing Glass panes brought to required form including supply of steel bolts, nuts wastage, etc.and their fixing required for proper completion of work. P.W.D.-502 (B)	231.00	46.00	Kg.	10626.00
15	S/F. of Main Gate(ornamental type)	31.20	3000.00	Sqm	93600.00
16	15 mm thick cement plaster 1:3 finished with a floating coat of neat cement (CPWD-13.8.1)	247.31	122.50	Sqm	30295.48
17	S/F. of slopy tiles on slope slab.	52.50	625.00	Sqm	32812.50
18	2.5 cm (1") thick 1:2:4 plain cement concrete floor with cement, approved coarse sand and 2 cm (1") graded approved stone, grit, laid in panels finished with 3 mm (1/8") floating coat of neat cement or cement and marble dust in ratio of 5:1 as specified including supply of all materials, labour, & T&P. etc. required for proper completion of the work. (PWD-601(A)	42.96	101.00	Sqm	4338.96

Sl.No	Sub Head	Qty.	Rate	Unit	Amount
19	Wall painting (one coat) with plastic emulsion paint of approved brand & manufacture on decorative wall surface to give an even shade including throughly brushing, clean all dirt, grease, loose pieces and prepared smooth. (PWD-15.15 New Item)	299.81	43.00	Sqm	12891.83
19b	Extra over item No. 18 for every subsequent coat. (15.16 New item)	299.81	29.00	Sqm	8694.49
20	Painting or varnishing new work in small areas or new wood work with one coat ready mixed priming paint and Two coat of approved superior quality ready mixed paint or varnish including supply of all material, labour and tools and plants etc. required for proper completion of the work. Paint to be used should confirm the I.S.I. No.103-1950. (Sch.No. 15.01-641 + 15.02-642	52.41	43.50	Sqm	2279.84
21	Add. For Lighting arrangement.	L.S.			8000.00
22	Ad. For Ornamental design, Cornish facia etc. extra shuttering provision etc.	L.S.			100000.00 Sub Total Rs. 826829.56 Add. 2% for Contigencies. 16536.59 Total Rs. 843366.15
<u>Total Cost for 2 Nos. Gates = Rs.843366.15 x 2 Nos. = Rs.16,86,732.30.</u>					


वरिष्ठ अधिकारी भवनता
मूलिक नं. १८६ संग्रहालय
४००००० लाल किलोमीटर

RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY

RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY

SHANTIPURAM PHAPALAMAU.

ALLAHABAD.



DRAWN BY

R.C. SURYANARAYAN

ALLAHABAD

CIVIL GROUP

CONSULTANTS
S.B.S. STUDIOS
CIVIL GROUP
ALLAHABAD



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक

संलग्न नंक - 13

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, बैंशाम्बी

कैम्प कार्यालय : 263, नया ममफोर्डगंज, इलाहाबाद

प्रधान कार्यालय : टी.सी.-38 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन : +91 522 2991475 फैक्स : +91 522 2991476



Visit us at : www.cdsupjn.org

e-mail : pmuni@33r@gmail.com

पत्रांक... 7.90/... निर्माण-45/16
सेवा में,

दिनांक... 22/7/16

कुलसचिव,
उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
फाफामऊ, इलाहाबाद।

विषयः—उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक—ओ०य०/1198/2015 द्वारा स्वीकृति उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रु० 133.90 लाख के सापेक्ष रु० 107.32 लाख (80 प्रतिशत) निर्माण कार्य पर उपभोग कर लिया गया है, जिससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अवशेष धनराशि रु० 535.60 लाख – रु० 133.90 लाख = 401.70 लाख इस कार्यालय को अवमुक्त करने की कृपा करे, जिससे निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जा सके।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय
भवदीय
(विनोद कुमार)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठ सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— श्री आकाश कुमार वर्मा, स्थानिक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परियोजना प्रबन्धक



23 मेर्च 2016

141

FORMS

FORM No. - 42-I

(SEE PARAGRAPH 369-II)

FORM OF UTILISATION CERTIFICATE

Name of Work : उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विंग इलाहाबाद के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल का निर्माण।

SI No. Letter No. Amount and date

I. O.U/1198/2015 Date- 11.12.2015

रु० 133.90 लाख

1. Certified that Rs. 133.90 Lacs of Grants in sanctioned during the year 2015-16 in favour of Project Manager, Unit-33 C.& D.S., U.P. Jal Nigam, Alld. Under this office department Letter no. given in the margin of Rs. 11.90 Lacs account of unspent ballance of the previous year, a sum of Rs. 107.32 Lacs Has been utilised for the purpose of construction of उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विंग इलाहाबाद के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल का निर्माण।

- For Which it was sanctioned and that the balance of Rs. 26.58 Lacs remaining unutilized at the end of the year has been surrendered (Vide no.x.....dated.....x.....) Will be adjusted Towards the grant-in-aid payable during the next yearx.....
- Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant- in- aid was sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actualy utilised for the purpose for which it was sanctioned.

शासन के पत्र सं० 731/23-14-05 लो. नि. अनुभाग-14 दिनांक:-03/03/2004 द्वारा शासन को 42-आई पर चेक लिस्ट में वार्षिक निम्नवत प्रमाणपत्र :-

- सम्बन्धित परियोजना पर स्वीकृत की गई धनराशि के सापेक्ष हुए कार्यरथल का निरीक्षण कर लिया गया है तथा कार्य मानक के अनुरूप पूर्णतः संतोषजनक है।
- परियोजना पर किया गया कार्य स्वीकृत आगणन में दी गई मात्रा/विशिष्टियों के अनुरूप है।
- स्थलीय निरीक्षण के उपरांत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष परियोजना की वित्तीय प्रगति -रु. 107.32 लाख भौतिक प्रगति-८०-३०% प्रतिशत है।

Signature -

Designation - PROJECT MANAGER

Date - 11.12.2015
C & D S, UNIT-33
UP JAL NIGAM, ALLAHABAD



CONSTRUCTION & DEVELOPMENT SERVICES

Visit us at : www.cdsuprjn.org

कन्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन होमिनेज, पूर्वोत्तर भूमि, लालगढ़ी, गोदावरी कुल, लखनऊ-226010
टेल: 0522 2991475 | फैसल: +91 522 2991476
प्रधान कार्यालय: दी.सी. 33 की रिहाउंग लालगढ़ी, गोदावरी कुल, लखनऊ-226010
फैसल: +91 522 2991476 | फैसल: +91 522 2991476

E-mail: csmunir63@gmail.com

प्रक्र. 752 / निम्न-45/13

दिनांक: 15-2-16

सेवा में

कुलसचिव,

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
काफामऊ, इलाहाबाद।

विषय:- उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के प्रशासनिक भवन के संशोधित ड्राइंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि निर्माणाधीन उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम तल के प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य की पूर्व में प्रेपित ड्राइंग संशोधित कर दिया गया है। पूर्व में प्रेपित ड्राइंग में कुलपति महोदय का चैम्बर एवं कार्यालय प्रथम तल पर दर्शाया गया है, जब कि कुलपति महोदय का वर्तमान कार्यालय एवं चैम्बर भूतल पर रिथित है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए ड्राइंग को संशोधित करते हुए कुलपति महोदय, का कार्यालय एवं चैम्बर भूतल पर यथावत रखते हुए प्रथम तल पर डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय एवं चैम्बर को डिजाइन किया गया है, वर्तमान ड्राइंग निम्न कारणों से पूर्व की ड्राइंग से बहतर है।

1. निर्माण के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
2. पुरानी ड्राइंग से संशोधित ड्राइंग में अधिक निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
3. संशोधित ड्राइंग में अधिक कार्य होने के बावजूद भी योजना की लागत में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संशोधित ड्राइंग की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे प्रशासनिक भवन की प्रगति सुचारू रूप से लायी जा सके।

भवदीय

परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठ सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— श्री आकाश कुमार वर्मा, स्थानिक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

परियोजना प्रबन्धक



PROPOSED PLAN
AUNIVERSITY
BHU DIVISION
U P RAJASTHAN UNIVERSITY
OPEN UNIVERSITY OF
Phosphorus Allahabad
Uttar Pradesh

ARCHITECT

CLIENT

DRG. TITLE

UPPER GROUND FLOOR PLAN

DATE:

DRG. NO.

NORTH

CHEKED BY

AREA:

DRAWN BY


W.L.

VTS

CIVIL GROUP
CONSULTANTS

S B SARDAR PARTNER
MANAGER CIVIL ENGINEER
MELA VILLAGE
MOB. NO. +9194152-8872
ST. NO. - 0625-52-61-63

M. A. Khan
PROJECT MANAGER
C & D S, UNIT-33
JAI NAGAR, ALLAHABAD



PROJECT: 10/21/2023

PROPOSED PLAN OF
ADMINISTRATIVE
BUILDING FOR
U.P RAJARSHI TANDON
OPEN UNIVERSITY
Phaphamau Allahabad,
Uttar Pradesh

ARCHITECT

CLIENT:

DRG. TITLE

FIRST FLOOR PLAN

DRG. NO.

NORTH

CHEKED BY:

AREA:

DRAWN BY:


APURV P

SCALE:

NTS

CIVIL GROUP
CONSULTANTS

S.B.SARDAR PATHAK
MARG, CIVIL LINE,
ALLAHABAD
MOB. NO. +91 9415021567
TEL. NO. 0532-2601693



र.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल, प्रसाधन कक्ष एवं इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित तीसरे प्लाट में कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित निरीक्षण समिति की दिनांक 26-07-2016 को अपराह्न 01.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त उपस्थिति :-

1. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा
2. डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा
3. डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष
4. श्री डी.पी. त्रिपाठी, वित्त अधिकारी/कुलसचिव
5. श्री आकाश वर्मा, अवर अभियन्ता, प्रतिनिधि, परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद
6. श्री गंगा सागर यादव, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, इलाहाबाद
7. श्री कौशलेश शुक्ला, परामर्शदाता (इंजीनियर)
8. श्री शिवम मिश्रा, तकनीकी अधिकारी (हार्डवेर)

राजकीय निर्माण निगम, कौशाम्बी इकाई, इलाहाबाद एवं सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद से किए गए निर्माण सम्बन्धी अनुबन्ध एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष भेजे गए उपभोग प्रमाणपत्र एवं समस्त साइटों का स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त समिति का सर्वसम्मति से अभिमत निम्नवत है :-

1. सम्बन्धित परियोजना पर स्वीकृत की गई धनराशि के सापेक्ष सभी कार्यरथल का निरीक्षण किया गया, कार्य मानक के अनुसार पूर्णतः संतोषजनक है।
2. विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट के चहार दीवारी के निर्माण कार्य पर सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्थलीय निरीक्षण के आधार पर दूसरी किश्त हेतु देय रु. 75 लाख के विरुद्ध रु. 50 लाख की संस्तुति करती है।
3. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य पर प्रेषित सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्थलीय निरीक्षण के आधार पर दूसरी किश्त हेतु देय धनराशि रु. 133.90 लाख के सापेक्ष रु. 117 लाख स्वीकृत किए जाने की संस्तुति की।
4. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में प्रसाधन कक्ष (रौचालय) के निर्माण कार्य पर राजकीय निर्माण निगम, कौशाम्बी इकाई, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मानचित्र को बेहतर मानते हुए अंतिम किश्त में देय धनराशि रु. 1.80 लाख के विरुद्ध सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने की समिति ने इस शर्त पर संस्तुति किया कि वाथरूम की संख्या ^{०५} के अनुसार टायलेट न होने एवं 04 टायलेट के स्थान पर कराये गये अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति योजना बोर्ड में प्राप्त की जाये।
5. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराये जा रहे निर्माण कार्य में आंशिक परिवर्तित मानचित्र को पूर्ण ड्राइंग से बेहतर मानते हुए एवं लागत में बढ़ोत्तरी न होने के फलस्वरूप इस शर्त के आधार पर संस्तुति की गई थी कि योजना बोर्ड से इसकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
6. विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में वर्तमान में प्राप्त महाद्वार के आगणन एवं मानचित्र को 2009-10 में प्राप्त आगणन एवं मानचित्र की तुलना में काफी कम एवं मितव्ययी होने तथा प्रवेश द्वार की भव्यता हेतु उपयुक्त पाए जाने के आधार पर इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि इसे योजना बोर्ड में रखीकृति हेतु रखा जाय।

26/07/16
(डॉ. ओमजी गुप्ता)

By
26/07/16
(डॉ. आर.पी.एस. यादव)

26/07/16
(डॉ. टी.एन. दुबे)

26/07/16
(वित्त अधिकारी/कुलसचिव)

26/07/16
(श्री आकाश वर्मा)

26/07/16
(श्री गंगा सागर यादव)

26/07/16
(श्री कौशलेश शुक्ला)

26/07/16
(श्री शिवम मिश्रा)



परियोजना प्रबन्धक

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, कौशानी
 कैम्प कार्यालय : 263, नया ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
 प्रधान कार्यालय : टी.सी.-38 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
 फोन : +91 522 2991475 फैक्स : +91 522 2991476

Visit us at : www.cdsupjn.org

e-mail : pmunit33@gmail.com



पत्रांक....280/... 1196-45144
सेवा में,

दिनांक 20/7/16..

कुलसचिव,
उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
फाफामऊ, इलाहाबाद।

विषयः—उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद को आवंटित तीसरे प्लाट की चहारदीवारी के निर्माण कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक—ओ०य०/1196/2015 दिनांक 11.12.2015 द्वारा स्थीकृति उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद को आवंटित तीसरे प्लाट की चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रु० 75.00 लाख के सापेक्ष रु० 60.25 लाख (80.33 प्रतिशत) निर्माण कार्य पर उपभोग कर लिया गया है, जिससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अवशेष धनराशि रु० 144.77 लाख – रु० 75.00 लाख लाख = 69.77 लाख इस कार्यालय को अवमुक्त करने की कृपा करे, जिससे निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जा सके।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय

Akash
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठ सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— श्री आकाश कुमार वर्मा, स्थानिक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित।

21/7/16

Akash
परियोजना प्रबन्धक

FORM No. - 42-I
(SEE PARAGRAPH 369-II)

FORM OF UTILISATION CERTIFICATE

Name of Work : उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद को आवंटित तीसरे प्लाट की चहारदीवारी के निर्माण कार्य।

SI No. Letter No. Amount
and date

1. ओ०य०/११९६/२०१५ दिनांक ११.१२.२०१५
रु० ७५.०० लाख

I- Certified that Rs. 75.00 lacs of Grants-in-aid sanctioned during the year 2016-17 in favour of Project Manager, Unit-33 C.& D.S., U.P. Jal Nigam, Alld. Under this office department Letter no. given in the margin of Rs. NIL Lacs account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 60.25 lacs has been utilised for the purpose of construction of

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद को आवंटित तीसरे प्लाट की चहारदीवारी के निर्माण कार्य।

2. For Which it was sanctioned and that the balance of Rs. 14.75 lacs remaining unutilized at the end of the year has been surrendered (Vide no.x.....dated.....x.....) Will be adjusted. Towards the grant-in-aid payable during the next yearx.....

3. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.

शासन के पत्र सं० ७३१/२३-१४-०५ लो. नि. अनुभाग-१४ दिनांक:-०३/०३/२००४ द्वारा शासन को ४२-आई पर चेक लिस्ट में वांछित निम्नवत् प्रमाणपत्र :-

- सम्बन्धित परियोजना पर स्वीकृत की गई धनराशि के सापेक्ष हुए कार्यरथल का निरीक्षण कर लिया गया है तथा कार्य मानक के अनुरूप पूर्णतः संतोषजनक है।
- परियोजना पर किया गया कार्य स्वीकृत आगणन में दी गई मात्रा/विशिष्टियों के अनुरूप है।
- स्थलीय निरीक्षण के उपरांत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष परियोजना की वित्तीय प्रगति— रु० ६०.२५ भौतिक प्रगति-४५ प्रतिशत है।

Signature -.....*R.K. Joshi*
Designation -.....PROJECT MANAGER
C & D.S. UNIT-33
Date -.....14/3/2015
NIGAM ALLAHABAD

Comparative chart for additional provided sanitary material and not provided as per order material by U.P.R.N.N in Toilet.

A) Excess Expenditure due to provided Additional Sanitary material

- 1) Wash Basin Hindwere - 06 nos. @ 3000/- each = Rs. 18000/-
- 2) Its fitting 06 nos. @ 500/- each = Rs. 3000/-
- 3) Looking Mirror 06 nos. @ 600/- each = Rs. 3600/-
- 4) Collapsible Sutter 10x7 fit - 250 kg @ 70/- per Kg = Rs. 17500/-
- 5) Railing - 50 kg @ 70/- per Kg = Rs. 3500/-
- 6) Ramp+ C.C. checkered Tiles lump sum = Rs 5000/-

Total = 50600/-

Walls approximate equal

B) Sanitary Material not provided as per Work Order-

- 1) W.C. Seat including cistern etc. 04 nos. @ 3600/- each = Rs. 14400/-
- 2) Plumbing Material 04 nos. @ 500/- each = Rs. 2000/-
- 3) Ms Chaukhat 04 nos. @ 1500/- each = Rs. 6000/-
- 4) Flash Door shutter 04 nos. @ 2000/- each = Rs. 8000/-

Total = 30400/-

Excess Expenditure - 50600 - 30400 = 20200/-

मुख्य विदेशी नियोगी
अधिकारी
27.7.16.
(Consultant Engineer)

Director.
27.07.16
उपर्युक्त परियोजना के संभवतः
गो. वा. राज्यकीय नियोगी नियम अनुसार
कैलाली इवांग
कैलाली

PROJECT:-

**PROPOSED CONSTRUCTION
OF TOILET BLOCK FOR GENTS
& LADIES AT U.P.R.T.O.
SHANTIPURAM PHAPH, U.
ALLAHABAD.**

ARCHITECT

U.R.R.N.N

DRG. TITLE

**PLAN FOR
TOILET BLOCK**


DRAWN BY:-

RADHA PAL


DATE:-

25.06.2015

**CIVIL GROUP
CONSULTANTS
5-B, SARDAR PATEL
MARG, CIVIL LINE,
ALLAHABAD
TEL. NO. - 0532-2406912**



<u>PROJECT NO.</u>	<u>PROPOSED CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR U.P.R.T.O.U., ALLAHABAD</u>	
<u>ARCHITECT</u>		
<u>AGENCY</u>		
<u>ORG. NAME</u>	<u>PLAN FOR TOILET BLOCK</u>	
<u>DATE:</u>	27/01/2015	



Minutes of Meeting

संवेदना - १७

A meeting of committee members for finalizing the Open Educational Resources (OERs) policy was held on 17.08.2016 at Academic Campus (Saraswati Parisar) of the University. The following members were present in the meeting.

1. Dr. Omji Gupta, Director, School of Management Studies	Convener
2. Dr. P. P. Dubey, Director, School of Agricultural Sciences	Member
3. Dr. R. P. S. Yadav, Director, School of Humanities	Member
4. Dr. P. K. Pandey, In-charge, School of Education	Member
5. Dr. G. K. Dwivedi, Incharge ICT/Media Centre	Member
6. Dr. Ashutosh Gupta, Director, School of Science	Member Secretary

The committee unanimously recommended the enclosed Open Educational Resource (OER) policy for the University.

Dr. Omji Gupta
17/8/16

Dr. P. P. Dubey
17.08.2016

Dr. R P S Yadav
17.8.16

Dr Ashutosh Gupta
17/8/16

Dr. P K Pandey
17/8/16

Dr. G. K. Dwivedi

U.P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY, ALLAHABAD

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES POLICY

I. Preamble:

The U.P. Rajarshi Tandon Open University, Allahabad (UPRTOU) established under the Act No. 10/1999 of UP Government Legislature is dedicated to increasing access to quality higher education through appropriate use of open and distance learning methods, including through provision of open distance and lifelong learning opportunities. Provision of quality learning materials forms an important strategy in providing access to quality education, and the affordances of information and communication technologies including the Internet and World Wide Web has enabled anyone to gain access to educational resources at anytime, anywhere. The objective of the University is to reach the un-reached through its moto "शिक्षा शिक्षार्थी के द्वारा तक" and "सबको शिक्षा, सबको ज्ञान".

Number of platforms and resources are now available online for the learners, and due to the read-write abilities of the Web 2.0, teachers are sharing their works online more often than before. While educational materials are being shared online for personal use of the online users, most of the learning resources are available under default copyright requiring permission from the authors/creators to re-use, revise, re-mix, and re-distribute. To facilitate adoption and adaptation of existing learning resources, they must be available under open licenses, which is a legitimate provision under copyright law. Considering importance of the sharing of educational materials in the developing countries, the 2002 UNESCO Forum on the Impact of OpenCourseWare for Higher Education in developing countries coined the term Open Educational Resources (OER) and expected to create a network of resources available freely for the use of the humanity as knowledge commons.

While the movement of OER has grown over the years with several platforms and projects, UNESCO and the Commonwealth of Learning (COL) in 2012 organized the World OER Congress that urged governments and educational institutions to adopt OER policies to promote the use of OER. A adoption of OER policy in the U.P. Rajarshi Tandon Open University, Allahabad will create the enabling environment for all the stakeholders of U.P. Rajarshi Tandon Open University, Allahabad to create and use OER in production of educational resources and enable them to share these under appropriate open licenses.

Objectives of the University

- (1) The University shall promote dissemination of learning and knowledge through distance education system to a large segment of the population and shall, in organizing its activities, have due regard to the objects specified in the schedule.
- (2) The University shall endeavour through education, research, training and extension to play a positive role in the development of the state, and, based on the rich heritage of the state, to promote and advance culture of the people of India and its human resources.
- (3) The University provide access to higher education for large segment of the population, and in particular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, house-wives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields.
- (4) The University promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context of innovations, research and discovery in all fields of human endeavours.
- (5) The University provide an innovative system of university level education, flexible and open, in regard to methods and pace of learning, combination of courses, eligibility for enrolment, age of entry, conduct of examination and operation of programs with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge.
- (6) The University contribute to the improvement of the educational system by providing a non formal channel complementary to the formal system, by encouraging transfer of credits and exchange of teaching staff and by making wide use of texts and other software developed by the University.
- (7) The University provide education and training in various arts, crafts and skills of the country in general and the state in particular and simultaneously insure raising their quality and improving their availability to the people.
- (8) The University provide or arrange training of teachers required for such activities or institutions.
- (9) The University provide suitable Post-Graduate courses of study and promote research.

17.08.2016
153

Dung 17/8/16

Mission and Vision of the University

- (1) To reach the un-reached.
- (2) To universalize opportunities of education.
- (3) To provide opportunities of higher education to the weaker sections.
- (4) To equalize opportunities in higher education.
- (5) To provide quality education to one and all.
- (6) To become a virtual university.
- (7) To provide knowledge for all

The Objectives, Vision and Mission laid down in the preamble shall provide provision of quality learning materials that may play an important role in providing access to quality education.

2. Definitions:

- 2.1. Open Educational Resources (OER):** Teaching, learning and research materials including software-based tools and services in any medium, digital or otherwise, that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions.
- 2.2. OER Creation:** This refers to the development/production of quality assured digital open content and its publication online with an open license.
- 2.3. OER Adoption:** This is viewed as a logical and systematic process of using, re-mixing, re-purposing and sharing of Open Educational Resources and engaging in practices for course development and delivery based on the nature of licensing of each material and terms and conditions laid down by the University time to time.
- 2.4. OER Integration:** This is viewed as the process of using and contextualising appropriate OER materials for within a given instructional environment
- 2.5 Knowledge Society:** This is viewed as a community or formal association of people who acknowledge the strength of knowledge creation and are committed to make effective use of networking of people with similar interests and in this process contribute to this knowledge
- 2.6 Content Developers:** Any person engaged in the development of teaching and learning materials used by the University.
- 2.7 Copyright:** It refers to laws that regulate the use of the work of a creator, such as an artist or author. This includes copying, distributing, altering and displaying creative, literary and other types of work. Unless otherwise stated in a contract, the author or creator of a work retains the copyright. The author(s) retains the moral rights to assign the rights to any other person or share the materials with others in any other conditions as he/she may desires.
- 2.8 Open License:** A license that specifies what can and cannot be done with a work (whether sound, text, image or multimedia). It grants permissions and states restrictions. Broadly speaking, an open license is one which grants permission to access, re-use and redistribute a work with few or no restrictions. Creative Commons has open licenses in six different types as described in section 6.0.

3 Policy of the University

3.1 Policy Declaration

The U.P. Rajarshi Tandon Open University, Allahabad shall promote and implement the creation, reuse, remix, repurpose and redistribution of Open Educational Resources (OER) within an Open Licensing framework and other terms and conditions as laid down by the University time to time.

3.2 Specific Policy Statements:

- 3.2.1** The print and digitized content developed by UPRTOU through its faculty members or from outsourced academicians shall available as Open Educational Resources with no or limited restrictions as decided by statutory bodies of the University time to time for creation, adoption, integration, sharing, re-arranging, re-using, re-purposing and translation of Open Educational Resources in course design, development and delivery in distance as well as an e-learning environment for achieving increased quality and cost-efficiency.
- 3.2.2** The following points shall be considered while OER creation:
 - a) The guidelines as laid down by the University for preparing print SLMs and e-content shall be considered for creation of OER;

- b) Any changes occurred during development of SLMs and e-content shall be equally applicable to OER policy;
- c) The University shall publish the OER through its website with appropriate disclaimer (i.e. kind of OER license).

The adoption of OER shall be done through following means:

- a) The OER source shall be available without any additional charge to any bona fide individual learner enrolled in UPRTOU.
- b) When other Universities/Institutions wish to use the existing SLMs or e-content in OER form, they need to sign a MoU with UPRTOU and any content modifications by other Universities/Institutions (if applicable) shall be governed by licensing terms of UPRTOU.

Integration of OER with other Universities shall be considered in broad perspective. The following points shall be considered while integrating the OER.

- a) Different Universities shall come to the same platform by adopting common curriculum as far as possible for OER integration.
 - b) Course curriculum for compulsory and elective course may be same as far as possible; however, the skill based courses may change according to the geographical conditions and local needs.
- 3.2.3 All members of academic and supporting staff will plan and implement suitable academic activities involving the creation and use of OER by learners and thereby helping them to acquire competencies required for a knowledge society.

3.3 Policy Objectives

- 3.3.1. To formulate the necessary strategic outputs, tasks and performance indicators to achieve OER creation and integration in the development and delivery of courses;
- 3.3.2. to develop awareness about the concept and practices related to OER among faculty and staff;
- 3.3.3. to build capacity among the academic and supporting staff for the creation, identification, storing and integration of OER in their professional engagements;
- 3.3.4. to prepare all required guidelines and manuals for OER creation and integration including open licensing procedures and other terms and conditions of the University.
- 3.3.5. to establish an OER repository in the public domain containing open licensed materials and an in-house repository of relevant OER for use of UPRTOU faculty and staff;
- 3.3.6. to procure/develop and install the required hardware and software infrastructure for OER creation and integration;
- 3.3.7. to monitor continuously and ensure that the policies are implemented effectively;
- 3.3.8. to develop and incorporate an effective feedback mechanism that will enable UPRTOU to take informed decisions for any mid-term corrections in the implementation of OER integration; and
- 3.3.9. to consider and incorporate approved changes in the process according to international developments in the field and the requirements of the University/Institution.

4.0 Strategic Outputs:

- 4.1 The design, development and production of course materials include the reusing and repurposing of available OER
- 4.2 Commitment of the University in making available through a dedicated Website some selected content as OER for the greater use of the community
- 4.3 Training and incentivizing faculty and staff and schools/departments who are actively demonstrating adoption of OER policies
- 4.4 The University policy on copyright aligned to its commitment and practice for OER adoption and implementation

5.0 Scope/ Applicability : The OER policy of the University shall be applicable to the following:

- 5.1 This Policy applies to all academic and academic support schools/departments of the University/Institution as decided by the competent authorities of the University (indicate at item: **5.2 of this policy**).

- 5.2 All content developers within the university and those engaged by the University for writing materials on short-term basis as subject matter experts on payment basis as per the University policy;
- 5.3 All types of learning materials released in any physical or electronic format.
- 5.4 In cases where the material is developed in collaboration/ partnership with other Universities/Institutions, the guidelines governing that collaboration as indicated in the MoU/ MoC will prevail. However, any such agreement should duly consider the OER Policy before any deviation is agreed upon with justification approved by the competent authority of the University

6.0 Licences:

- 6.1 While the University supports free and open access to all educational resources and will make them freely available on OER Repository through Creative Commons Attribution all contents it owns or co-owns subject to the decision taken by the competent authorities of the University on the recommendation of concerned schools of studies;
- 6.2 The University may make exceptions to the sharing of intellectual property it owns on a case by case basis with detailed reasons for limiting the free access to material. Such restrictions should be time dependent.
- 6.3 Intellectual property owned by the University that it considers is commercially sensitive may also be restricted.
- 6.4 Open licensing allows IP owners to modify the copyright on the intellectual property to facilitate openness. The most popular and well-known open license is the Creative Commons license (CC). Creative Commons licensing does not change the copyright ownership; it rather allows for affordances and sets stipulations for end-users based on the following license conditions:
- 6.4.1 Attribution (By): The standard condition for CC license in which usage requires citing, referencing of the creator/source.
 - 6.4.2 No Derivatives (ND): This condition mandates that no derivative works or adaptations may be made by users.
 - 6.4.3 Non-Commercial (NC): This condition mandates that users do not sell or make commercial usage of the licensed materials.
 - 6.4.4 Share-Alike (SA): Usage requires that any derivatives, remixes, or adaptations of the work be licensed under the same Creative Commons license.
- 6.5 Six specific types of CC licenses to be used in the execution of the OER policy are as given below:

Attribution CC BY

Attribution Share Alike CC BY-SA

Attribution No Derivatives CC BY-ND

Attribution Non-Commercial CC BY-NC

Attribution Non-commercial Share Alike CC BY-NC-SA

Attribution Non-commercial No Derivatives CC BY-NC-ND

Please refer to Appendix I for further clarification of the conditions. Details of them are also available at <http://creativecommons.org/licenses>

- 6.6 The choice of license will be decided by the school/faculty concerned who has developed the material and shall be vetted by the internal OER Quality Review Board. Or All materials developed by it and having exclusive rights shall be released on the university OER Repository site under [Specify the specific CC license]
- 6.7 For derivatives and reproductions of other CC licensed materials, the University will follow respect the CC provisions and the licenses therein.
- 6.8 While sharing the materials of the University in appropriate licenses, it does not permit derivatives to use University logo for differentiation from the original.

7.0 Quality Assurance and Review System:

- 7.1 The University OER Repository strives to provide resources of the highest quality. The reviewing process will be carried out at different levels. An IQAC Cell shall monitor the quality of print and electronic material time to time with the help of technical support staff.

- 7.2 University curriculum based learning resources developed through peer reviewing and strict quality assurance mechanism inbuilt in the course development process will not require further reviewing for uploading on the repository.
- 7.3 The OER Cell will adopt a set of quality assurance guidelines and indicators to help teachers focus on quality of OER.
- 7.4 At the university level, an OER Cell will be created to review policy as well as the production, delivery and access processes of OER.
- 7.5 Such a Cell will be constituted with the following members:
[Vice Chancellor, Director of Schools, Internal Academicians and 1 or 2 external subject experts nominated by Vice Chancellor, SLM Incharge, ICT Incharge]
The OER Cell will work in consultation with IQAC Cell.

8.0 Liability:

- 8.1 All OER materials shared at the University OER Repository to the world at large will carry a disclaimer indicating that the material is for educational purposes only and that the university absolves itself of any practical misuse of the OER materials or their content. OER materials authored and published by faculty and staff of the university and others does not necessarily reflect the opinion of the university.
- 8.2 All learning materials published under CC license should include the following information in the credit page:

© Year, UPRTOU, Allahabad. This learning resource is available under [Specify the license with link to the legal code]. Derivatives of this work are not authorized to use University Logo.

9.0 Role of the Faculty/Teachers/Content Developers:

- 9.1 The faculty member responsible for development of a course shall be personally responsible for management and adoption of OER in the specific course. However, the discipline concerned shall take appropriate decision, on why a course will not be put on CC license, in a meeting and put the same on record.
- 9.2 In general, the concerned faculty should search for appropriate OER to adopt/adapt in a course, thereby reducing the cost of the course production, as well as reduce the time to produce such material, and improve student learning.
- 9.3 When an external writer is engaged, the material should be reviewed, and appropriate copyright assigned to the University with indemnity to the University for plagiarism, if any, so that the material can be released by the University under CC licence.

10.0 Institutional Arrangements :

- 10.1 The teaching-learning materials produced by the university (as described in section 6.1) shall be shared in a suitable online platform.
- 10.2 The ICT Cell shall be responsible for providing access to all the stakeholders, and maintenance of the platform.
- 10.3 Faculty and staff members engaged in OER development shall be regularly provided with capacity building opportunity by the ICT Cell to familiarize the stakeholders of the opportunities and technical feasible options of the platform.
- 10.4 Regular update on Copyrights, OER and Open License shall be organized by the ICT Cell/staff training unit to promote the use of OER.

AS 17/8/16
G 17/8/16
AB 17/8/2016
H 17/8/2016
157
17/8/16
D 17/8/16

Creative Commons (CC) Licences

Conditions that you want to apply to your work:

Condition	Symbol	Explanation
Attribution		All CC licences require that others who use your work in any way must attribute it – i.e. must reference the work, giving you credit for it – the way you request, but not in a way that suggests you endorse them or their use of the work. If they want to use your work without giving you credit or for endorsement purposes, they must get your permission first.
Non-Commercial		You let others copy, distribute, display, perform and reuse your work for any purpose other than commercially. If they want to use your work commercially, they must get your permission first.
No Derivative Works		You let others copy, distribute, display, and perform only original copies of your work. If they want to modify your work, they must get your permission first.
Share Alike		You let others copy, distribute, display, perform and modify your work as long as they distribute any modified work on the same terms. If they want to distribute modified works under other terms, they must get your permission first.

Based on your choices, you will get a licence that clearly indicates how other people may use your creative work.

	Attribution CC BY
	Attribution Share Alike CC BY-SA
	Attribution Non-Derivatives CC BY-ND
	Attribution Non-Commercial CC BY-NC
	Attribution Non-commercial Share Alike CC BY-NC-SA
	Attribution Non-commercial Non-Derivatives CC BY-NC-ND

Ge
17.8.16

158

✓
17.08.2016

1718112
1718115



प्रो. (डॉ.) जसपाल संघ सन्धू
सचिव

Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary



संतर्गनक-18
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jsandhu.ugc@nic.in

D.O.No. F. 1-3/2007(CPP-II)

BY SPEED POST

5th May, 2016

Dear Sir/Madam,

This is in reference to the Public Notice issued by the UGC on 23rd April, 2007 regarding non-refund of fees and retention of original certificates of the students who opt out after taking admission and subsequent reminder dated 11th January, 2016 (available on UGC website www.ugc.ac.in).

The Commission is still receiving complaints from students / parents regarding non refund of fees by universities / colleges / institutions which are collecting full fee from the admitted students; retaining their schools / institutions leaving certificates in original; confiscating the fee paid if a student fails to join within specified date.

You are requested to kindly abide by the instructions issued by UGC in the Public Notice referred to above and ensure compliance of these instructions by your University as well as all the colleges / institutions affiliated to your university. This may be treated as 'Important'.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

Reg. I.F.O

Mr

12/7/16

4/7/16 यात्रा
3/7/16 यात्रा

3/7/16 यात्रा
9/7/16 यात्रा

SD
कुलपति सचिवालय
सं. No. 2646

विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली

3.1 विश्वविद्यालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, अधिनियम 1999 उत्तर प्रदेश, (अधिनियम संख्या 10, 1999) के अन्तर्गत हुई। इस विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा योजना के उच्चतर्गत एक मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया, जिससे पूरे प्रदेश में सुनियोजित ढंग से उच्च शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से संचालित हो सके। विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र जुलाई, 1999 से प्रारम्भ हुआ।

3.2 विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य

विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से अतिसंख्य जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची गें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

3.3 मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएँ

- शिक्षा वाक्यस्था पूर्णतया शिक्षार्थी केन्द्रित है।
- किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के चयन में शिक्षार्थी के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, अर्थात् पाठ्यक्रम के चयन में एक लंबीलापन अन्तर्निहित है।
- प्रत्येक शिक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्र पर उपलब्ध कार्यक्रमों में से कार्यक्रम चयन की सुविधा उपलब्ध है।
- मुक्त विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम के प्रवेशार्थी अन्य किसी विश्वविद्यालय में भी छात्र रह सकते हैं परन्तु छात्र को अन्य संस्था में अध्ययनरत रहने की सम्पूर्ण सूचना विश्वविद्यालय को देनी अनिवार्य है।
- रारकारी अथवा गैरसरकारी संस्था में सेवारत रहते हुए पाठ्य-पाठ्न कर सकते हैं परन्तु उन्हें उस संस्था में सेवारत रहने की सम्पूर्ण सूचना विश्वविद्यालय को देनी आवश्यक है।
- इस प्रणाली में निर्धारित पाठ्यक्रम को एक न्यूनतम अवधि से लेकर अधिकतम अवधि के बीच में पूरा करने का प्रावधान है।
- उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम के प्रवेशार्थी/शिक्षार्थी अन्य विश्वविद्यालय में भी छात्र रह सकते हैं, परन्तु उसी प्रकृति अर्थात् उसी स्तर के उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र के कार्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति अथवा दूरस्थ एवं परम्परागत शिक्षा पद्धति से उसी विश्वविद्यालय अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में कोई अध्ययनरत शिक्षार्थी निम्न संयोजन के अनुसार कार्यक्रमों में प्रवेश लेने का विकल्प चुन सकता है –
 1. एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा/परास्नातक डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कार्यक्रम
 2. एक परास्नातक डिप्लोमा एवं डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कार्यक्रम
 3. एक डिप्लोमा एवं एक प्रमाण-पत्र कार्यक्रम
 4. दो परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम
 5. दो डिप्लोमा कार्यक्रम
 6. दो प्रमाण-पत्र कार्यक्रम

गोट : अन्य विश्वविद्यालय में नामांकित शिक्षार्थी को अध्ययनरत रहने की सम्पूर्ण सूचना विश्वविद्यालय को देनी अनिवार्य होगी।

- यदि कोई शिक्षार्थी अपने द्वारा चयनित कार्यक्रम के किसी भी प्रश्न पत्र की परीक्षा में असफल हो जाता है या किन्हीं कारणों से परीक्षा छोड़ देता है तो उसे वह परीक्षा बैक पेपर के रूप में हर छः माह में देनी होती है, परन्तु परीक्षा समय-सारणी में वर्तमान सेमेस्टर एवं गत सेमेस्टर के किसी प्रश्न पत्रों की तिथि एवं समय एक साथ पढ़ जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी।
- इस विश्वविद्यालय में दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त शिक्षार्थियों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा तिथि एवं समय एक साथ पढ़ जाने पर विश्वविद्यालय उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करेगा।

3.4 विश्वविद्यालय का मुख्यालय

वर्तमान समय में विश्वविद्यालय का मुख्यालय तीन परिसरों में अवस्थित है –

- विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर (गंगा परिसर) – वर्तमान में विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद में स्थित है। इस परिसर में कुलपति, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक का

2.2 परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था

(1) इस विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र को अलग से परीक्षा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों से कार्यक्रम शुल्क के साथ ही परीक्षा शुल्क भी ले लिया जाता है। बैंक प्रश्न पत्र के लिए परीक्षाधिकारीयों को अलग से ३०० लाइन परीक्षा फार्म नहीं भरना होगा और उसे प्रति प्रश्न पत्र 400/- रु. का बैंक ई-चालान 'वित्त अधिकारी, च०४०' राजधानी टप्पडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद' के नाम देय हो, जमा करना होगा।

1	बैंक फीस	400 रुपया	प्रति प्रश्न पत्र
2	संवीक्षा शुल्क	200 रुपया	प्रति प्रश्न पत्र
3	कार्यक्रम शुल्क	प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क	वर्तमान प्रवेश सत्र के लिए ही लागू सत्र में कार्यक्रम पूर्ण न करने पर पुनः परीक्षा देने हेतु 400/- प्रति प्रश्न पत्र की दर से बैंक चालान के माध्यम से देय होगा।
4	अंक सुधार	-	कोई प्राक्षणन नहीं है।
5	अनुत्तीर्ण छात्र	400 रु. प्रति प्रश्न पत्र	बैंक शिक्षार्थी माना जाएगा।
6	सेमेस्टर परीक्षा एवं वार्षिक प्रणाली को पूर्ण रूपेण छोड़ देने की स्थिति में	400 रु. प्रति प्रश्न पत्र	बैंक शिक्षार्थी माना जाएगा।
7	बैंक शिक्षार्थी	400 रु. प्रति प्रश्न पत्र	बैंक फार्म भरना अनिवार्य।
8	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन	800/- रुपया	परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व परीक्षा क्रायलिय को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9	सेमेस्टर प्रणाली की प्रस्तावित परीक्षा	-	जुलाई सत्र - 15 दिसंबर एवं 15 मई जनवरी सत्र - 15 मई एवं 15 दिसंबर
10	वार्षिक प्रणाली की प्रस्तावित परीक्षा तिथि	-	जुलाई सत्र - 15 मई जनवरी सत्र - 15 दिसंबर
11	अधिन्यास कार्य	-	स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.जी. डिप्लोमा एवं नॉन-क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रमों में अनिवार्य अन्य कार्यक्रमों में आवश्यक नहीं है।
12	अधिन्यास मूल्यांकन	आन्तरिक मूल्यांकन सत्रांत मूल्यांकन	30 अंकों में
13	परियोजना कार्य का मूल्यांकन	आन्तरिक मूल्यांकन सत्रांत मूल्यांकन	70 अंकों में 30 अंकों में
14	प्रयोगात्मक कार्य	कार्यक्रम की प्रकृति के अनुसार	70 अंकों में एग.सी.ए. कार्यक्रम को छोड़कर सभी में लागू।
15.	शिक्षार्थी को नियमानुसार घेड़ आवंटित किये जायेगे:-		कार्यक्रम के लिए अनुमन्य क्रेडिट के अनुसार निर्धारित।
	Letter Grade	Grade Point	% Range
O (Outstanding)		10	90+
A+ (Excellent)		9	80+
A (Very Good)		8	70+
B+ (Good)		7	60+
B (Above Average)		6	50+
C (Average)		5	40+
P (Pass)		4	36+
F (Fail)		0	<36
Ab (Absent)		0	

- शिक्षार्थी द्वारा जमा शुल्क उस सत्र में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए अनुमन्य होगा, जिसका उत्तेज शिक्षार्थी द्वारा अौन लाइन प्रवेश फार्म में कस्ता अनिवार्य है। यदि शिक्षार्थी ने प्रवेश फार्म भरा है और परीक्षा हेतु अहं हैं किन्तु किसी निजी क्रायल से पूर्ण परीक्षा अथवा आंशिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो उसे पुनः पूरी अथवा अवशेष परीक्षा देने के लिए बैंक परीक्षा फार्म भरा होगा और बैंक पेपर परीक्षा शुल्क पुनः जमा कस्ता होगा। सत्रांत कार्य (अधिन्यास कार्य) भी नियमानुसार पूरा करना होगा।
- घोषित परीक्षाफल एवं निर्मित अंकतालिका में शिक्षार्थी हीने की दशा में उपलब्ध परीक्षा अधिलेख के आधार पर निर्णियत ही मान्य होगा।
- परीक्षा में वही छम सम्मिलित होने के लिए अहं होगे जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित होने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं।
- परीक्षार्थी की लिखित उत्तर पुस्तिकालों के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्राक्षणन नहीं है परन्तु सत्रांत परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकालों की संवीक्षा की जा सकती है इसके लिए 200/- रु. प्रति प्रश्न पत्र की दर से संवीक्षा शुल्क के साथ परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक माह के अन्दर संवीक्षा हेतु प्रारंभना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। संवीक्षा शुल्क ई-चालान के माध्यम से जो वित्त अधिकारी, च०४० राजधानी टप्पडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद' के पद्धति में देय हो, स्वीकार किया जाएगा।

3.6.2 प्रवेश पद्धति

- विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फार्म पर आवेदन करना होगा। प्रवेश फार्म के साथ सभी श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थी को उनके द्वारा चयनित कार्यक्रम के लिए निर्धारित प्रवेश शुल्क की जमा वटी गई धनराशि की ई-चालान की विश्वविद्यालय प्रति जो “वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद” के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
- ऑन लाइन प्रवेश फार्म के प्रिण्ट आउट के साथ अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का स्वहस्ताक्षरित एवं प्रमाणित अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र के साथ ही एण्टी रैमिंग शपथ-पत्र पत्र को पूरित करते हुए मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करें। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी स्थान अधिकारी द्वारा निर्गत जाति/वर्ग प्रमाणपत्र संलग्न करें।
- प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अलग-अलग आन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने होंगे।
- प्रवेश के लिए प्राप्त ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सूची घोषित की जाएगी। जिसकी सूचना अभ्यर्थी को अध्ययन केन्द्र (जहाँ वह प्रवेश लेना चाहता है) द्वारा उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित सूची ही वैध एवं मान्य होगी। शिक्षार्थी को उसके द्वारा माँगे गए अध्ययन केन्द्र का आवंटन न होने की परिस्थिति में अभ्यर्थी को उसके आवेदन पत्र में दिये गये पत्राचार के पते पर सूचना दी जाएगी। जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आवित अध्ययन केन्द्र का उल्लेख होगा।
- शिक्षार्थी के प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त यदि विश्वविद्यालय को ज्ञात होता है कि सम्बन्धित शिक्षार्थी ने ऑनलाइन आवेदन फार्म में गलत सूचना प्रविष्ट की है या गलत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र लगाया है तो उसकी पुष्टि होने पर उसका प्रवेश बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा और उसके द्वारा जगा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। गलत सूचना के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यताही भी की जाएगी। इसलिए ऑनलाइन प्रवेश फार्म गरते समय शिक्षार्थी विशेष सावधानी एवं सतर्कता के साथ सही सूचना का ही उल्लेख करें।

3.6.3 ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरने हेतु गुरुत्व बिन्दु

- शिक्षार्थी ऑनलाइन प्रवेश आवेदन से सम्बन्धित सभी जानकारियाँ सूचना विवरणिका से प्राप्त कर सकते हैं।
- शिक्षार्थी सर्वप्रथम ऑनलाइन प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर दिए गए ऑनलाइन लिंक के जरिए वैकं चालान को जनरेट करेंगे।
- ऑनलाइन प्रवेश आवेदन लिंक में शिक्षार्थी को निम्न जानकारियाँ उपलब्ध होंगी-
 - ई-सूचना विवरणिका।
 - कार्यक्रम का विवरण।
 - ऑनलाइन प्रपेश आवेदन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश।
 - ऑनलाइन प्रवेश के लिए चालान जनरेशन लिंक।
 - ई-मेल।
 - हाई स्कूल अनुक्रमांक।
- ऑनलाइन ई-चालान (फार्म) में शिक्षार्थी द्वारा भरी जाने वाली सूचनाएँ-
 - शिक्षार्थी का नाम
 - पिता/माता
 - जन्म तिथि
 - जिला/पता
 - कार्यक्रम कोड
 - अध्ययन केन्द्र कोड
 - मोबाइल नम्बर
- शिक्षार्थी ऑनलाइन ई-चालान को जनरेट करके सर्वप्रथम उसके प्रिन्टआउट को निकालेंगे।
- ऑनलाइन ई-चालान तीन प्रतियों में होगा— 1) वैकं कापी
- 2) शिक्षार्थी कॉपी
- 3) विश्वविद्यालय कॉपी

कार्यालय, प्रवेश अनुभाग, पाठ्य—सामग्री अनुभाग, परामर्श प्रकोष्ठ, प्लेसमेण्ट सेल, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, नवाचार प्रकोष्ठ, मीडिया—सेंटर, अतिथि गृह, जलपान—गृह, स्वास्थ्य केन्द्र और माननीय कुलपति जी का आवास स्थित है।

(x) विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिसर (सारस्वती परिसर) — इस परिसर में शिक्षा विद्याशाखा, मानविकी विद्याशाखा, समाज विज्ञान विद्याशाखा, व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, याज्ञवल्क्य पुस्तकालय—वाचनालय, चरखा प्रयोगशाला एवं शोध अनुभाग स्थित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं अन्य पाठ्य—संहगामी क्रियाओं के आयोजन के लिए अत्याधुनिक संसाधनों से पूर्ण लोकमान्य तिलक शास्त्रीय समागम का निर्माण किया गया है।

(y) विश्वविद्यालय का यमुना परिसर — विश्वविद्यालय के यमुना परिसर का भूमिपूजन एवं शिलान्यास उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल एवं मा. कुलाधिपति श्री रामनाइक जी के कर—कमलों द्वारा दिनांक 19.04.16 को सम्पन्न हुआ। इस परिसर में विश्वविद्यालय के अधिकारियों अध्यापकों एवं कर्मचारियों के आवास का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही इस परिसर में ही क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद हेतु भवन का कार्य प्रस्तावित है। इस परिसर में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और शीघ्र ही इसके पूर्ण होने की सम्भावना है।

3.5 विश्वविद्यालय की विद्याशाखाएँ

1. मानविकी विद्याशाखा
2. समाज विज्ञान विद्याशाखा
3. विज्ञान विद्याशाखा
4. शिक्षा विद्याशाखा
5. कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा
6. प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा
7. स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा
8. व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा
9. कृषि विज्ञान विद्याशाखा
10. अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी विद्याशाखा

3.6 प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक अनुदेश एवं नियमावली

3.6.1 प्रवेश नियमावली

- (i) प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया पूरे वर्ष निरन्तर संचालित रहेगी। परन्तु इसके अन्तर्गत दो सत्रों में प्रवेश लिया जाएगा। जिसे पूर्व की भौति जुलाई एवं जनवरी सत्र के नाम से जाना जाएगा। 16 फरवरी से 15 सितम्बर तक ऑन लाइन प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थीयों को जुलाई सत्र में प्रवेश दिया जाएगा तथा 16 सितम्बर से 15 फरवरी तक ऑन लाइन प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थीयों को जनवरी सत्र में प्रवेश दिया जाएगा।
- (ii) शिक्षार्थीयों का प्रवेश ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म जमा करने की तिथि के आधार पर ही सम्बन्धित सत्र हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्वतं कर दिया जाएगा और शिक्षार्थी को उस सत्र के सापेक्ष निर्धारित माह में ही परीक्षा देनी होगी।
- (iii) जुलाई सत्र के प्रथम वर्ष के प्रवेशित शिक्षार्थी अपने द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए अगले सत्र के जुलाई सत्र में ही प्रवेश के लिए आवेदन करेंगे। इसी प्रकार जनवरी सत्र के प्रथम वर्ष के प्रवेशित शिक्षार्थी अपने द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए अगले सत्र के जनवरी सत्र में ही प्रवेश के लिए आवेदन करेंगे। जुलाई सत्र के शिक्षार्थी को जनवरी सत्र में एवं जनवरी सत्र के शिक्षार्थी को जुलाई सत्र में प्रवेश किसी भी दशा में अनुग्रन्थ नहीं है।
- (iv) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी को प्रवेश सूचना विवरणिका को क्रय करना अनिवार्य होगा। प्रवेशित शिक्षार्थीयों को कार्यक्रम के पूर्ण होने की अवधि तक इस विवरणिका को सुरक्षित रखना आवश्यक है तथा इसके नियमों एवं आवश्यक अनुदेशों का समय—समय पर अवलोकन करना होगा।
- (v) कार्यक्रम शुल्क ई—चालान के माध्यम से ही जमा किया जाएगा। ई—चालान जमा करने की सुविधा इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध रहेगी।
- (vi) शिक्षार्थी अपनी अहंता सम्बन्धी जांच ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व स्वयं करेंगे। यदि अभ्यार्थी द्वारा जमा प्रवेश आवेदन फार्म में यह पाया गया कि शिक्षार्थी प्रवेश हेतु अहं नहीं है तो किसी भी समय ऐसी दशा में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षार्थी की होगी और उसके द्वारा जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

Ref. No. K/Gmuss/REC/DDN/157

Email : recognition.dept@gmvss.ac.in

Dated : 26/06/2016

प्रेषक:

रवि कान्त वर्मा
निदेशक भान्यता
ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS)
नेनीताल रोड, हल्द्वानी
उत्तराखण्ड

सेवा मे:

कुलसचिव
यू.पी. राजन्त्रिपि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश

विषय:- अधिसूचना संख्या 882(1)/पी०पी०एस०/सी०एम०/2016 दिनांक 10/12/2016 व सरकारी गजट पंजीयन
यू०ए०/ठी०अ००/ठ००ठी०एन०/30/2015-17 खण्ड-17] रुक्ती, शनिवार दिनांक 23 अप्रैल, 2016 ई० (वैशाख
03,1938 शक सम्बत) संख्या-17 भाग -1 के संदर्भ मे

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके राज्ञान मे लागा है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 882(1)/
पी०पी०एस०/सी०एम०/2016 दिनांक 10/12/2016 व सरकारी गजट पंजीयन यू०ए०/ठी०अ००/ठ००ठी०एन०/30/2015-17
खण्ड -17] रुक्ती, शनिवार दिनांक 23 अप्रैल, 2016 ई० (वैशाख 03,1938 शक सम्बत) [संख्या-17 भाग-1 के
अन्तर्गत ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) द्वारा आयोजित परीक्षा व जारी प्रगति-पत्रों को
उत्तराखण्ड सरकार ने मान्यता/समक्षता प्रदान की है। जिसकी अधिकृत Website www.gmvss.ac.in है।
तथानुसार आपसे दिनांक अनुरोध है कि ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) से इंटर्नेशनल उत्तीर्ण
छात्र/छात्रा को उच्च शिक्षा मे प्रवेश देने की अनुमति प्रदान करें।

उपरोक्त अधिसूचना उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट www.gazette.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती
है तथा सरकारी गजट को गिम्न लिंक www.gazettes.uk.in/entry/gazette/1/230416.pdf से डायरेक्ट भी
डाक्नलोड किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) को यू.पी. राजन्त्रिपि टंडन मुक्त
विश्वविद्यालय, की मान्यता प्राप्त बोर्ड लिरेट मे अंकित करें।

धन्यवाद!

रवि कान्त वर्मा
निदेशक भान्यता
ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS)
नेनीताल रोड, हल्द्वानी
उत्तराखण्ड

संलग्न 1-राजपत्र E कॉपी
2-अधिसूचना

पत्रांक संख्या.....

दिनांक...../...../2016

छाया प्रति:-

1-परीक्षा नियंत्रक, यू.पी. राजन्त्रिपि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय,

164

रवि कान्त वर्मा
निदेशक भान्यता
ग्रामीण मुक्त F - जयो शिक्षा संस्थान (GMVSS)
नेनीताल रोड, हल्द्वानी
उत्तराखण्ड



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2016 ई० (बैशाख ०३, १९३८ शक सम्वत) [संख्या-17

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चंदा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	₹०
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	253-256	1500
भाग 1-क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएं, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	445-459	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्ता शक्तिन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निवाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	09	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेवशन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निवाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	115-121	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
मुख्यमंत्री सचिवालय

अधिसूचना

10 मार्च, 2016 ई०

संख्या 882(1)/पी०पी०एस०/सी०एम०/2016—ग्रामीण, पिछड़े व असहाय लोगों में शिक्षा के प्रचार—प्रसार में सहयोग के लिए ग्रामीण भूक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान [(GMVSS) www.gmvss.ac.in] द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता/समकक्षता प्रदान करते हुए प्रमाण—पत्र जारी करने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय से इस हेतु अनापति जारी की जाती है।

प्रकाश चन्द्र उपाध्याय,
वरिं० प्रमुख निजी सचिव,
मा० मुख्यमंत्री।

वित्त अनुमान—8

अधिसूचना/पदोन्नति

21 मार्च, 2016 ई०

संख्या 248/2016/45(100)/XXVII(8)/05—एतद्द्वारा वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नांकित संयुक्त आयुक्त को अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, वेतनमान ₹ 37,400—67,000, सादृश्य घेड वेतन ₹ 8,900, के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. श्री नर सिंह दत्ताल,
 2. श्री विपिन चन्द्र,
 3. क्षे मगवत सिंह नगन्याल।
2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति की योगदान आख्या आयुक्त कर, कार्यालय, देहरादून में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे तथा वे अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर अग्रिम आदेशों तक ज्वाइंट कमिशनर के पद का कार्य पूर्व की भाँति सम्पादित करेंगे।

आशा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्ता से अनु०—2

विज्ञप्ति/पदोन्नति

22 मार्च, 2016 ई०

संख्या 266/XII—2/2016/93(26)/2004—ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600—39,100, घेड वेतन ₹ 6,600 के पद पर नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. श्री हितेब पाल, सहायक अभियन्ता (सिविल),
 2. श्री तेज पाल, सहायक अभियन्ता (सिविल)।
2. उक्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल), कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

उत्तराखण्ड शासन

मुख्यमंत्री सचिवालय

अधिसूचना

10 मार्च, 2016 ई०

संख्या 882(1)/पीपीएस/2016—ग्रामीण, पिछडे व असहाय लोगों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सहयोग लें दिए ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संशान [(GMVSS), www.gmvss.eo.in] द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता/समकक्षता प्रदान करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय से इस हेतु अनापति जारी की जाती है।

प्रकाश चन्द्र उपाध्याय,
वरिं प्रमुख निजी सचिव,
मा० मुख्यमंत्री।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 23—04—2016, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि दूषनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०य० (आर०ई०) ०१ मुख्यमंत्री संधि०/२५७—१६—०५—२०१६—५० (कम्प्यूटर/रीजिस्ट्रॉ)।

१. शैक्षणिक कार्यक्रम—एक दृष्टि

(अ) स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.जी. डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रगाण—पत्र एवं नॉन-क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रम वार्षिक आधार पर आधारित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का विवरण

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme	अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)		माध्यम Medium of Instruction (H/E) #	कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.) Per Year*	प्रवेश हेतु न्यूनतम अहता Minimum Qualification for Admission	कार्यक्रम की प्रकृति Nature of Programmes
		Min.	Max.				
१. स्नातक कार्यक्रम Bachelor Programmes							
101	Bachelor of Arts (B.A.) स्नातक कला (बी.ए.)	3	6	H/E	3500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
102	Bachelor of Commerce (B.Com.) स्नातक व्यापिक्य (बी.कॉम.)	3	6	H/E	4000/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
103.	B.A. in Tourism पर्यटन में बी.ए.	3	6	H/E	3500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
२. स्नातक विज्ञान (बी.एस—सी.) Bachelor of Science (B.Sc.)							
104	Bachelor of Science (B.Sc.) स्नातक विज्ञान (बी.एस—सी.)	3	6	H/E	8000/-	10+2 Science	वार्षिक प्रणाली
३. स्नातकोत्तर कार्यक्रम Postgraduate Programmes							
201	स्नातकोत्तर कला (Master of Arts) [MA] (Hindi, *English, History, Sociology, Political Science, Economics, Education, Statistics*, Philosophy, Sanskrit, Social Work)	2	4	H	7000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
214	व्यापिक्य में स्नातकोत्तर Master of Commerce [M.Com.]	2	4	H	7000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
223	विज्ञान में स्नातकोत्तर Master of Science (M.Sc.) सार्विकी एवं जैवरसायन (Statistics & Biochemistry)	2	4	E	8000/-	Graduate (10+2+3) with concerned subject	वार्षिक प्रणाली

* MA (English) वार्षिकी माध्यम

M.Sc. (Statistics & Biochemistry) अहता सम्बन्धी विस्तृत विवरण हेतु पृष्ठ सं 73 देखें।

* MA (Statistics) वार्षिकी माध्यम

वार्षिक आधार पर आधारित एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों का विवरण:—

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme	अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)		माध्यम Medium of Instruction (H/E) #	कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम अहता Minimum Qualification for Admission	कार्यक्रम की प्रकृति Nature of Programmes
		Min.	Max.				
४. स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम Post Graduate Diploma Programmes							
207	अनुग्रह में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Translation [PGDT]	1	3	H	4000/-	Graduate (10+2+3) with Hindi/ Eng. as one of the subject with adequate Knowledge and proficiency in Hindi/Eng.	वार्षिक प्रणाली
210	हिन्दी में रचनात्मक सेखन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Creative Writing in Hindi [PGDCWH]	1	3	H	4000/-	Graduate (10+2+3) with Hindi as a subject at Degree level	वार्षिक प्रणाली
211	शिक्षा प्रणाली में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Educational Administration) [PGDEA]	1	3	H	7000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
212	पर्यावरण एवं स्थानीय विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Environment and Sustainable Development) [PGD-ESD]	1	3	E	7000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली

(1)

15

160

213	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबन्धन एवं फ़िल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Electronic Media Management and Film Production) [PGDEM&FP]	1	3	H	7000/-	Graduate 10+2+3	वार्षिक प्रणाली
220	व्यक्तिगत योजनाएँ एवं कैरियर काउनसिलिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Vocational Guidance and Career Counselling [PGDVGCC]	1	3	H	4000/-	Trained Graduate (10+2+3) Teacher with two years experience OR M.A. (Education)/M.A. (Psychology)/M.Ed. OR Educational Administration with degree in Education /Psychology and 2 years experience.	वार्षिक प्रणाली
221	दूरभास शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Distance Education (PGDDE)	1	3	E	7000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
224	प्रशासनिक हिन्दी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Functional Hindi (PGDFH)	1	3	H	4000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
225	नामित प्रकल्पों एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Rural Journalism and Mass Communication (PGDRJMC)	1	3	H	4000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
976	ग्राहक संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Consumer Protection (PGDCP)	1	3	H	4000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
977	ग्रीन सोशल वर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Green Social Work (PGDGSW)	1	3	H	4000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
982	गांधी विचार एवं शान्ति अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Gandhian Thought and Peace Studies (PGDGTS)	1	3	H	4000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
1004	Post Graduate Diploma in Bio Statistics and Demography (PGDBSD)	1	3	E	4000/-	Bachelor Degree with math at 10+2 Level	वार्षिक प्रणाली
1005	Post Graduate Diploma in Bio-statistics and Population Studies (PGDBSPS)	1	3	E	4000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
1006	Post Graduate Diploma in Dietetics and Therapeutic Nutrition (PGDDTN)	1	3	H/E	7000/-	Graduate in Home Science/Biological Science/Degree in Health Science Area	वार्षिक प्रणाली
1007	Post Graduate Diploma in Hospital and Public Health Management (PGDHMH)	1	3	E	7000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली
1008	धृष्टिगतिक पर्यटन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Spiritual Tourism (PGDST)	1	3	H	4000/-	Graduate (10+2+3)	वार्षिक प्रणाली

वार्षिक आधार पर आधारित एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों का विवरण :-

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme		अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)		माध्यम Medium of Instruction (H/E)*	कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम आर्हता Minimum Qualification for Admission	कार्यक्रम की प्रकृति Nature of Programmes
			Min	Max.				
5. सामान्य डिप्लोमा कार्यक्रम General Diploma Programmes								
301	स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण में डिप्लोमा Diploma in Health Education and Nutrition [DHEN]		1	3	H/E	4000/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
302	पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा Diploma In Tourism Studies [DTS]		1	3	H/E	4000/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
303	ग्रामीण विकास में डिप्लोमा Diploma in Rural Development [DRD]		1	3	H/E	4000/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
304	डायेटिक्स एवं न्यूट्रीशन में डिप्लोमा Diploma in Dietetics and Nutrition [DCDN]		1	3	E	5500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली

(2)

169

305	प्रारंभिक बाल्यावस्था परिवर्या एवं शिक्षा में डिप्लोमा Diploma in Early Childhood Care and Education [DECE]	1	3	H/E	4000/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
601	फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा Diploma in Fashion Designing (DFD)	1	3	H/E	5500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
602	टेक्स्टाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा Diploma in Textile Designing (DTD)	1	3	H/E	5500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
603	डिलोमा इन फोटोग्राफी Diploma in Photography [DIP]	1	3	E	4500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
604	डिलोमा इन होम आर्ट्स Diploma in Home Arts [DHA]	1	3	E	4500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
905	डिलोमा इन एप्लाइड स्टेटिस्टिक्स एण्ड कंप्यूटर Diploma in Applied Statistics and Computer (DASC)	1	3	E	4500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
980	डिलोमा इन ज्वेलरी डिजाइन Diploma in Jewelry Designing (DJD)	1	3	E	4500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
981	डिलोमा इन पेपर क्राफ्ट Diploma in Paper Craft (DPC)	1	3	E	4500/-	10+2	वार्षिक प्रणाली
983	डिलोमा इन उर्दु Diploma in Urdu (DUR)	1	3	Urdu	4000/-	10+2 Pass (with Urdu as one of the Subjects) Or its Equivalent or a certificate in Urdu Language from IGNOU	वार्षिक प्रणाली
984	डिलोमा इन उर्दू जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन Diploma in Urdu Journalism & Mass Communication (DUJMC)	1	3	Urdu	4000/-	10+2 Pass (with Urdu as one of the Subjects) Or its Equivalent or a certificate in Urdu Language from IGNOU	वार्षिक प्रणाली
985	डिलोमा इन उर्दू न्यूज रीडिंग एण्ड एंकरिंग Diploma in Urdu News Reading & Anchoring (DUNRA)	1	3	Urdu	4000/-	10+2 Pass (with Urdu as one of the Subjects) Or its Equivalent or a certificate in Urdu Language from IGNOU	वार्षिक प्रणाली

सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित स्नातक कार्यक्रमों का विवरण :-

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme		अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)		माध्यम Medium of Instruction (H/E) #	कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम अहता Minimum Qualification for Admission	कार्यक्रम की प्रकृति Nature of Programmes
			Min.	Max.				
1. स्नातक कार्यक्रम / Bachelor Programmes								
105	कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक Bachelor of Computer Application (BCA)		3	6	E	12000/-	10+2 with Maths or Computer Course of 6 months duration or CCC or equivalent.	सेमेस्टर प्रणाली
106	ब्यासासय प्रशासन में स्नातक Bachelor of Business Administration (BBA)		3	5	E	9000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
202	पुस्तकालय एवं संचयन विज्ञान में स्नातक Bachelor of Library and Information Science (BLIS)		1	3	H	7500/-	Graduate (10+2+3)	सेमेस्टर प्रणाली

सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का विवरण

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme	अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)		माध्यम Medium of Instruction (H/E) #	कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम अहेला Minimum Qualification for Admission	कार्यक्रम की प्रकृति Nature of Programmes
		Min.	Max.				
2. स्नातकोत्तर कार्यक्रम Post Graduate Programmes							
203	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर Master of Library and Information Science [MLIS]	1	3	H	12000/-	Bachelor of Library and Information Science (BLIS)	सेमेस्टर प्रणाली
205	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर Master of Journalism (MJ)	2	4	H	6000/-	Graduate (10+2+3)	सेमेस्टर प्रणाली
706	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर Master of Computer Science (MSc. CS.)	2	4	E	12000/-	Graduate (10+2+3) with Computer Science	सेमेस्टर प्रणाली

सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों का विवरण :-

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme	अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)		माध्यम Medium of Instruction (H/E) #	कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम अहेला Minimum Qualification for Admission	कार्यक्रम की प्रकृति Nature of Programmes
		Min.	Max.				
3. स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम Post Graduate Diploma Programmes							
204	पत्रकारिता एवं जनरालियर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication (PGDJMC).	1	3	H	6000/-	Graduate (10+2+3)	सेमेस्टर प्रणाली
206	फिनेंशियल मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Financial Management (PGDFM)	1	3	E	6000/-	Graduate (10+2+3)	सेमेस्टर प्रणाली
208	अन्तर्राष्ट्रीय मार्केटिंग और ई-बिजनेस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in International Marketing and E-Business (PGDIMB)	1	3	E	6000/-	Graduate (10+2+3) with 6 months Computer Diploma or DOEACC 'O' Level.	सेमेस्टर प्रणाली
215	विपणन घटकानन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Marketing Management (PGDMM)	1	3	E	8000/-	Graduate (10+2+3)	सेमेस्टर प्रणाली
216	उत्पादन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Production Management (PGDPM)	1	3	E	8000/-	Graduate (10+2+3)	सेमेस्टर प्रणाली
217	मानव संसाधन विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Human Resource Development (PGDHRD)	1	3	E	8000/-	Graduate (10+2+3)	सेमेस्टर प्रणाली
501	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)	1	3	E	15,000/-	Graduate (10+2+3) with Maths at 10+2 or six months Computer Course	सेमेस्टर प्रणाली
978	टूरिज्म मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा Post Graduate Diploma in Tourism Management (PGDTM)	1	3	E	4,000/-	Three year Bachelor Degree	सेमेस्टर प्रणाली
1001	Post Graduate Diploma in Agriculture Extension (PGDAE)	1	3	E	6000/-	**** See detail in Page No. 104	सेमेस्टर प्रणाली
1003	Post Graduate Diploma in Cyber Law and Information Security (PGDCIS)	1	3	E	10,000	*** See detail in Page No. 105	सेमेस्टर प्रणाली

1005	Post Graduate Diploma in Computer Animation (PGDCAN)	1	3	E	10,000/-	Three year Bachelor Degree with Mathematics at 10+2 level or 6 months Computer Course	सेमेस्टर प्रणाली
------	--	---	---	---	----------	---	------------------

नोट— PGDAE and PGDCIS अहता सम्बन्धी विस्तृत विवरण हेतु पृष्ठ सं 104 एवं 105 देखें।

सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित एक वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों का विवरण:—

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme	अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)		माध्यम Medium of Instruction (H/E) #	कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम अहता Minimum Qualification for Admission	कार्यक्रम की प्रकृति Nature of Programmes
		Min.	Max.				
4.	सामान्य डिप्लोमा कार्यक्रम General Diploma Programmes						
502	कम्प्यूटर में नेटिव डिप्लोमा Basic Diploma in Computer (DIC)	1	3	E	8000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
504	कार्यालय प्रबन्धन में कम्प्यूटर में डिप्लोमा Diploma in Computer office Management (DCOM)	1	3	E/H	8000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
506	हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा Diploma in Hardware Technology (DIHT)	1	2	E	8000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
1025	Diploma in Web Technology (DWT)	1	3	E	8000/-	10+2 Equivalent/3 year Diploma	सेमेस्टर प्रणाली

प्रमाण—पत्र कार्यक्रमों का विवरण:—

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme	अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)		माध्यम Medium of Instruction (H/E) #	कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम अहता Minimum Qualification for Admission	कार्यक्रम की प्रकृति Nature of Programmes
		Min.	Max.				
5.	प्रमाण—पत्र कार्यक्रम Certificate Programmes						
401	पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीकी एवं मूल्य संवर्धन में प्रमाण—पत्र Certificate in post Harvest Techology and Value Addition [CPHT&VA]	½	2	H	3000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
402	ओर्गेनिक एवं सामाजिक पोषण की खेती में प्रमाण—पत्र Certificate in Cultivation of Medicinal and Aromatic plants (CCMAP)	½	2	H	3000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
403	पशुओं उत्पादन प्रणाली में प्रमाण—पत्र Certificate in Live Stock Production System [CLPS]	½	2	H	3000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
406	पर्यटन अध्ययन में प्रमाण—पत्र Certificate in Tourism Studies (CTS)	½	2	H/E	3000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
408	शिशु पोषण एवं बोवाण में प्रमाण—पत्र Certificate in Child Care and Nutrition [CCCN]	½	2	H/E	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
407	पोषण एवं आवार में प्रमाण—पत्र Certificate in Nutrition and Food [CNF]	½	2	H/E	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
408	सफोक्स्टा संवाद में प्रमाण—पत्र Certificate in Consumer Protection [CCP]	½	2	H/E	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
409	मानवाधिकार में प्रमाण—पत्र Certificate in Human Rights (CHR)	½	2	H/E	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
412	आपदा प्रबन्धन में प्रमाण—पत्र Certificate in Disaster Management [CDM]	½	2	H/E	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली

413	एच.आई.यॉर्ड एवं परिवार शिक्षा में प्रमाण-पत्र Certificate in H/M and Family Education [CHFE]	½	2	H/E	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
414	महिला समर्पितकरण एवं कासा में प्रमाण-पत्र Certificate in Women Empowerment and Development [CWED]	½	2	H/E	3000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
415	योग में प्रमाण-पत्र अद्यतन Certificate Course in Yoga [CCY]	½	2	H	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
417	कार्पेट एवं टेक्सल टेक्नोलॉजी में प्रमाण-पत्र Certificate in Carpet and Textile Technology [CCTT]	½	2	H	2000/-	8 th Pass	सेमेस्टर प्रणाली
418	कारबाज़न एवं निवात-आयात प्रबन्धन में प्रमाण-पत्र Certificate in Taxation and Export- Import Management [CTEIM]	½	2	E	3000/-	Graduate (10+2+3)	सेमेस्टर प्रणाली
423	व्हाइरिक अपराह्न शास्त्र में प्रमाण-पत्र Certificate in Applied Criminology [CAC]	½	2	H/E	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
424	फैशन डिजाइनिंग में प्रमाण-पत्र Certificate in Fashion Designing [CFD]	½	2	H/E	3000/-	10 th Pass	सेमेस्टर प्रणाली
425	टेक्साइल डिजाइनिंग में प्रमाण-पत्र Certificate in Textile Designing [CTD]	½	2	H/E	3000/-	10 th Pass	सेमेस्टर प्रणाली
426	ग्रामीण प्रकाशिति एवं जनसंचार में प्रमाण-पत्र Certificate in Rural Journalism and Mass Communication [CRJMC]	½	2	H	2000/-	10 th Pass	सेमेस्टर प्रणाली
505	कम्प्यूटर में प्रमाण-पत्र Certificate in Computer Course (CCC)	½	2	H/E	5500/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
959	व्यावहारिक सांख्यिकी और कम्प्यूटर में प्रमाण-पत्र Certificate in Applied Statistics and Computer (CASC)	½	2	E	2000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
961	फॉरेंसिक साइंस में प्रमाण-पत्र Certificate in Forensic Science (CFS)	½	2	E	6000/-	10+2 (Science)	सेमेस्टर प्रणाली
979	टूरिज़ मैनेजमेंट में प्रमाण-पत्र Certificate in Tourism Management (CTM)	½	2	E	3000/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
1051	Certificate in Poultry Farming (CPF)	½	2	H	3000/-	10 th Pass	सेमेस्टर प्रणाली
1052	Certificate in Bee Keeping (CIB)	½	2	H	3000/-	8 th Pass Or Professional Bee Keeping	सेमेस्टर प्रणाली
1053	Certificate Programme in Laboratory Technique (CPLT)	½	2	E	5500/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
1054	Certificate Course in Computer Animation (CCCA)	½	2	E	5500/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
1055	Certificate Course in Web Designing and Development (CCWD)	½	2	E	5500/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली
1056	Certificate Course in Linux Administration (CCLA)	½	2	E	5500/-	10+2	सेमेस्टर प्रणाली

नॉन-क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण:-

कार्यक्रम कोड Prog. Code	कार्यक्रम का नाम Name of the programme	अवधि (वर्षों में) Duration (in Years)	माध्यम Medium of Instruction (H/E)		कार्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क Programme Fee & Examination Fee (In Rs.)	प्रवेश हेतु न्यूनतम अहता Minimum Qualification for Admission
			Min.	Max.		
6.	जागरूकता कार्यक्रम Awareness Programmes					
801	पंचायती राज जागरूकता कार्यक्रम Awareness Programme in Panchayati Raj [APPR]	2 Months	1 Year	H/E	700/-	VIII Standard pass
802	योग-जागरूकता कार्यक्रम Awareness Programme in Yoga [APY]	2 Months	1 Year	H	1200/-	High School or Equivalent

803	डैरी उत्पाद जागरूकता कार्यक्रम Awareness Programme in Dairy Farming (APDF)	2 Months	1 Year	H	1000/-	VIII Standard Pass
805	शिशु पालन एवं पोषण में जागरूकता कार्यक्रम Awareness Programme in Child Care and Nutrition (APCCN)	2 Months	1 Year	H/E	1000/-	High School or Equivalent
806	पोषण एवं आहार में जागरूकता कार्यक्रम Awareness Programme in Child Nutrition and Food (APNF)	2 Months	1 Year	H/E	800/-	High School or Equivalent
807	एचआईवीए एवं परिवार शिक्षा में जागरूकता कार्यक्रम Awareness Programme in HIV and Family Education (APHFE)	2 Months	1 Year	H/E	800/-	High School or Equivalent

H- Hindi (हिन्दी), E- English (अंग्रेजी), * p.a.: per annum

*** Admission Eligibility PG Diploma in Agricultural Extension: Graduate in Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-Business Management, Agricultural Biotechnology, Food Science and Technology, Home Science, Information Communication Technolgy in Agriculture and Other Allied & Applied Agricultural Sciences listed in purview of Agricultural Universities and Open Universities in India.

**** Eligibility of PG Diploma in Cyber Law & Information Security

- BCA/MCA/M.Sc. (CS/IT/Networking)/Maths/Physics/Electronics/Statistics
- B.Sc. with Computer Science/IT/Physics/Maths/Electronics
- LL.B. & Graduate with Science Background
- MBA (I.T.)

नोट :-

- (I) शिक्षार्थी को अपने लाइन प्रवेश पार्म के साथ ही एटी रैमिंग शपथ पत्र का फार्म भी अनिवार्य रूप से भरना है।
- (II) शिक्षार्थी और नाइन लाइन पाठ्य सामग्री एवं अधिन्यास मौंग पत्र के फार्म को अवश्य भरें।
- (III) कार्यक्रम शुल्क के साथ ही पंजीकरण शुल्क, परीक्षा एवं उपाधि शुल्क भी समिलित हैं।
- (IV) कार्यक्रम एवं परीक्षा शुल्क एक कर्म के लिए है।
- (V) जिन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की अहता स्नातक है। उनमें तीन वर्षीय स्नातक उर्तीण छात्रों को ही प्रवेश हेतु अह माना जायेगा।
- (VI) 10+2 (इंटरमीडिएट)
- (VII) 10+2+3 (स्नातक तीन वर्षीय)

शैक्षणिक कैलेण्डर एवं परीक्षा व्यवस्था

जुलाई सत्र (16 फरवरी—15 सितम्बर)

2.1 (अ) सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा प्रणाली पर आधारित प्रवेश एवं शैक्षणिक क्रियाकलापों की रूपरेखा

क्र.सं.	प्रवेश एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप	सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली
1	प्रवेश सूचना विवरणिका एवं इ-आवेदन पत्र की अध्ययन केन्द्रों पर औन्न लाइन उपलब्धता।	वर्ष पर्यन्त	वर्ष पर्यन्त
2	पाठ्य-सामग्री एवं अधिन्यास प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का माध्यम।	अहं शिक्षार्थियों को प्रवेश के उपरान्त पाठ्य-सामग्री अध्ययन केन्द्र अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पाठ्य सामग्री की प्राप्ति से सम्बन्धित जानकारी के लिए शिक्षार्थी को अध्ययन केन्द्र से सम्पर्क बनाये रखना होगा।	
3	अधिन्यास प्रश्नपत्र प्राप्त कराने का माध्यम	शिक्षार्थी अपने से सम्बन्धित अधिन्यास प्रश्न-पत्र को वेबसाइट रो डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे।	
4	परामर्श रात्र संचालन हेतु प्रस्तावित माह।	प्रथम सेमेस्टर — अक्टूबर—नवम्बर द्वितीय सेमेस्टर — मार्च—अप्रैल	अक्टूबर—नवम्बर मार्च—अप्रैल
5	शिक्षार्थी द्वारा अध्ययन केन्द्र पर अधिन्यास पुरितका जमा कराने की तिथि।	प्रथम सेमेस्टर — 31 अक्टूबर द्वितीय सेमेस्टर — 31 मार्च	31 मार्च
6	अध्ययन केन्द्र द्वारा मूल्यांकन हेतु अधिन्यास पुरितका द्वेत्रीय केन्द्र को उपलब्ध कराने की तिथि।	प्रथम सेमेस्टर — 7 नवम्बर द्वितीय सेमेस्टर — 7 अप्रैल	7 अप्रैल
7	द्वेत्रीय केन्द्र द्वारा शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि हेतु मूल्यांकित अधिन्यास पुरितका अध्ययन केन्द्रों को वापस कराने की तिथि।	प्रथम सेमेस्टर — 15 दिसम्बर द्वितीय सेमेस्टर — 15 मई	15 मई
8	शिक्षार्थी द्वारा परियोजना कार्य अध्ययन केन्द्रों पर जमा कराने की अन्तिम तिथि।	प्रथम सेमेस्टर — 30 नवम्बर द्वितीय सेमेस्टर — 30 अप्रैल	30 अप्रैल
9	दैनंदिन परीक्षा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि	31 अक्टूबर एवं 31 मार्च	31 मार्च
10	परीक्षा प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि	15 दिसम्बर एवं 15 मई	15 मई
11	परीक्षा परिणाम घोषित कराने की प्रस्तावित तिथि	फरवरी का अन्तिम सप्ताह एवं जुलाई का अन्तिम सप्ताह	जुलाई का अन्तिम सप्ताह

शैक्षणिक कैलेण्डर एवं परीक्षा व्यवस्था

जनवरी सत्र (16 सितम्बर—15 फरवरी)

2.1 (ब) सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा प्रणाली पर आधारित प्रवेश एवं शैक्षणिक क्रियाकलापों की रूपरेखा

क्र.सं.	प्रवेश एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप	सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली
1	प्रवेश सूचना विवरणिका एवं आवेदन पत्र की अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्धता।	वर्ष पर्यन्त	वर्ष पर्यन्त
2	पाठ्य-सामग्री एवं अधिन्यास प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का माध्यम।	अहं शिक्षार्थियों को प्रवेश के उपरान्त पाठ्य-सामग्री अध्ययन केन्द्र अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पाठ्य सामग्री की प्राप्ति से सम्बन्धित जानकारी के लिए शिक्षार्थी को अध्ययन केन्द्र से सम्पर्क बनाये रखना होगा।	
3	अधिन्यास प्रश्नपत्र प्राप्त कराने का माध्यम	शिक्षार्थी अपने से सम्बन्धित अधिन्यास प्रश्न-पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे।	
4	परामर्श रात्र संचालन हेतु प्रस्तावित माह।	प्रथम सेमेस्टर — मार्च—अप्रैल द्वितीय सेमेस्टर—अक्टूबर—नवम्बर	मार्च—अप्रैल अक्टूबर—नवम्बर
5	शिक्षार्थी द्वारा अध्ययन केन्द्र पर अधिन्यास पुरितका जमा कराने की तिथि।	प्रथम सेमेस्टर — 31 मार्च द्वितीय सेमेस्टर — 31 अक्टूबर	31 अक्टूबर
6	अध्ययन केन्द्र द्वारा मूल्यांकन हेतु अधिन्यास पुरितका द्वेत्रीय केन्द्र को उपलब्ध कराने की तिथि।	प्रथम सेमेस्टर — 7 अप्रैल द्वितीय सेमेस्टर — 7 नवम्बर	7 नवम्बर
7	द्वेत्रीय केन्द्र द्वारा शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि हेतु मूल्यांकित अधिन्यास पुरितका अध्ययन केन्द्रों को वापस कराने की तिथि।	प्रथम सेमेस्टर — 15 मई द्वितीय सेमेस्टर — 15 दिसम्बर	15 दिसम्बर
8	शिक्षार्थी द्वारा परियोजना कार्य अध्ययन केन्द्रों पर जमा कराने की अन्तिम तिथि।	प्रथम सेमेस्टर — 30 अप्रैल द्वितीय सेमेस्टर — 30 नवम्बर	30 नवम्बर
9	दैनंदिन परीक्षा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि	31 मार्च एवं 31 अक्टूबर	31 अक्टूबर
10	परीक्षा प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि	15 मई एवं 15 दिसम्बर	15 दिसम्बर
11	परीक्षा परिणाम घोषित कराने की प्रस्तावित तिथि	जुलाई का अन्तिम सप्ताह एवं फरवरी का अन्तिम सप्ताह	फरवरी का अन्तिम सप्ताह

दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की बैठक
दिनांक 23.11.2015 का कार्यवृत्त

खंडनक - 23

स्थान - निदेशक कक्ष
शिक्षा विद्याशाखा
शैक्षणिक परिसर
उपरोक्त राजसी टण्डन गुक्ता विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

समय- प्रातः 11:00 बजे

उपस्थिति

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. प्रो० एस०पी० गुप्ता | संयोजक |
| 2. डॉ० एग०एन० रिंग | सदस्य |
| 3. डॉ० ओमजी गुप्ता | सदस्य |
| 4. डॉ० गीरा पाल | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 5. डॉ० देवेश रंजन त्रिपाठी | विशेष आमंत्रित सदस्य |

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रो० एस०पी० गुप्ता ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

- समिति के संयोजक प्रो० एस०पी० गुप्ता जी ने बताया कि सामुदायिक कालेज की स्थापना के संदर्भ में दो पत्र दिनांक 07.11.2015 को कुलसचिव जी को प्रेषित किये गये हैं। जिनमें एक कालेज Food Processing & Preservation तथा Dietitian & Nutrition कौशल सम्बन्धी कार्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय गुरुत्व परिसर में तथा एक विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र वायोवेद शोध संस्थान में Lack Cultivation तथा Soil Testing कौशल सम्बन्धी कार्यक्रमों हेतु स्थापित करने का प्रस्ताव विवारार्थ प्रस्तुत किया गया था। समिति ने उक्त दोनों ही प्रस्तावों पर अपनी राहमति व्यक्त की (प्रस्ताव संलग्न)।
- समिति ने Brassware, Glassware तथा Leatherware सम्बन्धी कौशल विकास के लिये क्रमशः गुरादाबाद, फिरोजाबाद, आगरा तथा कानपुर जिलों में सामुदायिक कालेजों की स्थापना सम्बन्धी संग्रावनाये तलाशनें हेतु बरेली, आगरा तथा कानपुर के क्षेत्रीय निदेशकों से अनुरोध करने का निर्णय लिया, जिससे इनके परामर्श से इन क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले सामुदायिक कालेजों के लिये BOS तथा BOM का गठन किया जा सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुयी।

8934
5065
पंडित नेहरू विद्यालय
पंडित नेहरू विद्यालय
पंडित नेहरू विद्यालय
पंडित नेहरू विद्यालय

१३२/१३३/५
डॉ० एग०एन० रिंग

१३२/१३३/५
डॉ० ओमजी गुप्ता

डॉ० गीरा पाल

D. S. P.
डॉ० देवेश रंजन त्रिपाठी

5065/१३३/५

कामटूल प्रेरुत है। मान्द कूलपात्री की दि अनुमान करका
गोपनीय काम करना चाहे।

प्रस्ताव -01

प्रारम्भ स्थान— विश्वविद्यालय मुख्यालय, सरस्वती परिसर

सहयोगी विद्याशाखा— स्वास्थ्य विज्ञान

कौशल विकास क्षेत्र — स्वास्थ्य

कार्यक्रम— “Food Processing & Preservation” तथा “Dietitian & Nutrition” का

समिति ने सर्वसम्मति से विस्तृत विचार विर्मशोपरान्त स्थानीय स्तर पर “Food Processing & Preservation” तथा “Dietitian & Nutrition” कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास हेतु “विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में” सामुदायिक कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के नियमों व व्यवस्था एवं सामुदायिक कालेज अध्यादेश के प्रावधान – 26 के अनुसार अंशकालिक समन्वयक बोर्ड (Part time - Coordinator) की नियुक्ति एवं निम्न प्राधिकरणों का गठन किया जाना प्रस्तावित है—

01 CCBOM:- The Community College Board of Management shall consist

of the following members:-

1-	Vice Chancellor of the University	Chairman	Pro. M.P. Dubey
2-	A representative of local industry nominated by the Vice- Chancellor	Member	
3-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Member	Dr. R.P.S. Yadav (Director In-charge)
4-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice- Chancellor	Member	
5-	A representative of State Government nominated by the Secretary, Higher Education of UP	Member	
6-	A representative of Local Bodies nominated by the Mayor, Nagar Nigam or Chairman Nagar Palika as the case may be	Member	
7-	A UGC representative nominated by UGC Chairman	Member	
8-	Registrar of the University	Secretary	Shri. D.P. Tripathi

D.P.Tripathi

Aug 23/11/15
✓ 23/11/15
147
23/12/15

02 CCBOS:- The Community College Board of studies shall consist of the following members:-

1-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Chairman	Dr. R.P.S. Yadav
2-	Principal of the concerned Community College	Member	Dr. P.P. Dubey
3-	A representative of relevant professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
4-	Two expert of the concerned skills/industry nominated by Vice-Chancellor	Member	
5-	Two representatives of local industries partners nominated by the Vice-Chancellor	Member	
6-	Coordinator of the Community College	Secretary	Dr. Meera Pal

कृपया उपरोक्त के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय नियमों एंव सामुदायिक कालेज अध्यादेश के अनुसार आवश्यक करना चाहें।

सादर धन्यवाद।

D. Rajan
Anil
M. S.
W. A.

भवदीय
गुप्ता
प्रो. (एस.पी. गुप्ता)
निदेशक
शिक्षा विद्याशाखा

प्रस्ताव -02

प्रारम्भ स्थान— विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र बायोवेद शोध संस्थान

सहयोगी विद्याशाखा— कृषि विज्ञान विद्याशाखा

कौशल विकास क्षेत्र — कृषि

कार्यक्रम— “Lack Cultivation” तथा “Soil Testing”

समिति में सर्वसम्मति से विचार विमर्शोपरान्त “Lack Cultivation” तथा “Soil Testing” कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास हेतु “बायोवेद शोध संस्थान” विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र के सहयोग से सामुदायिक कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के नियमों व व्यवस्था एवं सामुदायिक कालेज अध्यादेश के प्रावधान – 26 के अनुसार अंशकालिक समन्वयक बोर्ड (Part time - Coordinator) की नियुक्ति एवं निम्नप्राधिकरणों का गठन किया जाना प्रस्तावित है—

01 Community College Board of Management (CCBOM):- The Community College Board of Management shall consist of the following members:-

1-	Chairman of the local college management committee	President	Dr. S.P. Mishra (Name, as informed by Director of Bioved)
2-	A representative of local industry from panel of three persons given by the local college concern	Member	
3-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Member	Dr. R.P.S. Yadav
4-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice- Chancellor	Member	
5-	A representative of State Government nominated by Secretary, Higher Education of UP	Member	
6-	A representative of Local Bodies nominated by the Mayor, Nagar Nigam or Chairman Nagar Palika as the case may be	Member	
7-	A representative of UGC nominated by UGC Chairman	Member	
8-	Principal of the Community College	Secretary	Dr. B.K. Dwivedi (Name, as informed by Director of Bioved)

D. Leijon
Dwivedi
S/Ex
179 J.D.

02 Community College Board of Studies (CCBOS):- The Community College Board of Studies shall consist of the following members:-

1-	Principal of the concern Community College	Chairman	Dr. B.K. Dwivedi (Name, as informed by Director of Bioved)
2-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice- Chancellor	Member	
3-	Two experts of the concerned skills nominated by Vice- Chancellor	Member	
4-	One representative from the Board of School of Vocational Studies nominated by the Vice- Chancellor	Member	
5-	Two representative of local industries partners nominated by the Vice-Chancellor	Member	
6-	Coordinator of the concern Community College	Secretary	Dr. R.P. Singh (Name, as informed by Director of Bioved)

कृपया उपरोक्त के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय नियमों एंव सामुदायिक कालेज अध्यादेश के अनुसार आवश्यक करना चाहें।

सादर धन्यवाद।

भवदीय

S.P.
प्रो. (एस.पी. गुप्ता)
निदेशक
शिक्षा विद्याशाखा

वरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की बैठक
दिनांक 26.12.2015 का कार्यवृत्त.

प्राप्ति विभाग
विद्यालय समिति
कालेज कालेज
वरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज
कालेज

समय प्रातः 11:00 बजे

गतिधर्म

१. श्री अमृत गुप्त	संयोजक
२. श्री अमृत गुप्त	सदस्य
३. श्री अमृत गुप्त	सदस्य
४. श्री अमृत गुप्त	सदस्य
५. श्री अमृत गुप्त	सदस्य
६. श्री अमृत गुप्त	विशेष आमंत्रित सदस्य

प्राप्ति विभाग द्वारा प्र० एस०प० गुप्त ने सम्प्रश्न गमी सदस्यों का ज्ञापन किया।
ज्ञापन का विवरण निम्नांकित है।

१. ज्ञापन के संबंधमें ये चुने गए प्रभित प्रस्ताव पर मुनिवार करते हुए व्याख्या विद्याशास्त्रा का अध्ययन Food Processing & Preservation, Dietitian & Nutrition, गान्धिकी विद्याशास्त्र का अध्ययन Electronic Media, Print Media, Digital Photography, तथा e Library का अध्ययन एवं सूचना विज्ञान विद्याशास्त्र का अध्ययन CCC, Desktop Publishing, Mobile Repairing, CFL/LED Repairing, प्रकल्प अभ्यास विद्याशास्त्र का अध्ययन e-commerce कोशल राजनी कार्यकारी ऐड्यूकेशन प्रदान की (प्रस्ताव संलग्न)।

२. ज्ञापन के अध्ययन के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषकों में lack cultivation of Soil Testing विभाग राजनी कार्यकारी ऐड्यूकेशन कोशल व्याख्या

निम्न
विभाग
विभाग
विभाग
विभाग

प्राचीन धूपकुण्ड, Glassware वा Leatherware विवरणी की संस्कृत निर्देश के तिथि 19.07.2019 के दौरान लाइब्रेरी कानूनी विभाग आगरा व फाटपुर ज़िलों में सामुदायिक कालेजों की स्थापना करने की अनुमति दिए गए। लाइब्रेरी ने उन्हें कानूनी आगरा व फाटपुर के क्षेत्रीय निर्देशकों से अनुमति देकर्त्ता की।

प्राचीन धूपकुण्ड, Glassware वा Leatherware विवरणी के अनुक्रम में पूर्व में सामुदायिक कालेज गढ़वाल के बारे में विवरण दिए गए पर कुनै किसी कानूनी विभाग द्वारा यह विवरण दिया गया है कि सामुदायिक कालेज के सुव्यवसिथत, सुरांगाद्वित व विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुरूप संवालना हेतु BOS वा BOM के आधिकारिक सदरयों को नामित करने का अनुरोध माननीय कुलपति जी से किया गया है। इसी दृष्टि में BOS वा BOM के वाहय सदरयों के नामांकन हेतु कुलपति जी से अनुमति प्राप्त कर सकती है। यह अपने अधिकारिक कार द्वारा हेतु नामांकन प्राप्त करने का फैसला फैसला।

गढ़वाल ज़िला के साथ वैठक सम्पन्न हुई।

SPB/S

३० एप्रैल २०१९
रिप

डॉ. देवेश जी गुप्ता

W
अधिकारी
नामांकन

By
डॉ. आरपीपाल यादव

DR
डॉ. देवेश जी गुप्ता

प्रस्ताव -01

स्थान— विश्वविद्यालय मुख्यालय, सरस्वती परिसर

सहयोगी विद्याशाखा— स्वास्थ्य विज्ञान

कौशल विकास क्षेत्र — स्वास्थ्य

कौशल — “Food Processing & Preservation” तथा “Dietitian & Nutrition”

01 CCBOM:- The Community College Board-of Management का गठन

1-	Vice Chancellor of the University	Chairman	Pro. M.P. Dubey
2-	A representative of local industry nominated by the Vice-Chancellor	Member	
3-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Member	
4-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
5-	A representative of State Government nominated by the Secretary, Higher Education of UP	Member	
6-	A representative of Local Bodies nominated by the Mayor, Nagar Nigam or Chairman Nagar Palika as the case may be	Member	
7-	A UGC representative nominated by UGC Chairman	Member	
8-	Registrar of the University	Secretary	Shri. D.P. Tripathi

02 CCBOS:- The Community College Board of studies का गठन

1-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Chairman	
2-	Principal of the concerned Community College	Member	
3-	A representative of relevant professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
4-	Two expert of the concerned skills/industry nominated by Vice-Chancellor	Member	
5-	Two representatives of local industries partners nominated by the Vice-Chancellor	Member	
6-	Coordinator of the Community College	Secretary	

103

प्रस्ताव -02

स्थान— विश्वविद्यालय मुख्यालय, सरस्वती परिसर

सहयोगी विद्याशाखा— मानवीकी विद्याशाखा

कौशल विकास क्षेत्र — पत्रकारिता, फोटोग्राफी, पुस्तकालय

कौशल — Electronic Media, Print Media, Digital Photography तथा e-Library

01 CCBOM:- The Community College Board of Management का गठन

1-	Vice Chancellor of the University	Chairman	Pro. M.P. Dubey
2-	A representative of local industry nominated by the Vice-Chancellor	Member	
3-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Member	
4-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
5-	A representative of State Government nominated by the Secretary, Higher Education of UP	Member	
6-	A representative of Local Bodies nominated by the Mayor, Nagar Nigam or Chairman Nagar Palika as the case may be	Member	
7-	A UGC representative nominated by UGC Chairman	Member	
8-	Registrar of the University	Secretary	Shri. D.P. Tripathi

02 CCBOS:- The Community College Board of studies का गठन

1-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Chairman	
2-	Principal of the concerned Community College	Member	
3-	A representative of relevant professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
4-	Two expert of the concerned skills/industry nominated by Vice-Chancellor	Member	
5-	Two representatives of local industries partners nominated by the Vice-Chancellor	Member	
6-	Coordinator of the Community College	Secretary	

मध्य ११ ग्र लृ ८/११
१०४ लृ लृ (८)

प्रस्ताव - ०३

स्थान— दिशविद्यालय मुख्यालय, सरस्वती परिसर

सहयोगी विद्याशाखा— कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा

कौशल विकास क्षेत्र — कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग

कौशल — CCC, Desktop Publishing, Mobile Repairing, CFL/LED Repairing

01 CCBOM:- The Community College Board of Management का गठन

1-	Vice Chancellor of the University	Chairman	Pro. M.P. Dubey
2-	A representative of local industry nominated by the Vice-Chancellor	Member	
3-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Member	
4-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
5-	A representative of State Government nominated by the Secretary, Higher Education of UP	Member	
6-	A representative of Local Bodies nominated by the Mayor, Nagar Nigam or Chairman Nagar Palika as the case may be	Member	
7-	A UGC representative nominated by UGC Chairman	Member	
8-	Registrar of the University	Secretary	Shri. D.P. Tripathi

02 CCBOS:- The Community College Board of studies का गठन

1-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Chairman	
2-	Principal of the concerned Community College	Member	
3-	A representative of relevant professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
4-	Two expert of the concerned skills/industry nominated by Vice-Chancellor	Member	
5-	Two representatives of local industries partners nominated by the Vice-Chancellor	Member	
6-	Coordinator of the Community College	Secretary	

Dr. M. P. Dubey
Anil Kumar
105

प्रस्ताव -०५

स्थान— विश्वविद्यालय मुख्यालय, सरस्वती परिसर

सहयोगी विद्याशाखा— प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा

कौशल विकास क्षेत्र — ऑनलाइन वाणिज्य

कौशल — e-Commerce

01 CCBOM:- The Community College Board of Management का गठन

1-	Vice Chancellor of the University	Chairman	Pro. M.P. Dubey
2-	A representative of local industry nominated by the Vice-Chancellor	Member	
3-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Member	
4-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
5-	A representative of State Government nominated by the Secretary, Higher Education of UP	Member	
6-	A representative of Local Bodies nominated by the Mayor, Nagar Nigam or Chairman Nagar Palika as the case may be	Member	
7-	A UGC representative nominated by UGC Chairman	Member	
8-	Registrar of the University	Secretary	Shri. D.P. Tripathi

02 CCBOS:- The Community College Board of studies का गठन

1-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Chairman	
2-	Principal of the concerned Community College	Member	
3-	A representative of relevant professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
4-	Two expert of the concerned skills/industry nominated by Vice-Chancellor	Member	
5-	Two representatives of local industries partners nominated by the Vice-Chancellor	Member	
6-	Coordinator of the Community College	Secretary	

DRS B/S SN
186

दिनांक: 26/11/15

प्रस्ताव - ०६

रथान— विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र बायोवेद शोध संस्थान
 सहयोगी विद्याशाखा— कृषि विज्ञान विद्याशाखा
 कौशल दिकारा धोत्र — कृषि
 कार्यक्रम— “Lack Cultivation” तथा “Soil Testing”

01 CCBOM:- The Community College Board of Management का गठन

1-	Chairman of the local college management committee	President	Dr. S.P. Mishra (Name, as informed by Director of Bioved)
2-	A representative of local industry from panel of three persons given by the local college concern	Member	
3-	Director of the School of Vocational Studies of the University	Member	
4-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
5-	A representative of State Government nominated by Secretary, Higher Education of UP	Member	
6-	A representative of Local Bodies nominated by the Mayor, Nagar Nigam or Chairman Nagar Palika as the case may be	Member	
7-	A representative of UGC nominated by UGC Chairman	Member	
8-	Principal of the Community College	Secretary	Dr. B.K. Dwivedi (Name, as informed by Director of Bioved)

02 Community College Board of Studies (CCBOS):- The Community College Board of Studies shall consist of the following members:-

1-	Principal of the concern Community College	Chairman	Dr. B.K. Dwivedi (Name, as informed by Director of Bioved)
2-	A representative of relevant Professional Guilds nominated by the Vice-Chancellor	Member	
3-	Two experts of the concerned skills nominated by Vice-Chancellor	Member	
4-	One representative from the Board of School of Vocational Studies nominated by the Vice-Chancellor	Member	
5-	Two representative of local industries partners nominated by the Vice-Chancellor	Member	
6-	Coordinator of the concern Community College	Secretary	Dr. R.P. Singh (Name, as informed by Director of Bioved)

82 11 97
 107 द्वे रुपाएँ



(सरकारी गजट उत्तर प्रदेश)
(खण्ड 68) इलाहाबाद, शनिवार, 8 फरवरी 2014 ई०(माघ 19 1935 शक संवत् (संख्या-6))

(माघ 1-क (उत्तर प्रदेश गजट, 8 फरवरी, 2014 ई० (माघ 19 1935 शक संवत्) पैज सं. 621) सेल्यूनक -2)

राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ RAJKIYA INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

(मुक्त / दूरस्थ शिक्षा योजना)

(कार्यालय एवं प्रकाशन विभाग भवन 105/224 फूलबाग, हुसैनगंज, लखनऊ उ०प्र०)

मुख्यालय: भवन नं० 176 पुराना किला (नहर) डाकघर जीपीओ, लखनऊ, उ०प्र०

क्रमांक RIOSUP/Recog/Admin/176/2015

दिनांक 17/06/2015

सेवा में,

कुलसविच U.P Rajkiya Yandon Open University
(UPRTOU), Allahabad

विषय : राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्धित आपके विश्वविद्यालय को पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त विषयक सम्बन्धित पहले भी प्रस्तुत किया जा चुका है। आपको भलीभांति ज्ञात है कि विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था होती है जिसको स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। वह किसी बोर्ड काउन्सिल परिषद के अधीन नहीं होती।

देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों व यू०जी०सी० अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालयों ने राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ Rajkiya Institute of Open Schooling, Uttar Pradesh, Lucknow (RIOS, UP) के इण्टरमीडिएट(बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपने विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान की है।

संस्थान को उपरोक्त विषयक सम्बन्धित अभी आपके विश्वविद्यालय से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से पत्र प्राप्त हैं जिनमें से कुछ विश्वविद्यालयों के पत्रों की छायाप्रति संलग्न हैं। छ: सौ से अधिक विश्वविद्यालय हैं सभी की छायाप्रति संलग्न नहीं की जा सकती। आपके संज्ञान हेतु चार-पांच विश्वविद्यालयों के पत्रों की छायाप्रति ही संलग्न की जा रही है।

संस्थान में शिक्षा पा रहे देश के गरीब, बेसहारा, विकलांग आदि छात्रों को संस्थान ने अपने विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रावास एवं पुष्टाहार(भोजन) की व्यवस्था की है। संस्थान से एकेडमिक शिक्षा पा चुके छात्र जो आपके विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं जो विश्वविद्यालय के आस-पास के ही रहने वाले हैं यदि उपरोक्त विषयक सम्बन्धित पत्र जल्द नहीं मिल पाता है तो उन्हें उच्च शिक्षा से बंधित रहना पड़ सकता है जो उचित नहीं है।

राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के पाठ्यक्रम कोर्स हाई स्कूल (दसवीं), इण्टरमीडिएट(बारहवीं), औद्योगिक, प्रौद्योगिक, प्राविधिक, अभियत्रिकीय, व्यावसायिक, अध्यापकीय उच्च स्तरीय आदि कोर्सों की वही मान्यता है जो भारत सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों एवं राज्य सरकारों के परिषदों/बोर्डों/विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम परीक्षाओं के सर्टिफिकेट एवं उपाधियों की मान्यता है।

संस्थान के पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट/उपाधियों की समतुल्यता सरकारी परिषद /बोर्ड/ काउन्सिल/ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम/ सर्टिफिकेट/ उपाधियों के समकक्ष एवं अग्रिम शिक्षा में प्रवेश व सरकारी नौकरियों में सेवा से है जो कि सरकारी गजट उत्तर प्रदेश (खण्ड 68) इलाहाबाद, शनिवार, 8 फरवरी 2014 ई० (माघ 19 1935 शक संवत् (संख्या-6) भाग 1-क (उत्तर प्रदेश गजट, 8 फरवरी, 2014 ई० (माघ 19 1935 शक संवत्) 621) में अंकित एवं जारी है।

भारत के संविधान एवं अनुच्छेद १९, २१, २२, २८, ३० के अनुपालन एवं शिक्षा के विकास एवं ढांचे को सामान्तर ध्यान में रखते हुये आपसे आग्रह है कि राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ Rajkiya Institute of Open Schooling, Uttar Pradesh, Lucknow (RIOS, UP) द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा सर्टिफिकेट का अपने विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त विषय सम्बन्धित सर्कुलर जारी कर सम्बन्धित विभाग/महाविद्यालयों को मिजवाने का कष्ट करे तथा प्रवेश स्वीकृति सर्कुलर की एक प्रति संस्थान की ई-मेल आई डी riosuplucknow@gmail.com एवं मुख्यालय भवन नं० 176 पुराना किला (नहर) डाकघर जीपीओ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को मिजवाने का कष्ट करें। A. S. Kher

कार्यवृत्त

आज दिनांक 06.11.2015 को विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ०य०/358/2015 दिनांक 28.05.2015 द्वारा गठित समतुल्यता समिति की बैठक, विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ०य०/1006/2015 दिनांक 05.11.2015 के क्रम में निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा के कक्ष में रामपुर हुयी। बैठक की उपस्थिति निम्नवत् है—

उपस्थिति—

1. प्रो० एस०पी० गुप्ता
2. डॉ० एम०एन० सिंह
3. डॉ० अमौजी गुप्ता
4. डॉ० पी०पी० दुबे
5. डॉ० आर०पी०एस० यादव
6. डॉ० ऊर्जा वाजपेयी
7. डॉ० जी०के० द्विवेदी
8. डॉ० गुरुकेश कुमार

बैठक में, पत्रावली में उपलब्ध राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश के उप सचिव के पत्र रां० RIOSUP/Recog/Admin/176/2015 दिनांक 17.06.2015 का अवलोकन किया गया। पत्र के साथ रांलग्न श्री विनोद सिंह, राज्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्र उत्तर प्रदेश के राजकारी गजट खण्ड-68 सं०-६ दिनांक 08 फरवरी, 2014 तथा अ०-४ विश्वविद्यालयों व शैक्षिक प्राधिकारियों के पत्रों का अवलोकन भी किया गया। रांलग्न पत्रों के अनुसार विभिन्न संस्थानों द्वारा राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उ०प्र० से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण को सामान्य शिक्षा के 12 वीं के समतुल्य भान्यता प्रदान की गयी है।

समिति द्वारा सम्यक विचार विमर्श के पश्चात् संस्तुति की गयी कि— “राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अन्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित यथोचित कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु समतुल्य स्वीकार किया जाय तथा प्रवेश की अन्य अहंता पूर्ण करने की दशा में प्रवेश दिया जाये।”

SOP
प्रो० एस०पी० गुप्ता

RSW
डॉ० एम०एन० सिंह

AMJ
डॉ० अमौजी गुप्ता

PSB
डॉ० पी०पी० दुबे

BG
डॉ० आर०पी०एस० यादव

UR
डॉ० ऊर्जा वाजपेयी

DD
डॉ० जी०के० द्विवेदी

GG
डॉ० गुरुकेश कुमार

AK
कुलदीप
काम्पसी वी आ०ला उत्तरांचल

विद्याशाखा (स्कूल बोर्ड) की बैठक

संतागनक - 26

आज दिनांक 29/04/2016 अपराह्न 03:00 बजे निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा के कक्ष में "स्कूल बोर्ड" की बैठक सम्पन्न हुई :-

उपस्थिति :-

- | | |
|--|-----------------|
| 1. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा | -संयोजक |
| 2. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, सहा.आ., प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा | -सदस्य |
| 3. डॉ. गौरव संकल्प, परामर्शदाता, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा | -विशेष आ. सदस्य |
| 4. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, | -विशेष आ. सदस्य |
| 5. डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, | -विशेष आ. सदस्य |

कार्यवृत्त

1. बैठक में उपस्थित सदस्यों ने पिछली बैठक जो कि दिनांक 9/10/2015 को आहुत की गयी थी, की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

2. दिनांक 28/04/2016 को सम्पन्न व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबन्धन (वाणिज्य विषय) के अध्ययन बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किये गये निम्नलिखित बिन्दुओं :-

 - i. अध्ययन बोर्ड ने पूर्व में प्रस्तावित 11 विषयों/विकल्पों के स्थान पर निम्न 04 विकल्पों को अनुमोदित किया— Retail Management, Secretarial Practice, Sales Management तथा Insurance जिनमें से 01 विषय द्वितीय वर्ष में तथा शेष 03 विषयों में से 01 विषय का चयन तृतीय वर्ष में किया जा सकेगा, एवं

 - ii. उपरोक्त 04 विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम पर गैहन चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई, एवं

 - iii. मा. कुलपति जी के निर्देशानुसार वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम (Elective Foundation Course Group) समूह के महत्त्वपूर्ण विषय "आपदा प्रबन्धन" (Disaster Management) के लेखन का दायित्व भी प्रबन्धन विद्याशाखा को सौंपा गया है, जिस क्रम में विषय विशेषज्ञों से सहायता लेते हुये "प्रस्तावित कार्यक्रम" को भी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त सभी विन्दुओं को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया तथा अनुमोदित किया।

3. बोर्ड में निदेशक, वि.वि.शा. द्वारा प्रस्तुत Solid Waste Management के पाठ्यक्रम को सर्वसम्मति से स्वीकार किया तथा अनुमोदित किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

sd.
डॉ. (ओमजी गुप्ता)

sd.
डॉ. (पी.पी. दुबे)

sd.
डॉ. (आशुतोष गुप्ता)

sd.
डॉ. (देवेश रंजन त्रिपाठी)

sd.
डॉ. (गौरव संकल्प)

एकूल बोर्ड की मूल कामबृत विज्ञप्ति परोक्ष सभी संलग्न

ਪਿਲਾਂਦਾ ਆਗਾ (ਡੱਬੇ ਲੋਟਾ) ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ,

卷之三

১. ক্ষেত্র পুরী শহর - নিম্নশক্ত - ২০০৫ - ২০০৬ - ২০০৭ -

 ২. ক্ষেত্র পুরী শহর - উচ্চশক্ত - ২০০৩-২০০৪ - ২০০৫ -

 ৩. ক্ষেত্র গুরুল অকল্প - সরাপালা - পুরীশ আগুলি শহর

 ৪. ক্ষেত্র পুরী শহর - নিম্নশক্ত - ২০০৪-২০০৫ এবং

 ৫. ক্ষেত্র পুরী শহর - নিম্নশক্ত - ২০০৫-২০০৬-২০০৭ -


ପ୍ରକାଶକ

- १८५
लाला द्वारा उपर्युक्त विषयों पर विवेचन की गयी थी। इसके अलावा एक अन्य विषय भी उपर्युक्त विषयों में से एक नहीं है। विषयों की विवेचन की गयी थी, कि उनमें से किसकी विवेचन की जरूरत नहीं है।

(२)
प्रियोदय विष्णुपाल की सामग्री तमागार में बिकती है।
उन्हाँस अवश्यक (गोलाई लिखा) के बिन्दु विष्णुपाल वा
की विष्णु विष्णुपाल अथ गोला उच्च विष्णु

- (८) अपेक्षा लोड के बीच विभिन्न विधियों
में इन पर लाज पर लाजलो तो अपेक्षा
क्रिया- रेटिंग मैनेजमेंट, सेक्युरिटी प्रैक्चर
इस व्यवस्था के द्वारा ग्राहक

୧୭ ମିଶନ ଲିଖିଅବେ ଏହି ତଥା ପ୍ରାଚୀ-୦୩ ମିଶନ କୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କାଳୀ—ଯମା ଦୂତମ ଏବଂ କିମ୍ବା (୩୫ ମିନିଟ୍) କିମ୍ବା

(୧୮) ଉପରେତୁ ମିଶନ କୁ ଲିଖିଲେ ଆଶ୍ରମପ୍ରାଚୀ ବ୍ୟାଙ୍ଗ-ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଶାଲ୍ଯ ହାତଜାଇଥିଲା ଏବଂ ରହିଲା—କୁଣ୍ଡଳ, କିମ୍ବା

(5) १०५ अनुद्दीपिता श्री क. निष्ठेश्वरार्थां तकनिपत्रक राजाराम पाण्डित
(elective Foundation Course Guruji) संस्कृत के गद्दैरहि
मिष्यम् "क्लापया भवत्यग्नः" (Disciple रामगणेन्द्र) के
ले बहुत कठा उपचार भी रामगण मिष्या रामगण को अप-
ग्राहकै, जिस त्रैमाणि मिष्यम् लिखितयो श्री भट्टाचार्यालै हो
"अस्तीन्त लक्ष्मीकृष्ण" के श्री भट्टाचार्याले अधिकारित क्षे
म्भृत्यानि लिखा गया है।

कार्यवृत्त

व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबन्धन (वाणिज्य विषय) अध्ययन बोर्ड की

दैठक दिनांक 28-04-2016

पत्रांक सं.- OU/92/2016 दिनांक -22/04/2016 के अनुसार आहूत बैठक -

उपस्थिति :-

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. डॉ. ओमजी गुप्ता | - संयोजक / निदेशक |
| 2. डॉ. राधेश्याम सिंह | - सदस्य |
| 3. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी | - सदस्य |
| 4. डॉ. गौरव संकल्प, परामर्शदाता | - विशेष आ. सदस्य |

कार्यवृत्त

1. अध्ययन बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 29/04/2015 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी, किन्तु कौशल विकास कार्यक्रम चतुर्थ समूह (Skill Based Elective Course) में 11 विषयों/विकल्पों के स्थान पर निम्नलिखित चार विकल्पों को अनुमोदित किया गया:-

		Credit
B.Com S-01	Retail Management (फुटकर प्रबन्धन)	08
B.Com S-02	Secretarial Practices (सचिवीय कार्य पद्धति)	08
B.Com S-03	Sales Management (विक्रय प्रबन्धन)	08
B.Com S-04	Insurance (वीमा)	08

उपरोक्त में से 01 विषय द्वितीय वर्ष में तथा शेष 03 विषयों में से 01 विषय का चयन तृतीय वर्ष में किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त 04 विषयों के (फुटकर प्रबन्धन, सचिवीय कार्य पद्धति, विक्रय प्रबन्धन, बीमा) विस्तृत पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से पाठ्यक्रमों को स्वीकार किया गया।
3. मा. कुलपति जी के निर्देशानुसार वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम (Elective Foundation Course Group) समूह के महत्वपूर्ण विषय “आपदा प्रबन्ध” (Disaster Management) के लेखन का दायित्व भी प्रबन्धन विद्याशाखा को सौंपा गया है, जिस क्रम में विषय विशेषज्ञों से सहायता लेते हुए “प्रस्तावित पाठ्यक्रम” को भी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Sd/-
डॉ. (ओमजी गुप्ता)
संयोजक

Sd/-
प्रो. (राधेश्याम सिंह)
सदस्य

Sd/-
डॉ. (देवेश रंजन त्रिपाठी)
सदस्य

Sd/-
डॉ. (गौरव संकल्प)
विशेष आ. सदस्य

मूल कार्यकृत एकाइटी सी फाटो काफी खबरों द्वारा खबरों द्वारा दिया गया है।

गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट एज्युकेशन (लोडिंग एजिलांग)

आद्यमान बोर्ड की बैठक रिपोर्ट २४/०५/२०१६

प्रबंधन अध्ययन ०८/११/२०१६ तिथि २५/०५/२०१६

प्रबंधन अध्ययन बैठक

उपरान्त

१. २०१६ की शुरूआत - अधिकारी भिन्नभाव
२. २०१६ वर्षावाले दिन - राज्यग
३. २०१६ दृष्टि संस्करण रिपोर्ट - राज्यग
४. २०१६ गोपनीय विषय - विभागोंविचारणा

उपरान्त

१. आद्यमान बोर्ड की बैठक रिपोर्ट २४/०५/२०१६ के कार्यालय की वार्तावालीत श्री पुष्प की अधीन बोर्ड कार्यालय विभाग विभिन्न शिखियालय (Skill based Education Courses) में ११ शिखियाँ/ शिखियां के द्वारा प्रदान किया गया विभाग की अनुग्रहीत विधि विधि

२. शिखियालय (Skill based Education Courses) में ११ शिखियाँ/ शिखियां के द्वारा प्रदान किया गया विभाग की अनुग्रहीत विधि विधि

३. शिखियालय (Skill based Education Courses) में ११ शिखियाँ/ शिखियां के द्वारा प्रदान किया गया विभाग की अनुग्रहीत विधि विधि

४. शिखियालय (Skill based Education Courses) में ११ शिखियाँ/ शिखियां के द्वारा प्रदान किया गया विभाग की अनुग्रहीत विधि विधि

५. शिखियालय (Skill based Education Courses) में ११ शिखियाँ/ शिखियां के द्वारा प्रदान किया गया विभाग की अनुग्रहीत विधि विधि

६. शिखियालय (Skill based Education Courses) में ११ शिखियाँ/ शिखियां के द्वारा प्रदान किया गया विभाग की अनुग्रहीत विधि विधि

७. शिखियालय (Skill based Education Courses) में ११ शिखियाँ/ शिखियां के द्वारा प्रदान किया गया विभाग की अनुग्रहीत विधि विधि

८. शिखियालय (Skill based Education Courses) में ११ शिखियाँ/ शिखियां के द्वारा प्रदान किया गया विभाग की अनुग्रहीत विधि विधि

९. २०१६ शुरूआत श्री के विद्यालय लॉकीलेप्ट विभाग प्रादृश्य (Executive Foundation Course Group) शिखियालय के गठनात्मक विभाग "जपानी शिखियालय" (Disaster Management) का


उपरान्त उपरान्त

तेजान का गोप्यहर श्री भगवान् विद्या शार्णो को सौंपा गया है, फिर
उन्होंने शिष्यों को अलाजा लेते हुए "प्राप्तिकर्त्ता पाल्यकार" का
इस वद्विजा के बलद भूमुख गया, फिर उपर्युक्त श्री
गोप्यहर जू दिया गया।

५१. ए.प.स. अध्यक्ष महोदय को धार्मालाद लापन के शारण लेडक
शायाम हुई।

—२००८ (गोप्यहर ग्रन्थ)

—२००८ (श्रीदेवगामी शिख)


28/4/2016

—२००८ (दंतजा रजनीतियाँ)

—२००८ (गोप्यहर ग्रन्थ)



व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबन्धन बोर्ड की बैठक दिनांक 28-04-2016

उपस्थिति :-

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. डॉ. ओमजी गुप्ता | -संयोजक / निदेशक |
| 2. डॉ. पी.पी. दुबे | - निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, विशेष आ. सदस्य |
| 3. डॉ. आशुतोष गुप्ता | - निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, विशेष आ. सदस्य |
| 4. डॉ. राधेश्याम सिंह | -सदस्य |
| 5. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी | -सदस्य |
| 6. डॉ. गौरव संकल्प, | - विशेष आ. सदस्य |

कार्यवृत्त

1. संयोजक महोदय ने बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की अनुमति दी।
2. दिनांक 12/04/2016 को मा. कुलपति जी से हुई वैराती के अनुक्रम में “अपशिष्ट का प्रबन्धन” (Solid Waste Management) जो कि वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम समूह का महत्वपूर्ण विषय है, के पाठ्यक्रम एवं लेखन का दायित्व निदेशक विज्ञान विद्याशाखा को सौंपा गया था। जिस क्रम में निदेशक महोदय द्वारा विषय विशेषज्ञों से चर्चा करके विस्तृत पाठ्यक्रम सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे गहन चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Sd/
डॉ. (ओमजी गुप्ता)

Sd/
डॉ. (पी.पी. दुबे)

Sd/
प्रो. (राधेश्याम सिंह)

Sd/
डॉ. (आशुतोष गुप्ता) Sd/
डॉ. (देवेश रंजन त्रिपाठी) Sd/
डॉ. (गौरव संकल्प)
मूल कार्यवृत्त निटट की ओर कार्यवृत्त है।

सांख्यिकीय और सांख्यिकीय प्रक्रम अध्ययन
कोड की टेक विनाई १४/५/२०१६

प्रौद्योगिकी

१. ३५ और ३५ मुत्ता - गोलीजाहा विद्युत
२. ३५ और ३५ देवि - सिंहलक (कृष्ण विद्युत) निषेध आवश्यक
३. ३५ आशुमोह गुरु - सिंहलक (विद्युत विद्युतशास्त्र) निषेध आवश्यक
४. ३५ राज्यवाचम रिंट - राज्यवाचम
५. ३५ देवेश रंग तिपटी - राज्यवाचम
६. ३५ गोरु रंगलप - निषेध आवश्यक

कार्यक्रम

१. गोलीजाहा महोदय ने कोड के राजी भवित्वों का नियम-कर्ते ३५ टेक प्रबंध करने की अनुमति दी।
२. नियम १५/१६ को ३५ कुल्पित जी के हरि वारी के अनुद्देश में "अपरिहरण का प्रवाचन" (Solid Waste Management) जी के तकनीकी आवाय पाठ्यक्रम राखा गहराई विषय है, के पाठ्यक्रम में लेखन का विभिन्न विद्यालय विद्या वालों की ओरा चाहा था। पिछले विद्यालय विद्या वालों को विद्यालय विद्यालयों से द्वारा जी विद्यालय महोदय करा विषय विशेषज्ञों के द्वारा जारी करने विद्यालय वालों द्वारा जारी के जास्त विद्यालयों के उपर्युक्त राजीवाजीते द्वारा (जीकार कर दिया गया)।
३. अवृत्त में अधिक महोदय को व्यवस्था के बाय विनाई सम्पर्क हुई।

~~३५(अपरिहरण विषय)~~ ~~३५(प्रौद्योगिकी)~~ ~~३५(आशुमोह गुरु)~~

~~३५(राज्यवाचम रिंट)~~

~~३५(देवेश रंग तिपटी)~~ ~~३५(गोरु रंगलप)~~

605 - 28.4.16

B.Com S-01 Retail Management (Skill Basked Elective Course in 2nd & 3rd Year)

Block 01 An Overview of Retailing Environment

Unit 1 : Introduction to Retailing

Introduction, what does the retailing industry include, the importance of retailing, emerging trends in retailing.

Unit 2 : Evolution of Retail Environment

Introduction, industry dynamics, technology in retailing, multichannel retailing and other emerging trends.

Unit 3 : Formats of Retailing

Introduction, classification of retail formats. Impact of economic liberalization. Types of chain stores in Indian context

Unit 4 : Understanding the Retail Customer

Understanding retail concepts: an overview, retail activities, retail customer behavior and role of service in retailing, consumer behavior patterns, factors affecting consumer decision-making process, stages of consumer decision process, types of consumer decision-making process, influence of situational variables of shopping behavior, consumer images of retail stores, a sample of a customer profile and analysis.

Block 02 Retail Planning and Development

Unit 5 : Marketing Research for Retailing

Introduction, goals of consumer research, the process of marketing research in retailing, statistical tools for marketing research: an illustration, modeling and researching consumer behaviour.

Unit 6 : Strategic Retail Planning Process

Introduction, steps of the strategic planning process, importance of cost effective delivery of planning, role values scan and business culture, areas of influence determining strategic planning, situation analysis-identification of current issues, strategy development, corporate level strategy, strategic problem solving diagnostic model, performance audit

Unit 7 : Locational Decisions

Introduction, importance of locational decisional in retailing, aspects of locational decisions and influencing factors, evaluation of factors for location of the store, nature of

DRS 28.4.16
199

Drs

retail locations, unplanned market nature of consumer goods and location decision area, techniques for locational assessment and retail location theories.

Unit 8 : Growth Strategies

Introduction, what are the key growth imperatives and enablers? The need for strategy formulation, organizational objectives driven by planning, strategic options available to retailers for exploring opportunities, the Indian context of retailing, significance of category management as a strategic tool, role promotional mix in retail strategy, services retailing: a growth area.

Block 03 Retail mix

Unit 9 : Product Merchandise

Introduction, merchandising, objectives of merchandising, type of merchandise, category, category captains, private vs. national brands, quality as a parameter of merchandising, merchandise mix factors affecting merchandise mix decisions, merchandise logistics, supply chain management.

Unit 10 : Pricing

Introduction, external influences on retail pricing strategy, retail pricing objectives, retail pricing approaches, retail pricing strategies, tactics for fine tuning the base price, setting retail prices, methods for setting retail prices, role of price elasticity and sensitivity-consumer responsiveness to prices,

Unit 11 : Promotion and Communication Mix

Introduction, reasons governing the change in customer attitude, retail marketing communicating communication, basic tasks of communication, integrated marketing communication: the concept, steps for designing effective IMC strategy, positioning of a retail store, store atmosphere and visual merchandising, retail promotions, promotional objectives, types of sales promotions sales promotion strategies, role of sales person in retail promotion.

Unit 12 : Atmospherics

Introduction, importance of atmospherics planning, key components of retail atmospherics, visual merchandising in India, store space management, retail performance measures, atmospherics in the context of internet retailing.

Block 04 Retail Operations

Unit 13 : Sourcing/ Financial Management Issues in Retailing

Introduction, the sourcing process, factors affecting international sourcing decisions, factors influencing negotiation for sourcing of merchandise, vendor relationship marketing, warehousing/stocking of merchandise, how much to order and when? Shrinkage, impact of life cycle on sourcing, allocating merchandise to stores,

✓ ✓
200

✓

merchandise performance, critical analysis of the vendors, understanding the factors and the implications, structure of financial accounting, role of financial management in retailing, structure of financial accounting, key issues in financial management, key learning from the budgeting activities, strategy planning, performance measures and audit in retailing.

Unit 14 : Organization Structure and Management of Human Resources

Introduction, human resource management in retailing, strategic objectives of human resource management in retail, factors influencing designing of organizational structure, human resource for Indian retail scenario, human resource aspects in retailing human resource functions in retailing, tasks performed in a retail firm, organizational charts, long-term and short-term hr planning, part time employment, human resource recruitment, recruitment policy, role of references, interviews, sources of job applicants orientation, motivation, motivating employee through job enrichment.

Unit 15 : CRM- Customer Relationship Marketing

Introduction, the evolution of customer relationship marketing, strategies of customer relationship marketing in retailing industry, customer relationship marketing, (CRM) in organized unorganized retail sector, establishing loyalty programmes.

Unit 16 : Monitoring and controlling retail operations

Introduction, merchandise decision matrix, merchandise management in organized retail category management, merchandise planning: the key in category management, measuring profitability in retail operations, monitoring performance in retail operations, maintaining uniformity across retail chains.

Block 05 Issues Impacting Retail Business in India

Unit 17 : Legal and Security Issues in Retail

Introduction, the existing legal issues affecting retailing in India, the legal acts applicable to the industry, security issues in retailing, new trends in security-retailing.

Unit 18 : Ethical Dimensions

Introduction, ethical standards, ethical codes, responsibility of a retailer and right of a customer, acceptable ethics that must be practices by a retail executive.

Unit 19 : Technology in Retailing

Introduction, need for technology, applications of technology in various areas of retailing, factors influencing selection of technology latest trends of technology in retailing, precautions while handling technology in retail.

Unit 20 : Non-Store Retailing

Introduction, types of non-store retailers internet retailing, catalog retailing, direct selling, TV home Shopping, vending machines (automatic retailing).

201

B.CS 28.4.16

B.Com S-02 Secretarial Practice

Block 01 Fundamentals of Secretarial Work

Unit 01: Nature and Scope of Secretarial Work

Who is a Secretary?, Importance of a Secretary, Duties of a Secretary, Qualifications of a Secretary, Importance of Secretarial Work, Types of Secretaries, Private Secretary,

Unit 02: Secretarial Functions in Organizations

Secretary of an associations or a club, secretary of a co-operative society, secretary of a local body, secretary of a government department.

Unit 03: Company Secretary

Who is a company secretary?, position of a company secretary, qualifications, appointment, removal/ dismissal duties, right and liabilities, practicing company secretary.

Block 02 Meetings

Unit 04 : General Principles of Meetings -I

What is a meeting?, classification of meetings, requisites of a valid meeting, roles governing meeting, preparation for and conduct of meeting.

Unit 05 : General Principles of Meetings -II

Rules governing discussion and debate in meetings, order of business, motions, amendments and resolutions, voting procedures and methods, minutes of meetings, secretary's duties.

Unit 06 : Company Meetings -I

Company meetings, kinds of company meeting, requisites of company meetings, motions and resolutions, methods and procedures of voting in company meetings, minutes of company meetings.

Unit 07 : Company Meetings -II

Duties of secretary general, duties of secretary: statutory meetings, duties of secretary: statutory meetings, duties of secretary: annual general meetings, duties of secretary: extraordinary general meetings, duties of secretary: other meetings, minutes of meetings.



202





Block 03 Business Communication

Unit 08 : Principles of Letter Writing

Basic principles of correspondence form and arrangement of a business letter, supplements to the arrangement of the letter, supplements to the arrangement of the letter.

Unit 09 : Business Correspondence -I

Business letters, planning the letters, form letters, kinds of business letters.

Unit 10 : Business Correspondence -II

Publicity and public relations, letters to editors, postal services.

Unit 11 : Official Correspondence

Correspondence with postal authorities, correspondence with local bodies, correspondence with government departments, correspondence with public utilities.

Block 04 Reports and Précis Writing

Unit 12 : Office Reports

Meaning and definition of a report, importance of reports, report writing, types of reports, reports control.

Unit 13 : Report Writing

General guidelines in preparing reports, procedure of report writing, stages in report writing, long reports, short reports.

Unit 14 : Precis Writing

What is a précis?, why précis?, characteristics of a good précis, method of writing a précis, problems in writing a précis, some illustrations.

A cluster of four handwritten signatures or initials, appearing to be in cursive script, arranged in a loose group.A single handwritten signature or initial, appearing to be in cursive script, located at the bottom left.

Sys - 28. u. 16

B.Com S-03 Sales Management (Skill Based Elective Course-in Second and Third Year).

Block 01 Sales Management: Basic Functions

Unit 1 : Introduction to Sales Management

Sales and distribution strategy- role in the exchange process, interdependence of sales and distribution, sales management-formulation of sales strategy, framework for joint decision making in sales and distribution management.

Unit 2 : Personal selling

The growing importance of personal selling, situations conducive for personal selling, the changing roles of sales personnel, diversity of selling situations, qualities of a good sales personnel, the scope of activities in sales situations.

Unit 3 : Sales Process

Personal selling and marketing effort, theories of selling, personal selling process.

Unit 4 : Computer Systems and Applications in Sales Management

Organization as an information processing system, why computer, execution of an order-stages involved, information sought from sales management, how to obtain information for a sales management system, how does a computerised system work, used of computerised sales management system.

Block 02 Selling Block

Unit 5 : Communication Skills

How communication works, communication media and their characteristics, selecting media options, non-verbal communication (NVC), oral communication, interpersonal communication, non-verbal behavior in interpersonal interactions, written communication, writing sales letters and other materials.

Unit 6 : Sales Presentation

What is a presentation, types of sales presentations, typical structure of a presentation, planning the presentation strategy, presentation skills, principles of effective presentation.

Unit 7: Negotiation Skills

What is negotiation, difference between selling and negotiating, the negotiations continuum, steps of negotiation, negotiation strategies principles of sales negotiations.

Unit 8: Retail Communication: Sales Displays

Objectives of sales displays, principles (and aesthetics) of display, types of display, managing displays effectively, training retailers, motivation the retailer.

Buy

204

182

WV

Block 03 Managing the Sales Force

Unit 9 : Job analysis, Recruitment and Selection

Nature of the sales job, sales job analysis, recruitment, recruitment sources, selection, selection tools, conclusion.

Unit 10: Training the sales force

Logic of training, training process, areas of sales training, process of identifying training needs, methods of identifying training needs, learning styles, designing and conduction the programme, trainer's abilities, training follow-up

Unit 11: Compensation and Motivation of Sales Force

Types of compensation, types of compensation schemes, factors influencing design of compensation schemes, criteria for designing a compensation package, motivation of sales force, motivation and needs, salesperson and motivational technique.

Unit 12: Monitoring and Performance Evaluation

Monitoring-needs and objectives, parameters used to monitor sales force, contents of a sales report, basic sales reports and their analysis performance appraisal evaluation, salesmen's evaluation-some basic issues, setting performance with norms, comparing performance with norms, comparing performance with norms, case study-monitoring and performance appraisal of medical of medical representatives.

Block 04 Planning and control of the sales effort

Unit 13 : Sales Planning

Product-wise sales planning, territory management meaning, why sales territories, steps in territory planning, approaches to territory design, territory coverage planning, territory expense planning, control systems, Improving territory productivity, sales programme planning, planning sales manager's own itinerary.

Unit 14 : Sales Organization

Need for sales organization, developing a sales organization, centralization a sales organization, centralization Vs. decentralization in sales organization, basic types of organizational structure, developing territories, field sales organization, specialization in a field sales organization, role of the sales executive.

Unit 15 : Sales Forecasting and Sales Quotas

Sales forecasting-A Quick recapitulation, managing sales forecasts, what to do when sales forecasts differ, monitoring the sales forecast, sales forecasting for new products, sales quotas-meaning and importance, why quota, how quotas are set, attributes of a good sales quota plan.

Unit 16 : Sales Budgeting and Control



Purpose of the sales budget, methods of sales budgeting, preparation of sales budget, budget implementation and establishment of feedback mechanism, flexibility in budgeting, introduction and purpose of sales control, sales control system, methods of sales control, marketing cost analysis, usefulness of marketing cost analysis, usefulness of marketing cost analysis, sales management audit.

Block 05 Case Studies

Unit 17:

Unit 18:

Unit 19:

Unit 20:

b05 28.ii.16

B.Com S-04 Insurance

Block 01

Unit 01: Introduction

Characteristics of insurable risks, history of insurance, definition of insurance, functions of insurance, advantages of insurance, types of insurance, principles of insurance, insurance organization.

Unit 02: Basic Terminology

Reinsurance, advantages of reinsurance, difference between double insurance and reinsurance,

Unit 03: The Insurance Contract

Introduction, main elements of valid contracts, judiciary-opinion about insurance claims, insurable interest, judiciary opinion about insurance claims, methods of indemnity, assurance or warranty, difference between general contract and insurance contract, is insurance gambling

Unit 04: Life Insurance

Introduction, importance of life insurance, beginning of life insurance, characteristics of contract of life insurance, difference between life insurance and other types of insurance, procedure for life insurance, procedure of accepting insurance proposal form

Block 02

Unit 05: Life Insurance Policy

Introduction, kinds of life policy, which is the best policy.

Unit 06: Annuity

Introduction, difference between annuity and life insurance

Unit 07: Conditions and Privileges of Life Insurance Policies

Introduction, proof of age, payment of premium, travel residence and occupation, change in policy, suicide, last policies, nomination and assignment, specimen of nomination, assignment, specimen of assignment, forfeiture or lapse of policy, non-forfeiture of policy, default pertaining to the payment of premium, what should be done of lapsed policy, how to pay up claims,

Unit 08: Calculation of Premium

Introduction, death rate, interest, expenses, reserves, mortality table, kinds of mortality table, assessment plan, natural premium plan, level premium plan, computation of premium is as net premium, gross premium, management expenses, methods of loading,



Block 03

Unit 09: Investment and Bonus

Introduction, principles of investment, kinds of investment, investment policy of life insurance corporation of India, legal restriction on investment, bonus, classification of bonus.

Unit 10: Life Insurance Corporation

Introduction, post nationalization, functions of life insurance corporation, organization, zonal office.

Unit 11: Introduction of Marine Insurance

Introduction, meaning of marine insurance, insurable risks in marine insurance, scope of marine insurance, importance of marine insurance

Unit 12: Conditions of Marine Insurance Policy

Introduction, information's are involved in insurance policy,

Block 04

Unit 13: Types of Marine Insurance Policy

Time policy, voyage policy, mixed policy, value policy, unvalued policy, interest policy, wagering policy, currency policy, blanket policy, inland marine insurance policy, freight policy, cargo policy,

Unit 14: Marine Losses

Introduction, classification of marine losses, separate valuation by service valuation, determination of contribution value of ship, return of premium, procedure of making marine insurance

Unit 15: Fire Insurance

Introduction of fire insurance, hazard in fire insurance, scope of fire insurance

Unit 16: Fire Insurance Contract

Introduction, fire insurance is a contract of indemnity, method of indemnity, fire insurance is personal contract, essentials of fire insurance contract,

Block 05

Unit 17: Types of Marine Insurance Policy

Introduction, mis-description, alterations, exclusion, claim, fraud, reinstatement, insurer's insurance company, contribution and average, subrogation, warranties, arbitration, miscellaneous provision of fire insurance policy, types of fire insurance, determination of premium.

200

Unit 18: Procedure for Enforcing Fire Insurance

Introduction, settlement of claims in fire insurance, judicial decision,

Unit 19: Miscellaneous Insurance

Introduction, kinds of miscellaneous insurance, kinds of motor insurance policy, conditions of comprehensive motor policy, procedure and settlement of motor insurance, liabilities of insurance company, procedure of insurance, kinds of insurance policies, prcedure of insurance, insurance procedure, type of insurance, insurance procedure, conditions of insurance policy,

Unit 20: Indian General Insurance Business

Introduction, general insurance corporation of India, subsidiary companies, recommendations of malhotra committee for improvement in insurance field, foundation of insurance regulatory and development authority, right and objective of authority, organization of authority, effort of privatization of general insurance business, entry of private companies, private companies of general insurance, Indian insurance act, insurance regulatory and development authority act, 1999, general insurance claims-fire insurance, final accounts of insurance companies.



Disaster Management (Elective Foundation Course)

Block 01 Understanding, Factors and Significance

Block Introduction

The introductory block "Foundation Course on Disaster Management" aim at familiarizing the learners with the meaning, factors and signification of disaster. This block aims to explain the meaning of disasters and helps one to understand disaster in global and regional context with particular reference to the disaster profile of India. Also highlighting the role played by six different agencies. These agencies include district administration, armed forces, ministries and departments, non-governmental organizations international agencies, and media. The discussion and analysis in the block aim at enabling you to understand and appreciate the part played by various governmental and non-governmental organizations in management the disasters. The block is divided into four units briefly explained as under:

Unit 1 : Disaster : Meaning, Factors and Significance Causes and Effects

Meaning of disasters, nature of disasters, causal factors of disasters, significance and repercussions. Towards understanding of disasters, causes of disasters, effects of disasters.

Unit 2 : Disaster : Under Global and Indian Perspective

Disasters: Global and regional context, efforts to mitigate disasters worldwide. Disasters in India: Regional Profile, Disasters in India: Seasonal Profile.

Unit 03 : Role of Govt. & NGO

Role of relevant district administrative agencies, interaction with other agencies, communication network, role of sub-district administration, relief measures, rehabilitation. Role of armed forces, role of para-military, forces, interaction with other agencies. Existing preparedness and relief measures, coordination between various levels, relief assistance, rehabilitation. And non-governmental organizations NGOs objectives and importance with regard to disasters, functional mechanism, interaction and coordination.

Unit 04 : Role of International Agencies

International agencies and disasters: role and importance, important international agencies in disaster mitigation, financial and logistic assistance in disaster situations, interaction and coordination with governmental and non-governmental organization. And media Importance and role of media, factual and ethical reporting. E45.

Block 02 Typology of Disasters - I

Block Introduction

This block consists of four units. This block focuses on earthquake, flood and drainage, cyclone, and drought and famine. We are also going to discuss about landslide and snow avalanche, fire and forest fire, industrial and technological disasters and epidemics. It will give you some more idea about the natural and manmade disasters.

Unit 5 : Earthquake & Flood and Drainage

General Characteristics, pre-cursors Instrumental and Non-Instrumental, vulnerability, impact and effects, nature of damage. Causal phenomena and characteristic, vulnerability, predictability, forecasting and warning, preparedness, forecasting and warning, preparedness, mitigation with special reference to flood plain zoning, adverse effects.

Unit 6 : Cyclone, Drought and Famine

Characteristic, forecasting and warning systems, preparedness, risk reduction measures, effects. Distinction between drought and famine, characteristics of droughts, predictability, forecasting and warning, vulnerability, mitigation, typical effects.

Unit 7 : Land Slide, Snow Avalanche, Fire and Forest Fire

Landslide and snow avalanche: the phenomena characteristics and causes, vulnerability, risk reduction measures, preparedness, effects and impacts. Fire: major kinds, forest fire, causes and vulnerability, precautions, effects and impacts.

Unit 8 : Industrial and Technological Disaster and Epidemics

Meaning and concept, types, characteristics and causal phenomena, warning, safety precautions, typical effects. Meaning and types, characteristics and causes, vulnerability, safety measures, effects.

Block 03 Essentials of Disaster Preparedness

Block Introduction

The discussion in the previous blocks has been on the basics of disasters as well as on different types of disasters. The focus of discussion in block 4 is on disaster preparedness. This block consists of four units.

Unit 9 : Planning

Planning in the context of disaster preparedness: meaning and concept, short-term and long-term planning, role of planner.

Unit 10 : Communication

Communication: meaning and concept, significance of communication in disaster preparedness and mitigation, techniques of communication, modes of communication, ways to ensure effective communication.

Unit 11 : Leadership and Co-ordination

Leadership in disaster situations: concept and significance, leadership styles, co-ordination: concept and significance, principles and technique of co-ordination, role of leader and co-ordinator, summary, key words, reference and further readings.

Unit 12 : Warehousing and stock piling

Importance of warehousing and stock piling, location of warehouses, commodities and instruments, identification of areas and sufferers, techniques for distribution.

Block 04 Disasters Management and Awareness

Block Introduction

This block consists of four units dealing with the human behaviour and response in disaster situations, community participation and awareness, public awareness programmes

Unit 13 : Human behavior and response: individual, community, institutional

Human behavior and response : A concept, factors dissuading positive human behavior in disaster situations, measures for ensuing positive human behavior and response, psyche of provider and sufferer, interaction between individual, community and institutions.

Unit 14 : Community Participation and Awareness

Disaster situation, ensuring community awareness, techniques for effective community participation.

Unit 15 : Public Awareness Programme

Beliefs and myths regarding disasters, public awareness programmes through face-to-face interactions, electronics media, print media/material, providers training for creating public awareness among public.

Unit 16 : Information Organization and Dissemination

Information concept : meaning, types and importance, ways of collecting relevant information, organizing information, effective dissemination of information, feedback for improving information collection and dissemination.




212

SOLID WASTE MANAGEMENT (Elective Foundation Course)

This subject covers the various sources and characterization of municipal solid wastes and the processing of the same and the disposal methods. The student is expected to know about the various effects and disposal options for the municipal solid waste. The complete syllabus is divided into four blocks, each consist of three units as explained below:

Block 1: Sources and Types of Municipal Solid Waste:	Unit 1: Introduction to Municipal Solid Waste Management	Introduction, Sources (or genesis) of solid waste, Types of solid waste, Effects of improper disposal of solid wastes, Public health effects.
	Unit 2: Composition of Solid Waste	Composition of solid waste and its determination, Types of materials recovered from Municipal Solid Waste (MSW)
	Unit 3: Principle of Solid Waste Management	Principle of solid waste management – social & economic aspects; Public awareness; Role of NGOs; Legislation. Physical properties of Municipal Solid Waste, Chemical properties of Municipal Solid Waste, Biological properties of Municipal Solid Waste, Transformation of Municipal Solid Waste.
Block 2: Measurement of Solid Waste and public health	Unit 4: Quantities and Methods to Measure Solid Waste Quantities	Quantities of Solid Waste, Measurements and Methods to measure solid waste quantities
	Unit 5: Solid Waste and Public Health	Public Health & Economic aspects of storage, options under Indian conditions, Critical Evaluation of Options
	Unit 6: Factors Affecting Solid Waste	Factors affecting solid waste generation rate, Quantities of materials recovered from MSW, Solid Waste as pollutant, effect of solid waste to environment.
Block 3: Collection, Handling, Segregation, Storage and processing of Solid Waste	Unit 7: Collection of Solid Waste	Methods of Collection, Types of vehicles, Materials used for containers, Manpower requirement, Collection routes, Transfer Stations, Selection of location, operation & maintenance, Options under Indian conditions.
	Unit 8: Waste Handling and Segregation	Handling and segregation of Solid Waste at site, Material separation by pick in, screens, float and separator magnets and electromechanical separator and other latest devices for material separation, Waste handling and separation at Commercial and industrial facilities, Storage of solid waste at the sources.
	Unit 9: Processing of Solid Waste	Processing of Solid Waste at residence e.g. Storage, conveying, compacting, Shredding, pulping, granulating etc., Processing of solid waste at Commercial and industrial site.
Block 4: Disposal of Municipal Solid Waste and Hazardous Solid Waste	Unit 10: Combustion and Energy Recovery of Solid Waste	Combustion and energy recovery of MSW, Effects of combustion, Undesirable effects of Combustion. Landfill: Classification, planning, siting, permitting, landfill processes, landfill design, landfill operation, use of old landfill. Differentiate sanitary land fill and incineration as final disposal system for solid waste.
	Unit 11: Biochemical Processes	Biochemical processes: Methane generation by anaerobic digestion, Composting and other Biochemical Processes.
	Unit 12: Hazardous Solid Waste	Definition, identification and classification of hazardous solid waste. Characteristics: Hazardous waste toxicity, Reactivity, Infectiousness, Flammability, Radioactivity, corrosiveness, irritation, bio-concentration, genetic activity, explosiveness.


 Several handwritten signatures and initials are visible across the bottom right of the page, appearing to be approvals or dates. Some legible text includes "23/01/16", "213", and "20/01/16".

कार्यवृत्त

आज दिनोंक ०२-०५-२०१६ को अपराह्न ७ बजे सभाजा विशाख विद्यालय के मिडेशाक्स डॉ. रम. रम. सिंह की आद्यमश्ला में रुनातकोवर आधार पाठ्यक्रम 'मानव अधिकार रुबं शूल कर्तव्य' से सम्बन्धित स्कूल बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

- (१) - डॉ. रम. रम. सिंह - अध्यक्ष ✓
- (२). डॉ (प्रौढ़ी) इलि लिवारी - सदस्य Shrawani
- (३). डॉ. - संतोषा कुमार - सदस्य Q
- (४). श्री. - सुनील कुमार - सदस्य Q

बैठक में रुनातकोवर आधार पाठ्यक्रम 'मानवाधिकार रुबं शूल कर्तव्य' के नवीन पाठ्यक्रम की CBCS के अन्तर्गत सेवनका डॉ. रोपाणीका शिवास्त्रव इरा अध्ययन बोर्ड से सेवन प्रस्तुत की गयी। स्कूल बोर्ड ने उक्त का प्रशासनक एवं यावत् विचार करते हुए प्रशासनक अनुभाग को घोषित किये जाने की संस्कृति की।

०२/०५/२०१६

Shrawani

०२.५.२०१६

०२/०५/२०१६

०२/०५/२०१६



उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

माननीय कुलपति जी के मौखिक निर्देशानुसार दिनांक 27.04.2016 को 03:00 बजे अपराह्न में समाज विज्ञान विद्याशाखा के स्नातकोत्तर आधार पाठ्यक्रम "मानव अधिकार एवं कर्तव्य" से सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1. प्रो. एच.के. शर्मा
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. प्रो. एस.पी. गुप्ता
निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
3. डॉ. एम.एन. सिंह
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
4. डॉ. दीपशिखा श्रीवास्तव
शैक्षणिक परामर्शदाता, राजनीति विज्ञान
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

1. बैठक में विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम में कुछ संशोधनों के साथ पाठ्यक्रम को संस्तुति प्रदान की गई।
2. विषय से सम्बन्धित स्व-अध्ययन सामग्री लेखन कार्य हेतु लेखकों की सूची क्रीं भी संस्तुति प्रदान की गई।

प्रो. एच.के. शर्मा

प्रो. एस.पी. गुप्ता

डॉ. एम.एन. सिंह

डॉ. दीपशिखा श्रीवास्तव

कार्यपात्र

दिनांक 27.04.2016 को राजनीति सभा आधार पाठ्यक्रम
 'मानव अधिकार एवं वृत्ति' से सम्बन्धित
 अध्ययन बोर्ड की ओरेक्स सम्पन्न हुई। जिसमें
 निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रौ. रम. के. शर्मा प्रौ. ०२८
विभागाद्यालय
राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

2. प्रौ. रम. पी. गुप्ता

निदेशालय
शिक्षा विद्या शारका

3. डॉ. रम. रम. मिश्र

निदेशालय
समाज विज्ञान विद्याशारका

4. डॉ. दीपशिखा श्रीवार्ता

शिक्षाविद्यालय परामर्शादाता
राजनीति विज्ञान

Dipashikha Srivastava
27.04.16

1. ओरेक्स में विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम में
 कुछ संशोधनों के साथ पाठ्यक्रम को संस्कृति
 उदान को गई।

2. विषय से सम्बन्धित ईव-अध्ययन-सामग्री लैरेबन
 हेतु लैरेबन की सूची को संस्कृति प्रदान
 को गई।

Dipashikha Srivastava

216
27.04.16

प्रौ. ०२८
27.04.16

216

रनातकोत्तर अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम मानव अधिकार एवं कर्तव्य

(1) मानव अधिकार एवं कर्तव्य : मौलिक तत्व

1. मानव अधिकार का अर्थ एवं प्रकृति
2. मौलिक तत्व (सहअस्तित्व, समूह, राज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातत्व)
3. अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन की आवश्यकता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व

(2) दार्शनिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1. मानव अधिकार का इतिहास
2. मानव अधिकार आन्दोलन
3. मानव अधिकार के सिद्धान्त

(3) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

1. 1948 का सार्वभौमिक घोषणा पत्र
2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं; नागरिक और राजनीतिक अधिकार 1966
3. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ

(4) भारत में मानव अधिकार और कर्तव्य

1. विकास : स्वतंत्रता आन्दोलन, संविधान निर्माण
2. भारतीय संविधान
 - a) प्रस्तावना
 - b) नीति निर्देशक सिद्धान्त
3. a) मौलिक कर्तव्य व अधिकार
b) आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान

(5) मानवाधिकारों का संरक्षण

1. राष्ट्रीय स्तर पर (सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग)
2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर (संयुक्त राष्ट्र एवं एन.जी.ओ. की भूमिका)
3. प्रान्तीय स्तर पर (राज्य महिला आयोग एवं लोकायुक्त की भूमिका)

S.Srivastava

5/

स्व-अध्ययन सामग्री हेतु लेखको की सूची

1. प्रो. कृष्णा गुप्ता
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 2. प्रो. अनुराधा अग्रवाल
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 3. प्रो. राजपाल बुधानिया
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 4. प्रो. एच.के. शर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 5. डॉ. अंशुमन मिश्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 6. प्रो. आर.के. चौधे
विधि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 7. प्रो. एच.ओ. अग्रवाल
विधि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 8. डॉ. जे.पी. मिश्रा
विधि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 9. डॉ. एच.एन. तिवारी
विधि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 10. डॉ. जे.एस. सिंह
विधि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 11. डॉ. एम.पी. तिवारी
राजनीति विज्ञान विभाग
ए.डी.सी. इलाहाबाद
 12. डॉ. सारिका दुबे
राजनीति विज्ञान विभाग
महात्मा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर
 13. सुश्री साधना श्रीवास्तव
जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
 14. डॉ. सतीश क्रुमार्ज जैसल्लू
जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
१५. डॉ. कंचन
उ.प्र. शास्त्रीय एवं साहित्य अनुसंधान
केन्द्र, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

स्नातकोत्तर अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम

मानव अधिकार एवं कर्तव्य

(1) मानव अधिकार एवं कर्तव्य : मौलिक तत्व

1. मानव अधिकार का अर्थ एवं प्रकृति
2. मौलिक तत्व (सहअस्तित्व, समूह, राज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातव्य)
3. अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन की आवश्यकता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व

(2) दार्शनिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1. मानव अधिकार का इतिहास
2. मानव अधिकार आन्दोलन
3. मानव अधिकार का सिद्धान्त

(3) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास सम्बन्ध

1. 1948 का सार्वभौमिक घोषणा पत्र
2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रसविदाएँ, नागरिक और राजनीतिक अधिकार 1966
3. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ

(4) भारत में मानव अधिकार और कर्तव्य

1. विकास : स्वतंत्रता आन्दोलन, संविधान निर्माण तथा नवीन सामाजिक आन्दोलन
2. भारतीय संविधान :
 - a) नीति निर्देशक सिद्धान्त
 - b) मौलिक कर्तव्य व अधिकार
 - c) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
 - d) जीवन के लिए अच्छा वातावरण

(5) भारत में मानवाधिकारों का क्रियान्वयन संरक्षण

1. अन्तर्राष्ट्रीय पर क्रियान्वयन (रोज़ग़र राष्ट्र एवं राजनीति की क्रियान्वयन)
2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन (राष्ट्रीय शान्ति, आनन्द, आपेक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि)
3. स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन (राज्य प्रशासन आपेक्षा राज्य लोकानुकूल की क्रियान्वयन)

27-04-16

27-04-16

27-04-16

लेखकों की सूची

1. प्रौ. दृष्टि गुप्ता
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2. प्रौ. अनुराधा अग्रवाल
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
3. प्रौ. राजसात बुधानिमा
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
4. डॉ. अंशुमान मिश्रा
विद्यि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद Mob- 9454018190
anshumanimishra73@gmail.com
5. प्रौ. रघु. के. शर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
6. प्रौ. आर. के. चौहानी
विद्यि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद Mob- 941543676
7. प्रौ. रघु. डौ. अग्रवाल
विद्यि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
8. डॉ. जे. पी. मिश्रा
विद्यि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद Mob-
9. डॉ. रघु. राज. तिवारी
विद्यि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद Mob-
10. डॉ. जे. रस. शिंदे
विद्यि विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद Mob-
11. डॉ. रघु. पी. तिवारी
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. Dr. Kanchan

Assist. Professor, Sociology
Govt. Mahila Mahavidyalaya
D.L.W. Varanasi

डॉ. कंचन

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र
राजकीय महिला महाविद्यालय
जी.एल. डेक्कु, वाराणसी
मोबाइल नं. 9838551993

13. डॉ. सारिका दुबे

राजनीति विज्ञान विभाग
अदान्मा डॉडी राजनीतिकौशल
महाविद्यालय, फैदिपुर

14. डॉ. ब्रतीश चन्द्र जैसल

जनसंचार एवं प्रकारिता विभाग
उ.प. राजधानी टड़का मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

15. सुश्री. क्षाणा ओवार्स-तव

जनसंचार एवं प्रकारिता विभाग
उ.प. रा. ए. ए. विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामज़, इलाहाबाद

संलग्नक - २४

कार्यवृत्त


आज दिनांक 30/04/2016 को पूर्वाहन 11:30 बजे कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत "पशुधन उत्पादन प्रणाली" तथा "प्रसार एवं सामुदायिक विकास" इकाइयों में नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी अध्ययन बोर्डों द्वारा पारित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु कृषि विज्ञान रक्कूल बोर्ड की बैठक शैक्षणिक परिसर में निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए-


1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, यू०पी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (अध्यक्ष)
2. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक शिक्षा विद्याशाखा, यू०पी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (सदस्य)
3. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा, यू०पी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (सदस्य)


सर्वप्रथम निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। एवं बैठक के उद्देश्य की वर्ता करते हुए कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत पशुधन उत्पादन प्रणाली इकाई में दो प्रमाण पत्र कार्यक्रम Certificate in Poultry Farming (CPF) एवं Certificate in Bee Keeping (CIB) तथा "प्रसार एवं सामुदायिक विकास" इकाई में दो कार्यक्रम PG Diploma in Agricultural Extension (PGD-AgExt) एवं M.Sc. in Agricultural Extension (MSc-AgExt) सत्र 2016-17 से प्रारम्भ करने सम्बन्धी अध्ययन बोर्डों से पारित प्रस्ताव पूरी रूपरेखा के साथ विवारार्थ प्रस्तुत किये।

1. सदस्यों ने "पशुधन उत्पादन प्रणाली" में दिनांक 28.04.2016 को सम्पन्न अध्ययन बोर्ड की बैठक में संस्तुत कार्यक्रम : Certificate in Poultry Farming (CPF) एवं Certificate in Bee Keeping (CIB) के प्रस्तावों पर एक-एक करके गहनता के साथ सम्यक विचार करते हुए इन्हें यथावत स्वीकार किया एवं इन कार्यक्रमों को प्रस्तावनुसार सत्र 2016-17 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की। (संलग्नक 01(1) एवं 01(2))
2. सदस्यों ने "प्रसार एवं सामुदायिक विकास" में दिनांक 29.04.2016 को सम्पन्न अध्ययन बोर्ड की बैठक में संस्तुत कार्यक्रम : PG Diploma in Agricultural Extension (PGD-AgExt) एवं M.Sc. in Agricultural Extension (MSc-AgExt) के प्रस्तावों पर एक-एक करके गहनता के साथ सम्यक विचार करते हुए इन्हें यथावत स्वीकार किया एवं इन कार्यक्रमों को प्रस्तावनुसार सत्र 2016-17 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की। (संलग्नक 02(1) एवं 02(2))

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


डॉ. पी.पी. दुबे


डॉ. ओमजी गुप्ता


डॉ. एस.पी. गुप्ता

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

आज दिनांक 28/04/2016 को पूर्वाहन 01:30 बजे कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत "पशुधन उत्पादन प्रणाली" इकाई में नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक शैक्षणिक परिसर में निदेशक कृषि विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए-

1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, यूपी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (अध्यक्ष)
2. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक शिक्षा विद्याशाखा, यूपी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (सदस्य)
3. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा, यूपी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (सदस्य)
4. डॉ. वी.के. द्विवेदी (निदेशक), बायोवेद शोध संस्थान, इलाहाबाद (सदस्य)

सर्वप्रथम निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं बैठक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत पशुधन उत्पादन प्रणाली कार्यक्रम Certificate in Poultry Farming एवं Certificate in Bee Keeping सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये। सदस्यों ने दोनों कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर गहनता के साथ सम्यक विचार करते हुए एवं कतिपय संशोधनों के उपरान्त इन प्रस्तावों (संलग्नक 01 व 02) को उपयुक्त पाते हुए सत्र 2016-17 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की।

अन्त में सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

डॉ. पी.पी. दुबे

डॉ. एस.पी. गुप्ता

डॉ. ओमजी गुप्ता

डॉ. वी.के. द्विवेदी

Certificate in Poultry Farming (CPF) Structure and Syllabus as finalised by BOS

Poultry Farming has been one of the most important subsidiary occupations of the farming community in India. It is a remunerative business both in rural and urban areas due to the requirement of small space, low capital investment and generates quick and regular income and employment throughout the year. It has a significant role in the eradication of malnutrition and poverty especially in the rural area. However, due to extensive use of days old primitive technology on most of the farms this business still remains unproductive commercially unviable. The present programme aims to impart knowledge and skill to the poultry farmers to make Poultry Farming a viable business. The target group includes Existing Poultry Farmers, unemployed or underemployed Rural youth, Women, other Farmers and Entrepreneurs.

Objectives:

The main objectives of the programme are to:

- to develop and strengthen Human Resource by infusing/imparting knowledge and skill in Poultry Farming through Open and Distance Learning (ODL) Mode
- to create awareness about the opportunities of employment and livelihood in Poultry Sector; and
- to impart basic knowledge and technical proficiency in Poultry Housing, Breeding, Nursing, and Management.

Eligibility: 10th Pass

Medium of Instruction: Hindi

Duration: Minimum 6 months and Maximum 2 years proposed to be offered from the session 2016-17 in both January & July cycle of admissions.

Fee Structure: Rs.3,000/- for full programme

By
Dated
Aug
2016
SC/MS
224

Programme Structure:

Course Code	Course Name	Credits
CPF-01	Introduction to Poultry Farming	4
CPF-02	Poultry Housing and Management	4
CPF-03	Poultry Feeds and Feeding	4
CPF-04	Poultry Health Care and Diseases	2
CPF-05	Poultry Farm Training	2
Total Credits		16

Examination and Evaluations shall be as per the University norms for other certificate programmes

Detailed Course Structure:

CPF-01: Introduction to Poultry Farming

Block1: Poultry Industry

- Unit 1: Poultry Farming: An Overview
- Unit 2: System and Types of Poultry Farming
- Unit 3: Poultry development Programmes in U P

Block 2: Poultry Breeds and Breeding

- Unit1: Species, Breeds and Strains
- Unit 2: Qualitative Traits and Breeding
- Unit 3: Selection, Culling and Artificial Insemination

Block 3: Farming of Different Poultry Species

- Unit1: Duck and Geese Farming
- Unit 2: Quail Farming
- Unit 3: Guinea, Fowl and Turkey Farming

CPF-02: Poultry Housing and Management

Block 1: Farm Establishment and Equipments

- Unit 1: Principles of Housing
- Unit 2: Housing Systems
- Unit 3: Poultry House Equipments

Block 2: Poultry Management

- Unit 1: Brooding Management
- Unit 2: Management of Broilers
- Unit 3: Management of Layers

11 - 20 Dec
11 22 Dec
11 22 Dec

Unit 4: Routine Management

Block 3: Economics and Marketing of Poultry and Poultry Products

Unit 1: General Economic Considerations in Poultry Farming

Unit 2: Farm Record Keeping

Unit 3: Quality Considerations in Marketing of Poultry products

Unit 4: Processing and Marketing

CPF-03: Poultry Feeds and Feeding

Block 1: Principles of Poultry Feeding

Unit 1: Energy and Protein Feedstuffs

Unit 2: Mineral and Vitamin Supplements

Unit 3: Feed Additives and Toxicants

Block 2: Feeding Standards

Unit 1: Dietary Requirements

Unit 2: Feed Processing and Quality Control

Unit 3: Feeding Methods

CPF-04: Poultry Health Care and Diseases

Block 1: General Health Care

Unit 1: Parameters of Identification of Healthy and Sick Birds

Unit 2: Intercultural Preventive measures

Unit 3: Vaccination and other medicinal preventive measures

Unit 4: Safe Disposal of Sick/Dead Birds and Poultry Wastes

Block 2: Common Poultry Diseases and their Control

Unit 1: Viral and Bacterial Diseases of Poultry and its cure

Unit 2: Protozoal and Fungal Diseases of Poultry and its cure

Unit 3: Internal and External Parasites of Poultry and its cure

CPF-05 : Poultry Farm Training

A compulsory 10-days continuous hands-on training (CPF-05) will be conducted at the Designated Centers under the supervisions of the university. The keys areas will be as follows:

1. General Visit of a Poultry Farm;
2. Visit of an specific Farm viz, Broiler Farm, Layer Farm, Brooder Farm;
3. Visit to Grower House;
4. Visit to Feed Mixing Unit;
5. Bio-Security Measures;
6. Visit to Other Farms; and
7. Discussion and Reporting

The SLM will be prepared by the school of Agricultural Sciences as soon as possible. However for the first batch the following books are recommended to begining with

1. Commercial Poultry & Broiler Farming (With Fish & Pig Farming) (IN HINDI) (Latest Edition) by Jahan Singh Chauhan, JBA Pub. ISBN : 8187251239
2. मुर्गीयों का प्रमुख रोगों से बचाव एवं रोकथाम् (2004) by R P Mathur and B K Dwivedi, Bioved Research Society, Allahabad ISBN : 8185722587

Dr P. P. Dubey

Dr S. P. Gupta

Dr Omji Gupta



Dr B. K. Dwivedi

Certificate in Bee Keeping (CIB)

Syllabus as Finalised by BOS

Honey production provides nutritional and economic security to the farmers and their family members, and rural youth who are directly or indirectly engaged in farming business. Because of nutritional and medicinal values of honey it has an ever increasing demand across the world. Honey in India is mostly being collected from the wild sources and a very little is produced through rearing honey bees. There exists a great potential in this area which can be tapped through imparting improved technical knowhow and skill to the traditional beekeepers, rural youth and others interested in this business. The certification may be required to the beekeepers to seek any financial help from any bank, non-governmental or governmental agencies, etc.

Objectives:

The main objectives of the programme are:

- to impart education about modern methods of beekeeping through ODL mode and hence build human resource in the beekeeping sector;
- to create awareness about apiculture and its benefits as a supplementary business to increase income and employment; and
- To develop entrepreneurial skills in the existing beekeepers

Eligibility: 8th Pass or Professional Beekeepers

Medium of Instruction: Hindi

Duration: Minimum 6 months and Maximum 2 years; proposed to be offered from the session 2016-17 in both January & July cycle of admissions.

Fee Structure: Rs.3000/- for full programme

Programme Details:

Programme Structure:

Course Code	Title of the Course	Credits
CIB 01	Introduction to Beekeeping	4
CIB 02	Management of Honey Bee Colonies	6
CIB 03	Hive Products and Economics of Beekeeping	4
CIB 04	On site Training	2
Total Credits		16

1/1/16
S2
2016/17
S2
2016/17

228
228

Examination and Evaluations Shall be as per the University norms for other certificate programmes

Course Structure:

CIB-01: Introduction to Beekeeping

Block 01: General Introduction to Honey Bee

Unit 01: Species, Morphology and Physiology

Unit 02: Life Cycle of Honey Bee

Unit 03: Bee Family and Division of Labour

Block 02: Bee Keeping Industry

Unit 01: History and recent Trend of Bee Keeping

Unit 02: Government Policies, challenges and remedial Measures

Unit 03: Establishment of Bee Keeping Unit

CIB-02: Management of Honey Bee Colonies

Block 01: General Management

Unit 01: Management of Colonies in Different Seasons

Unit 02: Routine activities of Bee Keeping

Unit 03: Swarming and Supersedure

Block 02: Production and Disease Management

Unit 01: Honey and Vax Production

Unit 02: Diseases of Honey Bee and their Cure

Unit 03: Natural Enemies of Honey Bee

CIB-03: Hive Products and Economics of Bee Keeping

Block 01: Hive Products

Unit 01: Honey: Composition, Classification and Uses

26

Unit 02: Other Hive Products viz, Vax, Royal Jelly, Bee Pollen, Bee Venom, Bee Glue etc.

Unit 03: Standardization of Hive Products

Block 02: Economy of Bee Keeping

Unit 01: Economics of Bee Keeping

Unit 02: Marketing of Honey and other Hive Products

Unit 03: Agro-ecological Importance of Honey Bee

CIB-04 : On Site Training

A compulsory 10-days continuous hands-on training (CIB 04) will be conducted at the Designated Centers under the supervisions of the University. The keys areas will be Box Making, Site Selection, Feeding during off seasons, Honey extraction equipments, separation of products, processing and packaging, use of intercultural preventive measures, marketing etc. Training report should be prepared and submitted to the University Examination and evaluation.

The SLM will be prepared by the school of Agricultural Sciences as soon as possible. However for the first batch books will be recommended to begining with

Dr. P. P. Dubey

Dr. S. P. Gupta

Dr Omji Gupta

Dr. B. K. Dwivedi

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संख्या : ओ.यू./ 116 / 2016

दिनांक २५-०४-२०१६

अधिसूचना

कृषि विज्ञान विद्या शाखा के पशुधन उत्पादन प्रणाली इकाई के अन्तर्गत प्रस्तावित नये कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संरचना एवं प्रारूप आदि के निर्माण किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार निम्नवत् विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाता है :-

1. डॉ. पी.पी. दुबे

अध्यक्ष

निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2. डॉ. एस.पी. गुप्ता

सदस्य

निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा,

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

3. डॉ. ओम जी गुप्ता

सदस्य

निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

4. डॉ. बी.के. द्विवेदी

सदस्य

निदेशक, बायोवेद शोध संस्थान, इलाहाबाद

पृ. संख्या : ओ.यू./ 116 (१) / 2016

तददिनांक

(डॉ. पी. त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित सदस्यगण।
2. वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

(डॉ. पी. त्रिपाठी)
कुलसचिव

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

आज दिनांक 29/04/2016 को पूर्वाहन 01:30 बजे कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत "प्रसार एवं सामुदायिक विकास" इकाई में नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक शैक्षणिक परिसर में निदेशक कृषि विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए—


1. डॉ. पी.पी. दुवे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, य०पी०आर०टी०ओ०य०, इलाहाबाद (अध्यक्ष)
2. डॉ. जे.पी. श्रीवास्तव (इमरिटस प्रोफेसर), कृषि प्रसार विभाग, शियाट्स, नैनी, इलाहाबाद (सदस्य)
3. डॉ. डी.के. बोस (एसोसिएट प्रोफेसर), कृषि प्रसार विभाग, शियाट्स, नैनी, इलाहाबाद (सदस्य)
4. डॉ. एस.एल. त्रिपाठी, (भूतपूर्व प्रोफेसर), रुलर डेवलमेन्ट, गोविन्दपुर, इलाहाबाद (सदस्य)


सर्वप्रथम निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं बैठक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत "प्रसार एवं सामुदायिक विकास" कार्यक्रम में PG Diploma in Agricultural Extension एवं MSc. In Agricultural Extension सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये। सदस्यों ने दोनों कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर गहनता के साथ सम्यक विचार करते हुए एवं कठिपय संशोधनों के उपरान्त इन प्रस्तावों (संलग्नक 01 व 02) को उपयुक्त पाते हुए सत्र 2016-17 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की।


अन्त में सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


29/04/2016
डॉ. पी.पी. दुवे


29/04/2016
डॉ. जे.पी. श्रीवास्तव


29/04/2016
डॉ. डी.के. बोस


29/04/2016
डॉ. एस.एल. त्रिपाठी


30/04/2016
29/04/2016
232

PG Diploma in Agricultural Extension (Total 48 Credits)

Syllabus Finalised by BOS

Objectives: The basic objective of programs in Agricultural Extension is to develop Scientific and Research minded Human Resource, personnel to handle new challenges of using Information Communication Technologies in Agricultural Development, while working in the Department of Agriculture, Krishi Vigyan Kendras, Zilla Parishads, Nationalized Banks, Rural Development Banks, Non Governmental Organizations, State Agricultural Universities and the other stake holders.

Program Structure: This Program will be of two semesters consisting two Components viz, Course Work and Project Work with a total 48 credits. The structure of Core Courses and Project Work with Credit Points and Academic Work Load is given below:

Programme Structure

Semester	Paper No.	Course Code	Title of the Course	Credits	Compulsory/Elective
Semester -I					
		PGD-AgExt-01	Foundation course in Agricultural Extension	08	Compulsory
		PGD-AgExt-02	Advances in Agricultural Extension Education	08	
		PGD-AgExt-03	Agricultural Extension Management	08	
Total Credits of Semester-I				24	
Semester -II					
		PGD-AgExt-04	Communication and Diffusion of Agricultural Innovation	08	Compulsory
		PGD-AgExt-05	Research Methods & Statistical Analysis	08	
		PGD-AgExt-06	Project Work (Field Work)	08	
Total Credits of Semester-II				24	
Total Credits of In all the Semesters				48	

Note: The project Guide shall strictly be the approved councilor of the concerned Study Center. A copy of synopsis bearing the name of the student and his guice and duly forwarded by Principal/Coordinator of

(22)

the Study Center be sent to the office of Director, School of Agricultural Sciences for getting approval. The study centre center should assure to dispatch the entire synopsis collected from students to the office of director before the end of first semester.

Programme Duration: The duration of the programme shall be minimum 1 years and Maximum 3 Years.

Programme Fees: The Total Fees for the Programme shall be Rs. 6000/- only

Admission Eligibility and Process: Graduate in Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-Business Management, Agricultural Biotechnology, Food Sciences and Technology, Home Sciences, Information Communication Technology in Agriculture and Other Allied & Applied Agricultural Sciences listed in purview of Agricultural Universities and Open Universities in India.

A learner admitted for M. Sc. in Agricultural Extension programme, if wants to leave it after successful completion of first year's course requirements within the prescribed maximum period for PG Diploma in Agricultural Extension, he/she may be awarded PG Diploma in Agricultural Extension if he/she applies for the same and deposits the balance of the fees required for PG Diploma in Agricultural Extension along with an exit charge as decided by the university

Medium of Instruction: The Medium of Instruction for shall be English.

Learning Method: The PG Diploma Students has to complete Course Work (CW) as per schedule in respective semesters and Project Work in second semester. However, Participation in 75 percent of the Counseling Sessions conducted at their study center during each semester is compulsory to all candidates, failing which no student shall be allowed to appear for final examination.

Examination and Evaluation:

Final Evaluation

- The university shall follow Semester System. The passing percentage for each courses and each component shall be as per general provisions of the university for other course programmes.
- **Course Work:** This Component Consists of 5 Courses for 40 Credit Points distributed in both semesters, each course will carry 100 Marks (30 marks for Assignment and 70 Marks for Terminal examination). Terminal examinations will be conducted at the end of each semester.

11/11/2018
2018
233
234

- **Project Work:** This Component consists of conducting a project of 8 credits for 100 Marks. Two Copies of Project shall be submitted to the Examination Cell of the University through the study Center before the scheduled last date.

Credit Points: One Credit Point workload of Studies means a study of 30 hours, which includes time spent on Self studies, contact sessions, Online and Offline interaction with Teacher Counselors and Project Guide, Field Practical Survey, Assignments, Data Collection, Data Analysis, Reading and Writing towards Specific Attainment. The Course Work Component of the Program is 32 Credit Points (1200 Hours), and the Project Component 8 Credit Points (240 Hours). Thus, Total Credit Points for this Program is 48 Credit Points (1440 Hours of studies)

Important Information and Instructions: The candidate has to pay program fees at the time of admission at UPRTOU, Allahabad, through Online Payment. The program fees cover Cost of Learning Materials, Theory Contact Sessions, Final Examination, Evaluation and Certification. All the Students are required to take admission every year on the prescribed dates by paying the prescribed programme fees in full. Rest of the conditions will be same as for other programmes

Course Structure:

Compulsory Core Courses-

PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01: Foundation course in Agricultural Extension

Block 01: Extension Education

Unit 01: Extension Education: An Overview

Unit 02: Agricultural Extension Education: Global Perspective

Unit 03: System Approach to Agricultural Extension Education and Training

Block 02: Extension Teaching Methods and Audio-Visual Aids

Unit 01: Teaching Learning Process

Unit 02: Extension Teaching Methods

Unit 03: Audio-Visual Aids

Unit 04: Adult Learning Principles

Block 03: Development: An Over View

Unit 01: Development- Introduction and Paradigm

Unit 02: Economic Development

Unit 03: Human Development

Unit 04: Political Development

Block 04: Theories of Development

Unit 01: Classical Theory

Unit 02: Marxian Theory

Unit 03: Dependency Theory

Unit 04: Gandhian Development Theory

PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02: Advances in Agricultural Extension Education

Block 01: Approches of Agricultural Extension

Unit 01: Critical Analysis of Different Approaches

Unit 02: Indiginous Knowledge System

Unit 03: Agricultural Knowledge and Information System

Block 02: Cyber Extension

Unit 01: Cyber Extension: Concept

Unit 02: Market Led Extension

Unit 03: Farm Field School

Block 03: Extension and Contemporary Issues

Unit 01: Extension and Issues related to Rural Poverty

Unit 02: Intellectual Property Rights (IPR)

Unit 03: Farming System Based Extension

Block 04: Extension Reforms in India

Unit 01: Decentralization, Bottom-up Planning

Unit 02: Extension Delivery System

Unit 03: Organizational Innovation in Extension

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

Block 01: Programme Planning

Unit 01: Programme Planning: An Overview

Unit 02: Participatory Programme Planning process

Unit 03: Project Appraisal

Block 02: Monitoring and Evaluation

Unit 01: Monitoring

Unit 02: Evaluation

Unit 03: Project Management Techniques

Block 03: Management for Agricultural Extension

Unit 01: Management Concept

Unit 02: Theories of Management

Unit 03: Functions of Management

Block 04: Case Study on Programme Planning

Unit 01: Agricultural Programmes

Unit 02: Rural Employment Programmes

Unit 03: Group Approach Extension (FIG, SHGs, Micro Finance etc.)

Unit 04: Watershed Management Programmes

PGD-AgExt-04/ MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

Block 01: Communication and Adoption of Innovation

Unit 01: Communication: An Overview

Unit 02: Communication Channels and Need Assessment

Unit 03: Theories and Models of Communication

Unit 04: Communication Management

Block 02: Methods of Communication

Unit 01: Methods of Communication: An Overview

Unit 02: Forms of Communication

Unit 03: Media in Communication

Unit 04: Modern Communication Media

Block 03: Diffusion of Innovations

Unit 01: Diffusion of Innovation: An Overview

Unit 02: Innovation Processes for Development

Unit 03: Communication in Innovation Decision Process

Unit 04: Concept, Process and Stages of Adoption

Block 04: Innovation, Innovativeness and Adopter Category

Unit 01: Attribute of Innovation

Unit 02: Innovativeness and Adopter Categories

Unit 03: Opinion Leaders and Diffusion Networks

Unit 04: Consequences of Innovations

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis

Block 01: Fundamentals of Social Sciences Research

Unit 01: Social Sciences Research: An Overview

Unit 02: Components of Social Sciences Research

Unit 03: Research Designs

Unit 04: Research Project Formulation

Block 02: Development Research

Unit 01: Basics of Development Research

Unit 02: Methods of Development Research

Unit 03: Development Research Applications

Block 03: Measurement and Sampling

Unit 01: Measurement

Unit 02: Scales and Tests

Unit 03: Reliability and Validity

Unit 04: Sampling

Block 04: Data Collection and Analysis

Unit 01: Quantitative Data Collection Methods and Devices

Unit 02: Qualitative Data Collection Methods and Devices

Unit 03: Statistical Tools, Measurement of Variables and use of SPSS

Unit 04: Data processing, Analysis and Report Writing

11/11
5/5
Date: 07/07/2019
Page No. 230

23.07.2019

List of Recommended Books for P G Diploma in Agricultural Extension:

SLM will be prepared by the School of Agricultural Sciences however following books are recommended to begin with in the first few semesters.

PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01: Foundation in Agricultural Extension:

1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar, Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
2. Extension Education for Human Resource Development (2000) by B. Kumar & B.S. Hansra, Concept Publishing Co. New Delhi.
3. 50 Years of Frontline Agricultural Extension Program (2000) by P. Das, Division of Agricultural Extension, ICAR, New Delhi.
4. An Introduction to Extension Education (1990) by S.V. Supe, Oxford & IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi.
5. Indian Social System (1994) by Ram Ahuja, Rawat Publication, New Delhi.
6. Social Change in Modern India (2003) by M.N. Sriniwas, Orient Longman Pvt. Ltd Hyderabad.
7. Educational Psychology (1993) by S. B. Kikkar, Prentice Hall India Pvt. Ltd. New Delhi.

PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02: Advances in Agricultural Extension Education

1. 60 Years of Indian Agriculture (ED) (2006) by C. S. Prasad, New Century Publication, New Delhi.
2. Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture (1987) by M. A. Attieri, London Press, London.
3. Krishi Vigyan Kendras: A Reality (1999) by P. Das & B.S. Hansra, Division of Agricultural Extension, ICAR, New Delhi.
4. Modernizing World Agriculture: Comparative Study of Agricultural Extension (1975) by G. H. Axins and S. S. Thorat, Oxford & IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi.
5. Private Extension: Indian Experiences (ED) (2001) BY P. Chandra Shekhar, MANAGE, Hyderabad.
6. Integrated Farming Systems (1985) by G. L. Chan, Elsevier Science Publication, Amsterdam, Netherlands.
7. Self Help Groups: Key to Women Empowerment (2007) by B. Narayanswamy and R. K. Samanta, Women Press, New Delhi.
8. Sustainable Agriculture & Food Security (2003) by Vandana Shiva & G. Bedi, Sage Publication, New Delhi.

- 16
- 9. Trade Liberalization & Indian Agriculture (2001) by Ashok Gulati and Tim Kelly, Oxford University Press, New Delhi.
 - 10. Agricultural Marketing in India (2004) by S. S. Acharya & N. L. Agrawal, Oxford & IBH Publication Co. Ltd, New Delhi.

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

- 1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar, Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
- 2. Extension Communication & Management (2006) by G. L. Ray, Kalyani Publishers, New Delhi.
- 3. Organization & Management (2005) by R. D. Agrawal, Tata McGraw Hill Publication, New Delhi.
- 4. Management in Agriculture and Rural Development (1989) by R. K. Samanta UDH Publishing HouSE, New Delhi.
- 5. Training Methods for Management and Development (1993) by R. K. Samanta, M. B. Publication Pvt. Ltd. New Delhi.
- 6. Organizational Behavior Process (1996) by Uday Pareek, Rawat Publication, New Delhi.

PGD-AgExt-04/ MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

- 1. Extension Communication and Management (2005) by G. L. Ray, Kalyani Publ. New Delhi
- 2. Diffusion Agricultural Innovations in Village India (1989) by Dasgupta, Wiley Eastern
- 3. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension (2007) by K. A. Jalihal and V. Veerabhadraiah, Concept Publ. Co
- 4. Extension Education (1987) by A. A. Reddy, Sree Lakshmi Press, Bapatla
- 5. Diffusion of Innovations 5th Ed (2003) by E. M. Rogers, The Free Press, New York

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis

- 1. Research Methodology in Extension Education (2002) by p. Daivadeenam, Agro-tech Publishing Academy, Udaipur.
- 2. Textbook of Research Methodology in Social Sciences (1997) by P. C. Tripathi, Sultan CHAND & Sons, New Delhi.
- 3. Methods of Social Survey and Research (1960) by S. R. Bajpai, Kitab Ghar, Kanpur.
- 4. Foundation of Behavioral Research (1983) by F. N. Kerlinger, Surjeet Publication, New Delhi.
- 5. Research Methodology and Statistical Techniques (2007) by S. Gupta, Deep & Deep Publication, New Delhi.

(15)

6. Techniques of Attitude Scale Construction (1969) by A. L. Edward, Vakils, Feffer & Simon Pvt. Ltd., Bombay.

Note: PGD-AgExt-06/ MSc-AgExt-06 is project Work, hence it does not need specific SLM.

Dr. P. P. Dubey Dr. J. P. Srivastava

Dr. D. K. Bose

Dr. S. L. Tripathi

M. Sc. in Agricultural Extension (Total 96 Credits)

Syllabus as Finalised by BOS

Objectives: The basic objective of programs in Agricultural Extension is to develop Scientific and Research minded Human Resource, personnel to handle new challenges of using Information Communication Technologies in Agricultural Development, while working in the Department of Agriculture, Krishi Vigyan Kendras, Zilla Parishads, Nationalized Banks, Rural Development Banks, Non Governmental Organizations, State Agricultural Universities and the other stake holders.

Programme Structure: This Program has been prepared in accordance with the norms set by the university under CBCS System. It will be of four semesters consisting of three Components viz, Course Work, Project Work (Field Work) and Research Thesis/Dissertation with a total 96 credits. The structure of Core Courses, Elective courses, Project Work and Master's Research Thesis/Dissertation with Credit Points and Academic Work Load is given below

Programme Structure:

Semester	Paper No.	Course Code	Title of the Course	Credits	Compulsory/Elective
Semester-I			Compulsory Core Courses		
		PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01	Foundation course in Agricultural Extension	08	Compulsory
		PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02	Advances in Agricultural Extension Education	08	
		PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03	Agricultural Extension Management	08	
			Total Credits of Semester-I	24	
Semester-II			Compulsory Core Courses		
		PGD-AgExt-04/ MSc-AgExt-04	Communication and Diffusion of Agricultural Innovation	08	Compulsory

5/14 Date 8/11/16 242

	PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05	Research Methods & Statistical Analysis	08	
	PGD-AgExt-06/ MSc-AgExt-06	Project Work (Field Work)	08	
	Total Credits of Semester-II			24
Semester -III	Compulsory Core Courses			
	MSc-AgExt-07	ICT in Agricultural Development	08	Compulsory
	Open Elective Course (select either of the followings)			
	MJ-01	Mass Communication and Journalism Nature and Principles	08	Elective
	PGDRJMC-04	Various Dimensions of Rural Journalism		
	Discipline Centric Elective Course (select either of the followings)			
	MASY-08	Rural Society in India	08	Elective
	PGDPM-05	Production Management		
	Total Credits of Semester-III			24
Semester -IV	Compulsory Core Courses (Research Work)			
	MSc-AgExt-08@	Dissertation/Master's Research work	24	Compulsory
	Foundation Courses (select either of the followings)			
		Gandhian Studies and Peace Education	Non Credit	Elective
		Human Rights and Duties		
	Total Credits of Semester-IV			24
	Total Credits of In all the Semesters			96

Note: for MSc-AgExt-06 the Project Work will start in the beginning of the first semester and for MSc-AgExt-08 the Master's Research Work will start from the beginning of third semester or before that but the Dissertation/Thesis will be submitted for evaluation at the end of the second and the fourth semesters or so respectively. The Master Level Project Guide and the Master's Research/Dissertation Guide shall strictly be the approved councilor of the related Study Center. A copy of the synopses bearing the names of the student and his guide and duly forwarded by Principal/Coordinator of the Study Center be sent to the office of Director, School of Agricultural Sciences for getting approval. The study centre ~~center~~ should

11-12
Office 2
2016
3rd
243

assure to dispatch the entire Project synopsis by the end of first semester and Master's Research Synopses by the beginning of third semester.

Programme Duration: The duration of the M.Sc programme is minimum 2 years and Maximum 5 years.

Programme Fees: The Total Fees for the Programme shall be Rs. 5000/- per annum only.

Admission Eligibility and Process: Graduate in Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-Business Management, Agricultural Biotechnology, Food Sciences & Technology, Home Sciences, Information Communication Technology in Agriculture and Other Allied & Applied Agricultural Sciences listed in purview of Agricultural Universities & Open Universities in India.

There shall be a provision of lateral entry in third semester for those who have already completed PG Diploma in Agricultural Extension programme of this University, provided he or she has applied for admission within the required maximum tenure for completion of PG Diploma in Agricultural Extension. For such candidates the courses (papers) that they have already studied in qualifying examinations will be exempted and the duration of programme will be reduced to one year (i.e. two semesters only). Conversely, if a learner wants to leave the M.Sc. in Agricultural Extension programme after successful completion of first year's course requirements within the prescribed maximum period for PG Diploma in Agricultural Extension, he/she may be awarded PG Diploma in Agricultural Extension if he applies for the same and deposits the balance of the fees required for PG Diploma in Agricultural Extension along with an exit charge as decided by the university.

Medium of Instruction: The Medium of Instruction for Post Graduate Program shall be English.

Learning Method: The Masters Students has to complete Course Work (CW) as per schedule respective semesters and Research Thesis (RW) in second year. However, Participation in at least 75 percent of the Counseling Sessions conducted at their study center during each semester is compulsory to all candidates, failing which no student shall be allowed to appear for final examination.

Examination and Evaluation:

Final Evaluation:

- The university shall follow Semester System. The passing percentage for each courses and each component shall be as per university provisions for other course programmes
- Course Work:** This Component Consists of 6 Core Courses for 48 Credits Points, 2 Elective Courses for 16 Credit Points and 1 Non Credit Foundation Course offered in different

11
S/104 2017/18
294

123.001

semesters. Each course will carry 100 Marks (30 marks for Assignment and 70 Marks for Terminal examination). Terminal examinations will be conducted at the end of each semester

- **Project Work:** This Component consists of conducting a project of 8 credits for 100 Marks. Two Copies of Project shall be submitted to the Examination Cell of the University through the study Center before the scheduled last date
- **Research Thesis/ Dissertation Work:** This Component Consists of Major Research Thesis/Dissertation for 200 Marks. Dissertation shall be submitted at the end of fourth semester or after that and evaluated by two examiners (one internal and one external) at the end of the last semester in which it has been submitted

Credit Points: One Credit Point workload of Studies means a study of 30 hours which includes time spent on Self studies, contact sessions, Online and Offline interaction with Teacher Counselors and Master's Research Guide, Field Practical, Survey, Assignments, Data Collection, Data Analysis, Reading and Writing towards Specific Attainment. The Course Work Component of M.Sc. Program is 64 Credit Points (1920 Hours), Project Component (Field Work) is 8 credits (240Hours) and Research Component for Master's Thesis is 24 Credit Points (720 Hours). Thus Total Credit Points for M.Sc. Programme is 96 Credit Points (2880 Hours of studies)

Important Information and Instructions: The candidate has to pay program fees at the time of admission at UPRTOU, Allahabad, through Online Payment. The program fees cover Cost of Learning Materials, Theory Contact Sessions, Final Examination, Evaluation and Certification. All the Students are required to take admission every year on the prescribed dates by paying the prescribed programme fees in full. Rest of the conditions will be same as for other programmes

Course Structure:

Compulsory Core Courses-

PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01: Foundation course in Agricultural Extension

Block 01: Extension Education

Unit 01: Extension Education: An Overview

Unit 02: Agricultural Extension Education: Global Perspective

Unit 03: System Approach to Agricultural Extension Education and Training

Block 02: Extension Teaching Methods and Audio-Visual Aids

Unit 01: Teaching Learning Process

Unit 02: Extension Teaching Methods

Unit 03: Audio-Visual Aids

Unit 04: Adult Learning Principles

Block 03: Development: An Over View

Unit 01: Development- Introduction and Paradigm

Unit 02: Economic Development

Unit 03: Human Development

Unit 04: Political Development

Block 04: Theories of Development

Unit 01: Classical Theory

Unit 02: Marxian Theory

Unit 03: Dependency Theory

Unit 04: Gandhian Development Theory

PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02: Advances in Agricultural Extension Education

Block 01: Approches of Agricultural Extension

Unit 01: Critical Analysis of Different Approaches

Unit 02: Indiginous Knowledge System

Unit 03: Agricultural Knowledge and Information System

Block 02: Cyber Extension

Unit 01: Cyber Extension: Concept

Unit 02: Market Led Extension

Unit 03: Farm Field School

Block 03: Extension and Contemporary Issues

Unit 01: Extension and Issues related to Rural Poverty

Unit 02: Intellectual Property Rights (IPR)

Unit 03: Farming System Based Extension

Block 04: Extension Reforms in India



Unit 01: Decentralization, Bottom-up Planning

Unit 02: Extension Delivery System

Unit 03: Organizational Innovation in Extension

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

Block 01: Programme Planning

Unit 01 Programme Planning: An Overview

Unit 02. Participatory Programme Planning process

Unit 03: Project Appraisal

Block 02: Monitoring and Evaluation

Unit 01 Monitoring

Unit 02: Evaluation

Unit 03: Project Management Techniques

Block 03: Management for Agricultural Extension

Unit 01: Management Concept

Unit 02: Theories of Management

Unit 03: Functions of Management

Block 04: Case Study on Programme Planning

Unit 01: Agricultural Programmes

Unit 02: Rural Employment Programmes

Unit 03: Group Approach Extension (FIG, SHGs, Micro Finance etc.)

Unit 04: Watershed Management Programmes

PGD-AgExt-04/ MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

Block 01: Communication and Adoption of Innovation

Unit 01: Communication: An Overview

Unit 02: Communication Channels and Need Assessment

Unit 03: Theories and Models of Communication

Unit 04: Communication Management

11.11.2016
S. S. Agarwal
Date: 20/11/16

20/11/16
247

Block 02: Methods of Communication

Unit 01: Methods of Communication: An Overview

Unit 02: Forms of Communication

Unit 03: Media in Communication

Unit 04: Modern Communication Media

Block 03: Diffusion of Innovations

Unit 01: Diffusion of Innovation: An Overview

Unit 02: Innovation Processes for Development

Unit 03: Communication in Innovation Decision Process

Unit 04: Concept, Process and Stages of Adoption

Block 04: Innovation, Innovativeness and Adopter Category

Unit 01: Attribute of Innovation

Unit 02: Innovativeness and Adopter Categories

Unit 03: Option Leaders and Diffusion Networks

Unit 04: Consequences of Innovations

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis**Block 01: Fundamentals of Social Sciences Research**

Unit 01: Social Sciences Research: An Overview

Unit 02: Components of Social Sciences Research

Unit 03: Research Designs

Unit 04: Research Project Formulation

Block 02: Development Research

Unit 01: Basics of Development Research

Unit 02: Methods of Development Research

Unit 03: Development Research Applications

Block 03: Measurement and Sampling

Unit 01: Measurement

Unit 02: Scales and Tests

11/11/2016
S. M. J. M. H. B.

Unit 03: Reliability and Validity

Unit 04: Sampling

Block 04: Data Collection and Analysis

Unit 01 Quantitative Data Collection Methods and Devices

Unit 02: Qualitative Data Collection Methods and Devices

Unit 03: Statistical Tools, Measurement of Variables and use of SPSS

Unit 04: Data processing, Analysis and Report Writing

MSc-AgExt-07: ICT in Agricultural Development

Block 01: ICT Concepts

Unit 01: ICT: An Overview

Unit 02: ICT Tools

Unit 03: Application of ICT IN Agricultural Extension

Unit 04: Extension Efforts Using ICT

Block 02: ICT for Development

Unit 01: ICT for general Development

Unit 02: ICT in Knowledge Management

Unit 03: e_Governance in Rural Development

Block 03: Information Education and Communication Projects

Unit 01: Different Projects on ICT

Unit 02: Approaches (Models) to ICT

Unit 03: Expert System on Crops and Enterprises

Unit 04: Agricultural Websites

Block 04: Constraints in use of ICT in Agricultural Extension

Unit 01: ICT needs in Farming Community and Challenges

Unit 02: e-Extension Training Issues

Unit 03: Engineering Issues in ICT

Foundation and Elective Courses-

Selection of courses and their Contents were found Appropriate. These Courses are pertaining to other Disciplines in the University whose SLM are already available

11/12/2011
249
23.11.2011
S/No Date

6

List of Recommended Books for M. Sc. in Agricultural Extension

SLM for the program will be prepared by the School of Agricultural Sciences however to begin with following books are recommended.

PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01: Foundation in Agricultural Extension

- Books Recommended for Further Study:**

 1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar, Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
 2. Extension Education for Human Resource Development (2000) by B. Kumar & B.S. Hansra, Concept Publishing Co. New Delhi.
 3. 50 Years of Frontline Agricultural Extension Program (2000) by P. Das. Division of Agricultural Extension, ICAR, New Delhi.
 4. An Introduction to Extension Education ('990) by S.V. Supe. Oxford & IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi.
 5. Indian Social System (1994) by Ram Ahuja, Rawat Publication, New Delhi.
 6. Social Change in Modern India (2003) by M.N. Srinivas. Orient Longman Pvt. Ltd Hyderabad.
 7. Educational Psychology (1993) by S. B. Kakkar, Prentice Hall India Pvt. Ltd. New Delhi.

PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02: Advances in Agricultural Extension Education

1. 60 Years of Indian Agriculture (ED) (2006) by C. S. Prasad, New Century Publication, New Delhi.
 2. Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture (1987) by M. A. Attieri, London Press, London.
 3. Krishi Vigyan Kendras: A Reality (1999) by P. Das & B.S. Hansra, Division of Agricultural Extension, ICAR, New Delhi.
 4. Modernizing World Agriculture: Comparative Study of Agricultural Extension (1975) by G. H. Axins and S. S. Thorat, Oxford & IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi.
 5. Private Extension: Indian Experiences (ED) (2001) BY P. Chandra Shekhar, MANAGE, Hyderabad.
 6. Integrated Farming Systems (1985) by G. L. Chan. Elsevier Science Publication, Amsterdam, Netherlands.
 7. Self Help Groups: Key to Women Empowerment (2007) by B. Narayanswamy and R. K. Samanta, Women Press, New Delhi.
 8. Sustainable Agriculture & Food Security (2003) by Vandana Shiva & G. Bedi, Sage Publication, New Delhi.

9. Trade Liberalization & Indian Agriculture (2001) by Ashok Gulati and Tim Kelly, Oxford University Press, New Delhi.
10. Agricultural Marketing in India (2004) by S. S. Acharya & N. L. Agrawal, Oxford & IBH Publication Co. Ltd, New Delhi.

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar, Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
2. Extension Communication & Management (2006) by G. L. Ray, Kalyani Publishers, New Delhi.
3. Organization & Management (2005) by R. D. Agrawal, Tata McGraw Hill Publication, New Delhi.
4. Management in Agriculture and Rural Development (1989) by R. K. Samanta, UDH Publishing HouSE, New Delhi.
5. Training Methods for Management and Development (1993) by R. K. Samanta. M. B. Publication Pvt. Ltd. New Delhi.
6. Organizational Behavior Process (1996) by Udal Pareek, Rawat Publication, New Delhi.

PGD-AgExt-04/MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

1. Extension Communication and Management (2005) by G. L. Ray, Kalyani Publ. New Delhi
2. Diffusion Agricultural Innovations in Village India (1989), by Dasgupta. Wiley Eastern.
3. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension (2007) by K A Jalihal and V. Veerabhadraiah, Concept Publ Co.
4. Extension Education (1987) by A. A. Reddy. Sree Lakshmi Press, Bapatla.
5. Diffusion of Innovations 5th Ed (2003) by E. M. Rogers. The Free Press, New York.

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis

1. Research Methodology in Extension Education (2002) by p. Daivadeenam, Agro-tech Publishing Academy, Udaipur.
2. Textbook of Research Methodology in Social Sciences (1997) by P. C. Tripathi. Sultan CHAND & Sons, New Delhi.
3. Methods of Social Survey and Research (1960) by S. R. Bajpai. Kitab Ghar, Kanpur.
4. Foundation of Behavioral Research (1983) by F. N. Kerlinger Surjeet Publication, New Delhi.
5. Research Methodology and Statistical Techniques (2007) by S. Gupta Deep & Deep Publication, New Delhi.

4

9. Trade Liberalization & Indian Agriculture (2001) by Ashok Gulati and Tim Kelly, Oxford University Press, New Delhi.
10. Agricultural Marketing in India (2004) by S. S. Acharya & N. L. Agrawal, Oxford & IBH Publication Co. Ltd. New Delhi.

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar, Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
2. Extension Communication & Management (2006) by G. L. Ray, Kalyani Publishers, New Delhi.
3. Organization & Management (2005) by R. D. Agrawal, Tata McGraw Hill Publication, New Delhi.
4. Management in Agriculture and Rural Development (1989) by R. K. Samanta, UDH Publishing HouSE, New Delhi.
5. Training Methods for Management and Development (1993) by R. K. Samanta, M. B. Publication Pvt. Ltd. New Delhi.
6. Organizational Behavior Process (1996) by Udal Pareek, Rawat Publication, New Delhi.

PGD-AgExt-04/MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

1. Extension Communication and Management (2005) by G. L. Ray, Kalyani Publ. New Delhi
2. Diffusion Agricultural Innovations in Village India (1989), by Dasgupta, Wiley Eastern.
3. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension (2007) by K A Jalihal and V. Veerabhadraiah, Concept Publ. Co.
4. Extension Education (1987) by A. A. Reddy, Sree Lakshmi Press, Bapatla.
5. Diffusion of Innovations 5th Ed (2003) by E. M. Rogers, The Free Press, New York.

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis

1. Research Methodology in Extension Education (2002) by p. Daivadeenam, Agro-tech Publishing Academy, Udaipur.
2. Textbook of Research Methodology in Social Sciences (1997) by P. C. Tripathi, Sultan CHAND & Sons, New Delhi.
3. Methods of Social Survey and Research (1960) by S. R. Bajpai, Kitab Ghar, Kanpur.
4. Foundation of Behavioral Research (1983) by F. N. Kerlinger, Surjeet Publication, New Delhi.
5. Research Methodology and Statistical Techniques (2007) by S. Gupta, Deep & Deep Publication, New Delhi.

W. 10
S/1 252
6/30/18

- (3)
6. Techniques of Attitude Scale Construction (1969) by A. L. Edward, Vakils, Feffer & Simon Pvt. Ltd., Bombay.

PGD-AgExt-07/ MSc-AgExt-07: ICT in Agricultural Development

1. Information Technology: Reaching the Unreached (ED) (1993) by M. S. Swaminathan, Macmillan Publication, Chennai.
2. Fundamentals of Information Technology (1999) by Leon Alexis & Leon Mathews. Leon Tech World Publications.
3. Introduction to Artificial Intelligence and Expert System (2003) by Dan Patterson. Prentice Hall Publication, New Delhi.
4. Remote Sensing & Geographical Information System (2006) by M. AnjiReddy. BS Publication, Hyderabad.
5. Cyber Extension in the context of Agricultural Extension in India (2000) by V. P. Sharma. MANAGE, Hyderabad.

Note: PGD-AgExt-06/MSc-AgExt-06 is project Work and PGD-AgExt-08/MSc-AgExt-08 is Dissertation/Master's Research Work hence they do not need specific SLM. In rest of the Theory courses/papers as they are elective courses SLM are available in the University

Dr. P. P. Dubey
29.04.2016
Dr. J. P. Srivastava

DWSE
Dr. D. K. Bose

2016
Dr. S. L. Tripathi

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संख्या : ओ.यू./ ११७ / 2016

दिनांक २५-०४-२०१६

अधिसूचना

कृषि विज्ञान विद्या शाखा के प्रसार एवं सामुदायिक विकास इकाई के अन्तर्गत प्रस्तावित नये कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संरचना एवं प्रारूप आदि के निर्माण किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार निम्नवत् विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाता है :-

1. डॉ. पी.पी. दुबे

अध्यक्ष

निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2. डॉ. जे.पी. श्रीवास्तव

सदस्य

अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, कृषि प्रसार विभाग,

शियाट्स, नैनी, इलाहाबाद

3. डॉ. डी.के. बोस

सदस्य

एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि प्रसार विभाग,

शियाट्स, नैनी, इलाहाबाद

4. प्रो. एस.एल. त्रिपाठी

सदस्य

प्रो. रुलर डेवलपमेंट,

बैकुण्ठ मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट, पूना

(५९ एम.आई.जी., गोविन्दपुर, इलाहाबाद)

(डॉ.पी. त्रिपाठी)
कुलसचिव

पृ. संख्या : ओ.यू./ ११७ (१) / 2016

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित सदर्यगण।
- वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
- कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

(डॉ.पी. त्रिपाठी)
कुलसचिव

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संख्या : ओ.यू./ ।। ५ / 2016

दिनांक २५-०४-२०१६

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 2002 के अध्याय पाँच खण्ड 5.19 के अधीन कृषि विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1) डॉ. पी.पी. दुबे

अध्यक्ष

निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

(2) डॉ. एस.पी. गुप्ता

सदस्य

निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

(3) डॉ. ओम जी गुप्ता

सदस्य

निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

समिति के सदस्यों का कार्यकाल पत्र निर्गत की तिथि से दो वर्ष का होगा।


 (डॉ.पी. त्रिपाठी)
 कुलसचिव

पृ. संख्या : ओ.यू./ ।। ५ / (१)/2016

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित सम्मानित सदस्यगण।
- वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
- विश्वविद्यालय के समस्त सम्बन्धित विभाग/सम्बन्धित विद्या शाखा।
- कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।


 (डॉ.पी. त्रिपाठी)
 कुलसचिव

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

आज दिनांक 29/04/2016 को पूर्वाहन 01:30 बजे कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत "प्रसार एवं सामुदायिक विकास" इकाई में नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक शैक्षणिक परिसर में निदेशक कृषि विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए-

1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, यू०पी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (अध्यक्ष)
2. डॉ. जे.पी. श्रीवास्तव (इमरिट्स प्रोफेसर), कृषि प्रसार विभाग, शियाट्स, नैनी, इलाहाबाद (सदस्य)
3. डॉ. डी.के. बोस (एसोसिएट प्रोफेसर), कृषि प्रसार विभाग, शियाट्स, नैनी, इलाहाबाद (सदस्य)
4. डॉ. एस.एल. त्रिपाठी, (भूतपूर्व प्रोफेसर), रुलर डेवलगेन्ट, गोविन्दपुर, इलाहाबाद (सदस्य)

सर्वप्रथम निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं बैठक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत "प्रसार एवं सामुदायिक विकास" कार्यक्रम में PG Diploma in Agricultural Extension एवं MSc. In Agricultural Extension सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये। सदस्यों ने दोनों कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर गहनता के साथ सम्पूर्ण विचार करते हुए एवं कतिपय संशोधनों के उपरान्त इन प्रस्तावों (संलग्नक 01 व 02) को उपयुक्त पाते हुए सत्र 2016-17 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की।

अन्त में सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

29.04.2016
डॉ. पी.पी. दुबे

29.04.2016
डॉ. जे.पी. श्रीवास्तव

29.04.2016
डॉ. डी.के. बोस

29.04.2016
डॉ. एस.एल. त्रिपाठी

2015-16

P G Diploma in Agricultural Extension (Total 48 Credits)

Syllabus Finalised by BOS

Objectives: The basic objective of programs in Agricultural Extension is to develop Scientific and Research minded Human Resource, personnel to handle new challenges of using Information Communication Technologies in Agricultural Development, while working in the Department of Agriculture, Krishi Vigyan Kendras, Zilla Parishads, Nationalized Banks, Rural Development Banks, Non Governmental Organizations, State Agricultural Universities and the other stake holders.

Program Structure: This Program will be of two semesters consisting two Components viz; Course Work and Project Work with a total 48 credits. The structure of Core Courses and Project Work with Credit Points and Academic Work Load is given below:

Programme Structure

Semester	Paper No.	Course Code	Title of the Course	Credits	Compulsory/Elective
Semester -I	Compulsory Core Courses				
		PGD-AgExt-01	Foundation course in Agricultural Extension	08	Compulsory
		PGD-AgExt-02	Advances in Agricultural Extension Education	08	
		PGD-AgExt-03	Agricultural Extension Management	08	
	Total Credits of Semester-I				
Semester -II	Compulsory Core Courses				
		PGD-AgExt-04	Communication and Diffusion of Agricultural Innovation	08	Compulsory
		PGD-AgExt-05	Research Methods & Statistical Analysis	08	
		PGD-AgExt-06	Project Work (Field Work)	08	
	Total Credits of Semester-II				
	Total Credits of In all the Semesters				
				48	

Note: The project Guide shall strictly be the approved councilor of the concerned Study Center. A copy of synopsis bearing the name of the student and his guide and duly forwarded by Principal/Coordinator of

the Study Center be sent to the office of Director, School of Agricultural Sciences for getting approval. The study centre center should assure to dispatch the entire synopsis collected from students to the office of director before the end of first semester.

Programme Duration: The duration of the programme shall be minimum 1 years and Maximum 3 Years.

Programme Fees: The Total Fees for the Programme shall be Rs. 6000/- only

Admission Eligibility and Process: Graduate in Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-Business Management, Agricultural Biotechnology, Food Sciences and Technology, Home Sciences, Information Communication Technology in Agriculture and Other Allied & Applied Agricultural Sciences listed in purview of Agricultural Universities and Open Universities in India.

A learner admitted for M. Sc. in Agricultural Extension programme, if wants to leave it after successful completion of first year's course requirements within the prescribed maximum period for PG Diploma in Agricultural Extension, he/she may be awarded PG Diploma in Agricultural Extension if he/she applies for the same and deposits the balance of the fees required for PG Diploma in Agricultural Extension along with an exit charge as decided by the university

Medium of Instruction: The Medium of Instruction for shall be English.

Learning Method: The PG Diploma Students has to complete Course Work (CW) as per schedule in respective semesters and Project Work in second semester. However, Participation in 75 percent of the Counseling Sessions conducted at their study center during each semester is compulsory to all candidates, failing which no student shall be allowed to appear for final examination.

Examination and Evaluation:

Final Evaluation

- The university shall follow Semester System. The passing percentage for each courses and each component shall be as per general provisions of the university for other course programmes.
- **Course Work:** This Component Consists of 5 Courses for 40 Credit Points distributed in both semesters, each course will carry 100 Marks (30 marks for Assignment and 70 Marks for Terminal examination). Terminal examinations will be conducted at the end of each semester.

2. *On/Off*

- **Project Work:** This Component consists of conducting a project of 8 credits for 100 Marks. Two Copies of Project shall be submitted to the Examination Cell of the University through the study Center before the scheduled last date.

Credit Points: One Credit Point workload of Studies means a study of 30 hours, which includes time spent on Self studies, contact sessions, Online and Offline interaction with Teacher Counselors and Project Guide, Field Practical, Survey, Assignments, Data Collection, Data Analysis, Reading and Writing towards Specific Attainment. The Course Work Component of the Program is 32 Credit Points (1200 Hours), and the Project Component 8 Credit Points (240 Hours). Thus, Total Credit Points for this Program is 48 Credit Points (1440 Hours of studies)

Important Information and Instructions: The candidate has to pay program fees at the time of admission at UPRTOU, Allahabad, through Online Payment. The program fees cover Cost of Learning Materials, Theory Contact Sessions, Final Examination, Evaluation and Certification. All the Students are required to take admission every year on the prescribed dates by paying the prescribed programme fees in full. Rest of the conditions will be same as for other programmes

Course Structure:

Compulsory Core Courses-

PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01: Foundation course in Agricultural Extension

Block 01: Extension Education

Unit 01: Extension Education: An Overview

Unit 02: Agricultural Extension Education: Global Perspective

Unit 03: System Approach to Agricultural Extension Education and Training

Block 02: Extension Teaching Methods and Audio-Visual Aids

Unit 01: Teaching Learning Process

Unit 02: Extension Teaching Methods

Unit 03: Audio-Visual Aids

Unit 04: Adult Learning Principles

Block 03: Development: An Over View

Unit 01: Development- Introduction and Paradigm

Unit 02: Economic Development

Handwritten signatures and marks

3

Prashant. 23/07/2021

259

Unit 03: Human Development

Unit 04: Political Development

Block 04: Theories of Development

Unit 01: Classical Theory

Unit 02: Marxian Theory

Unit 03: Dependency Theory

Unit 04: Gandhian Development Theory

PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02: Advances in Agricultural Extension Education

Block 01: Approches of Agricultural Extension

Unit 01: Critical Analysis of Different Approaches

Unit 02: Indiginous Knowledge System

Unit 03: Agricultural Knowledge and Information System

Block 02: Cyber Extension

Unit 01: Cyber Extension: Concept

Unit 02: Market Led Extension

Unit 03: Farm Field School

Block 03: Extension and Contemporary Issues

Unit 01: Extension and Issues related to Rural Poverty

Unit 02: Intellectual Property Rights (IPR)

Unit 03: Farming System Based Extension

Block 04: Extension Reforms in India

Unit 01: Decentralization, Bottom-up Planning

Unit 02: Extension Delivery System

Unit 03: Organizational Innovation in Extension

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

Block 01: Programme Planning

Unit 01: Programme Planning: An Overview

Unit 02: Participatory Programme Planning process

4/04/2024
23/04/2024
260

Jnit 03: Project Appraisal

Block 02: Monitoring and Evaluation

Unit 01: Monitoring

Unit 02: Evaluation

Unit 03: Project Management Techniques

Block 03: Management for Agricultural Extension

Unit 01: Management Concept

Unit 02: Theories of Management

Unit 03: Functions of Management

Block 04: Case Study on Programme Planning

Unit 01: Agricultural Programmes

Unit 02: Rural Employment Programmes

Unit 03: Group Approach Extension (FIG, SHGs, Micro Finance etc.)

Unit 04: Watershed Management Programmes

PGD-AgExt-04/ MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

Block 01: Communication and Adoption of Innovation

Unit 01: Communication: An Overview

Unit 02: Communication Channels and Need Assessment

Unit 03: Theories and Models of Communication

Unit 04: Communication Management

Block 02: Methods of Communication

Unit 01: Methods of Communication: An Overview

Unit 02: Forms of Communication

Unit 03: Media in Communication

Unit 04: Modern Communication Media

Block 03: Diffusion of Innovations

Unit 01: Diffusion of Innovation: An Overview

5

261

Unit 02: Innovation Processes for Development

Unit 03: Communication in Innovation Decision Process

Unit 04: Concept, Process and Stages of Adoption

Block 04: Innovation, Innovativeness and Adopter Category

Unit 01: Attribute of Innovation

Unit 02: Innovativeness and Adopter Categories

Unit 03: Option Leaders and Diffusion Networks

Unit 04: Consequences of Innovations

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis

Block 01: Fundamentals of Social Sciences Research

Unit 01: Social Sciences Research: An Overview

Unit 02: Components of Social Sciences Research

Unit 03: Research Designs

Unit 04: Research Project Formulation

Block 02: Development Research

Unit 01: Basics of Development Research

Unit 02: Methods of Development Research

Unit 03: Development Research Applications

Block 03: Measurement and Sampling

Unit 01: Measurement

Unit 02: Scales and Tests

Unit 03: Reliability and Validity

Unit 04: Sampling

Block 04: Data Collection and Analysis

Unit 01: Quantitative Data Collection Methods and Devices

Unit 02: Qualitative Data Collection Methods and Devices

Unit 03: Statistical Tools, Measurement of Variables and use of SPSS

Unit 04: Data processing, Analysis and Report Writing

1/11/2024

6 DWB
23.05.2024
262

List of Recommended Books for P G Diploma in Agricultural Extension:

SLM will be prepared by the School of Agricultural Sciences however following books are recommended to begin with in the first few semesters.

PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01: Foundation in Agricultural Extension:

1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar, Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
2. Extension Education for Human Resource Development (2000) by B. Kumar & B.S. Hansra, Concept Publishing Co. New Delhi.
3. 50 Years of Frontline Agricultural Extension Program (2000) by P. Das. Division of Agricultural Extension, ICAR, New Delhi.
4. An Introduction to Extension Education (1990) by S.V. Supe, Oxford & IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi.
5. Indian Social System (1994) by Ram Ahuja, Rawat Publication. New Delhi.
6. Social Change in Modern India (2003) by M.N. Srinivas, Orient Longman Pvt. Ltd. Hyderabad.
7. Educational Psychology (1993) by S. B. Kakkar, Prentice Hall India Pvt. Ltd. New Delhi.

PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02: Advances in Agricultural Extension Education

1. 60 Years of Indian Agriculture (ED) (2006) by C. S. Prasad, New Century Publication, New Delhi.
2. Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture (1987) by M. A. Attieri, London Press, London.
3. Krishi Vigyan Kendras: A Reality (1999) by P. Das & B.S. Hansra. Division of Agricultural Extension, ICAR, New Delhi.
4. Modernizing World Agriculture: Comparative Study of Agricultural Extension (1975) by G. H. Axins and S. S. Thorat, Oxford & IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi.
5. Private Extension: Indian Experiences (ED) (2001) BY P. Chandra Shekhar, MANAGE, Hyderabad.
6. Integrated Farming Systems (1985) by G. L. Chan, Elsevier Science Publication. Amsterdam, Netherlands.
7. Self Help Groups: Key to Women Empowerment (2007) by B. Narayanswamy and R. K. Samanta, Women Press, New Delhi.
8. Sustainable Agriculture & Food Security (2003) by Vandana Shiva & G. Bedi, Sage Publication, New Delhi.

9. Trade Liberalization & Indian Agriculture (2001) by Ashok Gulati and Tim Kelly, Oxford University Press, New Delhi.
10. Agricultural Marketing in India (2004) by S. S. Acharya & N. L. Agrawal, Oxford & IBH Publication Co. Ltd. New Delhi.

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar. Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
2. Extension Communication & Management (2006) by G. L. Ray, Kalyani Publishers, New Delhi.
3. Organization & Management (2005) by R. D. Agrawal, Tata McGraw Hill Publication, New Delhi.
4. Management in Agriculture and Rural Development (1989) by R. K. Samanta. UDH Publishing HouSE, New Delhi.
5. Training Methods for Management and Development (1993) by R. K. Samanta. M. B. Publication Pvt. Ltd. New Delhi.
6. Organizational Behavior Process (1996) by Uday Pareek, Rawat Publication, New Delhi.

PGD-AgExt-04/ MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

1. Extension Communication and Management (2005) by G. L. Ray, Kalyani Publ. New Delhi
2. Diffusion Agricultural Innovations in Village India (1989), by Dasgupta, Wiley Eastern.
3. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension (2007) by K A Jalihal and V. Veerabhadraiah, Concept Publ. Co.
4. Extension Education (1987) by A. A. Reddy, Sree Lakshmi Press, Bapatla.
5. Diffusion of Innovations 5th Ed (2003) by E. M. Rogers, The Free Press, New York.

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis

1. Research Methodology in Extension Education (2002) by p. Daivadeenam. Agro-tech Publishing Academy, Udaipur.
2. Textbook of Research Methodology in Social Sciences (1997) by P. C. Tripathi. Sultan CHAND & Sons, New Delhi.
3. Methods of Social Survey and Research (1960) by S. R. Bajpai. Kitab Ghar, Kanpur.
4. Foundation of Behavioral Research (1983) by F. N. Kerlinger. Surjeet Publication, New Delhi.
5. Research Methodology and Statistical Techniques (2007) by S. Gupta. Deep & Deep Publication, New Delhi.


[Handwritten signatures and marks]


8 *Dinesh* *2020W*
264

6. Techniques of Attitude Scale Construction (1969) by A. L. Edward, Vakils, Feffer & Simon Pvt. Ltd., Bombay.

Note: PGD-AgExt-06/ MSc-AgExt-06 is project Work, hence it does not need specific SLM.


Dr. P. P. Dubey
29.04.2016


Dr. J. P. Srivastava


Dr. D. K. Bose


Dr S. L. Tripathi

M. Sc. in Agricultural Extension (Total 96 Credits)

Syllabus as Finalised by BOS

Objectives: The basic objective of programs in Agricultural Extension is to develop Scientific and Research minded Human Resource, personnel to handle new challenges of using Information Communication Technologies in Agricultural Development, while working in the Department of Agriculture, Krishi Vigyan Kendras, Zilla Parishads, Nationalized Banks, Rural Development Banks, Non Governmental Organizations, State Agricultural Universities and the other stake holders.

Programme Structure: This Program has been prepared in accordance with the norms set by the university under CBCS System. It will be of four semesters consisting of three Components viz; Course Work, Project Work (Field Work) and Research Thesis/Dissertation with a total 96 credits. The structure of Core Courses, Elective courses, Project Work and Master's Research Thesis/Dissertation with Credit Points and Academic Work Load is given below.

Programme Structure:

Semester	Paper No.	Course Code	Title of the Course	Credits	Compulsory/Elective
Semester-I			Compulsory Core Courses		
		PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01	Foundation course in Agricultural Extension	08	Compulsory
		PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02	Advances in Agricultural Extension Education	08	
		PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03	Agricultural Extension Management	08	
		Total Credits of Semester-I		24	
Semester-II			Compulsory Core Courses		
		PGD-AgExt-04/ MSc-AgExt-04	Communication and Diffusion of Agricultural Innovation	08	Compulsory

Handwritten signatures of the BOS members are present at the bottom of the page, including initials and names like "BOS", "Dr. S. N. Singh", and "26C".

	PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05	Research Methods & Statistical Analysis	08	
	PGD-AgExt-06/ MSc-AgExt-06	Project Work (Field Work)	08	
	Total Credits of Semester-II			
Semester -II	Compulsory Core Courses			
	MSc-AgExt-07	ICT in Agricultural Development	08	Compulsory
	Open Elective Course (select either of the followings)			
	MJ-01	Mass Communication and Journalism: Nature and Principles	08	Elective
	PGDRJMC-04	Various Dimensions of Rural Journalism		
	Discipline Centric Elective Course (select either of the followings)			
	MASY-08	Rural Society in India	08	Elective
	PGDPM-05	Production Management		
	Total Credits of Semester-III			
Semester -IV	Compulsory Core Courses (Research Work)			
	MSc-AgExt-08@	Dissertation/Master's Research work	24	Compulsory
	Foundation Courses (select either of the followings)			
		Gandhian Studies and Peace Education	Non Credit	Elective
		Human Rights and Duties		
	Total Credits of Semester-III			
	Total Credits of In all the Semesters			

Note: for MSc-AgExt-06 the Project Work will start in the beginning of the first semester and for MSc-AgExt-08 the Master's Research Work will start from the beginning of third semester or before that but the Dissertation/Thesis will be submitted for evaluation at the end of the second and the fourth semesters or so respectively. The Master Level Project Guide and the Master's Research/Dissertation Guide shall strictly be the approved councilor of the related Study Center. A copy of the synopses bearing the names of the student and his guide and duly forwarded by Principal/Coordinator of the Study Center be sent to the office of Director, School of Agricultural Sciences for getting approval. The study centre ~~center~~ should

assure to dispatch the entire Project synopsis by the end of first semester and Master's Research Synopses by the beginning of third semester.

Programme Duration: The duration of the M.Sc. programme is minimum 2 years and Maximum 5 years.

Programme Fees: The Total Fees for the Programme shall be Rs. 5000/- per annum only.

Admission Eligibility and Process: Graduate in Agriculture, Horticulture, Forestry, Fisheries, Animal Sciences, Veterinary Sciences, Agricultural Engineering, Agri-Business Management, Agricultural Biotechnology, Food Sciences & Technology, Home Sciences, Information Communication Technology in Agriculture and Other Allied & Applied Agricultural Sciences listed in purview of Agricultural Universities & Open Universities in India.

There shall be a provision of lateral entry in third semester for those who have already completed PG Diploma in Agricultural Extension programme of this University, provided he or she has applied for admission within the required maximum tenure for completion of PG Diploma in Agricultural Extension. For such candidates the courses (papers) that they have already studied in qualifying examinations will be exempted and the duration of programme will be reduced to one year (i.e. two semesters only). Conversely, if a learner wants to leave the M.Sc. in Agricultural Extension programme after successful completion of first year's course requirements within the prescribed maximum period for PG Diploma in Agricultural Extension, he/she may be awarded PG Diploma in Agricultural Extension if he applies for the same and deposits the balance of the fees required for PG Diploma in Agricultural Extension along with an exit charge as decided by the university.


Medium of Instruction: The Medium of Instruction for Post Graduate Program shall be English.

Learning Method: The Masters Students has to complete Course Work (CW) as per schedule respective semesters and Research Thesis (RW) in second year. However, Participation in at least 75 percent of the Counseling Sessions conducted at their study center during each semester is compulsory to all candidates, failing which no student shall be allowed to appear for final examination.

Examination and Evaluation:

Final Evaluation:

- The university shall follow Semester System. The passing percentage for each courses and each component shall be as per university provisions for other course programmes.
- **Course Work:** This Component Consists of 6 Core Courses for 48 Credits Points, 2 Elective Courses for 16 Credit Points and 1 Non Credit Foundation Course offered in different

Four handwritten signatures are visible, likely belonging to faculty members involved in the program. They are written in black ink on a white background.

semesters. Each course will carry 100 Marks (30 marks for Assignment and 70 Marks for Terminal examination). Terminal examinations will be conducted at the end of each semester.

- **Project Work:** This Component consists of conducting a project of 8 credits for 100 Marks. Two Copies of Project shall be submitted to the Examination Cell of the University through the study Center before the scheduled last date.
- **Research Thesis/ Dissertation Work:** This Component Consists of Major Research Thesis/Dissertation for 200 Marks. Dissertation shall be submitted at the end of fourth semester or after that and evaluated by two examiners (one internal and one external) at the end of the last semester in which it has been submitted.

Credit Points: One Credit Point workload of Studies means a study of 30 hours, which includes time spent on Self studies, contact sessions, Online and Offline interaction with Teacher Counselors and Master's Research Guide, Field Practical, Survey, Assignments, Data Collection, Data Analysis, Reading and Writing towards Specific Attainment. The Course Work Component of M.Sc. Program is 64 Credit Points (1920 Hours), Project Component (Field Work) is 8 credits (240Hours) and Research Component for Master's Thesis is 24 Credit Points (720 Hours). Thus Total Credit Points for M.Sc. Programme is 96 Credit Points (2880 Hours of studies)

Important Information and Instructions: The candidate has to pay program fees at the time of admission at UPRTOU, Allahabad, through Online Payment. The program fees cover Cost of Learning Materials, Theory Contact Sessions, Final Examination, Evaluation and Certification. All the Students are required to take admission every year on the prescribed dates by paying the prescribed programme fees in full. Rest of the conditions will be same as for other programmes

Course Structure:

Compulsory Core Courses-

PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01: Foundation course in Agricultural Extension

Block 01: Extension Education

Unit 01: Extension Education: An Overview

Unit 02: Agricultural Extension Education: Global Perspective

Unit 03: System Approach to Agricultural Extension Education and Training

Block 02: Extension Teaching Methods and Audio-Visual Aids

Unit 01: Teaching Learning Process

Unit 02: Extension Teaching Methods

Unit 03: Audio-Visual Aids

Unit 04: Adult Learning Principles

Block 03: Development: An Over View

Unit 01: Development- Introduction and Paradigm

Unit 02: Economic Development

Unit 03: Human Development

Unit 04: Political Development

Block 04: Theories of Development

Unit 01: Classical Theory

Unit 02: Marxian Theory

Unit 03: Dependency Theory

Unit 04: Gandhian Development Theory

PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02: Advances in Agricultural Extension Education

Block 01: Approches of Agricultural Extension

Unit 01: Critical Analysis of Different Approaches

Unit 02: Indiginous Knowledge System

Unit 03: Agricultural Knowledge and Information System

Block 02: Cyber Extension

Unit 01: Cyber Extension: Concept

Unit 02: Market Led Extension

Unit 03: Farm Field School


Block 03: Extension and Contemporary Issues

Unit 01: Extension and Issues related to Rural Poverty

Unit 02: Intellectual Property Rights (IPR)

Unit 03: Farming System Based Extension

Block 04: Extension Reforms in India



270

23 May

Unit 01: Decentralization, Bottom-up Planning

Unit 02: Extension Delivery System

Unit 03: Organizational Innovation in Extension

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

Block 01: Programme Planning

Unit 01: Programme Planning: An Overview

Unit 02: Participatory Programme Planning process

Unit 03: Project Appraisal

Block 02: Monitoring and Evaluation

Unit 01: Monitoring

Unit 02: Evaluation

Unit 03: Project Management Techniques

Block 03: Management for Agricultural Extension

Unit 01: Management Concept

Unit 02: Theories of Management

Unit 03: Functions of Management

Block 04: Case Study on Programme Planning

Unit 01: Agricultural Programmes

Unit 02: Rural Employment Programmes

Unit 03: Group Approach Extension (FIG, SHGs, Micro Finance etc.)

Unit 04: Watershed Management Programmes

PGD-AgExt-04/ MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

Block 01: Communication and Adoption of Innovation

Unit 01: Communication: An Overview

Unit 02: Communication Channels and Need Assessment

Unit 03: Theories and Models of Communication

Unit 04: Communication Management

27
27
27
27

Block 02: Methods of Communication

Unit 01: Methods of Communication: An Overview

Unit 02: Forms of Communication

Unit 03: Media in Communication

Unit 04: Modern Communication Media

Block 03: Diffusion of Innovations

Unit 01: Diffusion of Innovation: An Overview

Unit 02: Innovation Processes for Development

Unit 03: Communication in Innovation Decision Process

Unit 04: Concept, Process and Stages of Adoption

Block 04: Innovation, Innovativeness and Adopter Category

Unit 01: Attribute of Innovation

Unit 02: Innovativeness and Adopter Categories

Unit 03: Option Leaders and Diffusion Networks

Unit 04: Consequences of Innovations

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis

Block 01: Fundamentals of Social Sciences Research

Unit 01: Social Sciences Research: An Overview

Unit 02: Components of Social Sciences Research

Unit 03: Research Designs

Unit 04: Research Project Formulation

Block 02: Development Research

Unit 01: Basics of Development Research

Unit 02: Methods of Development Research

Unit 03: Development Research Applications

Block 03: Measurement and Sampling

Unit 01: Measurement

Unit 02: Scales and Tests

272

Unit 03: Reliability and Validity

Unit 04: Sampling

Block 04: Data Collection and Analysis

Unit 01: Quantitative Data Collection Methods and Devices

Unit 02: Qualitative Data Collection Methods and Devices

Unit 03: Statistical Tools, Measurement of Variables and use of SPSS

Unit 04: Data processing, Analysis and Report Writing

MSc-AgExt-07: ICT in Agricultural Development

Block 01: ICT Concepts

Unit 01: ICT: An Overview

Unit 02: ICT Tools

Unit 03: Application of ICT IN Agricultural Extension

Unit 04: Extension Efforts Using ICT

Block 02: ICT for Development

Unit 01: ICT for general Development

Unit 02: ICT in Knowledge Management

Unit 03: e_Governance in Rural Development

Block 03: Information Education and Communication Projects

Unit 01: Different Projects on ICT

Unit 02: Approaches (Models) to ICT

Unit 03: Expert System on Crops and Enterprises

Unit 04: Agricultural Websites

Block 04: Constraints in use of ICT in Agricultural Extension

Unit 01: ICT needs in Farming Community and Challenges

Unit 02: e-Extension Training Issues

Unit 03: Engineering Issues in ICT

Foundation and Elective Courses-

Selection of courses and their Contents were found Appropriate. These Courses are pertaining to other Disciplines in the University whose SLM are already available.

1
2
3
4
5
6
7
8

273

273

List of Recommend Books for M. Sc. in Agricultural Extension:

SLM for the program will be prepared by the School of Agricultural Sciences however to begin with following books are recommended.

PGD-AgExt-01/ MSc-AgExt-01: Foundation in Agricultural Extension:

1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar, Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
2. Extension Education for Human Resource Development (2000) by B. Kumar & B.S. Hansra, Concept Publishing Co. New Delhi.
3. 50 Years of Frontline Agricultural Extension Program (2000) by P. Das. Division of Agricultural Extension, ICAR, New Delhi.
4. An Introduction to Extension Education (1990) by S.V. Supe. Oxford & IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi.
5. Indian Social System (1994) by Ram Ahuja. Rawat Publication, New Delhi.
6. Social Change in Modern India (2003) by M.N. Srinivas, Orient Longman Pvt. Ltd. Hyderabad.
7. Educational Psychology (1993) by S. B. Kakkar, Prentice Hall India Pvt. Ltd. New Delhi.

PGD-AgExt-02/ MSc-AgExt-02: Advances in Agricultural Extension Education

1. 60 Years of Indian Agriculture (ED) (2006) by C. S. Prasad, New Century Publication, New Delhi.
2. Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture (1987) by M. A. Attieri, London Press, London.
3. Krishi Vigyan Kendras: A Reality (1999) by P. Das & B.S. Hansra, Division of Agricultural Extension, ICAR, New Delhi.
4. Modernizing World Agriculture: Comparative Study of Agricultural Extension (1975) by G. H. Axins and S. S. Thorat, Oxford & IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi.
5. Private Extension: Indian Experiences (ED) (2001) BY P. Chandra Shekhar, MANAGE. Hyderabad.
6. Integrated Farming Systems (1985) by G. L. Chan. Elsevier Science Publication. Amsterdam, Netherlands.
7. Self Help Groups: Key to Women Empowerment (2007) by B. Narayanswamy and R. K. Samanta, Women Press, New Delhi.
8. Sustainable Agriculture & Food Security (2003) by Vandana Shiva & G. Bedi, Sage Publication, New Delhi.



9. Trade Liberalization & Indian Agriculture (2001) by Ashok Gulati and Tim Kelly, Oxford University Press, New Delhi.
10. Agricultural Marketing in India (2004) by S. S. Acharya & N. L. Agrawal, Oxford & IBH Publication Co. Ltd. New Delhi.

PGD-AgExt-03/ MSc-AgExt-03: Agricultural Extension Management

1. Education and Communication for Development (1991) by O.P. Dahama & O.P. Bhatnagar. Oxford & IBH Publishing Co, Pvt. Ltd. New Delhi.
2. Extension Communication & Management (2006) by G. L. Ray, Kalyani Publishers, New Delhi.
3. Organization & Management (2005) by R. D. Agrawal, Tata McGraw Hill Publication, New Delhi.
4. Management in Agriculture and Rural Development (1989) by R. K. Samanta. UDH Publishing HouSE, New Delhi.
5. Training Methods for Management and Development (1993) by R. K. Samanta. M. B. Publication Pvt. Ltd. New Delhi.
6. Organizational Behavior Process (1996) by Uday Pareek, Rawat Publication, New Delhi.

PGD-AgExt-04/MSc-AgExt-04: Communication and Diffusion of Agricultural Innovation

1. Extension Communication and Management (2005) by G. L. Ray, Kalyani Publ. New Delhi
2. Diffusion Agricultural Innovations in Village India (1989). by Dasgupta. Wiley Eastern.
3. Fundamentals of Extension Education and Management in Extension (2007) by K A Jalihal and V. Veerabhadraiah, Concept Publ. Co.
4. Extension Education (1987) by A. A. Reddy, Sree Lakshmi Press, Bapatla.
5. Diffusion of Innovations 5th Ed (2003) by E. M. Rogers, The Free Press, New York.

PGD-AgExt-05/ MSc-AgExt-05: Research Methods & Statistical Analysis

1. Research Methodology in Extension Education (2002) by p. Daivadeenam. Agro-tech Publishing Academy, Udaipur.
2. Textbook of Research Methodology in Social Sciences (1997) by P. C. Tripathi. Sultan CHAND & Sons, New Delhi.
3. Methods of Social Survey and Research (1960) by S. R. Bajpai. Kitab Ghar, Kanpur.
4. Foundation of Behavioral Research (1983) by F. N. Kerlinger. Surjeet Publication, New Delhi.
5. Research Methodology and Statistical Techniques (2007) by S. Gupta. Deep & Deep Publication, New Delhi.

W
✓
10
275
200m

- Techniques of Attitude Scale Construction (1969) by A. L. Edward, Vakils, Feffer & Simon Pvt. Ltd., Bombay.


PGD-AgExt-07/ MSc-AgExt-07: ICT in Agricultural Development


- Information Technology: Reaching the Unreached (ED) (1993) by M. S. Swaminathan, Macmillan Publication, Chennai.
- Fundamentals of Information Technology (1999) by Leon Alexis & Leon Mathews, Leon Tech World Publications.
- Introduction to Artificial Intelligence and Expert System (2003) by Dan Patterson, Prentice Hall Publication, New Delhi.
- Remote Sensing & Geographical Information System (2006) by M. AnjiReddy, BS Publication, Hyderabad.
- Cyber Extension in the context of Agricultural Extension in India (2000) by V. P. Sharma, MANAGE, Hyderabad.

Note: PGD-AgExt-06/MSc-AgExt-06 is project Work and PGD-AgExt-08/MSc-AgExt-08 is Dissertation/Master's Research Work hence they do not need specific SLM. In rest of the Theory courses/papers as they are elective courses SLM are available in the University


Dr. P. P. Dubey
29.04.2016


Dr. J. P. Srivastava


Dr. D. K. Bose


Dr. S. L. Tripathi

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संख्या : ओ.यू./ ११७ / २०१६

दिनांक २५-०४-२०१६

अधिसूचना

कृषि विज्ञान विद्या शाखा के प्रसार एवं सामुदायिक विकास इकाई के अन्तर्गत प्रस्तावित नये कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संरचना एवं प्रारूप आदि के निर्माण किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार निम्नवत् विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाता है :-

1. डॉ. पी.पी. दुबे

अध्यक्ष

निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2. डॉ. जे.पी. श्रीवास्तव

सदस्य

अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, कृषि प्रसार विभाग,

शियाद्स, नैनी, इलाहाबाद

3. डॉ. डी.के. बोस

सदस्य

एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि प्रसार विभाग,

शियाद्स, नैनी, इलाहाबाद


4. प्रो. एस.एल. त्रिपाठी

सदस्य

प्रो. रुलर डेवलपमेंट,

बैकुण्ठ मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपरेटिव मैनेजमेंट, पूना

(५९ एम.आई.जी., गोविन्दपुर, इलाहाबाद)



(डॉ.पी. त्रिपाठी)
कुलसचिव

पु. संख्या : ओ.यू./ ११७ (१) / २०१६

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित सदस्यगण।
- वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
- कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।



(डॉ.पी. त्रिपाठी)
कुलसचिव

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद


कार्यवृत्त


आज दिनांक 28/04/2016 को पूर्वाहन 01:30 बजे कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत “पशुधन उत्पादन प्रणाली” इकाई में नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक शैक्षणिक परिसर में निदेशक कृषि विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए—


1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, य०पी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (अध्यक्ष)
2. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक शिक्षा विद्याशाखा, य०पी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (सदस्य)
3. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा, य०पी०आर०टी०ओ०य००, इलाहाबाद (सदस्य)
4. डॉ. वी.के. द्विवेदी (निदेशक), बायोवेद शोध संस्थान, इलाहाबाद (सदस्य)


सर्वप्रथम निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं बैठक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए कृषि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत पशुधन उत्पादन प्रणाली कार्यक्रम Certificate in Poultry Farming एवं Certificate in Bee Keeping सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये। सदस्यों ने दोनों कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर गहनता के साथ सम्यक विचार करते हुए एवं कठिपय संशोधनों के उपरान्त इन प्रस्तावों (संलग्नक 01 व 02) को उपयुक्त पाते हुए सत्र 2016–17 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की।

अन्त में सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


28.04.2016
डॉ. पी.पी. दुबे


डॉ. एस.पी. गुप्ता


28.04.2016
डॉ. ओमजी गुप्ता


डॉ. वी.के. द्विवेदी

Certificate in Poultry Farming (CPF)

Structure and Syllabus as finalised by BOS

Poultry Farming has been one of the most important subsidiary occupations of the farming community in India. It is a remunerative business both in rural and urban areas due to the requirement of small space, low capital investment and generates quick and regular income and employment throughout the year. It has a significant role in the eradication of malnutrition and poverty especially in the rural area. However, due to extensive use of days old primitive technology on most of the farms this business still remains unproductive commercially unviable. The present programme aims to impart knowledge and skill to the poultry farmers to make Poultry Farming a viable business. The target group includes Existing Poultry Farmers, unemployed or underemployed Rural youth, Women, other Farmers and Entrepreneurs.

Objectives:

The main objectives of the programme are to:

- to develop and strengthen Human Resource by infusing/imparting knowledge and skill in Poultry Farming through Open and Distance Learning (ODL) Mode;
- to create awareness about the opportunities of employment and livelihood in Poultry Sector; and
- to impart basic knowledge and technical proficiency in Poultry Housing, Breeding, Nursing, and Management.

Eligibility: 10th Pass

Medium of Instruction: Hindi

Duration: Minimum 6 months and Maximum 2 years, proposed to be offered from the session 2016-17 in both January & July cycle of admissions.

Fee Structure: Rs.3,000/- for full programme

Handwritten signatures and initials of Dr. D. S. Deepak and Dr. A. K. Srivastava, likely the authors or officials involved in the program.

Programme Structure:

Course Code	Course Name	Credits
CPF-01	Introduction to Poultry Farming	4
CPF-02	Poultry Housing and Management	4
CPF-03	Poultry Feeds and Feeding	4
CPF-04	Poultry Health Care and Diseases	2
CPF-05	Poultry Farm Training	2
Total Credits		16

Examination and Evaluations shall be as per the University norms for other certificate programmes

Detailed Course Structure:

CPF-01: Introduction to Poultry Farming

Block1: Poultry Industry

- Unit 1: Poultry Farming: An Overview
- Unit 2: System and Types of Poultry Farming
- Unit 3: Poultry development Programmes in U P

Block 2: Poultry Breeds and Breeding

- Unit1: Species, Breeds and Strains
- Unit 2: Qualitative Traits and Breeding
- Unit 3: Selection, Culling and Artificial Insemination

Block 3: Farming of Different Poultry Species

- Unit1: Duck and Geese Farming
- Unit 2: Quail Farming
- Unit 3: Guinea, Fowl and Turkey Farming

CPF-02: Poultry Housing and Management

Block 1: Farm Establishment and Equipments

- Unit 1: Principles of Housing
- Unit 2: Housing Systems
- Unit 3: Poultry House Equipments

Block 2: Poultry Management

- Unit 1: Brooding Management
- Unit 2: Management of Broilers
- Unit 3: Management of Layers

A handwritten signature "Dr. Deo" is written above a date "200". Below the date is a small sketch of a hand.

Unit 4: Routine Management

Block 3: Economics and Marketing of Poultry and Poultry Products

Unit 1: General Economic Considerations in Poultry Farming

Unit 2: Farm Record Keeping

Unit 3: Quality Considerations in Marketing of Poultry products

Unit 4: Processing and Marketing

CPF-03: Poultry Feeds and Feeding

Block 1: Principles of Poultry Feeding

Unit 1: Energy and Protein Feedstuffs

Unit 2: Mineral and Vitamin Supplements

Unit 3: Feed Additives and Toxicants

Block 2: Feeding Standards

Unit 1: Dietary Requirements

Unit 2: Feed Processing and Quality Control

Unit 3: Feeding Methods

CPF-04: Poultry Health Care and Diseases

Block 1: General Health Care

Unit 1: Parameters of Identification of Healthy and Sick Birds

Unit 2: Intercultural Preventive measures

Unit 3: Vaccination and other medicinal preventive measures

Unit 4: Safe Disposal of Sick/Dead Birds and Poultry Wastes

Block 2: Common Poultry Diseases and their Control

Unit 1: Viral and Bacterial Diseases of Poultry and its cure

Unit 2: Protozoal and Fungal Diseases of Poultry and its cure

Unit 3: Internal and External Parasites of Poultry and its cure

CPF-05 : Poultry Farm Training

A compulsory 10-days continuous hands-on training (CPF 05) will be conducted at the Designated Centers under the supervisions of the university. The keys areas will be as follows:

1. General Visit of a Poultry Farm;
2. Visit of an specific Farm viz, Broiler Farm, Layer Farm, Brooder Farm;
3. Visit to Grower House;
4. Visit to Feed Mixing Unit;
5. Bio-Security Measures;
6. Visit to Other Farms; and
7. Discussion and Reporting

Dr. Dinesh Kumar
201

The SLM will be prepared by the school of Agricultural Sciences as soon as possible. However for the first batch the following books are recommended to begining with

1. Commercial Poultry & Broiler Farming (With Fish & Pig Farming) (IN HINDI) (Latest Edition) by Jahan Singh Chauhan, JBA Pub. ISBN : 8187251239
2. मुर्गियों का प्रमुख रोगों से बचाव एवं रोकथाम (2004) by R P Mathur and B K Dwivedi, Bioved Research Society, Allahabad ISBN : 8185722587

Dr P. P. Dubey

Dr S. P. Gupta
24.04.2016 SPG
28/4/2016

Dr Omji Gupta

Dr B. K. Dwivedi

Certificate in Bee Keeping (CIB)

Syllabus as Finalised by BOS

Honey production provides nutritional and economic security to the farmers and their family members, and rural youth who are directly or indirectly engaged in farming business. Because of nutritional and medicinal values of honey it has an ever increasing demand across the world. Honey in India is mostly being collected from the wild sources and a very little is produced through rearing honey bees. There exists a great potential in this area which can be tapped through imparting improved technical knowhow and skill to the traditional beekeepers, rural youth and others interested in this business. The certification may be required to the beekeepers to seek any financial help from any bank, non-governmental or governmental agencies, etc.

Objectives:

The main objectives of the programme are:

- to impart education about modern methods of beekeeping through ODL mode and hence build human resource in the beekeeping sector;
- to create awareness about apiculture and its benefits as a supplementary business to increase income and employment; and
- To develop entrepreneurial skills in the existing beekeepers.

Eligibility: 8th Pass or Professional Beekeepers

Medium of Instruction: Hindi

Duration: Minimum 6 months and Maximum 2 years; proposed to be offered from the session 2016-17 in both January & July cycle of admissions.

Fee Structure: Rs.3000/- for full programme

Programme Details:

Programme Structure:

Course Code	Title of the Course	Credits
CIB 01	Introduction to Beekeeping	4
CIB 02	Management of Honey Bee Colonies	6
CIB 03	Hive Products and Economics of Beekeeping	4
CIB 04	On site Training	2
Total Credits		16



 SR 1 *Ode Doli* 203

Examination and Evaluations Shall be as per the University norms for other certificate programmes

Course Structure:

CIB-01: Introduction to Beekeeping

Block 01: General Introduction to Honey Bee

Unit 01: Species, Morphology and Physiology

Unit 02: Life Cycle of Honey Be

Unit 03: Bee Family and Division of Labour

Block 02: Bee Keeping Industry

Unit 01: History and recent Trend of Bee Keeping

Unit 02: Government Policies, challenges and remedial Measures

Unit 03: Establishment of Bee Keeping Unit

CIB-02: Management of Honey Bee Colonies

Block 01: General Management

Unit 01: Management of Colonies in Different Seasons

Unit 02: Routine activities of Bee Keeping

Unit 03: Swarming and Supersedure

Block 02: Production and Disease Management

Unit 01: Honey and Vax Production

Unit 02: Diseases of Honey Bee and their Cure

Unit 03: Natural Enemies of Honey Bee

CIB-03: Hive Products and Economics of Bee Keeping

Block 01: Hive Products

Unit 01: Honey: Composition, Classification and Uses

11/12/2014
204

Unit 02: Other Hive Products viz, Vax, Royal Jelly, Bee Pollen, Bee Venom, Bee Glue etc.

Unit 03: Standardization of Hive Products

Block 02: Economy of Bee Keeping

Unit 01: Economics of Bee Keeping

Unit 02: Marketing of Honey and other Hive Products

Unit 03: Agro-ecological Importance of Honey Bee


CIB-04 : On Site Training

A compulsory 10-days continuous hands-on training (CIB 04) will be conducted at the Designated Centers under the supervisions of the university. The keys areas will be Box Making, Site Selection, Feeding during off seasons, Honey extraction equipments, separation of products, processing and packaging, use of intercultural preventive measures, marketing etc. Training report should be prepared and submitted to the University Examination and evaluation.


The SLM will be prepared by the school of Agricultural Sciences as soon as possible. However for the first batch books will be recommended to begining with




04.04.2016
Dr. P. P. Dubey



SPG 204/2016
Dr. S. P. Gupta



Omji 204/2016
Dr Omji Gupta



BKD
Dr. B. K. Dwivedi

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

कार्यवृत्त

कृषि विज्ञान विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की दिनांक 17.08.2016 को अपराह्न 1:30 बजे, निदेशक कृषि विज्ञान विद्याशाखा के कक्ष में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए—

1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, य०पी०आर०टी०ओ०य०, इलाहाबाद (अध्यक्ष)
2. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा, य०पी०आर०टी०ओ०य०, इलाहाबाद (सदस्य)
3. डॉ. आर.पी.एस.यादव, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, य०पी०आर०टी०ओ०य०, इलाहाबाद (सदस्य)


सर्वप्रथम निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया।
बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्न संस्तुतियां की गयी :

विद्याशाखा के अन्तर्गत यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त कार्यक्रम “पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी एवं मूल्य संवर्धन में प्रमाणपत्र” (CPHT&VA) के प्रश्न-पत्रों के नामों में क्षेत्रिक संशोधनों के साथ निम्नानुसार लागू किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रश्नपत्र-1	CPHT&VA - 01 Post Harvest Management : Concepts and Process पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन : अवधारणा एवं संक्रियाएँ
प्रश्नपत्र-2	CPHT&VA - 02 Post Harvest Processing : Technological Development पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग : तकनीकी विकास
प्रश्नपत्र-3	CPHT&VA - 03 Value Addition : Process and Products मूल्य संवर्धन : प्रक्रिया एवं उत्पाद

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


17.08.2016
(डॉ. पी.पी. दुबे)


17.08.2016
(डॉ. ओमजी गुप्ता)


17.08.2016
(डॉ. आर.पी.एस.यादव)

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संख्या : ओ.यू./ ६२६१/२०१६

दिनांक : १६-०८-२०१६

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 2002 के अध्याय पाँच खण्ड ५.१६ के अधीन लृषि विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है :-

- | | |
|--|---------|
| (१) डॉ. पी.पी. दुबे | अध्यक्ष |
| निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा | |
| उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। | |
| (२) डॉ. ओम जी गुप्ता | सदस्य |
| निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा | |
| उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। | |
| (३) डॉ. आर.पी.एस. यादव | सदस्य |
| निदेशक, मानविकी विद्या शाखा | |
| उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। | |
| कुलपति के सावरणी का कार्यकाल यह निम्नत की तिथि से दो वर्ष का होगा। | |


(डॉ. पी. त्रिपाठी)
कुलसचिव

फू. संख्या : ओ.यू./ ६२६०१/२०१६ तददिनांक

प्रतीक्षित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित सम्मानित सदस्यगण।
- वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
- विश्वविद्यालय के समरत सम्बन्धित विभाग/सम्बन्धित विद्या शाखा।
- कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।


(डॉ. पी. त्रिपाठी)
कुलसचिव

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

मानविकी विद्याशाखा स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक २२/०५/२०१६. को सी.बी.सी.एस. पद्धति के अन्तर्गत संस्कृत विषय के स्नातक कार्यक्रम में कौशल विकास सम्बन्धी प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम निर्धारण के सन्दर्भ में दिनांक ३०.०४.२०१६ को सम्पन्न हुई संस्कृत विषय के अध्ययन बोर्ड की बैठक की संस्तुतियों के आधार पर मानविकी विद्याशाखा बोर्ड (स्कूल बोर्ड) की एक बैठक शैक्षणिक परिसर स्थित निदेशक, मानविकी विद्याशाखा के कक्ष में आयोजित हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे –

1. डॉ० आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा 
2. डॉ० रुचि बाजपेई, असि. प्रोफेसर, मानविकी विद्याशाखा 
3. डॉ० साधना श्रीवास्तव, असि. प्रोफेसर, मानविकी विद्याशाखा 

बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए –

1. संस्कृत अध्ययन बोर्ड द्वारा संस्तुत संस्कृत विषय के स्नातक कार्यक्रम में CBCS पद्धति के अनुसार कौशल विकास सम्बन्धी चार प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम को संस्तुति दी गई। (इन चारों प्रश्नपत्रों का पाठ्यक्रम संलग्न है।)
2. सी.बी.सी.एस. पद्धति पर एम.ए. संस्कृत द्वितीय वर्ष में लागू नवीन प्रश्नपत्र शोध प्रविधि (MAST-10) के संस्कृत अध्ययन बोर्ड द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम को भी स्कूल बोर्ड ने संस्तुति प्रदान की। (MAST-10 का पाठ्यक्रम संलग्न है।)


2.5.16
(डॉ० आर.पी.एस. यादव)


2.5.16
(डॉ० रुचि बाजपेई)


2.5.16
(डॉ० साधना श्रीवास्तव)

स्नातक संस्कृत


कौशल विकास कार्यालय

UGSST-01 ज्योतिर्गणित एवं ज्योतिर्विज्ञान का इतिहास

1. ज्योतिर्विज्ञान का इतिहास 1— वैदिक ज्योतिष एवं जयोतिष की आचार्य परम्परा,
2— विकास का क्रम वेद, सूत्र, निरुक्त, पाणिनीय व्याकरण,
स्मृति, महाभारत एवं ब्राह्मण ग्रंथ ।
2. ज्योतिष विज्ञान एवं काल गणना 1— पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ, काल विभाजन
सम्बतरसर, वर्ष, मास, दिवस, तिथि नक्षत्र,
ग्रह, मूहूर्त आदि
3. जन्म पत्री की संरचना — (आधुनिक एवं परम्परागत सिद्धान्तों के आधार पर)
1— अयनांश्, सूर्योदय, सूर्यास्त, राशि, नवमांश चक्र,
भाव फल, ग्रह—दृष्टि फल, षडवर्ग निरूपण, प्रश्न एवं
प्रश्न शास्त्र की महत्ता, प्रश्न एवं जन्मकुण्डली से
फलादेश करने की विधि ।
4. ग्रह योग — ग्रह योगों के प्रकार — पंच महापुरुष योग, राजयोग, विपरीत योग,
वसुमति, वसुमन, पुष्कर, गौरी, सुमल्य, सरस्वती,
लक्ष्मी, श्रीकान्त, ध्रुवयोग, श्रीकान्त संख्या, पर्वत,
पारिजात, कुसुम, निर्भाग्य, दरिद्र, असुर, चामर,
क्षत आदि ।
5. दशा प्रकरण — विशेषतारी दशा की गणना एवं व्याख्या, अन्तर्दशा एवं प्रत्यन्तरदशा,
अष्टोत्तरी दशा आदि ।
6. गोचर प्रकरण — शनि, बृहस्पति, सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, बुध, केतु, शुक्र ग्रहों का
गोचरीय अध्ययन एवं व्याख्या
7. पंचांग प्रकरण — पंचांग के पाँच अंगों का विवेचन, वर्ष फल की गणना एवं व्याख्या,
ताजिक योग गणना, पंचांग के आधार पर शुभाशुभ ग्रह—योगों,
नक्षत्रों तथा राशियों का विवेचन ।
8. सिद्धान्त ज्योतिष — 1— प्राचीन सिद्धान्त पंचक— पितामह सिद्धान्त, वशिष्ठ सिद्धान्त,
रोमश सिद्धान्त, पौलिश सिद्धान्त, सूर्य सिद्धान्त ।
2— वर्तमान सिद्धान्त पंचक— आधुनिक सूर्य सिद्धान्त, सोम
सिद्धान्त, वशिष्ठ सिद्धान्त, रोमश सिद्धान्त, शाकल्योक्त ब्रह्म
सिद्धान्त ।



२०१

UGSST-02 फलित ज्योतिष

1. गणित एवं फलित ज्योतिष का परस्पर संबंध
2. जन्म कुण्डली एवं आधान कुण्डली
3. काल के आधार पर फलाफल का निरूपण
4. नक्षत्र, दिवस (वार), वर्ष, संक्रान्ति, योग, पक्ष, तिथि, तारा, करण आदि के आधार पर कुण्डली फल निरूपण।
5. चन्द्रमा के बलाबल के आधार पर कुण्डली चित्रण
6. योग— अमृत सिद्धि योग, अनिष्ट अमृत सिद्धि योग, मृत्यु योग, दग्ध योग, यम घण्ट योग, घनिष्ठा पंचक, गजच्छाया योग, अर्धोदय—महोदय योग आदि के अरिष्ट एवं शुभ फलों का निरूपण।
7. राशियाँ— राशियों की दिशाएँ, राशियों के अनुसार जातकों के शुभ—अशुभ स्वाभाव।
8. ग्रह विचार — ग्रहों की जाति, गुण धर्म, ग्रहों के लिंग, शुभ अशुभ ग्रह, ग्रहों की सम विषम राशियाँ, ग्रहों का एक राशि में रहना ग्रहों का उच्च नीच स्थान—दृष्टियाँ— अवस्थाएँ, शरीर पर स्थित ग्रहों का प्रभाव, गुरु एवं शुक्र का उदय एवं अर्स्त काल, अनिष्टकारी मंगल, भावों का कारंकत्व विचार।
9. अनिष्ट कारक फल एवं उसका समाधान— शनि की साढ़े साती, रोग से बचने के उपाय, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जन्म लेने वाले रोग, नवग्रह—मंत्र, नवग्रह स्तोत्र, दान एवं जप मणि, मंत्र एवं औषधि की महत्त्व।
10. विवाह मूहूर्त एवं विचार— शुभ कर्त्ता— पाप कर्त्ता योग, मेलापक, दोष एवं परिहार, मांगलिक दोष, षडाष्टक, द्विद्वादशक, नाड़ी दोष, गण दोष, वर्ण दोष तथा ग्रह मैत्री, तारा मैत्री, विवाह के दश दोष आदि।
11. सन्तति विचार— आर्तव दोष, वीर्य दोष, पंचम एवं सप्तम भाव स्थित, ग्रहों का संतान पर प्रभाव, अनिष्टकारी ग्रहों की संतान भाव पर दृष्टि।
12. स्त्री जातक— वैधव्य योग, सौभाग्यवती योग, सन्तानहीन योग, दुर्भग्य योग, विषकन्या योग।

21 अगस्त 2019
Sadhana Sivalingam

UGSST-03 वास्तुशास्त्र

1. वास्तुशास्त्र की आवश्यकता एवं महत्त्व
2. भूमि के प्रकार, आकार एवं भेद
3. भूमि परीक्षण
4. वास्तुपुरुष का वास
5. ग्रह पिण्ड शोधन
6. नीव की खुदाई एवं निर्माण
7. ग्राम निवास निषेध स्थान
8. वास्तुचक्र
9. गृह निर्माण में शुभाशुभ नक्षत्र को बोध—ध्वजा आदि की स्थापना
10. द्वारादि पर विचार
11. गृह आरम्भ में काल निषेध
12. गृह निर्माण में चन्द्र विचार
13. गृह प्रवेश मूहूर्त
14. वास्तु में रंगों का प्रयोग
15. वास्तु दोष निवारण
16. मंत्र एवं प्रयोग
17. व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं वास्तु
18. जन्मकुण्डली एवं वास्तु
19. वास्तु दोष के ज्योतिषीय उपाय
20. नूतन गृह एवं जीर्ण गृह प्रवेश में निषिद्ध नक्षत्र,
21. वास्तु पूजा एवं नक्षत्र
22. वास्तु पूजा के प्रकार
23. गृह प्रवेश एवं दिशा
24. मन्दिर निर्माण एवं वास्तु विशेष का प्रावधान
25. देव प्रतिष्ठा एवं विभिन्न देवों की मूर्तियों को माप एवं दिशा का निरूपण।

Br.

21-2-2011

SL

Br

RE

Sachin Srivastava

मुहूर्त एवं आयुर्वेद ज्योतिष

1. मुहूर्त प्रकरण – मुहूर्त से तात्पर्य, मुहूर्त का महत्व, तिथि– नक्षत्र का सम्बन्ध, दोष, मासों के आधार पर शून्य राशि, विषम तिथि एवं दग्ध लग्न।
2. यात्रा मुहूर्त – यात्रा हेतु– शुभाशुभ लग्न, शुभाशुभ ग्रह, योग अधियोग, योगाधियोग। यात्रा में ग्रह बल, यात्रा–दोष परिहार, शुभ एवं अशुभ शकुन दिशाशूल।
3. संस्कारों में मुहूर्त – सोलह संस्कारों के प्रतिपादन का मुहूर्त, राहूकाल, वधू प्रवेश, द्विरागमन, राज्यभिषेक, गृह–निर्माण, गृह–प्रवेश, जातकर्म, चूडाकर्म, विवाह आदि संस्कारों में मुहूर्त का महत्व, पंचक दोष एवं निवारण।
4. भद्रा विचार – भद्रा के प्रकार, भद्रा दोष एवं परिहार, भद्रा निवास
5. काल शुद्धि प्रकरण – वर्जित कार्य, सिंहस्थ गुरु दोष, एवं वर्जित कार्य, गुरु का अतिचार एवं वर्जित कार्य। वार प्रवृत्ति। होरा – प्रयोजन का फल।
6. नक्षत्र प्रकरण – नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्रों के कार्य, नक्षत्रों के प्रकार– अंध नक्षत्र, मन्दाक नक्षत्र, मध्याक्ष नक्षत्र, स्वच्छ नक्षाणि।
7. स्त्री प्रकरण – गर्भाधान, शौच–अशौच विशेष, रजोदर्शन मूहूर्त, स्नान आदि का मुहूर्त।
8. मृत्यु विशेष – शवदाह अथवा अन्त्येष्टि विचार, अशौचारम्भ निर्णय, प्रतिबद्ध निर्णय, पिण्डदान, श्राद्धादि विचार।
9. संक्रान्ति प्रकरण – संक्रान्ति फल निरूपण, दिन–रात्रि विभाग फल, वारभेद फल, नक्षत्र भेद फल, जन्म में संक्रान्ति का फल, संक्रान्तिकाल का पुण्य फल, संक्रान्ति–दान, अधिमास– क्षयमास।
10. गोचर प्रकरण – ग्रहों के गोचर का फल, रवि और शनि का वेघ सभी ग्रहों के स्थान का फल। ग्रहों की शान्ति,
11. विवाह – अष्टौविवाहः (आठ प्रकार के विवाह) एवं उनके लक्षण। विवाह काल के नियम एवं व्यवस्था। भार्य प्रशंसा, प्रश्नलग्न से विवाह का योग। भंग विवाह योग, कुम्भ विवाह, अश्वत्थ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह, कन्यादान मूहूर्त, विवाह में ग्रहों का बलाबल।
12. वातज, पित्तज एवं कफज रोगों का ज्योतिषीय निदान।
13. वनस्पति एवं ग्रह
14. वनस्पति एवं नक्षत्र
15. अर्बुद, कैंसर, उदर, नेत्र एवं चर्म रोगों का ग्रह–नक्षत्रों से सम्बन्ध

61

२१८-२१९

8

८१

८२

Sadhu Sivaram

स्नातकोत्तर संस्कृत

MAST-10 शोध—प्रविधि

पाठ्यक्रम

1. शोधप्रविधि के प्रमुख आयाम
 - i. शोध अथवा ज्ञानार्जन की योग्यता
 - ii. संस्कृत समीक्षाशास्त्र में शोध का स्वरूप
 - iii. अनुसन्धान का आधुनिक अभिप्राय
 - iv. अनुसन्धान की आवश्यकता
 - v. अनुसन्धान के क्षेत्र
 - vi. अनुसन्धान के प्रकार
 - vii. शोध प्रविधि की विविध पद्धतियाँ
2. शोधप्रबन्ध—स्वरूप, लेखन एवं उपकरण
 - i. शोधप्रबन्ध एवं शोधपत्र
 - ii. शोधविषय
 - iii. शोधार्थी एवं शोधनिर्देशक
 - iv. शोधविषय का चयन एवं शीर्षक—निर्धारण
 - v. शोधप्रबन्ध का स्वरूप एवं उसकी रूपरेखा
 - vi. सामग्री—संकलन : मुख्य एवं गौणस्त्रोत
 - vii. शोध—प्रबन्ध के मुख्य घटक—अध्यायों में विभाजन
 - viii. पादटिप्पणी एवं उद्धरण
 - ix. भूमिका
 - x. निष्कर्ष एवं ग्रंथसूची
 - xi. आधुनिक शोधकार्य में संगणक की भूमिका
3. ग्रन्थ सम्पादन—स्वरूप एवं प्रक्रिया
 - i. ग्रन्थ क्या है? सम्पादन का वर्तमान अर्थ।
 - ii. पाण्डुलिपियों के स्त्रोत
 - iii. सम्पादन के सहायक अंग—विशिष्ट ग्रन्थसम्पादन
 - iv. समीक्षात्मक व्याख्या—पद्धति
 - v. मूलग्रन्थ अथवा शास्त्र का भाष्य
 - vi. ग्रन्थ—समीक्षा का स्वरूप
 - vii. सम्पादन—प्रक्रिया

62

२०२२/२३

३५

8
R

Sathen Singh

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद


दिनांक : 30/04/2016


कार्यवृत्त

आज दिनांक 30.04.2016 को सी.बी.सी.एस. पद्धति के अन्तर्गत संस्कृत विषय के स्नातक कार्यक्रम में कौशल विकास सम्बन्धी प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक पूर्वाहन 11:00 बजे निदेशक, मानविकी विद्याशाखा के कक्ष में आहूत की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

1. डॉ० आर.पी.एस. यादव
2. डॉ० राम नरेश त्रिपाठी
3. डॉ० स्मिता अग्रवाल

1. सर्वप्रथम निदेशक मानविकी विद्याशाखा ने सदस्यों का स्वागत किया।
2. इस बैठक में सदस्यों ने गहन विचार-विमर्श कर कौशल विकास सम्बन्धी चारों प्रश्नपत्रों का पाठ्यक्रम गहन विचार विमर्श के बाद निर्धारित कर उस पर अपनी संस्तुति दी तथा उसे विद्याशाखा बोर्ड (स्कूल बोर्ड) में प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गई। (इन चारों प्रश्नपत्रों का पाठ्यक्रम संलग्न है।)
3. सी.बी.सी.एस. पद्धति पर एम.ए. संस्कृत द्वितीय वर्ष में लागू नवीन प्रश्नपत्र शोध प्रविधि (MAST-10) का पाठ्यक्रम प्रारूप भी अध्ययन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया और उसे भी संस्तुत करते हुए विद्याशाखा बोर्ड में प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गयी। (MAST-10 का पाठ्यक्रम संलग्न है।)


(डॉ० आर.पी.एस. यादव)


(डॉ० राम नरेश त्रिपाठी)



(डॉ० स्मिता अग्रवाल)

स्नातक संस्कृत

कौशल विकास कार्यालय

UGSST-01 ज्योतिर्गणित एवं ज्योतिर्विज्ञान का इतिहास

1. ज्योतिर्विज्ञान का इतिहास 1- वैदिक ज्योतिष एवं ज्योतिष की आचार्य परम्परा,
2- विकास का क्रम वेद, सूत्र, निरुक्त, पाणिनीय व्याकरण, स्मृति, महाभारत एवं ब्राह्मण ग्रंथ।
2. ज्योतिष विज्ञान एवं काल गणना 1- पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दौ, काल विभाजन सम्बतरसर, वर्ष, मास, दिवस, तिथि नक्षत्र, ग्रह, मूहूर्त आदि
3. जन्म पत्री की संरचना - (आधुनिक एवं परम्परागत सिद्धान्तों के आधार पर)
1- अयनाष्टि, सूर्योदय, सूर्यास्त, राशि, नवमांश चक्र, भाव फल, ग्रह-दृष्टि फल, षड्वर्ग निरूपण, प्रश्न एवं प्रश्न शास्त्र की महत्ता, प्रश्न एवं जन्मकुण्डली से फलादेश करने की विधि।
4. ग्रह योग - ग्रह योगों के प्रकार - पंच महापुरुष योग, राजयोग, विपरीत योग, वसुमति, वसुमन, पुष्कर, गौरी, सुमल्य, सरस्वती, लक्ष्मी, श्रीकान्त, ध्रुवयोग, श्रीकान्त संख्या, पर्वत, पारिजात, कुसुम, निर्भाग्य, दरिद्र, असुर, चामर, क्षत आदि।
5. दशा प्रकरण - विशेषतारी दशा की गणना एवं व्याख्या, अन्तर्दशा एवं प्रत्यन्तरदशा, अष्टोत्तरी दशा आदि।
6. गोचर प्रकरण - शनि, बृहस्पति, सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, बुध, केतु, शुक्र ग्रहों का गोचरीय अध्ययन एवं व्याख्या
7. पंचांग प्रकरण - पंचांग के पाँच अंगों का विवेचन, वर्ष फल की गणना एवं व्याख्या, ताजिक योग गणना, पंचांग के आधार पर शुभाशुभ ग्रह-योगों, नक्षत्रों तथा राशियों का विवेचन।
8. सिद्धान्त ज्योतिष - 1- प्राचीन सिद्धान्त पंचक- पितामह सिद्धान्त, वशिष्ठ सिद्धान्त, रोमश सिद्धान्त, पौलिश सिद्धान्त, सूर्य सिद्धान्त।
2- वर्तमान सिद्धान्त पंचक- आधुनिक सूर्य सिद्धान्त, सोम सिद्धान्त, वशिष्ठ सिद्धान्त, रोमश सिद्धान्त, शाकल्योक्त ब्रह्म सिद्धान्त।



UGSST-02 फलित ज्योतिष

1. गणित एवं फलित ज्योतिष का परस्पर संबंध
2. जन्म कुण्डली एवं आधान कुण्डली
3. काल के आधार पर फलाफल का निरूपण
4. नक्षत्र, दिवस (वार), वर्ष, संक्रान्ति, योग, पक्ष, तिथि, तारा, करण आदि के आधार पर कुण्डली फल निरूपण।
5. चन्द्रमा के बलाबल के आधार पर कुण्डली चित्रण
6. योग— अमृत सिद्धि योग, अनिष्ट अमृत सिद्धि योग, मृत्यु योग, दग्ध योग, यम घण्ट योग, घनिष्ठा पंचक, गजच्छाया योग, अर्धोदय—महोदय योग आदि के अरिष्ट एवं शुभ फलों का निरूपण।
7. राशियाँ— राशियों की दिशाएँ, राशियों के अनुसार जातकों के शुभ-अशुभ स्वाभाव।
8. ग्रह विचार — ग्रहों की जाति, गुण धर्म, ग्रहों के लिंग, शुभ अशुभ ग्रह, ग्रहों की सम विषम राशियाँ, ग्रहों का एक राशि में रहना ग्रहों का उच्च नीच स्थान—दृष्टियाँ—अवरथाएँ, शरीर पर स्थित ग्रहों का प्रभाव, गुरु एवं शुक्र का उदय एवं अस्त काल, अनिष्टकारी भंगल , भावों का कारकत्व विचार।
9. अनिष्ट कारक फल एवं उसका समाधान— शनि की साढ़े साती, रोग से बचने के उपाय, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जन्म लेने वाले रोग, नवग्रह—मंत्र , नवग्रह रत्नोत्तर, दान एवं जप मणि, मंत्र एवं औषधि की महत्ता।
10. विवाह मूहूर्त एवं विचार— शुभ कर्त्ती— पाप कर्त्ती योग, मेलापक, दोष एवं परिहार, मांगलिक दोष, षडाष्टक, द्विद्वादशक, नाड़ी दोष, गण दोष, वर्ण दोष तथा ग्रह मैत्री, तारा मैत्री, विवाह के दश दोष आदि।
11. सन्तान विचार— आर्तव दोष, वीर्य दोष, पंचम एवं सप्तम भाव स्थित, ग्रहों का संतान पर प्रभाव, अनिष्टकारी ग्रहों की संतान भाव पर दृष्टि।
12. स्त्री जातक— वैधव्य योग, सौभाग्यवती योग, सन्तानहीन योग, दुर्भगा योग, विषकन्या योग।

(Signature) २१८८-२१८९

UGSST-03 वास्तुशास्त्र

1. वास्तुशास्त्र की आवश्यकता एवं महत्त्व
2. भूमि के प्रकार , आकार एवं भेद
3. भूमि परीक्षण
4. वास्तुपुरुष का वास
5. ग्रह पिण्ड शोधन
6. नीव की खुदाई एवं निर्माण
7. ग्राम निवास निषेध स्थान
8. वास्तुचक्र
9. गृह निर्माण में शुभाशुभ नक्षत्र को बोध-ध्वजा आदि की स्थापना
10. द्वारादि पर विचार
11. गृह आरम्भ में काल निषेध
12. गृह निर्माण में चन्द्र विचार
13. गृह प्रवेश मूहूर्त
14. वास्तु में रंगों का प्रयोग
15. वास्तु दोष निवारण
16. मंत्र एवं प्रयोग
17. व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं वास्तु
18. जन्मकुण्डली एवं वास्तु
19. वास्तु दोष के ज्योतिषीय उपाय
20. नूतन गृह एवं जीर्ण गृह प्रवेश में निषिद्ध नक्षत्र,
21. वास्तु पूजा एवं नक्षत्र
22. वास्तु पूजा के प्रकार
23. गृह प्रवेश एवं दिशा
24. मन्दिर निर्माण एवं वास्तु विशेष का प्रावधान
25. देव प्रतिष्ठा एवं विभिन्न देवों की मूर्तियों को माप एवं दिशा का निरूपण।

B.R. रामेश्वरम् S.L.

मुहूर्त एवं आयुर्वेद ज्योतिष

1. मुहूर्त प्रकरण – मुहूर्त से तात्पर्य, मुहूर्त का महत्व, तिथि– नक्षत्र का सम्बन्ध, दोष, मासों के आधार पर शून्य राशि, विषम तिथि एवं दग्ध लग्न।
2. यात्रा मुहूर्त – यात्रा हेतु– शुभाशुभ लग्न, शुभाशुभ ग्रह, योग अधियोग, योगाधियोग। यात्रा में ग्रह बल, यात्रा–दोष परिहार, शुभ एवं अशुभ शकुन दिशाशूल।
3. संस्कारों में मुहूर्त – सोलह संस्कारों के प्रतिपादन का मुहूर्त, राहूकाल, वधू प्रवेश, द्विरागमन, राज्यभिषेक, गृह–निर्माण, गृह–प्रवेश, जातकर्म, चूड़ाकर्म, विवाह आदि संस्कारों में मुहूर्त का महत्व, पंचक दोष एवं निवारण।
4. भद्रा विचार – भद्रा के प्रकार, भद्रा दोष एवं परिहार, भद्रा निवास
5. काल शुद्धि प्रकरण – वर्जित कार्य, सिंहरथ गुरु दोष, एवं वर्जित कार्य, गुरु का अतिचार एवं वर्जित कार्य। वार प्रवृत्ति। होरा – प्रयोजन का फल।
6. नक्षत्र प्रकरण – नक्षत्र के खामी, नक्षत्रों के कार्य, नक्षत्रों के प्रकार— अंध नक्षत्र, मन्दाक नक्षत्र, मध्याक्ष नक्षत्र, स्वच्छ नक्षाणि।
7. स्त्री प्रकरण – गर्भाधान, शौच–अशौच विशेष, रजोदर्शन मूहूर्त, स्नान आदि का मुहूर्त।
8. मृत्यु विशेष – शवदाह अथवा अन्त्येष्टि विचार, अशौचारम्भ निर्णय, प्रतिबद्ध निर्णय, पिण्डदान, श्राद्धादि विचार।
9. संक्रान्ति प्रकरण – संक्रान्ति फल निरूपण, दिन–रात्रि विभाग फल, वारभेद फल, नक्षत्र भेद फल, जन्म में संक्रान्ति का फल, संक्रान्तिकाल का पुण्य फल, संक्रान्ति–दान, अधिमास— क्षयमास।
10. गोचर प्रकरण – ग्रहों के गोचर का फल, रवि और शनि का वेद सभी ग्रहों के स्थान का फल। ग्रहों की शान्ति,
11. विवाह – अष्टौविवाहः (आठ प्रकार के विवाह) एवं उनके लक्षण। विवाह काल के नियम एवं व्यवस्था। भार्य प्रशंसा, प्रश्नलग्न से विवाह का योग। भंग विवाह योग, कुम्भ विवाह, अश्वत्थ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह, कन्यादान मूहूर्त, विवाह में ग्रहों का बलाबल।
12. वातज, पित्तज एवं कफज रोगों का ज्योतिषीय निदान।
13. वनस्पति एवं ग्रह
14. वनस्पति एवं नक्षत्र
15. अर्द्धद, कैंसर, उदर, नेत्र एवं चर्म रोगों का ग्रह–नक्षत्रों से सम्बन्ध

३१

२१२-२५३१

११

स्नातकोत्तर संस्कृत

MAST-10 शोध—प्रविधि

पाठ्यक्रम

1. शोधप्रविधि के प्रमुख आयाम
 - i. शोध अथवा ज्ञानार्जन की योग्यता
 - ii. संस्कृत समीक्षाशास्त्र में शोध का स्वरूप
 - iii. अनुसन्धान का आधुनिक अभिप्राय
 - iv. अनुसन्धान की आवश्यकता
 - v. अनुसन्धान के क्षेत्र
 - vi. अनुसन्धान के प्रकार
 - vii. शोध प्रविधि की विविध पद्धतियाँ
2. शोधप्रबन्ध—स्वरूप, लेखन एवं उपकरण
 - i. शोधप्रबन्ध एवं शोधपत्र
 - ii. शोधविषय
 - iii. शोधार्थी एवं शोधनिर्देशक
 - iv. शोधविषय का चयन एवं शीर्षक—निर्धारण
 - v. शोधप्रबन्ध का स्वरूप एवं उसकी रूपरेखा
 - vi. सामग्री—संकलन : मुख्य एवं गौणस्रोत
 - vii. शोध—प्रबन्ध के मुख्य घटक—अध्यायों में विभाजन
 - viii. पादटिप्पणी एवं उद्धरण
 - ix. भूमिका
 - x. निष्कर्ष एवं ग्रंथसूची
 - xi. आधुनिक शोधकार्य में संगणक की भूमिका
3. ग्रन्थ सम्पादन—स्वरूप एवं प्रक्रिया
 - i. ग्रन्थ क्या है? सम्पादन का वर्तमान अर्थ।
 - ii. पाण्डुलिपियों के स्त्रोत
 - iii. सम्पादन के सहायक अंग—विशिष्ट ग्रंथसम्पादन
 - iv. समीक्षात्मक व्याख्या—पद्धति
 - v. मूलग्रन्थ अथवा शास्त्र का भाष्य
 - vi. ग्रंथ—समीक्षा का स्वरूप
 - vii. सम्पादन—प्रक्रिया

उत्तराधिकारी

8

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक: 30/8/2016

मानविकी विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 30.8.2016 को निदेशक, मानविकी विद्याशाखा कक्ष में विद्याशाखा के रकूल बोर्ड के सदस्यों की बैठक अपराह्न 2:30 बजे आहूत की गई। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए-

- डॉ० आर.पी.एस.यादव
- डॉ० रुधि बाजपेई
- डॉ० साधना श्रीवारस्तव
- डॉ० मीरा पाल

निदेशक, मानविकी विद्याशाखा ६५/४१६
असिरटेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) ३५/४१६
असिर प्रोफेसर, (पत्रकारिता एवं जनसंचार) ३५/४१६
असिर प्रोफेसर (स्वारथ्य विज्ञान) विशेष आमंत्रित ३५/४१६

बैठक में विद्याशाखा के अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं संस्तुत निम्न बिन्दु प्रत्युत किए गये:-

- डिप्लोमा इन फोटोग्राफी (DIP) के निर्मित एवं संशोधित पाठ्यक्रम जिन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में SLM का निर्माण कर संचालित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार।

स्कूल बोर्ड द्वारा उक्त पाठ्यक्रम पर सम्यक विचार विमर्श के उपरान्त इसे संचालित किए जाने की संस्तुति की गई।

- अध्ययन बोर्ड द्वारा B.A. Yoga एवं M.A.Yoga के निर्मित पाठ्यक्रम जिनका SLM निर्मित कर संचालित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार।

अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार विमर्श हुआ। सम्यक विचारोपरान्त रकूल बोर्ड द्वारा योग में बी.ए. तथा एम.ए. कार्यक्रम को संचालित किए जाने की संस्तुति की गई।

डॉ० आर.पी.एस.यादव

डॉ० रुधि बाजपेई

डॉ० साधना श्रीवारस्तव

डॉ० मीरा पाल

डिप्लोमा इन फोटोग्राफी (डी० आई० पी०) Diploma in Photography (DIP)

कार्यक्रम कोड / 603
Programme Code

कार्यक्रम का माध्यम / हिन्दी / Hindi / अंग्रेजी / English
Medium of instruction

प्रवेश देते न्यूनतम अहेता / 10 +2
Minimum Qualification
for Admission

कार्यक्रम की अवधि (वर्षों में)
Program Duration (in yrs.)

न्यूनतम : 1 अधिकतम : 3
Minimum: 1 Maximum: 3

कार्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष : 4500/-
Programme Fee Per year.

अधिन्यास कार्य /: आवश्यक नहीं / No Essential
Assignment Work

Course Code and Details

Year	Paper No.	Course Code	Title of the Course	Credits
One Year Course	742	DIP -01	Fundamentals of Photography	8
	743	DIP -02	Principles of Photography	8
	744	DIP -03	Digital Photo Editing	8
	745	DIP -04	Digital Photography	8
	746	DIP -05(P)	Project Work and Viva Voce	8
Total Credits				40

By _____
Collage _____
RJ 30.8.16
FBI 8/116

DIPLOMA IN PHOTOGRAPHY

Paper 01 – Fundamentals of Photography

Block-01 Development of Photography

- Unit -01 What is Photography?: Light: How Images are Formed - Meaning.
- Unit-02 Elements and Principles - Visual Language
- Unit-03 Composition of Photography-Subject and Light
- Unit-04 Understanding Light: Natural and Artificial

Block-02 Tools and Techniques of Photography

- Unit-01 Cameras and Kits;
- Unit-02 Lighting: Principles and Equipment
- Unit-03 Photographic rolls/Films
- Unit-04 Photo Developing and Printing

Block-03 Camera and Lenses

- Unit-01 Types of Cameras: Camera obscure, pin hole camera, compact camera, view camera, range finder and reflex camera
- Unit-02 SLR, TLR, DSLR
- Unit-03 Lens - their Types and Functions
- Unit-04 Photo accessories.

Paper 02- Principles of Photography

Block -4 Elements of Camera and Photo

- Unit-01 Types of Shots: ECU, CU, MS, MCU, MLS, LS, ELS
- Unit-02 focus: Focusing techniques, Shallow focus, Rack focus
- Unit-03 Shutter speed: Use of Shutter speed in photography
- Unit-04 Aperture: F Stop and its impact on photographs

Block-05 Films, Type and Imaging Device

- Unit-01 Image Censors, CCD, CMOS. Alternative Censor Technology
- Unit-02 ND filter, UV filter, polarizing filter,
- Unit-03 Diffusion: Natural diffusion and artificial diffusion of lights
- Unit-04 Film - Types and Functions- accessories

Block-06 Photographing people and Nature

- Unit-01 Vertical and Horizontal Framing
- Unit-02 Portrait, Group Photography
- Unit-03 Wild life, Nature and landscapes
- Unit-04 Disaster, Social photography Night photography

Signature By Shivam
Date 30.8.16 Page No. 302 12/11

Paper 03- Digital Photo Editing

Block-07 Basic of Photo editing

- Unit-01 Digital Photo Editing: Photoshop tools and techniques
- Unit-02 The Tools palette, Selecting, cutting & pasting.
- Unit-03 Levels and Contrast
- Unit-04 Introduction to the retouching tools: clone tool, airbrush, paintbrush, Smudge & blur, Modes, curves, color picker, color palette, filters etc.

Block -08 Photo-Journalism

- Unit-01 Photo-Essays, Photo Caption, -Photo Features; Practical's.
- Unit-02 Qualities Essential for Photo Journalism;
- Unit-03 Picture Magazines - Colour Photography; Impact of Technology,
- Unit-04 Field Assignments, Covering News, Features, Sports, Politics & Contemporary Issues, Controversial Pictures & Ethical Discussions

Block-09 Digital Imaging System

- Unit-01 Computers and accessories
- Unit-02 Image output and Display
- Unit-03 Digital Printing technique
- Unit-04 Film processing and Digital Color printing

Paper 04 –Digital Photography

Block -10 Equipment for Digital Photography

- Unit-01 Digital Photography
- Unit-02 Mark IV full frame digital Camera and other accessories.
- Unit-03 Fast Lens, Optical Zoom Vs Digital Zoom.
- Unit-04 Lights for digital photography

Block-11 Digital Image Editing and Marketing

- Unit-01 Computer Basics, Software used for picture Editing
- Unit-02 Special Effects
- Unit-03 Loading and editing pictures
- Unit-04 Opportunities in Digital Photography

Block-12 Video-graphy and Cinematography

- Unit-01 An introduction to video Cameras
- Unit-02 Basics of Video recording and editing
- Unit-03 Introduction to Cinematography
- Unit-04 Fundamentals of Cinematography

5
Sudhar
303
R.
2016

Paper 05- Project

Block-13 Submit a project containing practical work on any ten topics given below.
Each practical should have a set of 6 photographs at least.

1. Study the various parts of a camera
2. Study the various parts of an Enlarger.
3. Study the various types of developers
4. Study the various types of paper developers.
5. To make a contact print the given negative.
6. To make enlargements of the given negative.
7. To do table top Photography
8. To do Still Life in natural light.
9. To photograph buildings
10. A digital film (2 Minutes long)

Rey

✓

Sodha

6
30/8/16

QZ
30.8.16

योग में स्नातक (सेमेस्टर पद्धति)

B.A. in Yoga (Semester System)

कार्यक्रम कोड / Programme Code	कार्यक्रम की अवधि (वर्षों में) Program Duration (in yrs.)	: न्यूनतम : 3 अधिकतम : 5 Minimum 3 Maximum 5
कार्यक्रम का माध्यम / Medium of instruction	हिन्दी / Hindi	कार्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष : 6500/- Programme Fee Per year.
प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता / Minimum Qualification for Admission	(10 + 2)	अधिन्यास कार्य / : आवश्यक / Essential Assignment Work

योग में स्नातक (UGYO) कार्यक्रम के शिक्षार्थी को अपने कार्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर में 4-4 क्रेडिट के तीन विषय केन्द्रित अनिवार्य प्रश्नपत्रों का तथा 4-4 क्रेडिट के एक—एक अनिवार्य प्रायोगिक प्रश्नपत्रों का भी अध्ययन करना होगा। विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में 2-2 क्रेडिट के एक—एक प्रश्नपत्र का चयन करना अनिवार्य है। प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम के रूप में एक—एक नॉन क्रेडिट आधार पाठ्यक्रम तथा 2-2 क्रेडिट के एक—एक अन्य आधार पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर में चार—चार क्रेडिट के एक—एक वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम को भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। साथ ही शिक्षार्थी को अन्तिम छठे सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का एक कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी पूरा करना होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कुल 126 क्रेडिट पूर्ण करना अनिवार्य है। शिक्षार्थी को अपने कार्यक्रम अवधि के दौरान ही नॉन—क्रेडिट प्रश्नपत्रों को भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। नॉन क्रेडिट प्रश्नपत्रों को पूर्ण न करने की दशा में शिक्षार्थी का पाठ्यक्रम पूरा नहीं माना जायेगा तथा उसे उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी।

पाठ्यक्रम कोड एवं विवरण

Semester	Paper No.	CourseCode/ पाठ्यक्रम कोड	Title Course/पाठ्यक्रम का शीर्षक	Credits/ क्रेडिट	Compulsory/ Elective
Compulsory Core Course					
First Semester		UGYO-01	योग के आधार भूत तत्व	4	अनिवार्य
		UGYO-02	हठयोग के मौलिक सिद्धान्त	4	
		UGYO-HN-1.2	गानव शरीर क्रिया विज्ञान एवं पोषण : परिचय	4	
		UGYO-P1	प्रायोगिक कार्य	4	
Discipline Centric Elective Course					
		UGYO-E1 Or UGYO-E2	योग एवं मानवीय उत्कृष्टता अथवा योग एवं योगी	2 2	वैकल्पिक
Compulsory foundation Course					
		UGFODL AOCHI	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में आधार पाठ्यक्रम गानव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम	नॉन क्रेडिट 2	अनिवार्य

३०५

*Br Sadbhav
30.6.11*

३०५

Second Semester	Compulsory Core Course			
	UGYO-4	प्रमुख उपनिषदों के सार-तत्त्व	4	अनिवार्य
	UGYO-5	पतंजलि योग दर्शन	4	
	UGYO-6	अनुप्रयोगात्मक शारीर क्रिया विज्ञान	4	
	UGYO-P2	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course			
	UGYO-E3	आधारभूत मनोविज्ञान	2	वैकल्पिक
	Or UGYO-HN-3.4	अथवा उच्चतर चिकित्साकीय पोषण	2	
Elective Foundation Course (Select Any One)				
	AOCNC	समुदाय एवं पोषण में आधार पाठ्यक्रम	4	वैकल्पिक
	or	अथवा		
	UGFIT	सूचना प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम	4	
	Or	अथवा		
	UGYO TS- 05	पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पर्यटन	4	

Credits of Second Semester

22

Third Semester	Compulsory Core Course			
	UGYO-7	व्यवित्तव विकास हेतु भगवद्गीता का सार -तत्त्व	4	अनिवार्य
	UGYO-8	योग एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्य	4	
	UGYO-9	योग की शिक्षण विधि	4	
	UGYO-P3	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course			
	UGYO HT-01	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान के आधारभूत तत्त्व	2	वैकल्पिक
	Or UGYO-E5	अथवा संस्कृत के आधार भूत तत्त्व	2	
Compulsory Foundation Course				
	CHEQ/ EA	पर्यावरण जागरूकता में आधारभूत पाठ्यक्रम	नॉन क्रेडिट	अनिवार्य
	UGYO EN-03	अंग्रेजी में सम्प्रेषण कौशल	2	

Credits of Third Semester

20

Fourth Semester	Compulsory Core Course			
	UGYO-10	योग की चतुर्विधाएँ	4	अनिवार्य
	UGYO-11	भारतीय दर्शन के सिद्धान्त	4	
	UGYO-12	योग चिकित्सा के आधार तत्त्व	4	
	UGYO-P4	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course			
	UGYO-E6	आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त	2	वैकल्पिक
	Or UGYO-E7	अथवा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ	2	
Elective Foundation Course (Select Any One)				
	UGYO PH-02	समाज दर्शन	4	वैकल्पिक
	Or UGYO SPH-02	अथवा आध्यात्मिक पर्यटन एवं धार्मिक संस्कृतियों का परिचय	4	

३५

3
30.8.16
30.2.16
Sadhguru
30.8.16
30.2.16

	Or UGYO SPH-03	अथवा दर्शनशास्त्र का शास्ति की अनुगूति में योगदान	Or 4	
			22	
Credits of Fourth Semester				
Fifth Semester	Compulsory Core Course UGYO-13 UGYO-14 UGYO-15 Or UGYO-P5	भारतीय संस्कृति के आधार योग एवं मानव चेतना जीवन शैली जनित समस्याओं में योग प्रबन्धन प्रायोगिक कार्य	4 4 4 4	अनिवार्य
	Discipline Centric Elective Course UGYO-E8 Or UGYO-E9	प्राकृतिक चिकित्सा अथवा मर्म चिकित्सा	2 2	वैकल्पिक
	Compulsory Foundation course DM UGYO WED-01	आपदा प्रबन्धन में आधार पाठ्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं विकास में आधार पाठ्यक्रम	2	नॉन क्रेडिट अनिवार्य
Credits of Fifth Semester			20	
Six Semester	Compulsory Core Course UGYO-16 UGYO-17 UGYO-18 UGYO-P6	सामान्य समस्याओं हेतु योग चिकित्सा साखियाँकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग अनुप्रयोगात्मक योग प्रायोगिक कार्य	4 4 4 4	अनिवार्य
	Discipline Centric Elective Course UGYO-E10 Or UGYO-E11	योग एवं व्यवित्तत्व विकास अथवा योग प्रशिक्षण की विभिन्न विधिया एवं (व्यवित्तगत, सामूहिक, शिविर)	2 2	वैकल्पिक
	Skill Based Open Elective Course UGSYO-01/ UGH SPH-04 Or UGSYO-02/ DHEEN-02 Or UGSYO-03/ PGDVGCC-04	व्यावहारिक दर्शन एवं व्यावसायिक नैतिकता अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं रखच्छता अथवा परामर्श प्रक्रिया एवं कौशल	4 4 4 4	वैकल्पिक
Credits of Six Semester			22	
Total Credits			126	

(3)
 R.R. 30.8.16
 30.8.16
 30.8.16
 30.8.16
 30.8.16

योग में परास्नातक (सेमेस्टर पद्धति)

M.A. in Yoga (Semester System)

कार्यक्रम कोड / Programme Code	कार्यक्रम की अवधि (वर्षों में) Program Duration (in yrs.)	: न्यूनतम : 2 अधिकातम : 4 Minimum 2 Maximum 4
कार्यक्रम का गालियम / Medium of instruction	हिन्दी / Hindi	कार्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष : 8500/- Programme Fee Per year.
प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता / Minimum Qualification for Admission	स्नातक (3 वर्षीय) Three year Bachelor Degree	अधिन्यास कार्य /: आवश्यक / Essential Assignment Work

योग में परास्नातक (MAYO) कार्यक्रम के शिक्षार्थी को अपने कार्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर में 06-06 क्रेडिट के दो विषय केन्द्रित अनिवार्य प्रश्न-पत्रों का तथा द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में 04-04 क्रेडिट के एक-एक अनिवार्य प्रयोगात्मक प्रश्नपत्रों का भी अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में 06-06 क्रेडिट के एक-एक विषय केन्द्रित वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों का तथा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में 06-06 क्रेडिट के एक-एक अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक प्रश्नपत्रों का चयन कर अध्ययन करना होगा। इसके साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर में नॉन क्रेडिट अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा। प्रथम एवं चतुर्थ सेमेस्टर में 18-18 क्रेडिट को तथा द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में 22-22 क्रेडिट को पूर्ण करते हुए कल 80 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। नॉन क्रेडिट अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम को भी कार्यक्रम की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। 80 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को तथा नॉन क्रेडिट आधार पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना कार्यक्रम को पूर्ण नहीं माना जाएगा तथा शिक्षार्थी को किसी भी दशा में उपाधि प्रदान नहीं की जायेगी।

पाठ्यक्रम कोड एवं विवरण

Semester/ सेमेस्टर	Paper No./ पेपर नं	Course Code/पाठ्यक्रम कोड	Title Course/पाठ्यक्रम का शीर्षक	Credits/ क्रेडिट	Compulsory /Elective अनिवार्य / वैकल्पिक
First Semester	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम	MAYO-01	योग के आधारभूत तत्त्व	6	अनिवार्य
		MAYO-02	मानव जीवन विज्ञान एवं योग	6	
	Open Elective Course (Other Disciplines)/ अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम	MAYO-PHI-06	धर्म दर्शन	6	वैकल्पिक
		Or	अथवा		
		MAYO-HIN-5.1	रामायानिक पोषण	6	
प्रथम सेमेस्टर का कुल क्रेडिट				18	
Second Semester	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम	MAYO-03	व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग	6	अनिवार्य
		MAYO-04	भारतीय दर्शन	6	
		MAYO-P1	प्रायोगिक कार्य	4	

३०४
२५.१२.१६
२५.१२.१६
२५.१२.१६
२५.१२.१६
२५.१२.१६
२५.१२.१६

	Discipline Centric Elective Course / विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम		
	MAYO-05 योग में अनुरांधान विधिया एवं साखियकी	6	वैकल्पिक
	Or अथवा		
	MAYO-06 योग एवं रवारथ्य	6	
द्वितीय सेमेस्टर कुल क्रेडिट		22	
Third Semester	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम		
	MAYO-07 हठयोग के सिद्धान्त	6	अनिवार्य
	MAYO-08 पतंजलि योग सूत्र	6	
	MAYO-P2 प्रायोगिक कार्य	4	
	Open Elective Course (Other Disciplines)/अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम		
	MAYO HN-3.1 सार्वजनिक रवारथ्य एवं रोग विज्ञान	6	वैकल्पिक
	Or अथवा		
	MAYO FN-4.5 रवारथ्य एवं आरोग्य हेतु आहार प्रबंधन	6	
तृतीय सेमेस्टर कुल क्रेडिट		22	
Fourth Semester	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम		
	MAYO-09 प्राकृतिक चिकित्सा	6	अनिवार्य
	MAYO-10 लघुशोध प्रबन्ध एवं मौखिकी	6	
	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम		
	MAYO-11 पूरक चिकित्सा पद्धति	6	वैकल्पिक
	Or अथवा		
	MAYO FN -3.2 आहारीय चिकित्सा पद्धति	6	
	Compulsory Foundation Course		
	PGFGS गांधी विचार एवं शान्ति अध्ययन	नॉन क्रेडिट	अनिवार्य
	Or अथवा		
	PGFHR गानवाधिकार एवं कर्तव्य		
वसुर्थ सेमेस्टर कुल क्रेडिट		18	
कुल क्रेडिट		80	

३१८/१८

१८.७.२०१६

३१८/१६

३१८/१६

R
30.8.16

संपर्क - ३०


उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 शिक्षा विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की बैठक दिनांक—19/08/2016 का
 कार्यवृत्त

आज दिनांक 19/08/2016 को पूर्वाहन 11:00 बजे निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा के कक्ष में, शिक्षा विद्याशाखा के स्कूल बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे—


1. प्रो० पी. के. पाण्डेय, प्रभारी शिक्षा विद्याशाखा
2. डॉ० दिनेश सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा
3. डॉ० मुकेश कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा

सर्वप्रथम प्रो० पी. के. पाण्डेय, प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। स्वागतोपरान्त प्रो. पाण्डेय ने शिक्षा विद्याशाखा के बोर्ड (BOS)की बैठक दिनांक 17/11/2015 के कार्यवृत्त एवं शिक्षा विद्याशाखा के प्राध्यापकों की बैठक दिनांक 25.07.2016 व 12.08.2016 के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करते हुए उन पर विचार विमर्श करने का निवेदन किया। स्कूल बोर्ड के सभी सदस्यों ने उन पर गहन विचार विमर्श किया तथा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव संस्तुत किये—

- 1 अध्ययन बोर्ड (BOS), शिक्षा विद्याशाखा की बैठक दिनांक 17/11/2015 के कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किया जाता है। (संलग्नक-01)
 - 2 शिक्षा विद्याशाखा के प्राध्यापकों की बैठक दिनांक 25.07.2016 के कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किया जाता है। (संलग्नक-02)
 - 3 शिक्षा विद्याशाखा के प्राध्यापकों की बैठक दिनांक 12.08.2016 के कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किया जाता है। (संलग्नक-03)
- धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


 (प्रो० प्रदीप कुमार पाण्डेय)


 (डॉ० दिनेश सिंह)


 (डॉ० मुकेश कुमार)

शिक्षा विद्याशाखा के प्राध्यापकों की बैठक दि 025 जुलाई 2016 का कार्यवृत्त

स्थान—निदेशक कक्ष, शिक्षा विद्याशाखा

समय— अपराह्न 12.00 बजे

दिनांक—25/07/2016

उपस्थिति :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| (1) प्रो। प्रदीप कुमार पाण्डेय | (प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा) |
| (2) डॉ। जी.के. द्विवेदी | (सदस्य) |
| (3) डॉ। दिनेश सिंह | (सदस्य) |
| (4) डॉ। मुकेश कुमार | (सदस्य) |
| (5) डॉ। उपेन्द्र नाथ तिवारी | (सदस्य) |
| (6) डॉ। शैलेश कुमार यादव | (सदस्य) |

सर्वप्रथम प्रो। पी. के. पाण्डेय, प्रभारी शिक्षा विद्याशाखा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा वर्तमान सत्र में शिक्षा विद्याशाखा के तत्वाधान में आयोजित की जाने वाली कार्यशाला, सेमिनार एवं अन्य आवश्यक गुदाएँ पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निवेदन किया। सभी सदस्यों ने गहन विमर्श तथा चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न संस्तुतियाँ की—

- बी. एड. एवं बी. एड. विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम के नवीन पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रश्न पत्रों को आवंटित कोड, व्यवस्था की दृष्टि से संशोधित करने योग्य है अतः दोनों पाठ्यक्रमों के विभिन्न प्रश्नपत्रों को संशोधित कोड निमानुसार हो सकते हैं— आवंटित कोड को संशोधित करना उपयुक्त होगा। संशोधित कोड निमानुसार हो सकते हैं—

B ED ODL PROGRAMME

First Semester

Present Paper Code	Title of the Paper	Proposed Modified Paper Code
Course-01	Childhood and Growing Up	B Ed E- 01
Course-02	Contemporary India and Education	B Ed E-02
Course-09	Assessment for Learning	B Ed E-03
EPC-01	Reading and Reflecting on texts	B Ed EPC-01

Second Semester

Present Paper Code	Title of the Paper	Proposed Modified Paper Code
Course-03	Learning and Teaching	B Ed E -04
Course-04	Language across the Curriculum	B Ed E -05

311.

25/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

Course-05	Understanding Disciplines and Subjects	B Ed E -06
Course-11 A	Vocational Education and Work Education	B Ed E -21
Course-11 B	Health and Physical Education	B Ed E -22
Course-11 C	Peace Education	B Ed E -23
Course-11 D	Guidance and Counseling	B Ed E -24
EPC-02	Drama and Art in Education	B Ed EPC -02

Third Semester

Present Paper Code	Title of the Paper	Proposed Modified Paper Code
Course-10	Creating an Inclusive School	B Ed E -07
Course- 8 A	Knowledge and Curriculum- I	B Ed E -08
Course-8 B	Knowledge and Curriculum- II.	B Ed E -09
Course- 7 A/01	Pedagogy of Hindi	B Ed E- 31
Course- 7 A/02	Pedagogy of English	B Ed E -32
Course- 7 A/03	Pedagogy of Mathematics	B Ed E -33
Course- 7 A/04	Pedagogy of Biological Science	B Ed E -34
Course- 7 B/01	Pedagogy of Social Studies	B Ed E -41
Course- 7 B/02	Pedagogy of Physical Sciences	B Ed E -42
Course- 7 B/03	Pedagogy of Commerce	B Ed E- 43
Course- 7B/04	Pedagogy of Home Science	B Ed E -44
EPC-03	Understanding ICT	B Ed EPC-03

Fourth Semester

Present Paper Code	Title of the Paper	Proposed Modified Paper Code
Course-06	Gender, School and Society	B Ed E -10

312

MF
23/07/2016

21/07/2016

Graph

for 2016

28

W

EPC-04	Understanding the Self	B Ed EPC-04
	School Internship	B Ed EPC-05

B. Ed. Spl. ODL Programme

Semester I

Present Paper Code	Paper Title	Proposed Modified Paper Code
A1	Human Growth and Development	B Ed SE- 01
A2	Contemporary India and Education	B Ed SE -02
B7	Introduction to Sensory Disabilities	B Ed SE -03
B8	Introduction to Neuro Developmental Disabilities	B Ed SE -04
B9	Introduction to Locomotor and Multiple Disabilities	B Ed SE -05
E1	Cross Disability and Inclusion(Part of area B)	B Ed SE- PE01


Semester II

Present Paper Code	Paper Title	Proposed Modified Paper Code
A3	Learning Teaching and Assessment	B Ed SE- 06
A4/01	Pedagogy of Hindi Teaching	B Ed E -31
A4/02	Pedagogy of English Teaching	B Ed E -32
A4/03	Pedagogy of Maths Teaching	B Ed E -33
A4/04	Pedagogy of Biological Sciences Teaching	B Ed E -34
B6	Inclusive Education	B Ed SE -07
C12/A	Assessment and Identification of Needs(HI)	B Ed SE -71
C12/B	Assessment and Identification of Needs(VI)	B Ed SE -81
C12/C	Assessment and Identification of Needs(MR)	B Ed SE -91
E2	Disability specialization(Part of area C)	B Ed SE -PE02

Semester III

Present Paper Code	Paper Title	Proposed Modified Paper Code
A5/01	Pedagogy of Social Studies Teaching	B Ed E -41
A5/02	Pedagogy of Physical Sciences Teaching	B Ed E -42
A5/03	Pedagogy of Commerce Teaching	B Ed E -43
A5/04	Pedagogy of Home Science Teaching	B Ed E -44
C13/A	Curriculum Design Adaptation and Evaluation(HI)	B Ed SE -72
C13/B	Curriculum Design Adaptation and Evaluation(VI)	B Ed SE -82
C13/C	Curriculum Design Adaptation and Evaluation(MR)	B Ed SE -92
C14/A	Intervention and Teaching Strategies(HI)	B Ed SE -73
C14/B	Intervention and Teaching Strategies(VI)	B Ed SE -83
C14/C	Intervention and Teaching Strategies(MR)	B Ed SE -93
E3	Part II Disability Specialization (part of area C)	B Ed SE -PE03

Semester IV


 A cluster of handwritten signatures and initials in black ink, including "Copier", "313", "M/S", "P.S. 2014", "M/S 10/08/2016", and "M/S 10/08/2016". There are also some smaller, less legible markings like "313", "S/S 10/08/16", and "M/S".

Present Paper Code	Paper Title	Proposed Modified Paper Code
B10	Skill Based Optional Course (Cross Disability and Inclusion)	
B 10/A	Guidance and Counseling	B Ed SE -101
B 10/B	Childhood Care and Education	B Ed SE -102
B 10/C	Applied Behavior Analysis	B Ed SE -103
B 10/D	Community Based Rehabilitation	B Ed SE -104
B 10/E	Application of ICT in Classroom	B Ed SE -105
B 10/F	Gender and Disability	B Ed SE -106
B 10/G	Braille and Assistive Devices	B Ed SE -107
C15/A	Technology and Disability : HI	B Ed SE -74
C15/B	Technology and Education of the Visually Impaired	B Ed SE -84
C15/C	Technology and Disability : MR	B Ed SE -94
C16/A	Psycho Social and Family Issues : HI	B Ed SE -75
C16/B	Psycho Social and Family Issues : VI	B Ed SE -85
C16/C	Psycho Social and Family Issues : MR	B Ed SE -95
F1	Main Disability Special School Related area C	B Ed SE -PF01
D17	Reading and Reflecting on texts	B Ed SE -PE04
D18	Drama and Art in Education	B Ed SE -PE05

Semester V

Present Paper Code	Paper Title	Proposed Modified Paper Code
B11	Skill Based optional course (disability specialization)	
B11/A	Orientation and mobility	B Ed SE -111
B11/B	Communication Options: Oralism /Aural Rehabilitation and Auditory Approach	B Ed SE -112
B11/C	Communication Options: Manual options	B Ed SE -113
B11/D	Management of learning Disability	B Ed SE -114
B11/E	Vocation Training , Transition and Job Placement	B Ed SE -115
D19	Basic Research & Basic Statistics	B Ed SE -08
F1	Field Engagement/Internship- Main Disability Special School(Related to area C)	B Ed SE -PF02
F2	Field Engagement/Internship- Other Disability Special School(Related to area B)	B Ed SE -PF03
F3	Field Engagement/Internship- Inclusive Education(Related to area B&C)	B Ed SE -PF04

2. शिक्षा विद्याशाखा के तत्वाधान में बी. एड. एवं बी. एड. विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम के अध्ययन केन्द्रों के समन्वयको एवं परामर्शदाताओं की एक दिवसीय कार्यशाला, SLM लेखन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला तथा समसामयिक विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन इस सत्र में कराया जाना उचित होगा।

314

Bharat Singh
19/05/16

M/S
25/05/16

Rajeshwar Singh
19/05/16

M/S
25/05/16

M/S
25/05/16

M/S
25/05/16

3. बी. एड. एवं बी. एड. विशेषज्ञ शिक्षा कार्यक्रम के अध्ययन केन्द्र समन्वयको एवं परामर्शदाताओं से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन 15 से 20 नवम्बर के मध्य आयोजित कराया जा सकता है। इस कार्यशाला की आयोजन समिति निम्नानुसार प्रस्तावित है-

1 Prof. P. K. Pandey	(Director)
2 Dr. Dinesh Singh	(Co-Ordinator)
3 Dr. Mukesh Kumar	(Convener)
4 Dr. G. k. Dwivedi	(Organizing secretary)
5 Dr. Ranjana Shrivastava	(Co-Organizing secretary)
6 Dr. U.N. Tiwari	(Member)
7 Dr. S.K. Yadav	(Member)

4. SLM लेखको हेतु SLM Writing पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक-10 से 15 दिसम्बर 2016 के मध्य कराया जा सकता है। आयोजन समिति निम्नानुसार प्रस्तावित है-

1 Prof. P. K. Pandey	(Director)
2 Dr. Mukesh Kumar	(Co-Ordinator)
3 Dr. G. k. Dwivedi	(Convener)
4 Dr. Dinesh Singh	(Organizing secretary)
5 Dr. U.N. Tiwari	(Co-Organizing secretary)
6 Dr. Ranjana Shrivastava	(Member)
7 Dr. S.K. Yadav	(Member)

5. शिक्षा विद्याशाखा के तत्वाधान में Evolving Educational Policy : Concerns for Higher Education विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक-18 एवं 19 फरवरी 2017 को किया जा सकता है। आयोजन समिति निम्नानुसार प्रस्तावित है-

1 Prof. P. K. Pandey	(Director)
2 Dr. G. k. Dwivedi	(Co-Ordinator)
3 Dr. Dinesh Singh	(Convener)
4 Dr. Mukesh Kumar	(Organizing secretary)
5 Dr. S.K. Yadav	(Co-Organizing secretary)
6 Dr. Ranjana Shrivastava	(Member)
7 Dr. U.N. Tiwari	(Member)

6. कार्यशालाओं एवं सेमिनार के विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तावित आयोजन समिति के Organizing secretary द्वारा Convener के सहयोग से एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

प्रो० १ प्रदीप कुमार पाण्डेय

डॉ० (जी.के. द्विवेदी)

डॉ० (दिनेश सिंह)

डॉ० (मुकेश कुमार)

डॉ० (उपेन्द्र नाथ तिवारी)

डॉ० (शैलेश कुमार शांदव)

Shashi

शिक्षा विद्याशाखा के प्राध्यापकों की बैठक दि 12 अगस्त 2016 का कार्यवृत्त

स्थान—निदेशक कक्ष, शिक्षा विद्याशाखा।

दिनांक—12/8/2016

समय— अपराह्न 11.30 बजे

उपस्थिति :

- (1) प्रो० प्रदीप कुमार पाण्डेय (प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा)
- (2) डॉ० जी.के. द्विवेदी (सदस्य)
- (3) डॉ० दिनेश सिंह (सदस्य)
- (4) डॉ० उपेन्द्र नाथ तिवारी (सदस्य)
- (5) डॉ० शैलेश कुमार यादव (सदस्य)

सर्वप्रथम प्रो. पी. के. पाण्डेय, प्रभारी शिक्षा विद्याशाखा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तदोपरान्त प्रो. पाण्डेय ने एम.ए. शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए रामी सदस्यों से पाठ्यक्रम संरचना व विभिन्न प्रश्न पत्रों के विषय में विचार—विमर्श करने का अनुरोध किया। उन्होंने विशेष कर विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम में MAED-13 परियोजना कार्य (लघुशोध प्रबन्ध) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कहा कि उक्त प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना आख्या (लघुशोध प्रबन्ध आख्या) निम्न रत्तीय प्रस्तुत किये जा रहे हैं। कुछ रिस्टर्टियों में एक ही विषय पर एक से अधिक विद्यार्थियों द्वारा एक जैसे ही लघुशोध प्रबन्ध/परियोजना कार्य मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

अतः इस प्रश्न पत्र पर विशेष रूप पर विचार करने की आवश्यकता है। सभी सदस्यों ने MAED (एम.ए.शिक्षा शास्त्र) के पाठ्यक्रम पर गहन विचार विमर्श किया तथा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव संरक्षित किये-

1. एम.ए. शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम उपयुक्त है फिलहाल इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।
 2. परन्तु विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक प्रश्न पत्र MAED-13 परियोजना कार्य (लघुशोध प्रबन्ध) की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आगामी सत्र (2017-18) से प्रवेश विवरणिका में स्पष्ट उल्लेख करते हुए निम्न प्रावधान किया जाना उपयुक्त होगा।
 3. MA शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत MAED-13 परियोजना कार्य (लघुशोध प्रबन्ध) प्रश्न पत्र को चयनित करने वाले विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के अधिकतम 6 सप्ताह के अन्दर अपने परियोजना कार्य (निर्देशक/पर्यवेक्षक (लघुशोध निर्देशक/परिवेक्षक) का नाम एवं परियोजना कार्य के शीर्षक (लघुशोध कार्य के शीर्षक) को अपने अध्ययन केन्द्र के माध्यम से शिक्षा विद्याशाखा उ. प्र. राजपर्फ टाउन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना होगा। प्राप्त परियोजना (लघुशोध) शीर्षक व पर्यवेक्षक पर स्कूल बोर्ड, द्वारा स्वीकृति, अखीकृति या संशोधन आदि के निर्णयानुसार ही विद्यार्थियों को कार्य करना होगा। उक्त के अभाव में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत परियोजना कार्य (लघुशोध प्रबन्ध) रखीकार नहीं किया जायेगा।”
- धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

प्रो० (प्रदीप कुमार पाण्डेय)

डॉ० (जी.के. द्विवेदी)

डॉ० (दिनेश सिंह)

डॉ० (उपेन्द्र नाथ तिवारी)

३१६

डॉ० (शैलेश कुमार यादव)

३१६

१९८०/११

**शिक्षा विद्याशाखा अध्ययन बोर्ड (BOS) की बैठक दिनांक 17.11.2015 का
कार्यवृत्त**

स्थान: शिक्षण कक्ष, शिक्षा विद्याशाखा
शैक्षणिक परिसर
उपरी राजपथ दफ़ना युवति विश्वविद्यालय
इलाहाबाद




समय: प्रातः 11:00 बजे

उपस्थिति

01. प्रो० एस०पी० गुप्ता	अध्यक्ष
02. डॉ० वी०क० पाण्डेय	सदस्य
03. डॉ० दिनेश सिंह	सदस्य
04. डॉ० युक्तेश कुगार	सदस्य
05. प्रो० विद्या अग्रवाल	सदस्य
06. प्रो० प्रतिभा उपाध्याय	सदस्य
07. डॉ० नीता मिश्रा	सदस्य
08. डॉ० कमलेश तिवारी	सदस्य

कार्यवृत्त


बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रो० एस०पी० गुप्ता ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का रवानगत किया तथा
संचालन की शुभकामनायें दी। तदोपरान्त एन०सी०टी०इ० के पाठ्यक्रम सम्बन्धी दिशा निर्देश
2015, आर०सी०आई० के पाठ्यक्रम सम्बन्धी दिशा निर्देश 2015 व री०बी०सी०एस० के अनुरूप
विश्वविद्यालय द्वारा बी०ए० (शिक्षाशास्त्र) तथा एग०ए० (शिक्षाशास्त्र) के निर्धारित नवीन प्रश्नपत्रों
को प्रस्तुत किया। प्रो० गुप्ता ने शिक्षा विद्याशाखा द्वारा सामन्घित दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार
विभिन्न प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रमों के छापट को भी प्रस्तुत किया गया तथा सभी सदस्यों से उपरोक्त
दिशा निर्देशों के अनुरूप बी०ए० के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सत्रों के विभिन्न प्रश्नपत्रों के
पाठ्यक्रम निर्धारण, बी०ए० विशिष्ट शिक्षा के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सत्रों व
री०बी०सी०एस० के अनुरूप बी०ए० (शिक्षाशास्त्र) तथा एग०ए० (शिक्षाशास्त्र) के नवीन प्रश्नपत्रों के
पाठ्यक्रम निर्धारण तेजु विवार विमर्श करने का निवेदन किया। साथ ही पाठ्यक्रमवार लेखकों के
नामों पर की विवार विमर्श करने का अनुरोध किया। सभी सदस्यों ने गहन विवार विमर्श के द्वारा
प्रत्यापित दृष्टियों में आवश्यक सोचधारा किये एवं बी०ए० के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सत्रों के
विभिन्न प्रश्नपत्रों, बी०ए० (विशिष्ट शिक्षा) के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सत्रों के विभिन्न

प्रश्नपत्रों बी0ए० व एग0ए० शिक्षाशास्त्र के नवीन प्रश्नपत्रों के पाठ्यविवरणों (Syllabai) के रास्ता
में सक्षमता से निम्न प्रस्ताव रखीकृत किये

1. एग0सी0वी0ए० के दिशा-निर्देश 2015 के अनुसार बी0ए० पाठ्यक्रम के हितीय, तृतीय एवं
वर्तुल सत्रों के विभिन्न प्रश्नपत्रों के लिए संलग्नानुसार पाठ्यविवरण (Syllabai) रास्तुत
किया है। (संलग्नक 01)
2. आग0सी0आई० के दिशा-निर्देश 2015 के अनुसार बी0ए० (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम के
हितीय, तृतीय, वर्तुल एवं पंचम सत्रों के विभिन्न प्रश्नपत्रों के लिए संलग्नानुसार
पाठ्यविवरण (Syllabai) रास्तुत किया है। (संलग्नक 02)
3. सी0बी0सी0एस० के अनुरूप स्नातक (शिक्षाशास्त्र) के नवीन प्रश्नपत्रों UGSED-01, UGSED-
02, UGSED-03, UGSED-04, UGED-06, तथा परास्नातक (शिक्षाशास्त्र) के नवीन प्रश्नपत्रों
MAED-09, MAED-11, MAED-12 के लिए संलग्नानुसार पाठ्यक्रम संस्थुत किया है।
(संलग्नक 03)
4. बी0ए०, बी0ए० (विशिष्ट शिक्षा), बी0ए० व एग0ए० शिक्षाशास्त्र के संस्थुत पाठ्यविवरणों
(Syllbaies) के स्व-अध्ययन सामग्री लेखन हेतु लेखकों के नागों की संलग्नानुसार रूची
रास्तुत की है। (संलग्नक 04)


धन्यवाद ज्ञापन के राथ बैठक रामपन हुयी!



प्रो० (एस0पी० गुप्ता)



डॉ० (पी०क० पाण्डेय)


डॉ० (दिनेश सिंह)


डॉ० (नूरकौश गुप्ता)


प्रो० (विद्या अग्रवाल)


प्रो० (प्रतिमा उपाध्याय)


डॉ० (नीता मिश्रा)


डॉ० (कलालेश तिवारी)

STRUCTURE OF B ED ODL PROGRAMME

First Semester

	S.No.	Course Code	Title Course	Credits	Marks
Theory	1	Course-01	Childhood and Growing Up	8	100
	2	Course-02	Contemporary India and Education	8	100
	3	Course-09	Assessment for Learning	8	100
Practical	4	EPC-01	Reading and Reflecting on Texts	4	50
			Total	28	350

Second Semester


	S.No.	Course Code	Title Course	Credits	Marks
Theory	1	Course-03	Learning and Teaching	8	100
	2	Course-04	Language across the Curriculum	4	50
	3	Course-05	Understanding Disciplines and Subjects	4	50
	4	Optional Course (Any One) –		8	100
		Course-11 A	Vocational Education and Work Education		
		Course-11 B	Health and Physical Education		
		Course-11 C	Peace Education		
		Course-11 D	Guidance and Counseling		
	5	Course-EPC-02	Drama and Art in Education	4	50
			Total	28	350

Third Semester

	S.No.	Course Code	Title Course	Credits	Marks
Theory	1	Course-10	Creating an Inclusive School	8	100
	2	Course- 8 A	Knowledge and Curriculum- I	4	50
	3	Course-8 B	Knowledge and Curriculum- II	4	50
		<i>Pedagogy of School Subject-1 (Any One)</i>		4	50
		Course- 7 A/01	Pedagogy of Hindi		
		Course- 7 A/02	Pedagogy of English		
		Course- 7 A/03	Pedagogy of Mathematics		
		Course- 7 A/04	Pedagogy of Biological Science		
			<i>Pedagogy of School Subject-2 (Any One)</i>	4	50
		Course- 7 B/01	Pedagogy of Social Studies		
		Course- 7 B/02	Pedagogy of Physical Sciences		
		Course- 7 B/03	Pedagogy of Commerce		
		Course- 7B/04	Pedagogy of Home Science		
Practical	5	Course-EPC-03	Understanding ICT	4	50
			Total	28	350

Fourth Semester

	S.No.	Course Code	Title Course	Credits	Max Marks
Theory	1	Course-06	Gender, School and Society	4	50
	2	Course-EPC-04	Understanding the Self	4	50
	3		School Internship	20	250
			Total	28	350



 319

Second Semester

Course 3: Learning and Teaching

Credit: 08

Marks: 100

Block	Unit	Title
1 Understanding Learning	1	Learning: Concept, Nature, Types
	2	Learning Theories of Skinner and Pavlov
	3	Learning Theories of Thorndike, Kohler and Gagne
2 Factors Influencing Learning	4	Factors Influencing Learning
	5	Transfer of learning
	6	Approaches of Learning
3 Nature of Teaching	7	Teaching: Concept, Levels and Phases
	8	Teaching skills and Micro Teaching
	9	Teachers' Roles and functions in the phases of teaching
4 Approaches and strategies of Teaching	10	Learner centric approaches
	11	Teachers centric strategies
	12	Group centric approaches and strategies
5 Teaching organizing of Learning Process	13	Planning and Decision making in Teaching
	14	Issues and concerns in classroom learning
	15	Maxim of teaching, Issues of Media and Professionalism.

Course 4: Language across the Curriculum

Credit: 04

Marks: 50

Block	Unit	Title
1 Origin and Development of Language	1	Origin of Indian Language
	2	Development of Language
	3	Norms of Standard Language
2 Instructional Language	4	National and Regional Language
	5	Medium of Instruction
	6	Three Language formula
3 Understanding the Language	7	Language diversity in classroom
	8	Language Proficiency
	9	Language issues in schools
4 Skills of Language	10	Reading and Writing Skills
	11	Listening and Speaking Skills
	12	School of Writing
5 Understanding the nature of classroom interaction	13	Communication Skills in Language
	14	Classroom Interaction
	15	Use of ICT in Classroom

Course 5: Understanding Disciplines and Subjects

Credit: 04

Marks: 50

Block	Unit	Title
1 Nature and Role of Discipline Knowledge	1	Nature of Disciplines
	2	Role of Disciplines in Knowledge Development
	3	Paradigm shift in Disciplines
2 Analysis of School curriculum in Languages	4	Salient features of School Curriculum in Languages
	5	Methods of Languages
	6	Relevance of Languages in School Curriculum
3 Analysis of School curriculum in Social Sciences	7	Salient features of School Curriculum in Social Sciences
	8	Methods of Social Sciences
	9	Relevance of Social Sciences in School Curriculum
4 Analysis of School curriculum in Sciences	10	Salient features of School Curriculum in Sciences
	11	Methods of Sciences
	12	Relevance of Sciences in School Curriculum
5 Analysis of School curriculum in Mathematics	13	Salient features of School Curriculum in Mathematics
	14	Methods of Mathematics
	15	Relevance of Mathematics in School Curriculum

Dr. S. V. Venkata

*320
M/S 17/11/15
Biju and
Rajeshwar
SN*

Course 11(A): Vocational and Work Education **Credit: 08** **Marks: 100**

Block	Unit	Title
1 Vocational Education	1	Vocational Education: Nature, Relevance and Types
	2	Scope and Need for Vocational Education
	3	Agencies for Vocational Education
2 Work Education	4	Nature of work Education
	5	Principles of Work Education
	6	SUPW
3 Vocational and Work Education	7	Identification of Vocation and Work
	8	Selection of Vocation and Work
	9	Follow up
4 Role of School in vocational & work Education	10	Career Information
	11	Career Guidance
	12	Training for Special Groups
5 Recent trends of Vocational and work education	13	Role of other Agencies
	14	Employment Bureau/Schemes of self employment/ Placement Services
	15	Recent trends of Vocation and Work Education

Course 11 (B): Health and Physical Education **Credit: 08** **Marks: 100**


Block	Unit	Title
1 Health and Hygiene	1	Health: Meaning, Types and Factors Influencing Health
	2	Health Indicators and Technique
	3	Hygiene: Meaning, Scope and Importance
2 Health Education	4	Health Education: Meaning, Scope and Need
	5	Objectives and Curriculum of Health Education
	6	Methods and Techniques of Health Education
3 Food and Nutrition	7	Health and Nutrition
	8	Diet Therapy
	9	Advanced Nutrition, Recommended, Dietary Allowances
4 Health services	10	Public health: Nature, scope, Significance and Types
	11	Community Nutrition
	12	Health Programmes- Prevention from Community Diseases
5 Physical Education	13	Physical Exercise in Schools
	14	Meditation & Yogic Asanas
	15	Martial Arts

Course 11 (C): Peace Education **Credit: 08** **Marks: 100**

Block	Unit	Title
1 Concept and Relevance of Peace Education	1	Peace Education: Meaning, Relevance and Significance of Peace Education
	2	Historical Perspective of Peace Education
	3	Indian Perspective in Peace Education
2 Dangers to Social Security	4	Terrorism, Wars and Naxalism
	5	Natural Calamities
	6	Promotion of Peace for Social Security
3 Education for Peace	7	Meaning and Concept of Difference in Education for Peace
	8	Strategies for Education for Peace
	9	International Efforts for Peace Education
4 Role of teacher in Education for Peace	10	Role of Teacher in the Context of Education for Peace
	11	Need for sensitizing learner for peace
	12	Role of Media in Peace Education
5 Major issues in Education for Peace	13	Legal aspects of Peace Education
	14	Factors influencing Education for Peace
	15	Training of Teachers for Education for Peace

*Q. Jh
A/ 17/11/15
B/ 17/11/15
C/ 17/11/15
D/ 17/11/15
E/ 17/11/15
F/ 17/11/15
G/ 17/11/15
H/ 17/11/15
I/ 17/11/15
J/ 17/11/15
K/ 17/11/15
L/ 17/11/15
M/ 17/11/15
N/ 17/11/15
O/ 17/11/15
P/ 17/11/15
Q/ 17/11/15
R/ 17/11/15
S/ 17/11/15
T/ 17/11/15
U/ 17/11/15
V/ 17/11/15
W/ 17/11/15
X/ 17/11/15
Y/ 17/11/15
Z/ 17/11/15*

Block	Unit	Title
1 Nature and Scope of Guidance	1	Guidance; Meaning, Scope, Need and Significance
	2	Psychological Basis of Guidance
	3	Models of Guidance
2 Types of Guidance	4	Personal Guidance
	5	Vocational Guidance
	6	Educational Guidance
3 Basis of Counseling	7	Meaning and Approaches to counseling
	8	The Counselor
	9	Types of counseling
4 School Guidance and counseling services	10	Theories of Guidance and Counseling
	11	School Guidance and counseling services
	12	Guidance and counseling at various stages of schools
5 Recent trends in guidance and counseling	13	Follow-up Services
	14	Use of ICT
	15	Guidance and Counseling for special groups

Third Semester

Course 10: Creating an Inclusive School

Credit: 08

Marks: 100

Block	Unit	Title
1 Introduction to Inclusive Education	1	Marginalization vs Inclusive Education, Segregation and Integrations
2 Policies & Frameworks	2	Principles of Inclusive Education and Diversity in Classroom
Facilitating Inclusive Education	3	Barriers to inclusive Education
3 Adaptations, Accommodations and Modifications	4	Universal Declaration of Human Rights
4 Inclusive Academic Instructions	5	International Conventions and Frameworks
5 Supports and Collaborations for Inclusive Education	6	National policies, Programmes, Acts and Commission
	7	Meaning, Difference, Needs and Steps
	8	Children with Sensory, Neuro-developmental, Loco Motor & Multiple Disabilities
	9	Gifted Children
	10	Universal Design for learning
	11	Differentiated and Peer Mediated instructions
	12	ICT for instructions
	13	Stakeholders of Inclusive Education, Advocacy & Leadership for Inclusion
	14	Family & Community support involvement for Inclusion
	15	Resource Mobilization for Inclusive Education

Course: 8 A : Knowledge and Curriculum- I

Credit: 04

Marks: 50

Block	Unit	Title
1 Understanding the Knowledge	1	Knowledge- Concept, Nature and its Kinds
2 Philosophical Perspective of Knowledge	2	Sources of Knowledge
3 Construction of Knowledge	3	Methods of obtaining Knowledge
4 Education and Knowledge	4	Metaphysics - Meaning, Concepts and its Implication in Education
5 Knowledge and Power	5	Epistemology - Meaning, Concepts and its Implication in Education
	6	Axiology - Meaning, Concepts and its Implication in Education
	7	Paradigm Shift of Knowledge
	8	Knowledge and Pedagogy: Constructivist, Alternative and Blended
	9	Construction process of Knowledge
	10	The Four Pillars of Education (Delores Commission Report)
	11	Futurology of Education
	12	Creators of Knowledge
	13	Sociological Perspective of Knowledge
	14	Inclusion and Exclusion of Knowledge of Different Social Groups in Curriculum
	15	Role of Education to Remove Diversities

Course: 8 B : Knowledge and Curriculum- II

Credit: 04

Marks: 50

Block	Unit	Title
1 Curriculum and Related Concepts	1	Curriculum: Meaning, Nature, Need and Types
2 Critical Appraisal of Curriculum	2	Differences between (i) Curriculum, Syllabus and Content (ii) Teaching and Instruction (iii) Text Books and Reference Books (iv) Supplementary Books and Work Books
3 Curriculum Planning	3	Curriculum Determinants
4 Curriculum Engagement and Transduction	4	National Curriculum Framework- 2005 (NCF 2005)
5 Curriculum Evaluation and Research	5	National Curriculum Framework for Teacher Education-2009 (NCFTTE 2009)
	6	International Consideration for Curriculum Development
	7	Curriculum Planning: Concept, Need and Objectives
	8	Approaches of Curriculum
	9	Models of Curriculum
	10	Role of School philosophy for Curriculum Engagement
	11	Infrastructural Support and Curriculum Engagement
	12	Curriculum Transduction
	13	Curriculum Evaluation
	14	Contemporary Issues of Curriculum
	15	Research in Curriculum

Gr. 8

✓

MF

323
17/11/15

Venmal
S171115

Depdemy
Muty

Course: 7 A-4 Pedagogy of Biological Science**Credits: 04****Marx: 50**

Block	Unit	Title
1 Foundations of Biological Sciences	1	Nature of Biological Sciences
	2	Learning of Biological Sciences, Psychology of Learning and Teaching of Biological Sciences, Constructivism and Enactivism
	3	Curriculum Reforms; Aims and objectives of Teaching Biological Sciences
	4	Teaching of Biological Sciences Concepts
	5	Learning by Exposition and Learning by Discovery
	6	Learning Biological Sciences in Groups, Group Work and Cooperative or Collaborative Strategies
	7	Co-Curricular and Non Formal Approaches in Biological Science Learning
	8	Programmed Instruction in Biological Science Learning
	9	New Approaches in Biological Science Teaching
	10	Stating Measurable Objectives of Teaching, Concepts, Generalizations, Problems Solving and Project Method
	11	Construction of Test Items For Assessing of Product and Process Outcomes, Diagnostic Test and Remedial Teaching
	12	Construction of Unit Tests, Blue Print, Constructions of Question Paper
	13	Learning Resources; Meaning, Types Preparation and Utilization Of Resources
	14	Text Books, Journals, Handbooks, Students Work Books
	15	The Biological Sciences Laboratory, Biological Sciences Outside And in the Classroom

Course: 7 B-3: Pedagogy of Commerce**Credits: 04****Marx: 50**

Block	Unit	Title
1 Foundations of Commerce	1	Nature of Commerce
	2	Learning of Commerce, Psychology of Learning and Teaching of Commerce Constructivism and Enactivism
	3	Curriculum Reforms, Aims and Objectives of Teaching Commerce
	4	Teaching of Commerce Concepts
	5	Learning by Exposition and Learning by Discovery
	6	Learning Commerce in Groups, Group work and Cooperative or Collaborative Strategies
	7	Co-Curricular and Non Formal Approaches in Commerce Learning
	8	Programmed Instruction in Commerce Learning
	9	New Approach in Commerce Teaching
	10	Stating Measurable Objectives of Teaching Concepts, Generalizations, Problems Solving and Project Method.
	11	Construction of Test Items for Assessing Product and Process Outcomes, Diagnostic Test and Remedial Teaching.
	12	Construction of Unit Tests, Blue Print, Construction of Question Paper
	13	Learning Resources Meaning, Types Preparation and Utilization of Resources
	14	Text Books, Journals, Handbooks, Students Work Books
	15	Commerce Laboratory, Commerce Out side and in the Classroom

Course: 7 B-4: Pedagogy of Home Science

Credits: 04

Marx: 50

Block	Unit	Title
Block- 1 Foundations of Home Science	1	Nature of Home Science
	2	Learning of Home Science, Psychology of Learning and Teaching of Home Science, Constructivism and Enactivism
	3	Curriculum Reforms, Aims and Objective, of Teaching Home Science
Block- 2 Strategies for Teaching Home Science-I	4	Teaching of Home Science Concepts
	5	Learning by Exposition and Learning by Discovery
	6	Learning Home Science in Groups, Group Work and Cooperative or Collaborative Strategies
Block- 3 Strategies for Teaching Home Science-II	7	Co-Curricular and Non Formal Approaches in Home Science Learning
	8	Programmed Instruction in Home Science Learning
	9	New Approach in Home Science Teaching
Block- 4 Assessment of and for Home Science Learning	10	Stating Measurable Objectives of Teaching Concepts, Generalizations, Problems Solving and Project Method
	11	Construction of Test Items for Assessing Product and Process Outcomes, Diagnostic Test and Remedial Teaching
	12	Construction of Unit Tests, Blue Print, Construction of Question Paper
Block- 5 Learning Resource in Home Science	13	Learning Resources; Meaning, Types, Preparation and Utilization Of Resources
	14	Text Books, Journals, Handbooks, Students Work Books
	15	The Home Science Laboratory, Home Science Outside and in the Classroom.

Course: 7 A-3: Pedagogy of Mathematics

Credits: 04

Marx: 50

Block	Unit	Title
Block- 1 Foundations of Mathematics	1	Nature of Mathematics
	2	Learning of Mathematics, Psychology of Learning and Teaching of Mathematics Constructivism and Enactivisms
	3	Curriculum Reforms, Aims and Objectives of Teaching Mathematics
Block- 2 Strategies for Teaching Mathematics-I	4	Teaching of Mathematical Concepts
	5	Learning by Exposition and Learning by Discovery
	6	Learning Mathematics in Groups, Group Work and Cooperative or Collaborative Strategies
Block- 3 Strategies for Teaching Mathematics-II	7	Teaching for Understanding Proof
	8	Teaching Problem Solving in Mathematics, Definition and Importance
	9	Problem Solving in Algebra and Geometry
Block- 4 Assessment of and for Mathematics Learning	10	Stating Measurable Objectives of Teaching Concepts, Generalizations, Problems Solving and Proof
	11	Construction of Test Items for Assessing Product and Process Outcomes, Diagnostic Test and Remedial Teaching
	12	Construction of Unit Tests, Blue Print, Construction of Question Paper
Block- 5 Learning Resource in Mathematics	13	Learning Resources; Meaning, Types Preparation and Utilization of Resources
	14	Text Book, Calculators, Models and Computers, Graphic Calculators
	15	The Mathematics Laboratory, Mathematics Outside and in the Classroom


 A series of handwritten signatures and initials are written across the bottom of the page. From left to right, there are several stylized signatures, some with initials like 'G', 'R', 'M', 'P', 'I', 'T', 'H', 'L', 'S', and 'J'. There is also a signature that includes the date '17/11/15' and the word 'Bengaluru'. Below these, there is a signature that appears to end with 'S.R.' and another that ends with 'J.M.T.'.

Course: 7 B-2: Pedagogy of Physical Science

Credits: 04

Marx: 50

Block	Unit	Title
1 Foundations of Physical Sciences	1	Nature of Physical Sciences
	2	Learning of Physical Sciences, Psychology of Learning and Teaching of Physical Sciences, Constructivism and Uninvolvement
	3	Curriculum Reforms; Aims and Objectives of Teaching Physical Sciences
2 Strategies for Teaching Physical Sciences -I	4	Teaching of Physical Sciences Concepts
	5	Learning by Exposition and Learning by Discovery
	6	Learning Physical Sciences in Groups, Group Work and Cooperative or Collaborative Strategies
3 Strategies for Teaching Physical Sciences -II	7	Co-Curricular and Non Formal Approaches in Physical Science Learning
	8	Programmed Instruction in Physical Science Learning
	9	New Approaches in Physical Science Teaching
4 Assessment of and for Physical Sciences Learning	10	Stating Measurable Objectives of Teaching Concepts, Generalizations, Problems Solving and Project Method
	11	Construction of Test Items for Assessing of Product and Process Outcomes, Diagnostic Test and Remedial Teaching
	12	Construction of Unit Tests, Blueprint, Test Constructions and Question Paper
5 Learning Resource in Physical Sciences	13	Learning Resources; Meaning, Types Preparation and Utilization Of Resources
	14	Text Books, Journals, Handbooks, Students Work Books
	15	The Physical Sciences Laboratory, Physical Sciences Outside and in the Classroom

Course: 7 A-1: Pedagogy of Hindi

Credits: 04

Marx: 50

Block	Unit	Title
1 हिन्दी भाषा के आधार	1	हिन्दी भाषा की प्रकृति और प्रकार्य
	2	हिन्दी भाषा की अधिगम प्रक्रिया
	3	विद्यालयी स्तर पर हिन्दी भाषा की पाठ्यक्रम एवं उसमें सुधार हिन्दी के भाषिक तत्व
2 हिन्दी भाषा शिक्षण के लिए व्यूह रचना—प्रथम	4	श्रवण एवं गौणिक अभिव्यक्ति के कौशल का विकास
	5	पठन योग्यता एवं लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास
	6	कविता शिक्षण
3 हिन्दी भाषा शिक्षण के लिए व्यूह रचना—द्वितीय	7	गद्य की अन्य विधाओं का शिक्षण
	8	व्याकरण शिक्षण
	9	गाथा सम्प्राप्ति मूल्यांकन
4 हिन्दी भाषा अधिगम का मूल्य निर्धारण	10	गाथा परीक्षण एवं परीक्षण पदों की रचना
	11	निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य
	12	अधिगम संराधन: अर्थ, प्रकार, कार्य, निर्माण एवं उपयोग
5 हिन्दी भाषा में अधिगम संसाधन	13	भाषा प्रयोगशाला और भाषा शिक्षक क्रियात्मक शोध और राष्ट्रनायन कार्य
	14	
	15	



Course: 7 A-2: Pedagogy of English

Credits: 04

Marx: 50

Block	Unit	Title
1 Foundations of English Language	1	Nature of English Language
	2	Learning of English Language
	3	Curriculum Reforms in School English Language
2 Strategies for Teaching English Language-I	4	Teaching of Listening
	5	Developing Speaking/ Oral Activities
	6	Speaking Activities and Listening Comprehensive
3 Strategies for Teaching English Language -II	7	The Reading Process and Developing Reading Skills
	8	Teaching Writing and Study Skills
	9	Teaching Grammar
4 Assessment of and for English Language Learning	10	Stating Measurable Objectives
	11	Construction of Test Items and Test
	12	Diagnosing and Remedial Work in English Language Teaching
5 Learning Resource in English Language	13	Meaning, Types, function, Preparation and Utilization of Learning Resources
	14	Text Book, Drama, Debate and Speech Programme
	15	Language Laboratory and English Language Teacher

Course: 7 B-1: Pedagogy of Social Studies

Credits: 04

Marx: 50

Block	Unit	Title
1 Foundations of Social Studies	1	Nature of Social Studies
	2	Learning of Social Studies, Psychology of Social Studies, Learning and Teaching of Social Studies, Constructivism and Enactivism
	3	Curriculum Reforms, Aims and Objectives of Teaching Social Studies
2 Strategies for Teaching Social Studies -I	4	Teaching of Social Studies Concepts
	5	Learning by Exposition and Learning by Discovery
	6	Learning Social Studies in Groups, Group Work and Cooperative or Collaborative Strategies
3 Strategies for Teaching Social Studies-II	7	Co-Curricular and Non Formal Approaches in Social Studies Learning
	8	Programmed Instruction in Social Studies Learning
	9	New Approach in Social Studies Teaching
4 Assessment of and for Social Studies	10	Stating Measurable Objectives of Teaching Concepts, Generalizations Problems Solving and Project Method
	11	Construction of Test Items for Assessing Product and Process Outcomes, Diagnostic Test and Remedial Teaching
	12	Construction of Unit Tests, Blue Print, Construction of Question Paper
5 Learning Resource in Social Studies	13	Learning Resources: Meaning, Types Preparation and Utilization Of Resources
	14	Text Books, Journals, Handbooks, Students Work Books
	15	The Social Studies Laboratory, Social Studies Out Side and in the Classroom

Arshad *17/11/15* *Wajid* *17/11/15* *Rashid* *17/11/15*

Muffy

Fourth Semester

Course: 6- Gender, School and Society

Credit: 04

Marx: 50

Block	Unit	Title of the Unit
1 Gender: Concepts and Issues	1	Concepts of Gender, Sex and Sexuality, Types of Gender
	2	Equity and Equality in Education with Respect to Gender
	3	Gender Bias: Concept, Factors and Remedies for Removing Gender Bias
2 Gender Studies: Paradigm Shift	4	Historical Perspective of Gender Studies
	5	Theories of Gender Studies
	6	Factors Influencing Paradigm Shift in Gender Studies
3 Gender, Power and Education	7	Gender Identities and Social Practices
	8	Inequalities in Education of Girls
	9	Legal Right for Women
4 Gender Issues in Curriculum	10	Gender Disparities in Curriculum
	11	Gender Equality in School: Need and strategies
	12	Committees and Commissions on Women Education
5 Woman Empowerment	13	Concept, Strategies and Issues of Women Empowerment
	14	Current Social Structure and Girls Education
	15	Role of Education and Society in Woman Empowerment

*G S R / 2
ML 17/11/15
Vijayalakshmi
Rajeshwary
SN
Vaidy*

B.Ed. ODL Practicals

First Semester

Course: EPC I: Reading and Reflecting on texts

Credit: 04

Marks: 50

Note-

All the activities will be recorded in practical files.

1. Collect two views/articles from newspapers/magazines on burning issues of education and write your comment on each collected article or views.
2. Review of any education related books or autobiography of some educationist

Second Semester

Course: EPC II: Drama and Art in Education

Credit: 04

Marks: 50

Note-

All the activities will be recorded in practical files.

1. Students will write an essay on the local culture and art forms/ famous educational T V shows
2. Prepare a report of Cultural Activities/ Visit to a art gallery, exhibition and cultural festivals

Third Semester

Course: EPC III: Understanding ICT

Credits: 04

Marks: 50

1. Understanding Basics of ICT, Basic Structure of Computer and Operating Computer
2. MS Word-Creating, Opening and Saving Documents
3. Preparation of Excel Sheets, Power Point Presentation
4. Editing and Formatting Text, Viewing and Formatting and Proofing a Documents
5. Installation of Software, Antivirus etc.
6. Data Storage
7. Use of MS Word, Excel and Access in Education
8. Using Internet
9. Computer, Networks, Distributed Processing
10. Preparation of ICT Based Teaching Aids

Fourth Semester

Course: EPC IV: Understanding the Self

Credits: 04

Marks: 50

- Workshop for Soft Skill Development
- Journal Writing
- Participation of Social Activities
- Participation in Vriksharopan and Swachhhata Abhiyan
- Visit to Rural and Slum Areas

Course: School Internship

Credits: 20

Marks: 250

- **Workshop-1 (One Week)**
Preparation of Skill Plan, Preparation Unit plan, Micro Teaching and Lesson Planning
- **Workshop-2 (One Week)**
Development of Learning Resources (Charts & Diagrams Development, Graphs and Figures Development, Models Development, Audio, Video and Audio- Video Aids, Multi Media Presentation)
- **Participation in All School Activities (60 Day)**
Morning Assembly, Attendance, School Library, Administration of Psychological Tool, Staff and Parent Meetings, Maintenance of school Records, Health Checkup and its Records, Letters to the Parents and other Organization of Sports and Games, Organization of Group Discussion / Debates / Symposium / Seminar, Cultural Activities, Construction of Question Papers, Observation of School and its Classroom, Participate in Planning, Teaching, Examination, Assessment, Evaluation, Interaction with School Teachers, Assessment of Teaching Learning Process in School and Peer Group etc.
- **Practice Teaching**
20 Lessons in Each School Subject (10 Lessons under the Supervision of Mentor in Each School Subject, 10 Lessons under the Supervision of School Principal and 05 Lessons under the Supervision of Teacher Educator).

28/3/2015
Renuka
Vigyan
mills Depdugayat
G

B. Ed. Spl. ODL
SEMESTER WISE STRUCTURE OF COURSES

Semester I

	Code	Paper Title	Credit	Marks
Theory	A1	Human Growth and Development	4	100
	A2	Contemporary India and Education	4	100
	B7	Introduction to Sensory Disabilities	2	50
	B8	Introduction to Neuro Developmental Disabilities	2	50
Practical	B9	Introduction to Locomotor and Multiple Disabilities	2	50
	E1	Cross Disability and Inclusion (Part of area-B)	2	50
	Total		16	400

Semester II

	Code	Paper Title	Credit	Marks
Theory	A3	Learning Teaching and Assessment	4	100
	A4	Pedagogy of Teaching	4	100
	B6	Inclusive Education	2	50
	C12	Assessment and Identification of Needs	4	100
Practical	E2	Disability Specialization (Part of area C)	2	50
	Total		16	400

Semester III


	Code	Paper Title	Credit	Marks
Theory	A5	Pedagogy of Teaching	4	100
	C13	Curriculum Design Adaptation and Evaluation	4	100
	C14	Intervention and Teaching Strategies	4	100
	E2	Part II Disability Specialization (Part of area C)	4	100
	Total		16	400

Semester IV

	Code	Paper Title	Credit	Marks
Theory	B10	Skill Based Optional Course (Cross Disability and Inclusion)	2	50
	C15	Technology and Disability	4	100
	C16	Psycho Social and Family Issues	2	50
	F1	Main disability special school Related area C	4	100
Practical	D17	Reading and Reflecting on texts	2	50
	D18	Drama and Art in Education	2	50
	Total		16	400

Semester V

	Code	Paper Title	Credit	Marks
Theory	B11	Skill Based optional course (disability specialization)	2	50
	D19	Basic Research & Basic Statistics	2	50
	F1	Field Engagement/Internship-Main disability special school (Related to area C)	4	100
	F2	Field Engagement/Internship-Other disability special school (Related to area B)	4	100
Practical	F3	Field Engagement/Internship Inclusive Education (Related to area B&C)	4	100
	Total		16	400



 ✓ ✓ M. S. (17/11/18) 330

B.Ed. (Spl. Ed.)

Second Semester

Course A3: Learning, Teaching and Assessment

Credit: 04

Marks: 100

Block	Unit	Title
1 Human Learning and intelligence	1	Human learning: Meaning, definition and concept formation
2 Learning process and motivation 3 Teaching learning Process 4 Overview assessment and school system 5 Assessment: Strategies and Practices	2	Learning Theories:- Behaviorism: Thorndike, Skinner .Concerns for Cognitivism and Social constructism
	3	Intelligence and Creativity:- Concept and Theories
	4	Sensation, Attention and Perception
	5	Memory and Thinking and Problem Solving
	6	Motivation: Nature and Theories
	7	Maxims and Methods of Teaching
	8	Stages and Models of Teaching
	9	Leadership and role of Teacher in classroom, School and Community
	10	Concepts in School Evaluation
	11	Taxonomy of Educational Objectives
	12	Formative and summative evaluation
	13	Strategies and Procedures
	14	Assessment of diverse learners
	15	Schools examinations

Course B6: Inclusive Education


Credit: 02

Marks: 50

Block	Unit	Title
1 Introduction to Inclusive Education	1	Marginalization vs Inclusive Education, Segregation and Integrations
2 Policies & Frameworks Facilitating Inclusive Education 3 Inclusive Academic Instructions	2	Principles of Inclusive Education and Diversity in Classroom
	3	Barriers to inclusive Education
	4	Universal Declaration of Human Rights
	5	International conventions and Frameworks
	6	National policies, Programmes, Acts and Commission
	7	Gifted Children
	8	Family & Community support involvement for Inclusion
	9	Resource Mobilization for Inclusive Education

Course C12 (VI): Assessment and Identification of Needs (Visual Impairment) Credit: 04 Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
1 Anatomy And Physiology of Human Eye	1	Structure and Function of Human Eye, Principal of Refraction & Refraction Errors
2 Types of Visual Impairment and Common Eye Disorder 3 Factors Effecting Visual Impairment 4 Identification and Assessment of Visual Impairment 5 Learning Needs of VI Children	2	Normal Vision Development
	3	Concept and Definition of Blindness and low vision
	4	Types of Visual Impairment
	5	Common Eye Disorders
	6	Educational Implication of different Eye Disorder
	7	Factors affecting Visual Impairment
	8	Effect of Visual Impairment on Growth & Development
	9	Education for VI Children
	10	Clinical Assessment of Vision
	11	Functional Assessment of Vision
	12	Tools for Psychological Assessment of VI Children
	13	Impact of Visual Impairment on Development
	14	Impact of Visual Impairment on Learning
	15	Multidisciplinary Assessment of VI Children


 C. S. / 15/11/15 / Approved / 331 / Date / 331 / Supervisor / 331 /

Course C12 (III): Assessment and Identification of Needs (Hearing Impairment) Credit: 04 Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
1 Early Identification of Hearing Loss	1	Concept and early identification hearing loss
	2	Behavioral identification
	3	Sign and Symptoms for hearing loss
2 Audiology Assessment	4	Orientation: Auditory Milestones in children (0-2 years)
	5	Assessment & Methods of Assessment
	6	Audiograms & Audiometer
3 Assessment of Language & Communication	7	Communication & Language
	8	Impact of Deafness on Communication
	9	Tools for Assessing communication and Language
4 Assessment of Speech	10	Basics of Articulation & Phonology
	11	Milestones of speech development, supra segmental aspects of speech
	12	Speech Intelligibility
5 Educational Assessment	13	Educational Assessment & its Types
	14	Tools and techniques of Educational Assessment
	15	Current Trends & Challenges in Assessment

Course C12 (MR): Assessment and Identification of Needs (Mental Impairment) Credit: 04 Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
1 Mental Retardation Nature & Needs	1	Mental Retardation: Concept, Meaning and Nature
	2	Causes and Prevention
	3	Classification, Identification and Characteristics
2 Assessment	4	Assessment: Concept, Meaning, Purpose and Types
	5	Areas of Assessment
	6	Methods of Assessment
3 Assessment at Pre School and School level	7	Importance of Assessment at pre school and school level
	8	Assessment tools for school level
	9	Documentation and its relation to inclusion
4 Assessment at Adult and Vocational Levels	10	Assessment for Transition from school to work
	11	Significance & Tools for Independent living
	12	Provision and schemes for vocational skill development
5 Assessment of Family Needs	13	Assessment of Family & parental needs
	14	Assessment to conduct advocacy and skill development programmes
	15	Assessment of family and community resources

A series of handwritten signatures and initials are written across the table rows. From left to right, they include: a stylized 'G', a signature starting with 'S', a checkmark, a signature starting with 'M', 'P', and 'T', 'Vagamal Trilis', 'Supadugal', 'S', and a signature starting with 'J'.

Third Semester

Course C-13/A: Curriculum Designing, Adaptation and Evaluation: II I Credit: 04 Marks: 100

Block	Unit	Title
1	1	Curriculum- Concepts, Types and Models
Curriculum and its Designing	2	Approaches and Steps for Curriculum Designing
	3	Curricular Needs in Scholastic and non-Scholastic Areas
2	4	Reading Skills and its Assessment
Developing Literacy Skills: Reading	5	Approaches and Strategies to Develop Reading Skills and Independent Reading
3	6	Types, Models and Challenges of Developing Reading Skills and Remedial Strategies
Developing Literacy Skills: Writing	7	Writing Skill
3	8	Components and types of writing
Writing	9	Steps, Challenges and Strategies in Developing Writing
4	10	Curricular Adaption- Meaning, Principles, Types and Process of Adaptation
Curricular Adaptation	11	Assessment and Decision Making for Adaptation
	12	Adapting Curriculum- Content, Teaching, Learning Material and Instruction
5	13	Curricular Evaluation: Concept and Need
Curricular Evaluation	14	Methods, Tools and Areas of Curricular Evaluation
	15	Challenges in Curricular Evaluation

Course C-13/B: Curriculum, Adaptation and Strategies for Teaching Expanded Curriculum; VI Credit; 04 Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Curriculum- Need and Types.
Concept and Types of Curriculum	2	Curriculum Approaches in Special Education.
	3	Curriculum Planning and Implementation
2	4	Methods and Techniques of teaching.
Teaching Functional Academics Skills	5	Techniques of teaching Braille.
	6	Braille aids and other devices for Print reading and writing.
3	7	Independent Living Skills.
Teaching of Independent Living Skills	8	Daily Living Skills and Sensory Efficiency.
	9	Techniques of Teaching social interaction skills.
4	10	Curricular Adaptation and Accommodation
Curriculum Adaptation	11	Planning of lesson for teaching and TLM.
	12	Pedagogical Strategies.
5	13	Adaptation of physical education activities
Curricular Activities	14	Creative arts for the children with visual impairment
	15	Agencies/organizations promoting- sports, culture and recreation activities

Course C-13/C: Curriculum Designing, Adaptation and Evaluation: Mental Retardation Credit: 04 Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Curriculum: Concept, Principles and Designing
Curriculum Designing	2	Domains of Curriculum
2	3	Development of Curriculum
Curriculum at Pre-school and Primary School level	4	Early Child Education and its Domains
3	5	Sensitization at Family & School
Curriculum at Secondary, Pre-vocational and Vocational Level	6	Implication of Pre-School and Primary levels
4	7	Curriculum domains at Secondary, Pre-Vocational and Vocational Level
Curricular Adaptations	8	National Skill Development Scheme (NSDS by MSJ&E)
5	9	Implications of Placement for Inclusion
Curricular Adaptations	10	Need for Curricular Adaptations, Accommodation and Modification
Curricular Evaluation	11	Adoption, Accommodation and Modification for Pre-Academic Curriculum
5	12	Academic Curriculum and Co-Curriculum
Curricular Evaluation	13	Adaptation, Accommodation and Modification for School subjects
Curricular Evaluation	14	Curricular Evaluation: Concept, Types & Approaches
Curricular Evaluation	15	Emerging Trends in Evaluation
Curricular Evaluation	15	Differential Evaluation of PWD in Inclusive Setup

On 8/8/15 for Mr. Phillips beginning
333 8/11/15 deposited by
St. Peter

Course C-14/A: Interaction and Teaching Strategies: Hearing Impairment Credit: 04 Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Parent- Infant Programme for Children with HI and Pre-school training programme
Need and Strategies for Early intervention of Hearing Loss	2	Individual Speech- Language Therapy.
2	3	Impact of early intervention and intervention of late identified children.
Auditory Learning & Speech Reading	4	Auditory listening and Auditory training
3	5	Auditory verbal therapy and role of teacher.
Speech Interaction Strategies	6	Speech reading and role of Teacher
4	7	Approaches to Teaching speech and Orientation to acoustics of speech
Communication and Language Teaching Strategies	8	Formulation of Lesson plan and Strategies for Production of Speech.
5	9	Individual and Group Speech Teaching.
Educational Intervention Strategies	10	Methods of teaching language.
	11	Principles and Techniques of Developing language.
	12	Communication options.
	13	Educational interventions.
	14	Maxims, Methods of teaching & lesson Planning
	15	Partnership of various professionals' agencies in educational intervention.

Course C-14/B: Interaction and Teaching Strategies: VI

Credit: 04

Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Intervention for latterly blinded students.
Theoretical perspective	2	Mediated teaching learning and its procedure.
2	3	Enriched teaching for concept development.
Mathematics	4	Mathematics Phobias and Conceptualization of Mathematical ideas
3	5	Mental arithmetic ability and use of tactile materials
Science	6	Evaluation procedures with special reference to the needs of children with visual impairment
4	7	Science Teaching learning materials and equipment
Social Science	8	Problem solving and learning by doing for visually impaired students
5	9	Evaluation procedure with particular reference to practical and adaptations in examination questions.
Teaching of Children with low vision	10	Techniques of preparation and presentation of adopted tactile maps, Diagrams, Globe and use of different types of models
	11	Teaching skills: Dramatization, narration, Explanation, storytelling and role play
	12	Evaluation of concepts and skills in social science with particular reference to geography
	13	Visual stimulation (concept and procedure) and selection of an appropriate medium of reading and writing
	14	Techniques and procedure for developing reading and writing skills
	15	Orientation and mobility for low vision children and classroom management

Course C-14/C: Interaction and Teaching Strategies: MR

Credit: 04

Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Early intervention: Concept and Significance.
Intervention	2	Intervention Techniques and Documentation
2	3	Implication of Early intervention for Pre-school inclusion
Individualized Education Programme	4	IEP: Need & Historical Perspective.
3	5	IEP for PWIO and associated conditions
Teaching Strategies and TLM	6	Application of IEP for Inclusion
4	7	Stages of Learning and Multi sensory approaches.
Intervention for Mal-Adoptive Behavior	8	Principles of Teaching and Teaching strategies.
5	9	Development and use of TLM for ID
Therapeutic Intervention	10	Identification of mal-adoptive behavior
	11	Functional analysis and cognitive behavior Techniques (CBT)
	12	Management of Maladaptive behavior and Ethical issues.
	13	Occupational Therapy, Physiotherapy, yoga and play therapy.
	14	Speech therapy- and hearing disorders and intervention.
	15	Therapeutic intervention: Visual and performing arts


G 20/11/18 334 M/s 11/11/18 Dated by J. S. / M/s 11/11/18 J. S.

Fourth Semester

Course C-15/A: Technology and Disability: H.I.		Credit: 04	Marks: 100
Block	Unit	Title of the Unit	
Technology for management for speech	1	Listening devices, technology and Ear moulds.	
	2	Classroom amplification devices and cochlear implant, middle Ear implant, BAHA & Auditory Brainstem implant.	
	3	Hearing aids and their care & maintenance	
	4	Computer based training aids and speech equipment.	
	5	Basic infrastructure for using computer based speech training aid/equipment	
	6	Tele speech therapy	
	7	Electronics and web based technology applications for developing teaching learning material.	
	8	Web based technology for using and training of ISI, and sign to text and text to sign technology	
	9	Augmentative and alternate communication for children with hearing impairment.	
	10	Impact of technology on Education and Changing trends in teaching & learning	
	11	Technology products for educational purpose: listening (Induction loop/FM/IR) visual (speech to text/text to speech) Audio-visual computer based learning & self learning packages, multimedia	
	12	Technology based educational services for children with hearing impairment	
	13	Government and non-government Agencies for aids and appliances	
	14	Procedure for availing funding from Different Agencies	
	15	Cost involved in maintenance of devices.	
Technology Facilitating Language and Communication			
Technology Facilitating Education			
Resource mobilization for technology			

Course C-15/B: Technology and Education of the Visually Impaired Credit: 04 Marks: 100

Block	Unit	Title of the Unit
Introducing educational and information communication Technology	1	Educational Technology- Concept and Scope of education in reference to children with visual impairment
	2	ICT- Concept and special significance for the teaching- learners of the visually impaired.
	3	Difference between educational technology and technology in education
	4	Concept, purpose and Basic considerations- Access, affordability and availability
	5	Awakening users perspectives in developing adaptive technologies
	6	Universal/Inclusive design- concept, Advantages and limitations
	7	Screen readers with special reference to Indian Languages and Braille note takers and stand-alone Reading machines
	8	Braille Translation software with particular reference to Indian Languages and Braille Embossers
	9	On line libraries, Basify Books, recordings and smart phones
	10	Mathematics devices for VI.
	11	Social science devices for VI.
	12	Low vision Devices.
	13	Social media and creation of blogs
	14	Tele-conferencing and Distance learning
	15	E-learning: Concept and adaptations for the children with VI
Adaptive Technologies		
Access to print for the visually impaired		
Assistive Technologies for the visually Impaired with reference to School subjects and low vision		
Computer- Aided Learning		



 G. S. [Signature] M. P. [Signature] 335 [Signature]

17/11/15 [Signature] Organized [Signature] by [Signature]

335 [Signature]

Course C-15/C: Technology and Disability: M.R.**Credit: 04 Marks: 100**

Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Education and instructional technology
Technology in Education and instruction	2	Approaches of Educational Technology
	3	Universal Design of learning and individualized and differential instruction.
2	4	ICT, Development and stages.
ICT	5	Psychological bases for ICT.
	6	Use of ICT in special and inclusion settings
3	7	Multimedia
Use of multimedia in Education	8	Types of instructional aids.
	9	Advantages and challenges of using multimedia
4	10	Enhancing technology friendly practices
Technology based instructions	11	Disability friendly technology.
	12	Implication of technology based instruction in inclusion
5	13	Application of Technology in lesson planning and assisting devices
Application of Technology	14	Merits and demerits of technology in instruction.
	15	Application of Technology in Instruction

Course C-16/A: Psychosocial and Family issues: HI**Credit: 02 Marks: 50**


Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Overview of psychosocial development; well being and quality of life
Psychosocial Aspects and Disability	2	Role of family and community in psychosocial development of children with hearing impairment
	3	Challenges and issues in psychosocial development of children with hearing impairment
2	4	Identifying Family needs for information, decision making, skill transfer and referral
Family Needs	5	Fostering family's acceptance of child's impairment
	6	Supporting family in raising children with hearing impairment.
3	7	Encouraging family acceptance of listening devices and ensuring its regular use.
Family Empowerment	8	Involving family in fostering and developing play, recreation and values
	9	Encouraging family involvement in educational programme

Course C-16/B: Psychosocial and Family issues: VI**Credit: 02 Marks: 50**

Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Birth of a child with visual impairment
Family of a child with visual impairment	2	Parenting styles
	3	Role of family in early stimulation, concept development and early intervention
2	4	Gender and disability
Parental Issues and concerns	5	Transition to adulthood
	6	Parent support groups and attitude of professionals in involving parents in IEP and IFSP
3	7	Concept of habilitation and rehabilitation
Rehabilitation of Children with visual impairment	8	Community Based Rehabilitation (CBR) and community participatory Rehabilitation (CPR)
	9	Legal provisions, concessions and advocacy

Course C-16/C: Psychosocial and Family issues: MR**Credit: 02 Marks: 50**

Block	Unit	Title of the Unit
1	1	Family- Concept, Definition and characteristics
Family	2	Reaction and impact of disability on family and needs of family and counseling
	3	Role of family in rehabilitation of PWID
2	4	Attitude of family, community, peer group, teachers, co-workers
Psycho-social Issues	5	Myths, Misconception and social practices
	6	Psycho-social issues
3	7	Training and involving families in the rehabilitation process and Parent professional relationship
Involving Families	8	Formation of parent self-help Group and parent associations
	9	Empowering Families



 John 336 MB 17/11/15 - Regional - Dugadhpur

Course B-10/A: Guidance & Counseling**Credit: 02****Marks: 50**

Block	Unit	Title of the Unit
1 Introduction to Guidance and Counseling	1	Guidance and Counseling: Definition, Aims, Areas
	2	Skills and Competencies of a Counselor
	3	Role of Counselor in Guiding and Counseling Students with Special Needs
2 Enhancing Self Image and Self Esteem	4	Concept of Self as Human and Understanding of Feeling and Changes
	5	Growth to Autonomy and personality Development
	6	Role of Teacher in Developing Self-Esteem in Children
3 Guidance and Counseling in Inclusive Education	7	Types of Counseling: Child-Centered, Supportive, Family and Guidance in Formal and Informal Situations
	8	Group Guidance: Group Leadership, Styles and Group Processes
	9	Challenges in Group Guidance

Course B-10/B: Childhood Care and Education**Credit: 02****Marks: 50**





Block	Unit	Title of the Unit
1 The Early Years: An Overview	1	Early Conceptual Framework of Childhood Learning & Development
	2	Sensitive Periods of Learning
	3	Theories of Development & Learning
2 Early Education of Children with Disabilities	4	Young Children at Risk & Child Tracking
	5	Interdisciplinary Assessment & Intervention Plans
	6	Curricular Activities for Development of Skills
3 Inclusive Early Childhood Educational (ECE) Practices	7	Practices for Inclusive ECE Programs
	8	Principles of Inclusive ECE Practices
	9	Collaborative Practices and School Readiness & Transitions

Course B-10/C: Applied Behavior Analysis**Credit: 02****Marks: 50**

Block	Unit	Title of the Unit
1 Introduction to Applied Behaviour Analysis (ABA)	1	ABA- Concept, Definition and Principles of Behavioural Approach
	2	Assumptions of ABA- Classical and Operant Conditioning
	3	Behaviour- Definition and Feature and assessment of Behaviour
2 Strategies for Positive Behaviour Support	4	Selection of Behavioural Goals
	5	Discrete Trial Teaching : (i)Discriminative Stimulus- Characteristics (ii) Response (iii)Prompts: Physical, Gestural, Pointing, Visual, Positional, Verbal (iv) Consequence- Characteristics (v) Inter-Trial Interval
	6	Application of ABA in Group Setting and leadership role of teacher in promoting positive behaviour
3 Management of Challenging Behaviour	7	Differential Reinforcement of Behaviour
	8	Extinction, Time out, Response Cost and Overcorrection
	9	Generalization and Fading

Course B-10/D: Community Based Rehabilitation**Credit: 02****Marks: 50**

Block	Unit	Title of the Unit
1 Introduction to Community Based Rehabilitation (CBR)	1	Concept, Definition of CBR and Principles of CBR
	2	Socio-cultural and Economic Contexts of CBR
	3	Scope and Inclusion of CBR in Government Policies and Programs
2 Preparing Community for CBR	4	Awareness Program- Types, Methods and Advocacy
	5	Focus Group Discussion and family counseling
	6	CBR and Corporate Social Responsibility
3 Preparing Persons with Disability for CBR	7	School Education: Person centered planning, and peer Group support
	8	Transition: Individual Transition plan, Development of Self determination and self management skills
	9	Community related vocational training and skill training


 Q    
 M&B 17/11/15   
 337  

Course B-10/E: Application of ICT in Classroom**Credit: 02****Marks: 50**


Block	Unit	Title of the Unit
Block -1 ICT and Special Education	1	Integrating ICT in special education
	2	Three as of ICT application- Access, Availability, Affordability
	3	Overview of WCAG (Web content Access Guidelines)
Block -2 Using Media and Computers	4	Use of media: Audio, video and audio-video aids
	5	Computer- Aided learning
	6	E-classroom
Block -3 Visualizing Technology- Supported Learning Situations	7	Use and Using Softwares
	8	Interactive use of ICT
	9	Identifying and Applying software for managing Disability

Course B-10/F: Gender and Disability**Credit: 02****Marks: 50**

Block	Unit	Title of the Unit
1 Human Rights- based Approach & Disability	1	Human Rights-based Approach: Concept, History, Principles and Advantages
	2	Elements of Human Rights System: Legal Framework, Institutions Development Policies & Programmes, Public Awareness, Civil Society
	3	Implications for Disability : (i) Empowerment (ii) Enforceability (iii) Indivisibility (iv) Participation
2 Gender and Disability	4	Gendered Experience of Disability
	5	Gender and Disability Analysis: Techniques and Strategies
	6	Psyche and Gender: Implications for Teaching
3 Woman and Girl Child with Disability	7	Inclusive Equality
	8	Teacher's role in promoting Gender Equality
	9	Gender Critique of Legislation, Government policy and schemes

Course B-10/G: Braille and Assistive Devices**Credit: 02****Marks: 50**

Block	Unit	Title of the Unit
1 Braille	1	Evolution of Braille and Continuing Relevance of Braille
	2	Abbreviations, Braille Signs and Symbols
	3	Braille Reading and Writing Processes
2 Braille Devices- Types, Description	4	Slate, stylus and Braille writer
	5	Electronics Devices
	6	Braille Embossers and Braille Translation softwares
3 Other- Devices- Types, Description, Relevance	7	Mathematical Devices, Geography Devices and Science Material
	8	Low Vision Aids- Optical, non-optical, vision training material
	9	Schemes and sources of availability


 A series of handwritten signatures and initials are written across the page. From left to right, there are several sets of initials and names, including 'Q', 'S', 'R', 'M/S 17/11/18', 'Vagnewal 17/11/18', 'Dipaknayak', 'S', and 'P'. There is also some cursive handwriting below these signatures.

Fifth Semester

Course B-11/A: Orientation and Mobility

Credit: 02

Marks: 50

Block	Unit	Title of the Unit
1 Introduction to Orientation and Mobility (O&M)	1	Orientation and Mobility- Definition, Importance and Scope
	2	Basic terminologies associated with O&M
	3	Special responsibilities of special teacher/educator with reference to O&M training
	4	Pre-Cane Skills
	5	Cane
	6	Travel Techniques and Devices
	7	Self care, and Posture
	8	Personal Grooming
	9	Etiquette, Identification of Currency and Basics of Signature writing

Course B-11/B: Communication Options: Oralism/Aural Rehabilitation and Auditory Approach Credit: 02 Marks: 50

Block	Unit	Title of the Unit
1 Understanding Hearing Loss	1	Basic Awareness on Deafness and Communicative Access
	2	Basic Awareness on Autonomy, Inclusion and Identity
	3	Importance of Natural Plasticity and Early Listening Opportunities
	4	Skill Development required for Oralism
	5	Speech Reading: Need, Role and Strategies
	6	Difference between Uni Sensory and Multi approach in Oralism
	7	Use of Oralism and AV approach in Indian Special Schools: Current Scenario Oralism/AV approach: Prerequisites for Special Schools
	8	Strategies of Implementation Oral Communication Policy
	9	Resource Mobilization for Listening Devices

Course B-11/C: Communication Options: Manual Options Credit: 02

Marks: 50


Block	Unit	Title of the Unit
1 Understanding Deafness in Real Life Context	1	Basic Awareness of Paradigms of Deafness (Medical and Social)
	2	Concerns & Challenges of Deafness, Communication and Reflections
	3	Awareness on Deafness with Reference to Culture
	4	Training and Guidance for Families and Tuning Home Environment
	5	Tuning Mainstream Schools/Classrooms for Students Using Manual Communication
	6	Practicing Natural Signing in Short Common Conversations
	7	Learning to Express Gender, Number, Person, Tense, Aspect
	8	Practicing Syntax in Conversations and Discussions
	9	Reflections on the Course : From Theory to practice

Course B-11/D: Management of Learning Disability

Credit: 02

Marks: 50

Block	Unit	Title of the Unit
1 Learning Disabilities: Types	1	Verbal and Nonverbal learning disabilities
	2	Language Disorders
	3	Emotional & Behavioral Problems
	4	Assessment of Reading, Writing and Math Skills
	5	Teacher made tests
	6	Standardize Tests: Need, Types & Purpose
	7	Language Skills
	8	Reading and Writing Skills
	9	Maths and Study Skills



 M. P. [Signature] V. Agarwal 17/11/15 Supudhyayal
 339 Jwetz

Course D-11/E: Vocational Training, Transition & Job Placement Credit: 02

Marks: 50

Block	Unit	Title of the Unit
Fundamental & Assessment of Vocational Rehabilitation	1	Definition, Meaning and Scope of Vocational Rehabilitation
	2	Approaches and Models of Vocational Training
	3	Approaches & Principles of Vocational Assessment
	4	Concept, Meaning, Importance of Transition
	5	Vocational Transition Models
	6	Development of Vocational Curriculum
	7	Types of Employment Settings
	8	Self Advocacy & Skill training
	9	Equal Opportunities and Attitudes towards Persons with Disabilities

Course D-19: Basic Research and Statistics

Credit: 02

Marks: 50

Block	Unit	Title of the Unit
Introduction To Research	1	Research: Concept and Definition
	2	Purpose of Research
	3	Types and Process of Research
	4	Tools of Research
	5	Action Research in Teaching Learning Environment
	6	Research in Education and Special Education
	7	Scale for Measurement and Organization of Data
	8	Measures of Central Tendency, Dispersion and Correlation
	9	Graphic Representing of Data

Ar

Bh

✓

*MP
17/11/15*

*Wajid
17/11/15*

Supplementary

sr

Pratik

340

B.Ed. (Spl. Ed.) Practicals

First Semester

Course Area EI- Practical-Cross Disability and Inclusion Credit: 04

Marks: 100

Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus Major Disability	Education Setting Special School	Hrs 25	Description Minimum 30 School periods
Classroom Observation	Other than Major Disability	Minimum 3 Special schools for other disabilities	25	Minimum 30 School periods
	Any Disability	Inclusive Schools	10	Minimum 10 School periods

- Schedule for practical for E-I shall be included in the time table (ten working days may be allotted)
- Observations as mentioned are essential. However, if schools for other disability are not available in the nearby area, the same way interpreted as observation at inclusive school/education/services being provided in the resource room/home based education or vice versa

Second Semester

Course Area E2- Practical Disability Specialization (Area C) Credit: 04

Marks: 100

Note: Schedule for Practical for E-I shall be included in the time table (minimum ten working days may be allocated). Skill for Micro teaching shall be with reference to Major Disability.

S.No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Education Setting	Hrs	Description
1.1	Classroom observation	Major Disability	Special School	30	Observation of all subjects at different level, minimum 50 School Periods.
1.2	a. Lesson planning for subjects selected b. Lesson planning focusing on adaptation, evaluation	Major Disability	For Special school & Inclusive Set up	10	10 lessons
1.2		Major Disability	For Special school & Inclusive Set up	10	10 lessons
1.3	a. Micro teaching & simulated teaching on selected skills b. Micro teaching & simulated teaching on 5 each from lessons planned in 1.2	General	Institute	5	10 lessons
		Major Disability	Institute	5	10 lessons

Third Semester

Course Area E2- Practical Disability Specialization (Part C) Credit: 04

Marks: 100

S.No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Education Setting	No. of Lessons
1.1	a. Classroom Observation b. Visit to other Special Schools	Major Disability	Special School	Minimum 30 school Periods
1.2	a. Lesson planning and execution on different levels for all subjects b. Lesson planning and execution on different levels for selected subjects	Major Disability	Special School/ Resource Room	Minimum 2 Schools 30 lesson
1.3	Individualized Teaching lessons on selected subjects Observation of support services	Major Disability	Special School/ Resource Room	20 lessons
		Major disability	Institute/Clinic	20 IEPs
				Depending on the specialization

W/ 1st 111115
MF 111115
Vgmaal 111115
341
Repudhuguf
g

Fourth Semester

Course Area F1- Disability Specialization (Practical)	Credit: 04	Marks: 100
Sr. No. 1 Tasks for the Teacher Trainees Classroom Teaching	Disability Focus Major Disability	Set Up Special Schools for disability specialization

Minimum of four weeks should be allocated for school attachment/internship and reflected in the time table and should cover tasks specified under F-2 and F-1 with sufficient time for teaching to acquire Pedagogical competence to deal with school subjects chosen and related activities for whole class as well as children with disabilities in different education settings. A suggestive framework is given below:

S.No	Areas	Disability Specialization (E-2 & F-1)
01	A-1 Pedagogy Subject 1	Semester- III (Three days-15 Hrs.)
02	A-5 Pedagogy Subject 2	Semester- III (Three days-15 Hrs.)
03	F-1 School Attachment/Internship	Semester- III (24 days-120 Hrs.)

Course D 17: Reading and Reflecting on texts

Credit: 02 Marks: 50

Note- All the activities will be recorded in practical files.

1. Collect two views/articles from newspapers/magazines on burning issues of education and write your comments on each collected article or views.
2. Review of any education related books or autobiography of some educationist

Course D 18: Drama and Art in Education

Credit: 02 Marks: 50

Note- All the activities will be recorded in practical files.

1. Students will write an essay on the local culture and art forms/ famous educational T V shows
2. Prepare a report of Cultural Activities/ Visit to a art gallery, exhibition and cultural festivals

Fifth Semester

Course Area F1- Disability Specialization

Credit: 04 Marks: 100

Sr. No.	Tasks for the Teacher Trainees Classroom Teaching	Disability Focus Major disabilities	Set Up Special Schools for disability specialization	No. of Lessons Minimum 90 school periods
---------	--	--	---	---

Minimum of four weeks should be allocated for school attachment/internship and reflected in the time table and should cover tasks specified under F-2 and F-1 with sufficient time for teaching to acquire Pedagogical competence to deal with school subjects chosen and related activities for whole class as well as children with disabilities in different education settings. A suggestive framework is given below:

Areas	Disability Specialization (E-2 & F-1)
A- Pedagogy Subject 1	Semester- III (Three days- 15 Hrs)
B- Pedagogy Subject 2	Semester-III (Three days- 15 Hrs)
C- School Attachment/Internship	Semester-III (24 days-120 Hrs)

Course Area F2- Other Disability Special School (Area B)

Credit: 04 Marks: 100

Sr. No.	Tasks for the Teacher Trainees Classroom Teaching	Disability Focus Other than Major Disability	Set Up Special schools for other disabilities	No. of Lessons Minimum 180 school periods
---------	--	---	--	--

Course Area F3- Inclusive School (Area B & C)

Credit: 04 Marks: 100

Sr. No.	Tasks for the Teacher Trainees Classroom Teaching	Disability Focus Any Disability	Set Up Inclusive School	No. of Lessons Minimum 180 School Periods
---------	--	------------------------------------	----------------------------	--

Minimum of four weeks should be allocated for School attachment/internship and reflected in the time table and should cover tasks specified under F-1, F-2 and F-3 with sufficient time for teaching to acquire pedagogical competence to deal with school subjects chosen and related activities for whole class as well as children with disabilities in different education settings. A suggestive framework is given below:

Area	Disability Specialization	Other Disability	Inclusive Education
A4 Pedagogy Subject 1	Semester-III (3 days 15 Hrs.)	Semester-IV (2days-12 Hrs.)	Semester-IV (2 days- 12 Hrs.)
A5 Pedagogy Subject 2	Semester-III (3 days 15 Hrs.)	Semester-IV (2days-12 Hrs.)	Semester-IV (2 days- 12 Hrs.)
F-2 & F-3 Internship	Semester-III(24days120 Hrs.)	Semester-IV(24days-120 Hrs.)	Semester-IV (24days-120 Hrs.)

*(Signature) 3/2/17/18 - *Supadhyay*
*Dr. Jyoti**

PRACTICUM: MR

Semester-1





Area E1: Classroom Observation, Assessment and IEP (Cross Disability and Inclusion)

Credits: 02

Hours: 60

Marks: 50

Disability Focus ID	Educational Setting	Hrs	Tasks for the Teacher Trainees	Description
	Special School of PwID	40 Hours	Classroom Observation, Assessment and IEP a. ECSE b. Pre-Primary c. Primary d. Secondary e. Prevocational	Minimum 10 school periods Develop IEP for 1 student with ID at ECSE and Pre-primary level
HI, VI, LV, CP, Autism or Multiple Disabilities	Minimum 3 Special schools for HI, VI, LV CP, Autism or Multiple Disabilities	15 Hours (05 Hrs each in each disability)	Classroom Observation and Report	Minimum 30 School Periods in each Special School
Any Disability	Inclusive School available in the neighborhood	5 Hours	Classroom Observation and Report	Minimum 10 School Periods


 (Signature)       
 M.P. 17/11/18    
 Varma 7/11/18  
 Faculty  
 Departmental  
 S


Semester- II


Course	Course title	Credits	Weightage/Marks
A3	Learning, teaching and Assessment	4	100
M4	Pedagogy of School Subjects (Any One from part I to part V)	4	100
A5	Pedagogy of School Subjects (Any one from part I to Part V)	4	100
B6	Inclusive Education	2	50
C13	Curriculum Designing, Adaptation and Evaluation	4	100
E2	Practical: Disability specialization	2	50
F1	Main disability special school (Related to Area C)	4	100
Total		24	600


Note- Changes done in no. of credit (from 20 to 24 and weightage of marks (from 500 to 600) by adding F1, which has been shifted from Semester- III to semester-II)

Engagement with field as part of as indicated below:

S. no.	Task for the teacher Trainees	Course	Place
1	Assignment/Project/Presentation	A3	Institute
2	Assignment/Project/Presentation	B6	Institute
3	Assignment/Project/Presentation	C13	Institute/Special/Inclusive
4	Assignment/Project/Presentation	A4/A5	school



 @     



 Dipadhyay

Area E2: Classroom Teaching and IEP Practical Disability Specialization
(Area C)

Credits: 04

Hours: 60

Marks: 50

Note-Classroom observation has been removed as it has been already covered in Sem-1

S. No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Educational setting	Hrs.	Description
1.1	IEP	ID	Special School	20 Hours	Develop IEP for 1 student with ID at Primary level
1.2	Lesson Planning and Teaching	ID	Special School	15 Hours	15 lessons
1.3	a. Micro teaching & simulated teaching on selected skills	General	Institute	05 Hours	5 lessons (Demonstration of Micro teaching skills)
1.4	Macro Teaching a. Lesson Planning and Teaching for subjects selected b. Languages c. Non Languages b. Lesson planning and Teaching focusing on adaptation, evaluation a. Languages b. Non Languages	General	General	10 Hours	10 Lessons (5 in each Subject)
		General	General	10 Hours	10 Lessons (5 in each Subject)

Note- Schedule for practical for E-1 shall be included in the time table (minimum eleven working days may be allocated). Skill for micro teaching shall be selected with reference to Major disability.

Changes done- In place of 10 working days- II

AC *AS* *MP* ~~17/11/15~~ *Vijayalakshmi* ~~17/11/15~~ *puttd*
Supadhyay *AS*

Area F1: Attachment/Internship
Classroom Teaching in Disability Specialization School

Credits: 04

Hours: 120


Marks: 100

S. No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Set Up	No. of Lessons
1	Classroom Teaching Across all class levels and Curricular Domains Class Levels a. ECSE b. Pre-primary c. Primary d. Secondary e. Prevocational	ID	Special Schools for ID	Minimum 60 lessons. (15 Personal/Social, 25 – Functional, Academics, 10- Occupational 10- Recreational)

Note- Minimum of four weeks should be allocated for School attachment/Internship and reflected in the time table and should cover Tasks specified under E-1, with sufficient time for teaching to acquire competence to deal with school subjects with ID across different severity/class levels and Curricular domains for whole class. A suggestive framework is given below:

Micro Teaching	Semester – II (1 day- 5 Hrs.)
Macro Teaching	Semester – II (20 Hrs. spread across 5 Days)
Lesson planning & Teaching in Special School	Semester – II (20 Hrs. spread across 5 Days)
F-1 School Attachment/Internship (Special School)	Semester – II (21 Days- 120 Hrs.)

Note- Certificate from school head in charge regarding performance of the student trainee placed should be submitted in the form given by the college.



As *SS* *W* *MFB* *17/11/15* *lrgoma* *17/11/15*
Rupadhyay *SV*




Semester-III

Course	Course Title	Credits	Weightage/Marks
C14	Educational intervention and teaching Strategies	4	100
C15	Technology and Disability	4	100
C16	Psycho Social and Family Issues	2	50
E2	Practical: Disability Specialization	4	100
D17	Reading and Reflecting on texts (EPC)	2	50
D18	Drama and Art in Education (EPC)	2	50
Total		18	450

Note- Changes done: F 1 has been shifted to Sem-2, Hence no. of credits reduced to 18 and weightage of marks 450 in place of 550.

Engagement with field as part of course as indicated below

S. No.	Tasks for the teacher Trainees	Course	Place
1	a. Assignment/Project/Presentation b. Assignment/Project/Presentation c. Assignment/Project/Presentation d. Assignment/Project/Presentation e. Assignment/Project/Presentation	C14 C15 C16 D17 D18	Institute Institute Institute Institute/School Institute/School

Area F1: Attachment/Internship
Class Room Teaching in Disability Specialization School

Credits: 04

Hours: 120

Marks: 100

S. No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Set Up Special Schools for ID	No. of Lessons Minimum 60 lessons. (15 personal/Social, 25 – Functional, Academics, 10- Occupational 10- Recreational)
1	Tasks for the Teacher Trainees Classroom Teaching Across all class levels and Curricular Domains Class Levels a. ECSE b. Pre-primary c. Primary d. Secondary e. Prevocational	ID		

Note- Minimum of four weeks should be allocated for School attachment/Internship and reflected in the time table and should cover Tasks specified under E-1, with sufficient time for teaching to acquire competence to deal with school subjects with ID across different severity/class levels and Curricular domains for whole class. A suggestive framework is given below:

Micro Teaching	Semester – II (1 day- 5 Hrs.)
Macro Teaching	Semester – II (20 Hrs. spread across 5 Days)
Lesson planning & Teaching in Special School	Semester – II (20 Hrs. spread across 5 Days)
F-1 School Attachment/Internship (Special School)	Semester – II (21 Days- 120 Hrs.)

Note- Certificate from school head in charge regarding performance of the student trainee placed should be submitted in the form given by the college.

Area E2: Resource Room/Inclusive Teaching and IEP Practical Disability Specialization

(Area C)

Credits: 04

Hours: 120

Marks: 100

S. No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Educational Setting	Hrs	Description
1.1	IEP	ID	Special School	30 Hours	Develop IEP for student with ID at Secondary/Pre vocational Level
1.2	a. Lesson planning and execution on different levels for all subjects b. Lesson planning and execution on different levels for selected subjects a. Languages b. Non Languages	ID	Resource Room/Inclusive School	40 Hours	20 lessons
		ID	Resource Room/Inclusive School	30 Hours	20 lessons
1.3	School Sensilisation on disabilities for regular staff Peer group and Parents	ID	Regular School	10 Hours	-----
1.4	Observation of support services	Major Disability	Institute/Clinic	10 Hours	Depending on the specialization

A suggestive framework is given below

Areas

- Pedagogy Subject 1
- Pedagogy Subject 2
- School Sensitization
- Observation of support services

Disability Specialization (E-2)

- Semester- III (8 days- 40 Hrs.)
- Semester- III (30 Hrs spread across 5 days)
- Semester- III (2 days- 10 Hrs.)
- Semester- III (2 days- 10 Hrs.)

Ac. Syllabus *MF 17/11/15* *Weeks*
internal minis *Supadhyay* *g*

Semester- IV

Area E1: Practical: Cross Disability and Inclusion (Area B)

Credits: 04

Marks: 100

S. No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Educational Setting	Hrs	No. of Lessons
1.1	Classroom observation	Other than ID	Special schools for other disabilities	05 Hours	Observation of all subjects at different level, minimum 10 school periods
		Any Disability	Inclusive Schools	05 Hours	Observation of all subject at different level, minimum 10 school periods
1.2	a. Lesson planning and execution on different levels for selected subjects a. Languages b. Non Languages	Any Disability	Special schools for other disabilities/Resource Room	30 Hours	20 Lessons (10 Languages & 10 Non language)
		Other than ID	Inclusive Schools	30 Hours	20 Lessons (10 Languages & 10 Non language)
1.3	a. Individualized Teaching lessons on different levels for selected subjects a. Languages b. Non Languages	Any Disability	Special schools for other disabilities	25 Hours	20 lessons (10 Language & 10 Non Language)
		Other than ID	Resource Room/Inclusive Schools	25 Hours	20 lessons (10 Language & 10 Non Language)

Note- No. of lessons has been reduced from 20 to 20 for equal distribution of language and non language.

Area F2: Other Disability Special School (Area B) - Attachment/Internship

Credits: 04

Marks: 10

S. No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Set Up	No. of Lessons
1.1	Classroom observation	Other than ID	Special schools for other disabilities	Minimum 30 Lessons

Area F3: Inclusive School (Area B & C) - Attachment/ Internship

Credits: 04

Marks: 10

S. No.	Tasks for the Teacher Trainees	Disability Focus	Set Up	No. of Lessons
1.1	Classroom Teaching	Any Disability other than ID	Inclusive School	Minimum 30 Lessons

Note- 180 school periods are replaced with 30 lessons for clarity.

Minimum of four weeks should be allocated for School attachment/Internship and reflected in the time table and should cover Tasks specified under E-1, F-2 and F-3 with sufficient time for teaching to acquire Pedagogical competence to deal with school subjects chosen and related activities for whole class as well as children with disabilities in different education settings. A suggestive framework is given below:

Areas	Disability Specialization and No. of Days
Classroom observation	Semester-IV (2 Days- 10 Hours)
Pedagogy subject 1 & 2	Semester-IV (60 Hours spread across 12 Days)
Individualized Teaching lessons	Semester- IV (50 Hours spread across 10 Days)
Observation of support services	Semester- IV (2 Days- 10 Hours)
F2- Attachment/Internship	Semester-IV (24 Days)
F3- Attachment/Internship	Semester-IV (24 Days)


(Signature) *MS PTF UTS'* *JWZ Supadhyay*
Unacademy *UTS'* *SR*

PRACTICUM: VI

**E1: Specialization Papers Practical
(Cross-disability and Inclusion)**

Semester 1- Practical Credits: 02 Hours: 60 Marks: 50

	Task	Disability Focus	Educational Settings	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1	Classroom Observations	1. VI 2. Other than VI 3. Any disability	1. Special School 2. Minimum 3. Special Schools 4. Inclusive Schools	1. Learners will observe students in different educational settings, curriculum transaction, classroom interaction in curricular and co-curricular areas and submit a report	10 10	25	
2	Learning of Braille	VI and Deaf blind	College	2. Introduction to Bharati/Hindi or Regional Braille	30	25	


 A series of handwritten signatures and initials are written across the bottom of the table. From left to right, they include: 'An', 'SBR', a checkmark, 'MP', '17/11/15', 'Vargmaal', '17/11/15', 'Punjab', 'Muly', and 'SR'. There is also a large, faint signature that appears to read 'Rajendra Singh'.

PRACTICUM: VI

E2: Visual Impairment Specialization Practical (SPECIALIZATION PAPERS PRACTICAL)

Semester-II	Credits: 02		Hours: 60		Marks: 50		
	Task	Educational Setting	Disability Focus	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1.1	Learning of Braille	College	VI	1. Bharati Hindi or Regional Braille 2. Braille Mathematical Sign for: Numeric indicator, basic operations, simple fraction and brackets	30 Hours 15 Hours	25 } 25	
1.2	Learning the use of Assistive Devices	College	College	Taylor Frame: Basic Operation using arithmetic and algebraic types	15 Hours		


**E2: Visual Impairment Specialization Practical
(SPECIALIZATION PAPERS PRACTICAL)**

Semester-III	Credits: 04	Hours: 120	Marks: 100			
Task	Educational Settings	Disability Focus	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1.1 Reading and writing of standard English Braille	College	VI	1. Reading and writing English Braille text. Transcription from print to Braille and vice versa (Grade II) 2. Braille Mathematics Code: Radicals, fraction (Mixed, complex and hyper complex), sign and symbols of comparison, Shape signs, Greek letters, indices, set, symbols, trigonometric functions 3. Abacus and Geometric kit	60 Hours 30 Hours 30 Hours	50 25 25	

Q BSL

✓ MB

✓ Vargamal
17/11/15

✓ Vargamal
17/11/15

✓ Rupadhyay
SV

F1: Main disability (V.I.) Practical: Special School

(Related to area C)

Semester-III

Credits: 04

Hours: 120

Marks: 100

S. no.	Tasks for Teacher Trainees	Disability Focus	Setup	No. of Lessons
1.	Classroom teaching	Visual Impairment	Special Schools for VI	Min. 90 School periods

E1: Cross Disability and Inclusion Practical

Semester-IV

Credits: 04

Hours: 120

Marks: 100

	Task	Educational Settings	Disability Focus	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1.1	Classroom observation for School subjects at different levels	1. Special Schools other than VI 2. Inclusive Schools	1. Other than VI 2. Any Disability	Observation For school subjects at different levels Observation For school subjects at different levels	15 Hours 15 Hours	25	
1.2	Orientation and Mobility Training	College Campus and Outside Campus	Visual Impairment	a- Sighted Guide Technique b- Pre Cane skills c- Cane technique d- Direction finding technique	60 Hours	50	
1.3	Teaching lessons on O&M and ADL	Special and inclusive school	Visual Impairment and VIMD	Individualized Teaching lessons on orientation and mobility and activities of daily living	30 Hours	25	

Q2

SSY

✓

✓

Vigyanam
Amriti

Dipadhyay

355

SV

WPA

F2: Other Disability Practical: Special School
(Specialization Papers practical) (Related to area B)

Semester-IV	Credits: 04	Hours: 120	Marks: 100		
S. no.	Tasks for Teacher Trainees	Disability Focus	Setup	Hrs	Marks
1.	1. Classroom teaching development of TLM, document study, maintenance of record	Other than Visual Impairment	Special Schools for other disabilities	60 Hours	50
	2. Classroom teaching development of TLM, document study, maintenance of record	VIMD	Special schools or programmes for multiple disabilities	60 Hours	50

F3: Inclusive Schools Practical
(Specialization Papers practical) (Related to area B & C)








Semester-IV	Credits: 04	Hours: 120	Marks: 100		
S. no.	Tasks for Teacher Trainees	Disability Focus	Setup	Hrs	Marks
1.	Classroom teaching with special focus on functional academic skills e.g. Braille, special equipments, preparation of TLM to facilitate inclusive and creating awareness about the needs of children with disabilities	Visually Impaired, seeing children and teachers	Inclusive schools	120 Hours	100

*Ar. S. R. 17/11/18. Approved 17/11/18. Principal
Supplementary G*

PRACTICUM: HI

E1: Cross Disability & Inclusion

Semester 1	Credits: 02	Hours: 10	Marks: 50			
	Task	Educational Settings	Specific Activities	Hrs	Mark s	Submission s
1	Visit to special school for children with hearing impairment	Special school for children with hearing impairment	Study the infrastructure available in a special school for children with hearing impairment	3 Hours	10	Report including reflections
2	Identification of hearing loss & its implications		Study the summary report of the evaluation carried out on any two children with hearing impairment & study its implications in terms of educational placement	2 Hours		
3	Classroom teaching observation		Observe the teaching of children with hearing impairment in any one special classroom and write the observation report	5 Hours		
	Total				10	10

   
 MR 17/11/15   
 Wajid Iqbal   
 Depiction of 

E2: Disability Specialization


Semester 1- Practical

Credits: 02

Hours: 60

Marks: 50

	Tasks	Educational Settings	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1	Assessment of hearing	Institute/Clinic	<ul style="list-style-type: none"> *Observation of BOA, conditioned Pure ton Audiometry, VRA, Speech Audiometry, Hearing aid trial & hearing aid testing *Studying 10 Audiograms and noting the diagnosis and recommendations *Practicing Ling's 6 sound test 	15 Hours	10	Journal with reflections
2	Assessment of speech	Institute/Clinic	<ul style="list-style-type: none"> *Listening to speech of children with and without hearing loss and identifying parameters (Non segmental, segmental & supra segmental) 3 children each * Observing speech assessment (screening)- 2 children * Carrying out speech assessment (screening)- 2 children * Observing speech assessment using standardized tool- 02 children 	15 Hours	10	Journal with reflections



 A handwritten signature in black ink, appearing to be "A" or "AS".

 A handwritten signature in black ink, appearing to be "MB" followed by the date "17/11/15".

 A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vishal" followed by the date "17/11/15".



 A handwritten signature in black ink, appearing to be "Papadhyay".

 A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jyoti".

 A handwritten signature in black ink, appearing to be "SA".


 The number "350" is written near the bottom left.

3	Assessment of Language	Institute/Clinic	*Studying & describing standardized language tests- 1 number * Observation of any one test administration- 1 child * Administering any 1 test in a group * Observation of developmental scale-3 children * Observing a reading comprehension test- 1 group of students of primary level	15 Hours	10	Journal with reflections
4	Assessment in developmental psychology	Institute/Clinic	*Studying & describing DST, GDS, CPM, SFB, VSMS * Observing assessment of children using any two of the above * studying 10 assessment reports and noting the diagnosis and recommendations	15 Hours	20	
	Total			60	50	

E2: Disability Specialization

Semester III	Credits: 04	Hours: 120	Marks: 100
Tasks	Educational Settings Institute/Clinic	Specific Activities	Hrs Mark s
1 Aural intervention	Institute/Clinic	<ul style="list-style-type: none"> - Carrying out daily listening checks on children with hearing impairment (5 children) - Use aided audiogram for (2 children each) A. Linking Ling's 6 sound test B. selecting modality of training (auditory, speech reading combination) C. Selecting method of communication (oral vs manual) 	9 Hours 15
2 Speech intervention	Clinic	<ul style="list-style-type: none"> - Observing individual speech teaching sessions (2 children) - Observing group teaching sessions (2 children) - Planning and executing lesson plan for teaching non-segmental aspects of speech (2 children) 	9 Hours 15
3 Learning and practicing ISL	Institute/Clinic /ISL Centre	To learn and practice basic vocabulary, common phrases, conversations, sample subject texts, stories in signs. (Preferably involving a Deaf individual and taught by certified signer)	30 Hours 20


36°


4	Classroom Observation of teaching	Special school for children with hearing impairment	Preschool- Observing and reporting classroom teaching for various subjects as per the time table of the school- minimum 18 school periods - Language - subjects - co-curricular	Hrs. 4 4 4	24 Hours	10	
5	Lesson Planning	Institute	Primary- Observing and reporting classroom teaching for various subjects as per the time table of the school- Minimum 18 school periods - Language - School subjects - co-curricular	4 4 4		0	
6	Delivering Lessons	Special School	Supervised activity by college faculty with specific feedback	6 Hours	24 Hours	50	
7	Individualized lessons		20 lessons (Science/Maths-5, Social Sciences-5, Language-8, Art-2) 5 lessons on 1 student	6 Hours		10	
8	Delivering lessons	Inclusive School	4 lessons of school periods indicating appropriate curricular adaptations	6 Hours			
9	Visit to other than practice teaching school	Special School	Observing infrastructure and curricular transaction	6 Hours			
		total			120	100	

E 1: Cross disability & Inclusion

Semester III	Credits: 04	Hours: 20	Marks: 100			
	Tasks	Educational Settings	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1	Infrastructure of an inclusive school	Inclusive School	Studying the extent of barrier free environment (Infrastructure including assistive devices, human resource & inclusive teaching practices) available in an inclusive school	04 Hours	3	
2	Classroom Teaching observations		Observing 10 lessons (5 language + 5 subjects) and writing report	08 Hours	3	Report with reflections
3	Assisting Teacher		Working as teacher assistant for prayers/assembly, checking hearing device, attendance, home, work/class, writing diaries, preparing TLM, teaching practice sessions recapitulation, and break times	08 Hours	4	
Total				20	10	

   
 Dr. S. S. Patil
 Mr. M. P. Patil
 17/11/15



 Mr. M. P. Patil
 17/11/15


 Mr. M. P. Patil
 17/11/15

F 1

Semester III	Credits: 04	Hours: 120	Marks: 100		
Tasks	Educational Settings	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1 Teacher Assistant	Special School for children with Hearing impairment	Working as teacher assistant for prayers/assembly, checking hearing device, attendance, home work/class, writing diaries, preparing TLM, teaching practice sessions recapitulation and break times	30 Hours	15	Journal of daily reflections and learning
2 Practicing functioning as a teacher **		Undertaking continuous whole day teaching using daily diary system for planning and recording	18 Hours	20	Daily diary
3 Understanding school examination **		Assisting in exam related planning, setting question papers, assessing, entering outcome in records, writing progress reports, feedback to students and parents, drawing pedagogic decisions.	12 Hours	10	Portfolio of assessment activities
4 Understanding beyond classrooms		Participating in School committees meetings, Sports, Picnics, trips, visits, Parent Teacher Association (PTA) meeting, competitions, Celebrations, annual gatherings, medical checkups- any 3	12 Hours	10	*

5	Development of teaching learning material (TLM), worksheet	Developing 3 TLM and 10 worksheet for the assigned class	18 Hours	10	TLM
6	Document Study	Reading and reporting on academic calendars, time-table, diaries, work books, progress reports, case files, parent meeting reports, certificates, forms to avail exemptions and concessions, assessment formats for pre school	12 Hours	12	*
7	Use of internet and modern technology for improving the class processes	Using technology for classroom teaching, art education, record keeping, communication, downloading power points, AVs for concept development involving students	12 Hours	10	*
8	Compilations of language teaching material news, conversations, stories and unseen pictures	Compiling language material news, conversations, stories and unseen pictures, Directed activities	6 Hours	5	Journal of Compilation

 /  /  / 
 Dr. S. S. Patil
 Mr. M. P. Patil
 Mr. M. P. Patil
 Mr. M. P. Patil
 Mr. M. P. Patil

9	Program end presentation	Power point presentation on consolidations, reflections and take away points from field engagement to be able to become a teacher	6 Hours	10	
	Total		120	100	

*Certificate from school head grading the performance on 5 point scale. Candidates below the score 3 repeat the placement.

** For items each student will be assigned a class and the class teacher is expected to support as the long term mentor for the student placed in her/his class.

A series of handwritten signatures and initials are written across a grid background. From left to right, the signatures include: 'A', 'sv', 'M', 'PITIIS', 'bigenue 17/11/15', 'Repathyam', and 'SV'. There are also several checkmarks and a large 'X' mark.

55

365

F 2

Semester IV	Credits:	Hours: 18	Marks:		
Tasks	Educational Settings	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1 Teacher Assistant	Special school of other disability	Studying the background of the children in the allotted class & working as teacher assistant for prayers/assembly, attendance, home work/class work, writing diaries & assisting in school celebrations	12 Hours	4	Journal of daily reflections and learning
2 Document study		Reading and reporting on academic calendars, time table, diaries, work books, progress reports, case files, 3 parent meeting reports, certificates, forms to avail exemptions and concessions, assessment formats for pre school	3 Hours	3	Journal
3 Use of internet and modern technology for improving the class processes		Using technology for classroom teaching, art education, record keeping, communication, downloading power points, AVs for concept development involving students	3 Hours	3	Journal
Total			18	10	

F 3: Inclusive School

Semester IV	Credits: 04		Hours: 120		Marks: 100
Tasks	Educational Settings	Specific Activities	Hrs	Marks	Submissions
1 Understanding the children in the classroom	Inclusive School	Studying the background of children in the allotted class	06 Hours	5	Report with reflections
2 Understanding the plans		Studying the half yearly, monthly & unit plans & calendar of activities and progress report	12 Hours	5	
3 Teaching support		Assisting the teachers in adaptation of content, lesson planning, scheduling, resource mobilization & preparing TLM, planning celebrations	60 Hours	50	
4 Remedial Support		Teaching special children for specialized support for achieving the content mastery- 2 students	30 Hours	30	
5 Student Evaluation		Assist the teachers in developing teacher made tests marking scheme, scoring key, exam supervision, evaluation of answer scripts & reporting	12 Hours	10	
Total			120	100	

Dr. S. S. Patil
17/11/15

Dr. S. S. Patil
17/11/15

Dr. S. S. Patil
17/11/15

SS

UGED (B A EDUCATION)

UGSED-01 : व्यावसायिक निर्देशन

Credit: 08

Marks: 100

Block	Unit	Title
1 व्यावसायिक निर्देशन: अर्थ, आवश्यकता एवं प्रकार	1	व्यावसायिक निर्देशन का इष्टिहास
	2	व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ, परिमाण एवं प्रकार
	3	व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता
	4	व्यावसायिक निर्देशन की प्रकृति
2 व्यावसाय का वर्गीकरण और प्रतिमान	5	व्यावसाय का अर्थ और प्रकार
	6	व्यावसाय वयन के सिद्धांत
	7	व्यावसायिक निर्देशन के प्रतिमान
	8	व्यावसाय का वर्गीकरण
3 रोजगार विश्लेषण, संतुष्टि एवं मूल्यांकन	9	रोजगार विश्लेषण
	10	रोजगार संतुष्टि
	11	व्यावसायिक रागायोजना
	12	अभिकामता तथा अभिकामता परीक्षण
4 रथानापन, अनुगमी तथा शोध रोवायें	13	रोजगार रथानापन
	14	अनुगमी रोवायें
	15	शोध रोवायें
	16	निर्देशन रोवायें

UGSED-02 : शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन

Credit: 08

Marks: 100

Block	Unit	Title
1 शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन की अवधारणा	1	शैक्षिक प्रशासन और प्रबन्धन: अर्थ, परिमाणायें एवं सिद्धांत
	2	शैक्षिक प्रशासन में प्रणाली उपायम्
	3	प्रशासन और मानवीय रामबन्ध
	4	शैक्षिक प्रशासन में निर्णयन
2 विद्यालय संगठन, प्रशासन तथा पर्यावरण	5	शैक्षिक संगठन: अर्थ एवं स्वरूप
	6	शैक्षिक संगठन के सिद्धांत एवं शैक्षिक नियन्त्रण
	7	विद्यालय पर्यावरण
	8	शिक्षा संगठन में परिवर्तन एवं नवाचार
3 शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यावरण	9	निरीक्षण की अवधारणा, इष्टिहास एवं उद्देश्य
	10	पर्यावरण की अवधारणा एवं होत्र
	11	पर्यावरण के प्रकार
	12	साधीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्
4 विभिन्न स्तर पर शैक्षिक प्रशासन	13	भारत में केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन
	14	उत्तराखण्ड में शिक्षा प्रशासन
	15	विद्यालय का प्रशासन
	16	विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था

UFD-03 : शैक्षिक तकनीकी

Credit: 08

Marks: 100

Block

1

शैक्षिक तकनीकी का अर्थ और विषय दोत्र

Unit

- 1 शैक्षिक तकनीकी का अर्थ एवं प्रकृति
- 2 शैक्षिक तकनीकी का विकास
- 3 शैक्षिक तकनीकी का सेवा और महत्व
- 4 शिक्षा तन्त्र के उपायम् के रूप में शैक्षिक तकनीकी
- 5 कठोर उपायम् (डाल्टेयर)
- 6 मुद्र उपायम् (सॉफ्टवेयर)
- 7 प्रणाली उपायम्
- 8 बहुआयामी उपायम्
- 9 शिक्षण और अनुदेशन
- 10 अनुदेशन में संप्रेषण के साधन
- 11 अनुदेशन में संप्रेषण के शब्द साधन
- 12 अनुदेशन में संप्रेषण के दृश्य शब्द साधन
- 13 संप्रेषण माध्यमों का वर्णन और रग्माकरण
- 14 शैक्षिक तकनीकी में नवाचार
- 15 शैक्षिक तकनीकी का प्रवर्णन
- 16 शैक्षिक तकनीकी का मूल्यांकन

UGSED-04 : पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

Credit: 08

Marks: 100

Block

1

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा

Unit

- 1 स्वास्थ्य शिक्षा: अर्थ, दोत्र और उद्देश्य
- 2 स्वास्थ्य एवं पोषण
- 3 आहार नियोजन: रांगुलित आहार
- 4 व्यक्तिगत स्वास्थ्य
- 5 शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा
- 6 शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य
- 7 शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम
- 8 विद्यालयी स्वास्थ्यप्रद पायीकरण
- 9 स्वास्थ्य परीक्षण
- 10 प्राथमिक विकिरण तथा सुरक्षा शिक्षा
- 11 संक्रान्त तथा संवर्त रोग
- 12 ज्ञानेन्द्रियों तथा प्रणालीहीन ग्रन्थियों, ज्ञानेन्द्रियों एवं नालिकाविहीन ग्रन्थि विकार योगः अर्थ एवं महत्व
- 13 प्रमुख योगासन
- 14 प्राणायाम
- 15 कक्षा आराम पद्धति, थकान एवं विश्राम

UGED-06 : निःशक्तता का परिचय

Credit: 08

Marks: 100

Block

1

निःशक्तता: संकल्पना एवं वर्गीकरण

Unit

- 1 निःशक्तता, विकलांगता और शक्ति
- 2 निःशक्तता का ऐतिहासिक परिवर्ष एवं निःशक्तता का वर्गीकरण
- 3 निःशक्तता की वर्तमान स्थितियाँ एवं कारक
- 4 निःशक्तजनों की विशेषताएँ
- 5 आकलन तथा विगेदक नियन्त्रण
- 6 कार्यकारिताओं का निर्धारण
- 7 निःशक्तता के शैक्षिक निहितार्थ
- 8 कार्यक्रम नियोजन
- 9 पाठ्यवर्यः अर्थ और प्रकार
- 10 पाठ्यवर्यः नियोजन
- 11 पाठ्यवर्यों में अनुकूलन
- 12 व्यावहारिक क्रियाओं में अनुकूलन
- 13 निःशक्तजनों की शिक्षा रामबद्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास
- 14 निःशक्तजनों की शिक्षा रामबद्धी साधनीय प्रयास
- 15 निःशक्तजनों की शिक्षा में अभिभावक, विद्यालय तथा समुदाय की भूमिका
- 16 निःशक्तजनों की शिक्षा में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

369
17/11/15

17/11/15

8/11/15

MAED (M A EDUCATION)

MAED-09: शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन

Credit: 08

Annexure - 03

Marks: 100

Block	Unit	Title
1 शैक्षिक प्रशासन, प्रबन्धन एवं सिद्धांत	1	शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन: अर्थ एवं संरचना
	2	शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत
	3	शिक्षा में नेतृत्व
4 शैक्षिक प्रशासन की राष्ट्रीय प्रणालियाँ	4	शिक्षा प्रशासन में विशेष प्रबन्ध
	5	शिक्षा प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया
	6	नेतृत्व: अर्थ, रूपरूप एवं आवश्यकता
	7	नेतृत्व के सिद्धांत
	8	नेतृत्व शैलीयाँ
	9	नेतृत्व का मापन
	10	शैक्षिक नियोजन: अर्थ, लक्ष्य एवं सिद्धांत
	11	शैक्षिक नियोजन के उपायम्
	12	शैक्षिक नियोजन के प्रकार एवं रामरथाये
	13	भारतीय शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजनायें
	14	भारत में शैक्षिक प्रशासन
	15	राष्ट्रीय राज्य अमेरिका में शैक्षिक प्रशासन
	16	ग्रेट ब्रिटेन में शैक्षिक प्रशासन
		जापान में शैक्षिक प्रशासन

MAED-11: विशिष्ट शिक्षा

Block
1
विशिष्ट शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र

2
विशिष्ट जनों हेतु सारकारी नीतियाँ
और कानून

3
विशिष्ट अध्येता

4
विशिष्ट बच्चों के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप

Credit: 08

Marks: 100

Unit	Title
1	विशिष्ट शिक्षा का सांकेतिक इतिहास
2	विशिष्ट शिक्षा का अर्थ और दोत्र
3	विशिष्ट बच्चों के प्रकार
4	विशिष्ट बच्चों की पहचान
5	अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रयास और संवैधानिक प्रावधान
6	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्यक्रम 1992 तथा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995
7	भारतीय पुर्ववारा परिषद
8	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
9	विशिष्ट अध्येताओं की विशेषतायें
10	विशिष्ट अध्येताओं का निवारण
11	विशिष्ट अध्येताओं के शैक्षिक कार्यक्रम
12	विशिष्ट अध्येताओं का पुर्ववारा
13	विशिष्ट विद्यालय: प्रकृति और उद्देश्य
14	सामाजिक विद्यालय और सामाजिक सेवायें
15	सामाजिक विद्यालय की गुणिता
16	विद्यालय, अग्रिमावक तथा संगुदाय की गुणिता

MAED-12: अध्यापक शिक्षा

Block
1
अध्यापक शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र

2
अध्यापक और अध्यापक शिक्षा

3
अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रकार

4
अध्यापक शिक्षा में अनुसन्धान के क्षेत्र

Credit: 08

Marks: 100

Unit	Title
1	अध्यापक शिक्षा: प्रत्यय, उद्देश्य और दोत्र
2	अध्यापक शिक्षा का ऐपेडारिक परिप्रेक्ष्य
3	स्वतन्त्र भारत में अध्यापक शिक्षा
4	अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय अभिकरण
5	अध्यापक के गुण: संज्ञानात्मक, वाक्वात्मक और क्रियात्मक
6	विभिन्न सत्रों पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यवर्ती
7	अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चयन
8	अध्यापक शिक्षा की समरयायें
9	सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा
10	सेवापूर्ण अध्यापक शिक्षा
11	दूररथ शिक्षा और अध्यापक शिक्षा
12	अग्रिम-वारा और पुनर्वर्ती पाठ्यक्रम
13	अध्यापक प्रामावशीलता
14	प्रवेश की कठीनी
15	अध्यापक व्यवहार का परिमाण/सुधार
16	विद्यालय प्रामावशीलता

बी०ए८० (विशेष शिक्षा) के स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों की प्रस्तावित सूची

सं. सं.	नाम	पदनाम	संस्था
दृष्टि बाधिता			
01.	डॉ० प्रेमशंकर राम शास्त्री	प्रोफेरेट	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
02.	डॉ० रमेश पाठेड़	एसोसिएट प्रोफेरेट	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
03.	डॉ० निषेद्ध कुमार केन	असिरेट-ट प्रोफेरार	ए०आई०वी०ए०, देहरादून
04.	डॉ० तुमारीय	असिरेट-ट प्रोफेरार	गणध विश्वविद्यालय, वाराणसी
05.	डॉ० आत्माशक्ति राय	एसोसिएट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
06.	डॉ० विजय शंकर शर्मा	एसोसिएट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
07.	डॉ० आशीष कुमार गुप्ता	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
08.	श्री वजेश कुमार राय	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
09.	डॉ० विजेश कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
10.	डॉ० सुर्योदय देव	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
11.	डॉ० नरेन्द्र शर्मा	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
12.	डॉ० फलेश अमरनाथ	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
13.	डॉ० निहार रंगन मिशा	असिरेट-ट प्रोफेरार	बगदुरुल रामगढ़ावार्य विकलांग विश्वविद्यालय, विक्रमौर्य
श्रवण बाधिता			
01.	डॉ० शीमा रिंद	एसोसिएट प्रोफेरार	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
02.	डॉ० रमेश नारायण शर्मा	एसोसिएट प्रोफेरार	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
03.	डॉ० आत्मीक उपाध्याय	एसोसिएट प्रोफेरार	नेशनल इररीट्यूट आ० द्यूरिंग ए०प्लीकैट, गैरुड
04.	डॉ० नीता मिशा	असिरेट-ट प्रोफेरार	नेहरू याम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
05.	डॉ० संजय कुमार रिंद	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
06.	डॉ० कौशिल शर्मा	एसोसिएट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
07.	डॉ० पृथुजय मिशा	एसोसिएट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
08.	श्री वेन्नारायण पटेल	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
09.	डॉ० शीवाराम पाल	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
10.	डॉ० यामीनी अहमद	एसोसिएट प्रोफेरार	ए०आई०ए०व०५व०, मुमर्झ
11.	डॉ० किशोर पाने	एसोसिएट प्रोफेरार	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
मानसिक बाधिता			
01.	डॉ० असेन्द्र कुमार शर्मा	एसोसिएट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
02.	डॉ० रामय कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
03.	डॉ० गहेश कुमार वैधारी	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
04.	डॉ० निमा तिलारी	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
05.	श्रीमती जें फलाली	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
06.	डॉ० रेणू यालीय	विद्यामाध्यक्ष	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
07.	प्रो० यामीनी	आवार्य	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
08.	प्रो० यामीनी	असिरेट-ट प्रोफेरार	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
09.	डॉ० रामकृष्ण शक्ते	परामर्शदाता (परोविक्लार)	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्जीवा विवि., लखनऊ
10.	श्री धर्मेन्द्र कुमार राई	असिरेट-ट प्रोफेरार	परिसंस्था, रामगढ़ावार्य
11.	डॉ० युक्ति गोप्ता पाठेड़	असिरेट-ट प्रोफेरार	बगदुरुल रामगढ़ावार्य विकलांग विश्वविद्यालय, विक्रमौर्य
12.	डॉ० अखिलेश कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार	वर्कमान महावीर युवता विश्वविद्यालय, कोटा
13.	डॉ० निमेन्द्र कालरा	असिरेट-ट प्रोफेरार	गुआरी, इररीट्यूट अ०प्ली रेशल एनुक्षण, फरीदकोट, पंजाब
14.	प्रो० रामी रंगन रिंद	आवार्य	डॉ० शकुन्तला मिशा राष्ट्रीय पुनर्जीवा विश्वविद्यालय, लखनऊ

M/S
17/11/15
371

प्रियंका
20/11/15
371

प्रियंका
20/11/15
371

प्रियंका
20/11/15
371

बी०ए० स्व-अध्ययन सामग्री के लेखकों के प्रस्तावित नामों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद नाम
१	डॉ. अर्दित कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार
२	डॉ. लक्ष्मीनाथ रिट	असिरेट-ट प्रोफेरार
३	डॉ. साराज यादव	असिरेट-ट प्रोफेरार
४	डॉ. पश्चात कुमार रत्नालिन	असिरेट-ट प्रोफेरार
५	डॉ. विलय कहान्तुर यादव	असिरेट-ट प्रोफेरार
६	डॉ. अजय रिट	एसोसिएट प्रोफेरार
७	डॉ. अरुणांग रिट	सो.नि. प्राकार्य
८	डॉ. यामाशक्त रिट	सो.नि. प्राकार्य
९	डॉ. एम्फो रिट	सो.नि. एसोसिएट प्रोफेरार
१०	डॉ. जमदीप चौधरी	एसो. प्रोफेरार
११	डॉ. खुमा रिट	एसोसिएट प्रोफेरार
१२	डॉ. वीष्मला यादव	सो.नि. एसोसिएट प्रोफेरार
१३	डॉ. गीनु युवा	एसोसिएट प्रोफेरार
१४	डॉ. कपा द्वे	एसोसिएट प्रोफेरार
१५	डॉ. निमिता राहु	असिरेट-ट प्रोफेरार
१६	डॉ. शनित शर्मा	असिरेट-ट प्रोफेरार
१७	डॉ. राजेश पाण्डेय	असिरेट-ट प्रोफेरार
१८	डॉ. अमृत कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार
१९	डॉ. सुरेन्द्र कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार
२०	डॉ. हरीश रिट	असिरेट-ट प्रोफेरार
२१	डॉ. एसाफ़ा यादव	एसोसिएट प्रोफेरार
२२	डॉ. अरविंद पाण्डेय	असिरेट-ट प्रोफेरार
२३	डॉ. उमीला रिट	एसोसिएट प्रोफेरार
२४	डॉ. दिव्या श्रीवारत्न	प्रवक्ता
२५	डॉ. वल्लभ रिट	असिरेट-ट प्रोफेरार
२६	डॉ. वीरज रिट	असिरेट-ट प्रोफेरार
२७	डॉ. वीष्मीली शिंशा	असिरेट-ट प्रोफेरार
२८	डॉ. विक्केश यादव	प्रवक्ता
२९	डॉ. विलय उपाध्याय	असिरेट-ट प्रोफेरार
३०	डॉ. प्रश्ना श्रीवारत्न	असिरेट-ट प्रोफेरार
३१	डॉ. विष्णु यादव	प्रवक्ता
३२	डॉ. प्रतीक उपाध्याय	असिरेट-ट प्रोफेरार
३३	डॉ. प्रश्ना श्रीवारत्न	असिरेट-ट प्रोफेरार
३४	डॉ. कृष्णा श्रीवारत्न	विभागाध्यक्ष
३५	डॉ. वन्दना छे	एसो.प्रो./विभागाध्यक्ष
३६	डॉ. हरिशंकर रिट	एसोसिएट प्रोफेरार
३७	डॉ. एस.ली. निरि	असिरेट-ट प्रोफेरार
३८	डॉ. शनीव अमृताल	असिरेट-ट प्रोफेरार
३९	डॉ. शीतालम यादव	रीडर
४०	डॉ. नामेन्द्र कुमार	एसोसिएट प्रोफेरार
४१	प्रो. सुरील कुमार रिट	आवार्य
४२	डॉ. मिनाशी रिट	वर्सेट प्रवक्ता
४३	डॉ. शेळेन्द्र कुमार चाही	असिरेट-ट प्रोफेरार
४४	प्रो. एन०पी० गोक्ता	प्रोफेरार
४५	डॉ. राजेश रिट	एसोसिएट प्रोफेरार
४६	डॉ. ए००को रिट	एसोसिएट प्रोफेरार
४७	डॉ. धर्माल रिट	एसो. प्रोफेरार
४८	डॉ. रियाराम यादव	सोनिएसोसिएट प्रोफेरार
४९	डॉ. शीषी शिंशा	असिरेट-ट प्रोफेरार
५०	डॉ. वी००को पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेरार
५१	डॉ. वी००को शिंशी	असिरेट-ट प्रोफेरार
५२	डॉ. विनेश रिट	असिरेट-ट प्रोफेरार
५३	डॉ. युक्ता कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार
५४	डॉ. राजना श्रीवारत्न	प्रवक्ता
५५	डॉ. यू०००० शिंशी	प्रवक्ता
५६	डॉ. शेलेश कुमार यादव	प्रवक्ता

संस्था

शिक्षाशारत्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 शिक्षाशारत्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 शिक्षाशारत्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 राजा कृष्ण दट्ट कालेज, जौनपुर

शिक्षा संकाय, अराम विश्वविद्यालय, रीताकर
 उचित्तया पीठीजी० कालेज, उचित्तया
 दिविजयनाथ पीठीजी० कालेज, गोरखपुर
 उचित्तया पीठीजी० कालेज, उचित्तया इलाहाबाद
 बी०ए०ए०क०नी० पीठीजी० कालेज, अकबरपुर, अवैष्टकरणगढ़
 आर०आर०पी०जी० कालेज अगेठी

गणेश पीठीजी०कालेज, ढोगी, जौनपुर

एग०डी०पी०जी० कालेज, प्रतापगढ़

एग०डी०पी०जी० कालेज, प्रतापगढ़

क०पी० द्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद

क०पी० द्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद

क०पी० द्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद

क०पी० द्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद

एस०ए०स० खन्ना गर्ल्स हिंदी कालेज, इलाहाबाद

एस०ए०स० लन्ना गर्ल्स हिंदी कालेज, इलाहाबाद

काशी नरेश राजकीय हिंदी कालेज, ज्ञानपुर गदोही

काशी नरेश राजकीय हिंदी कालेज, ज्ञानपुर गदोही

संकीर्तन महाविद्यालय, झूँसी, इलाहाबाद

लाला लक्ष्मीनारायण हिंदी कालेज, रिरसा, इलाहाबाद

कू० माधववी लाजकीय महिला पी०जी० कालेज, वाललपुर, गौतमधुमे नगर

वरान्सि हिंदी कालेज, इलाहाबाद

वरान्सि हिंदी कालेज, इलाहाबाद

वरान्सि हिंदी कालेज, इलाहाबाद

ई०री०सी० इलाहाबाद

गहिला महाविद्यालय, केदवई नगर, कानपुर

गहिला महाविद्यालय, केदवई नगर, कानपुर

गोहित्तदीन विरती उद्धृ अरवी एवं फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

वी.पी.ए.क०.दीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

अतर्ता महाविद्यालय, अतर्ता

अतर्ता महाविद्यालय, अतर्ता

काशी नरेश पी०जी० कालेज, ज्ञानपुर

शिक्षा संकाय, वी.ए.व.यू., वाराणसी

शिक्षा संकाय, वाराणसि हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

एग०जी०क०पी०पी० वाराणसी

शिक्षाशारत्र, शी०जी०यू., गोरखपुर

शिक्षाशास्त्र विभाग, शी०जी०यू., गोरखपुर

रामदण्डि० रिंद पी०जी० कालेज, रिंगरामजू, जौनपुर

शिक्षाशारत्र विभाग, श्री गणेश पी०जी० कालेज, ढोगी, जौनपुर

क०ए०ए०, काशी नरेश पी०जी० कालेज, ज्ञानपुर

क०ए०आ०, सुल्तानपुर

यू०पी०आ०री०जी०यू०, इलाहाबाद

G. M.

WJS 1/7/11/15 *21* ✓ *gsh* *WJS* 1/7/11/15

14
Reproduction

✓ *✓*

१	डॉ. निलाम कुमार रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, वी.एव.यू., वाराणसी
२	डॉ. शुभेश रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, वी.एव.यू., वाराणसी
३	डॉ. शंख प्रेता	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, वी.एव.यू., वाराणसी
४	डॉ. आलोक गांठेश्वर	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, वी.एव.यू., वाराणसी
५	डॉ. अशीष बीनाराम	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, वी.एव.यू., वाराणसी
६	डॉ. अशीष बाबुकुमा	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, वी.एव.यू., वाराणसी
७	डॉ. आलिनी रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, वी.एव.यू., वाराणसी
८	डॉ. जगता रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, वी.एव.यू., वाराणसी
९	डॉ. गणेशुद्दन जोशी	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शहीद मंगल रिंग राजकीय पी.जी. कालेज, गोरख
१०	डॉ. किशल किशोर	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शहीद मंगल रिंग राजकीय पी.जी. कालेज, गोरख
११	डॉ. विठ्ठन पाठीदार	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शहीद मंगल रिंग राजकीय पी.जी. कालेज, गोरख
१२	डॉ. आशीष श्रीवार्षत्व	एसोसिएट प्रोफेरार	नाथ इरटनी हिंद विश्वविद्यालय, गोधालय
१३	डॉ. कृष्ण शामी	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	दक्षिणी बिहार के-दीय विश्वविद्यालय, गया
१४	डॉ. पालयन बाबूनी	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, ए.एसी.आर.ए.टी.०, दिल्ली
१५	डॉ. गोरख रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	ए.एसी.आर.ए.टी.०, दिल्ली
१६	डॉ. विठ्ठन दे	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	गुरु धारी दास विश्वविद्यालय, गिलासपुर
१७	डॉ. अनंत खुराना	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
१८	प्रो. रुचाप कन्द शाय	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
१९	डॉ. अनंत खुराना	आवार्य	तेजपुर के-दीय विश्वविद्यालय, असाम
२०	डॉ. रामेज राधी	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	ए.एसी.आर.ए.टी.०, इन्डियनथूट, शिलांग
२१	डॉ. गारती	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	कान्थली विद्यापीठ
२२	डॉ. वुक्ट रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	श्री राजेश्वर रोवाञ्ग डिग्री कालेज, छिक्कौ, प्रतापगढ़
२३	डॉ. अशिषेक प्रजापति	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	ए.एसी.आर.टी.०, नई दिल्ली
२४	श्री घण्टनंद कुमार रार्हक	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, हरि रिंग गौड़, के-दीय विश्वविद्यालय, सामर
२५	श्री सुरेन्द्र कुमार	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, हरि रिंग गौड़, के-दीय विश्वविद्यालय, सामर
२६	डॉ. अष्टिता रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, हरि रिंग गौड़, के-दीय विश्वविद्यालय, सामर
२७	डॉ. रुक्मि विपाठी	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	नामालैण्ड के-दीय विश्वविद्यालय, कोहिङा
२८	डॉ. गंगा मिश्रा	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	प्रो० एव००१० गिश्रा कालेज, कानपुर
२९	डॉ. पाता गठनामर	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३०	डॉ. अरुणा विपाठी	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३१	डॉ. शालिनी रस्तोगी	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३२	डॉ. अनुजा पाठक	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३३	डॉ. गी.पाठी श्रीवार्षत्व	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३४	डॉ. अनंद रुद्रे	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३५	डॉ. रुधाशु रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३६	डॉ. क्रिकेती रिंग	एसोसिएट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३७	डॉ. रुचाप कन्द	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३८	डॉ. अरविंद रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
३९	डॉ. कन्या दुवे	एसोसिएट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
४०	डॉ. विठ्ठन कुमार	एसोसिएट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
४१	डॉ. रघुनंद	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	बी०४७० विभाग, एस०एस० खना० गल्ली डिग्री कालेज, इलाहाबाद
४२	डॉ. अनंत खुराना	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	ली.डी. कालेज, जौनपुर
४३	डॉ. रुधाशु रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	आर.आर. पी.जी. कालेज, अमेली
४४	डॉ. अरुणा रिंग	एसोसिएट प्रोफेरार	सादानंद पी.जी. कालेज, फुपेलपुर
४५	डॉ. रुचाप कन्द	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	किरोज गांधी कालेज, सायबरेली
४६	डॉ. अरविंद रिंग	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संस्थान, बुदेलखण्ड विश्वविद्यालय, शाँसी
४७	डॉ. कन्या दुवे	एसोसिएट प्रोफेरार	शिक्षा संस्थान, बुदेलखण्ड विश्वविद्यालय, शाँसी
४८	डॉ. विठ्ठन कुमार	एसोसिएट प्रोफेरार	शिक्षा संस्थान, बुदेलखण्ड विश्वविद्यालय, शाँसी
४९	डॉ. रघुनंद	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संस्थान, बुदेलखण्ड विश्वविद्यालय, शाँसी
५०	डॉ. रघुनंद	असिरेटेन्ट प्रोफेरार	शिक्षा संस्थान, बुदेलखण्ड विश्वविद्यालय, शाँसी

बी०ए० (शिक्षा शास्त्र) स्व-आध्ययन सामग्री लेखकों के प्रस्तावित नामों की सूची

નંદરાં	નામ	પદ	સ્થાન
૧	ઠોડું કાળેજ દેવ	એસોરિએટ પ્રોફેસર	ગાંગર વારણ ગલ્લી ડિપ્લોજ, ઇલાહાબાદ
૨	ઠોડું કાળેજમ રિનારી	એસોરિએટ પ્રોફેસર	કુશર શરણ ડિપ્લોજ કાળેજ, ઇલાહાબાદ
૩	ઠોડું પાનરીટ	એસોરિએટ પ્રોફેસર	કુશર શરણ ડિપ્લોજ કાળેજ, ઇલાહાબાદ
૪	ઠોડું જ્યોતિ મુલાજી	પ્રવક્તા	૫૦.૫૦૦૮૦, ઇલાહાબાદ
૫	ઠોડું રિયાન્ડિ	રિયાન્ડિયક્ષય	શિક્ષાશરત્ર, ઝીંદોરીઝી, ઝુલાહાબાદ
૬	ઠોડું રીતા ચૌહાન	ઉત્પાદાયી	૭૦.૫૦૦૮૦, ઇલાહાબાદ
૭	ઠોડું સીલા રાની યાદવ	પ્રાચાર્ય	એસીએસીઝના મલ્લી ડિપ્લોજ કાળેજ, ઇલાહાબાદ
૮	ઠોડું અર્મેલા રિંટ	એસોરિએટ પ્રોફેસર	મદીલા રોવા રાદન ડિપ્લોજ કાળેજ, ઇલાહાબાદ
૯	ઠોડું સુરીલા રિંટ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શ્રી રંકીરીન મ્રાદ્દર્થ આશ્રમ રાંકૃત મછાં ઝૂસી ઇલાહાબાદ
૧૦	ઠોડું મુલાન રિંટ	એસોરિએટ પ્રોફેસર	શિક્ષા રંકાય, વીઠેવણ્યુ, વારાણસી
૧૧	ઠોડું લંણિતા રાવ	એસોરિએટ પ્રોફેસર	ઘૂસીં કાળેજ, વારાણસી
૧૨	ઠોડું એકોન રિવારી	એસોરિએટ પ્રોફેસર	ઘૂસીં કાળેજ, વારાણસી
૧૩	ઠોડું નિશાન પરલીના	એસોરિએટ પ્રોફેસર	નિન્દિજયાથ પીઠજીં કાળેજ, ગોરખપુર
૧૪	ઠોડું શ્રી રાજેન્ડ રામ	એસોરિએટ પ્રોફેસર	શિવલી નેશનાલ પીઠજીં કાળેજ, આંગમગઢ
૧૫	ઠોડું રેણ ચુલ્લાના	એસોરિએટ પ્રોફેસર	સાતીશ કંદ પીઠજીં કાળેજ, બલિયા
૧૬	ઠોડું નીલા રિંટ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	છંખ્યા પીઠજીં કાળેજ, ઇલાહાબાદ
૧૭	ઠોડું પદ્મશુદ્ધન જોશી	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	છંખ્યા પીઠજીં કાળેજ, ઇલાહાબાદ
૧૮	ઠોડું કોશલ કિશોર	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	નાથી ઇરલાઈ હિલ વિશ્વવિદ્યાલય, ગેધાલય
૧૯	ઠોડું નિફેન્ડ પાટીલાર	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	દક્ષિણી બિહાર કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય, ગયા
૨૦	ઠોડું આશીર્પ શ્રીવારચવ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શિક્ષાક પ્રશિક્ષણ વિમાગ, એન્ઝીઓઝીઓસ્ટીઓ, દિલ્લી
૨૧	ઠોડું જ્યાણ શ્રમી	એસોરિએટ પ્રોફેસર	એન્ઝીઓઝીઓઝીઓસ્ટીઓ, દિલ્લી
૨૨	ઠોડું નિફેન્ડ પાટીલાર	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	એન્ઝીઓઝીઓઝીઓસ્ટીઓ, દિલ્લી
૨૩	ઠોડું અશીર્પ શ્રીવારચવ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	ગુરુ ધારી દારા વિશ્વવિદ્યાલય, વિલાસપુર
૨૪	ઠોડું જ્યાણ શ્રમી	એસોરિએટ પ્રોફેસર	ફંડિસા ગાંધી રાષ્ટ્રીય મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય, નાઈ દિલ્લી
૨૫	ઠોડું પાયલ કાર્ણી	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	ફંડિસા ગાંધી રાષ્ટ્રીય મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય, નાઈ દિલ્લી
૨૬	ઠોડું ગૌરવ રિંટ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	દેઝુપુર કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય, અરામ
૨૭	ઠોડું નિશાન ડે	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	એન્ઝીઆર ઇન્ફ્રાટ્યુન્ડ, શિલાંગ
૨૮	ઠોડું અનય ખુરાના	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	સીંગાંગ ડિપ્લોજ કાળેજ, ઇલાહાબાદ
૨૯	પ્રોઠ સુધ્યાય કંદ રાય	આવાર્ય	સાજાંબિ ૮૭૫૧ મહિલા મહાવિદ્યાલય, ઇલાહાબાદ
૩૦	ઠોડું સંપીતા	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	ગુલાબ દેવી મહિલા મહાવિદ્યાલય, બલિયા
૩૧	ઠોડું મીના રાની અયવાલ	એસોરિએટ પ્રોફેસર	શિક્ષાશરત્ર વિમાગ, ઇલાહાબાદ વિશ્વવિદ્યાલય, ઇલાહાબાદ
૩૨	ઠોડું રિનેશ કુમાર	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શિક્ષાશરત્ર વિમાગ, ઇલાહાબાદ વિશ્વવિદ્યાલય, ઇલાહાબાદ
૩૩	ઠોડું ખંચ તુરે	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શિક્ષાશરત્ર વિમાગ, ઇલાહાબાદ વિશ્વવિદ્યાલય, ઇલાહાબાદ
૩૪	ઠોડું આકંદા રિંટ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શિક્ષાશરત્ર વિમાગ, ઇલાહાબાદ વિશ્વવિદ્યાલય, ઇલાહાબાદ
૩૫	ઠોડું રાણેજ યાદવ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શૂલીઓઝીઓઝીઓસ્ટીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૩૬	ઠોડું પ્રાણના કુમાર રાણેલિના	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શૂલીઓઝીઓઝીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૩૭	ઠોડું પીંગેં પાંડેશ	એસોરિએટ પ્રોફેસર	શૂલીઓઝીઓઝીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૩૮	ઠોડું વીંગેં ડ્રિવેની	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શૂલીઓઝીઓઝીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૩૯	ઠોડું દિનેશ રિંટ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શૂલીઓઝીઓઝીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૪૦	ઠોડું યુફેશ કુમાર	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શૂલીઓઝીઓઝીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૪૧	ઠોડું રણના શ્રીવારચવ	પ્રવક્તા	શૂલીઓઝીઓઝીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૪૨	ઠોડું યુફેન્ટ રિવારી	પ્રવક્તા	શૂલીઓઝીઓઝીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૪૩	ઠોડું શૈલેંગ કુમાર યાદવ	પ્રવક્તા	શૂલીઓઝીઓઝીઓઝુ, ઇલાહાબાદ
૪૪	ઠોડું કુદ રિંટ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શૈલા સંકાય, દરિ રિંટ ગીલ, કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય, રામર
૪૫	ઠોડું અગ્રિપ્ક પ્રગામારી	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શૈલા સંકાય, દરિ રિંટ ગીલ, કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય, રામર
૪૬	શ્રી ચૌંદ કુમાર રાણે	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શૈલા સંકાય, દરિ રિંટ ગીલ, કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય, રામર
૪૭	શ્રી ચુરેંદ કુમાર	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	નાગાલેણ કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય, કોહિયા
૪૮	ઠોડું અર્પિણ રિંટ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	પ્રોઠ એવોન્ટ મિશ્રા કાળેજ, કાનપુર
૪૯	ઠોડું ચુરીલ કુમાર ઉપાય્યાય	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શી.ની.એ.સ. કાળેજ, કાનપુર
૫૦	ઠોડું રિંગ ગોરે	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શી. એસ.જે. વિશ્વવિદ્યાલય, કાનપુર
૫૧	ઠોડું ચુપાય કંદ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	સાતાનાં પી.જી. કાળેજ, ફરોદ્પુર
૫૨	ઠોડું અર્વિન્ડ રિંટ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	નિંદોઝ ગાંધી કાળેજ, રાયવરેલી
૫૩	ઠોડું કાળા તુરે	એસોરિએટ પ્રોફેસર	શિક્ષા સંસ્થાન, મુદેલાલખણ વિશ્વવિદ્યાલય, ઝાંસી
૫૪	ઠોડું કિરણ લાલ રાણેલિના	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	લલ્બાંક વિશ્વવિદ્યાલય, લલ્બાંક
૫૫	ઠોડું ગૌરવ રાવ	અરિસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર	શી.એસ.જે. વિશ્વવિદ્યાલય, કાનપુર



C. S. H. *✓* *MHS 17/11/15-374*

~~biannual~~
17/11/11

~~bogmāl~~ 1-11-15 Superbly 2 pretty

एम०ए० (शिक्षा शास्त्र) स्व-अध्ययन सामग्री लेखकों के प्रस्तावित नामों की सूची

क्रम	नाम	पद	स्थान
01	डॉ. निलापति	उपाचार्य	इ०री०इ०, इलाहाबाद
02	डॉ. शीला रामी यादव	प्राचार्य	गढिला रोडा रादा० डिग्री कालेज, इलाहाबाद
03	डॉ. अरुण कुमार ठिकारी	उपाचार्य	दिव्यिजय रिटॉर्पी०जी० कालेज गोरखपुर
04	डॉ. पावारांकर रिटॉर्प	प्राचार्य	एम.डी. पी.जी. कालेज, प्रतापगढ़
05	डॉ. वी०क० साय	संतानिकृष्ण उपाचार्य	वण्डेश्वर पी०जी० कालेज, आजमगढ़
06	डॉ. एस०म० रिटॉर्प	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र	वृ०धारी दास के०दीय विश्वविद्यालय, विलासपुर
07	डॉ. सुजीत कुमार	एसौरिएट प्रोफेरार	श्री यगेश पी०जी० कालेज, डै०पी, जौनपुर
08	डॉ. वी०इ०ल० यादव	रोनि०, एसौरिएट प्रोफेरार	आरआरपी०जी० कालेज, अमौरी
09	डॉ. अंगद रिटॉर्प	विष्णगाम्यका०	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ
10	डॉ. कुमारकृष्ण श्रीवारचत्व	रोनि०, एसौरिएट प्रोफेरार	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ
11	डॉ. वी०सी० रिटॉर्प	रोनि०, उपाचार्य	शिक्षा रांकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ
12	डॉ. ए०प० याद०	आचार्य	शिक्षा शास्त्र विभाग, आर०वी०ए० कालेज, आमरा०
13	डॉ. एम०पी० युधा०	रोनि०, एसौरिएट प्रोफेरार	वी०ए०ड०, एफ०जी० कालेज, रायबरेली
14	डॉ. शीला शर्मा०	विष्णगाम्यका०	वी०ए०ड०, एफ०जी०कालेज, रायबरेली
15	डॉ. आर०ल० शर्मा०	रोनि०, एसौरिएट प्रोफेरार	विश्वकार्पी विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन, प० चंगाल
16	डॉ. आशीष कुमार श्रीवारचत्व	एसौरिएट प्रोफेरार	शिक्षा रांकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
17	डॉ. किळा लता लंगवाल	असिरेट प्रोफेरार	शिक्षा रांकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
18	डॉ. आराम्भा० पाण्डेय	असिरेट प्रोफेरार	शिक्षा रांकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
19	डॉ. अवृण कुमार	एसौरिएट प्रोफेरार	शिक्षा रांकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
20	प्रो० रीना अमूराला०	आचार्य	शिक्षा रांकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
21	प्रो० निधिवाला०	आचार्य	रेवना विश्वविद्यालय, उडीरा०
22	डॉ. वी०री० दास	असिरेट प्रोफेरार	सिकिम के०दीय विश्वविद्यालय, छ०मील मरादुर, दाङोग, गै०गो०क, रिकिग
23	डॉ. रघुपति गिरा०	असिरेट प्रोफेरार	जवाहर डिग्री कालेज, बाराबंकी
24	डॉ. उत्तराल रिटॉर्प	असिरेट प्रोफेरार	डिन्दू कालेज, गुरादाबाद
25	डॉ. सुरेन्द्र रिटॉर्प	असिरेट प्रोफेरार	को०आर०पी०जी० कालेज, मथुरा
26	डॉ. यश्वर्षी रिटॉर्प	असिरेट प्रोफेरार	टी०जी० कालेज, बडौत, बागपत
27	डॉ. किळा याद०	असिरेट प्रोफेरार	टी०जी० कालेज, बडौत, बागपत
28	डॉ. गहेश कुमार युक्ताल	असिरेट प्रोफेरार	टी०जी० कालेज, जौनपुर
29	डॉ. ए०क० दुवे०	असिरेट प्रोफेरार	टी०जी० कालेज, जौनपुर
30	डॉ. रघुवंश गिरा०	असिरेट प्रोफेरार	ए०प०ल०क०पी०जी० कालेज, बलरामपुर
31	डॉ. विशेश कुमार गौयं	असिरेट प्रोफेरार	नार्थ इस्टन डिल विश्वविद्यालय, गोपालय
32	डॉ. यधुशुदा० जोशी०	असिरेट प्रोफेरार	दक्षिणी विहार के०दीय विश्वविद्यालय, गया
33	डॉ. कौशल किशोर	असिरेट प्रोफेरार	शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, ए०री०इ०आर०टी०, दिल्ली
34	डॉ. जिहेव पाठीदार	असिरेट प्रोफेरार	विज्ञान एवं यणित शिक्षा विभाग, ए०री०इ०आर०टी०, दिल्ली
35	डॉ. आशीष श्रीवारचत्व	असिरेट प्रोफेरार	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, ए०री०इ०आर०टी०, दिल्ली
36	डॉ. जया शर्मा०	एसौरिएट प्रोफेरार	गुरु घारी दास विश्वविद्यालय, बलरामपुर
37	डॉ. पायल बनाजी०	असिरेट प्रोफेरार	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
38	डॉ. गौरव रिटॉर्प	असिरेट प्रोफेरार	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
39	डॉ. निरामार ढे०	असिरेट प्रोफेरार	तेजपुर के०दीय विश्वविद्यालय, असाम
40	डॉ. हिरेश शर्मा०	असिरेट प्रोफेरार	ए०इ०आर०इ०टी०ट०य०, शिलांग
41	प्रो० रघुपति कन्द० साय	आचार्य	वनरथली विद्यापीठ
42	डॉ. अजय लुराना०	असिरेट प्रोफेरार	छत्रपति शाह० जी महाराज कालापुर विश्वविद्यालय, कालापुर
43	डॉ. गौरव राज	असिरेट प्रोफेरार	त्रिपुरा विश्वविद्यालय (के०दीय विभिन्न), सूर्यमणि नगर, अगरतला, त्रिपुरा
44	डॉ. आर०क० निश्च	रोनि०, एसौरिएट प्रोफेरार	शिक्षा विभाग, नामालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिना० कौपरा, नामालैण्ड
45	डॉ. संकेता० साय	एसौरिएट प्रोफेरार	शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
46	डॉ. लंगे दुवे०	असिरेट प्रोफेरार	शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
47	डॉ. आकाशा० रिटॉर्प	असिरेट प्रोफेरार	शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
48	डॉ. सरोज यादव	असिरेट प्रोफेरार	शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
49	डॉ. प्रशांत कुमार रत्नेन्द्र	असिरेट प्रोफेरार	शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
50	डॉ. वी०क० पाण्डेय	एसौरिएट प्रोफेरार	यु०पी०आर०टी०ओ०य०, इलाहाबाद
51	डॉ. जी०क० निश्च	असिरेट प्रोफेरार	यु०पी०आर०टी०ओ०य०, इलाहाबाद

 375
 १५/११/१५
 विश्वविद्यालय
 इलाहाबाद
 उत्तर प्रदेश
 भारत



१२	डॉ विनेश कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार	युपीडिआर्टीजोंयू, इलाहाबाद युपीडिआर्टीजोंयू, इलाहाबाद
१३	डॉ युकेश कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार	युपीडिआर्टीजोंयू, इलाहाबाद
१४	डॉ रमेश शेषवरकर	प्रवक्ता	युपीडिआर्टीजोंयू, इलाहाबाद
१५	डॉ युवेनाल मिश्री	प्रवक्ता	युपीडिआर्टीजोंयू, इलाहाबाद
१६	डॉ शीलेश कुमार सर्वत	प्रवक्ता	युपीडिआर्टीजोंयू, इलाहाबाद
१७	डॉ युकेश	असिरेट-ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, हरि रिंड गौड़, के.दीय विश्वविद्यालय, सामर
१८	डॉ अर्जिनेन प्रजापति	असिरेट-ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, हरि रिंड गौड़, के.दीय विश्वविद्यालय, सामर
१९	श्री धर्मेन्द्र कुमार सर्वत	असिरेट-ट प्रोफेरार	शिक्षा संकाय, हरि रिंड गौड़, के.दीय विश्वविद्यालय, सामर
२०	श्री सुरेन्द्र कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार	नामालैण्ड के.दीय विश्वविद्यालय, कोहिमा
२१	डॉ अमिता रिंड	असिरेट-ट प्रोफेरार	प्रो० एव०ए० गिश्रा कालेज, कानपुर
२२	डॉ देवेन्द्री युपा	एसोशिएट प्रोफेरार	फिरोज गाँधी कालेज, रायबरेली
२३	डॉ विजय जायरावाल	एसोशिएट प्रोफेरार	वौघरी चरण रिंड विश्वविद्यालय, मेरठ
२४	डॉ युगाप कंद	असिरेट-ट प्रोफेरार	सदानन्द पी.जी. कालेज, फलेहपुर
२५	डॉ अरविन्द रिंड	असिरेट-ट प्रोफेरार	फिरोज गाँधी कालेज, रायबरेली
२६	डॉ वाम्बा दुवे	एसोशिएट प्रोफेरार	शिक्षा संस्थान, युद्देश्यखण्ड विश्वविद्यालय, काँसी
२७	डॉ फिरण लता लंगवाल	असिरेट-ट प्रोफेरार	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
२८	डॉ गोरख शर्व	असिरेट-ट प्रोफेरार	सी.एस.जे. विश्वविद्यालय, कानपुर
२९	डॉ याधुरी रिंड	असिरेट-ट प्रोफेरार	फ०आर०पी०जी० कालेज, गयुसा
३०	डॉ खिला गर्व	असिरेट-ट प्रोफेरार	की०ज० कालेज, वडौप, वामपत
३१	डॉ योहेश कुमार युक्ताल	असिरेट-ट प्रोफेरार	की०ज० कालेज, वडौप, वामपत
३२	डॉ युनेश कुमार	एसोशिएट प्रोफेरार	सी.एस.जे.ए.ग. विश्वविद्यालय, कानपुर
३३	डॉ युष्मा पाण्डेय	एसोशिएट प्रोफेरार	दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
३४	डॉ रघुना रिंड	असिरेट-ट प्रोफेरार	वद्री विशाल पी.जी. कालेज, फर्स्तखाबाद
३५	डॉ पारुल मिश्रा	असिरेट-ट प्रोफेरार	एन.ए. के.पी. पी.जी. कालेज, फर्स्तखाबाद
३६	डॉ जायेन्द्र कुमार सर्वत	असिरेट-ट प्रोफेरार	राजकीय कालेज, कोटद्वार, उत्तराखण्ड
३७	डॉ रामीता	असिरेट-ट प्रोफेरार	संपूर्णनन्द संरकृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
३८	डॉ अलय मिश्री	एसोशिएट प्रोफेरार	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
३९	डॉ युकेश रामर युपा	असिरेट-ट प्रोफेरार	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
४०	डॉ रामेश रिंड	एसोशिएट प्रोफेरार	दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
४१	डॉ युगाप रिंड	एसोशिएट प्रोफेरार	आरआर. पी.जी. कालेज, अमोठी
४२	डॉ पिनेश कुमार	असिरेट-ट प्रोफेरार	युलाब देवी पी.जी. कालेज, बलिया
४३	डॉ लाजो पाण्डेय	एसोशिएट प्रोफेरार	आरआर. पी.जी. कालेज, अमोठी
४४	डॉ प्रगिला रिंड	एसोशिएट प्रोफेरार	आरआर. पी.जी. कालेज, अमोठी

Q ✓ ✓ M/21/15 *M/21/15* *Supervisor* *SA* ✓

